चतुर्दश माला, खंड 36, अंक 18

मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2008
02 पौष, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 26
Dated 18 April 201

(खण्ड 36 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 36, चौदहवां सत्र (भाग-दो), 2008/1930 (शक)
अंक 18, मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2008/02 पौष, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 360	6-78
अतारांकित प्रश्न संख्या 3379-3501, 3503-3538 और 3540-3608	78-729
सभा पटल पर रखे गए पत्र	730-771
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	771
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक	771-772
याचिका समिति	
46वां और 47वां प्रतिवेदन	772-773
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
27वां प्रतिवेदन	773
रेल संबंधी स्थायी समिति	
41वां प्रतिवेदन	773
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2007-08 और 2008-09) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 29वें और 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शीश राम ओला	774
(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2006-07, 2007-08 और 2008-09) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 206वें, 207वें और 210वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री महावीर प्रसाद	774-776

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री विजय हान्डिक 776

(चार) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 777

(पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित "सी.एन.जी. और एल.एन.जी. समेत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, वितरण और विपणन" के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री दिनशा पटेल 777

(छह) श्री हेमंत करकरे और मुंबई पुलिस के अन्य अधिकारियों की शहादत का कारण बनी परिस्थितियां

श्री पी. चिदम्बरम.. 781-788

श्री हेमंत करकरे और मुंबई पुलिस के अन्य अधिकारियों की शहादत का कारण बनी परिस्थितियां 777-780

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) रेवाड़ी-अलवर लाइन पर जगता बसई गांव के निकट रेलवे फाटक को पैदल यात्रियों तथा वाहनों के आवागमन के लिए चौबीसों घंटे खुले रखे जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव.. 788

(दो) मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सिंह.. 788-789

(तीन) उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुखराया रेलवे स्टेशन पर कोचीन एक्सप्रेस तथा पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 789

(चार) सीमेंट उद्योगों के लिए पत्तन सुविधाओं के विकास हेतु गुजरात के कोरी क्रीक क्षेत्र में निजी कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण और अन्वेषण कराए जाने के लिए गुजरात सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 789

(पांच) भारत संचार निगम लिमिटेड की दूरसंचार नीतियों में पारदर्शिता लाए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल एन. पटले 790

(छह) देश में 'मंजूषा चित्रकारी' के जीर्णोद्धार और संवर्धन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 790

(सात) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वार्ता मंच की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 791-792

(आठ) दक्षिण रेलवे में तिरूनेलवेली तथा चेन्नई को तिरुच्चेंदूर से जोड़ने के लिए एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन 792

(नौ) 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए आवास सुविधाएं बरकरार रखे जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 792-793

(दस) उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दो लाख अतिरिक्त आवासों हेतु विशेष सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 793-794

(ग्यारह) देश में इस्पात के मूल्य में कमी लाए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन 794-795

(बारह) आंध्र प्रदेश में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद न किए जाने के कारण परेशानी का सामना कर रहे कपास उत्पादकों से कपास की खरीद किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु 795

विषय **कॉलम**

(तेरह) खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने की वजह से 'जंगली सुअर' और 'माहया' को संरक्षित जानवरों की सूची से निकाल दिए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम 795-796

(चौदह) गोरखा लोगों के समग्र विकास हेतु एक आयोग का गठन किए जान तथा उनके त्यौहार "भातृ दितीया" को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा 796

सरकारी विधेयक - पारित

(एक) **स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008**

विचार करने के लिए प्रस्ताव 797-798

खंड 2, 3 और 1 798

पारित करने के लिए प्रस्ताव 798

(दो) **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008**

विचार करने के लिए प्रस्ताव 798

खंड 2 से 7 और 1 798

पारित करने के लिए प्रस्ताव 798-799

(तीन) **संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008**

विचार करने के लिए प्रस्ताव 799

खंड 2 और 1 800

पारित करने के लिए प्रस्ताव 800

(चार) **दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2008**

विचार करने के लिए प्रस्ताव 800

खंड 2 से 32 और 1 801

पारित करने के लिए प्रस्ताव 801

(पांच) **दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008**

विचार करने के लिए प्रस्ताव 801-802

विषय	**कॉलम**

खंड 2 से 32 और 1 802

पारित करने के लिए प्रस्ताव 802

(छह) सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव 802-803

खंड 2 से 34 और 1 803

पारित करने के लिए प्रस्ताव 803

(सात) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव 804

खंड 2 से 7 और 1 804

पारित करने के लिए प्रस्ताव 804

(आठ) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव 805

खंड 2 से 21 और 1 806

पारित करने के लिए प्रस्ताव 806

विदाई उल्लेख 807-810

राष्ट्रगीत 810

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 811-812

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 812-818

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 819

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 819-822

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2008/02 पौष, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने प्रश्न-काल निलंबित करने के लिए सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे निधन संबंधी उल्लेख करना है।

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को अपने दो पूर्व सहयोगियों श्री बलदेव सिंह जसरोटिया और श्री अशफाक हुसैन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने जम्मू-कश्मीर के जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से वकील श्री जसरोटिया जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर में समानता लाने के लिए संघर्षरत रहे तथा वह गरीबों के कल्याण और समाज के दलित, निःशक्त और वंचित वर्गों के लिए कार्य करते रहे।

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया का निधन 89 वर्ष की आयु में 25 अगस्त, 2008 को कठुआ, जम्मू-कश्मीर में हुआ।

श्री अशफाक हुसैन वर्ष 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री हुसैन सातवीं लोक सभा के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक, श्री हुसैन ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ जमीनी स्तर से किया। वर्ष 1974 से 1978 तक वह गोरखपुर जिला परिषद् की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे। वह इंडो-सोवियत फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सचिव और स्टेट इंडो-सोवियत कल्चर सोसायटी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे।

श्री हुसैन समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों विशेषकर कारीगरों और जुलाहों के कल्याण के लिए संघर्षरत रहे। वह उत्तर प्रदेश में गठित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे।

श्री अशफाक हुसैन का निधन 74 वर्ष की आयु में 20 दिसम्बर, 2008 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सभा इन दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने प्रश्न-काल निलंबित करने के लिए सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों इन सभी विषयों पर प्रश्न-काल के बाद चर्चा शुरू होगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मित्र गंगवार जी मैं जानता हूं और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि आप क्रोधित हैं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। सरकार ने एक वक्तव्य देने का वचन दिया है। मैंने उन्हें एक वक्तव्य देने

का निदेश दिया है और मुझे विश्वास है कि यथाशीघ्र सरकार एक वक्तव्य देगी।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि): महोदय, हम एक वक्तव्य देंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे यथाशीघ्र वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इसे देखेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आइए हम प्रतिपक्ष के विद्वान नेता की बात सुनें।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदय, ऐसे अवसर आए हैं जब सरकार ने प्रश्न-काल के निलंबन की मांग पूरी नहीं की है लेकिन पीठासीन अधिकारी ने स्वयं ऐसा किया है। इस महीने की 11 तारीख को ही अचानक मुझे सूचित किया गया कि मुम्बई पर वाद-विवाद 1100 बजे शुरू होगा। मैं 1200 बजे आने के लिए तैयार था लेकिन इसके लिए मुझे तत्काल बुलाया गया।

अध्यक्ष महोदय: हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आप सक्षम हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: इसलिए, ऐसे कई मौके आए है जब सभा द्वारा कोई मांग न की गई हो लेकिन अध्यक्षपीठ ने स्वयं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा था कि यथाशीघ्र वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: महोदय, इन दो मुद्दों पर सभा क्षुब्ध है। हम लोग सरकार के एक मंत्री द्वारा इस प्रकार का रवैया रखने के मुद्दे पर क्रोधित हैं जिसने उन्हें पााकिस्तान में नायक बना दिया और इसलिए हम महसूस करते है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा है कि यथाशीघ्र वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: इसलिए, यदि आप इन दो मुद्दों पर सरकार को निदेश दे सकें...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, वे 1100 बजे वक्तव्य दे सकते हैं। मंत्री महोदय को आने दीजिए और इस पर वक्तव्य देने दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे सुनने दीजिए कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री का इस विषय में क्या कहना है।

श्री वायालार रवि: महोदय, सरकार ने सही कहा है क्योंकि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)* इसका क्या मतलब है?...*(व्यवधान)* एक मंत्री ने...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): एल.आई.सी. और जी.आई.सी., दोनों, के कर्मचारी हड़ताल पर हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया पोस्टर मत दिखाइए। आप अभी-अभी सदस्य बने है और दुर्व्यवहार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे पता नहीं कि आप लोग सभा को चलने देना चाहते हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

किसी की बात सुनायी नहीं पड़ रही किसी की बात समझ में नहीं आ रही है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने सरकार को निदेश दिया है और बयान दिया जाएगा। प्रश्न-काल चलने दीजिए और उसके

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बाद आप यह मुद्दा उठा सकते हैं। क्या आप सभा को चलने देना नहीं चाहते है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका इरादा क्या है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता नहीं आप क्या चाहते हैं और मैं इसे नहीं समझ सकता। मैंने पूरे राष्ट्र के समक्ष उनसे पूछा है और राष्ट्र ने इसे देखा है। मैंने यथाशीघ्र इसे करने का निदेश दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करेंगे। बयान आने दीजिए। इस दौरान हमें प्रश्नकाल को जारी रखना चाहिए। यह समय अपना मुद्दा उठाने का नहीं है। यह इसे उठाने का समय नहीं है। सब कुछ जानते हुए आप ऐसा कर रहे हैं। आप सभा को चलने देना नहीं चाहते। मैं क्या कर सकता हूं। आप मुझे बताएं। मुझे निदेश देना होता है जब तक मुझे यह न कहा जाए कि बयान कब दिया जाएगा। अब मुझे निदेश देने पड़ेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, आपने कितने दिन से बोला है कि सरकार स्टेटमेंट देगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, आज ही वक्तव्य दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं जानना चाहता हूं कि आज कब दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पता करे कि यह कब तैयार होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वक्तव्य मध्याह्न 1200 बजे दिया जाएगा। मध्याह्न 1200 बजे वक्तव्य दिया जाएगा। अब कृपया प्रश्न-काल चलने दीजिए।

[हिन्दी]

1200 बजे स्टेटमेंट होगा।

[अनुवाद]

आपको मध्याह्न 1200 बजे वक्तव्य देना होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वायालार रवि: जी हां, महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न-काल चलने दिया जाए।

[हिन्दी]

1200 बजे स्टेटमेंट होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न-काल के लिए मात्र 45 मिनट बचे हैं। कृपया प्रश्न-काल चलने दें।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आविष्कारों का पेटेंट किया जाना

***341. श्री नन्द कुमार साय:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आविष्कारों को पेटेंट कराए जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन क्षेत्रों में पेटेंट कराए जाने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या भारत से कराए जाने वाले पेटेंटों की संख्या अन्य देशों से कराए जाने वाले पेटेंटों की तुलना में कम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए पेटेंट आवेदन पत्रों तथा प्रदान किए गए पेटेंटों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	दायर किए गए पेटेंट आवेदन			प्रदान किए गए पेटेंट		
	घरेलू	विदेशी	कुल	घरेलू	विदेशी	कुल
2005-06	4521	19984	24505	1396	2924	4320
2006-07	5314	23626	28940	1907	5632	7539
2007-08	6040	29178	35218	3173	12088	15261
2008-09* (31-10-2008 तक)	3865	17699	21564	2112	5863	7975

*अनंतिम आंकड़े

(ग) उक्त अवधि में लगभग सभी क्षेत्रों में देश में पेटेंट प्रदान करने संबंधी कार्यकलाप में वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दिए गए ब्यौरे से देखा जा सकता है:-

क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (31 अक्तूबर, 2008 तक)
रसायन	1140	1989	4071	1583
भेषज	457	798	1469	790
आहार	140	244	88	147
विद्युत	451	787	1078	390
यांत्रिक	1448	2526	3230	1618
कंप्यूटर/इलेक्ट्रानिकी	136	237	2052	1105
जैव प्रौद्योगिकी	51	89	314	335
सामान्य	497	869	2959	2007
कुल	4320	7539	15261	7975

(घ) जी, हां।

(ङ) यद्यपि, घरेलू पेटेंट आवेदन पत्रों तथा प्रदान किए गए पेटेंटों का अनुपात विदेशों की तुलना में कम है, परन्तु घरेलू पेटेंट संबंधी कार्यकलापों में सतत् वृद्धि हुई है। इस संबंध में ब्यौरे उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में दिए अनुसार हैं।

जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा

***342. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी के भावी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) को बढ़ावा देने हेतु सरकार और उद्योग की भागीदारी में एक नई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने **जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारिता कार्यक्रम (बी.आई.पी.पी.)** - उन्नत प्रौद्योगिकी योजना (ए.टी.एस.) संबंधी एक नई योजना को अनुमोदन दिया है जो विशेष रूप से भविष्योन्मुखी क्षेत्रों के लिए उच्च जोखिम युक्त खोज एवं नवोन्वेषण, तेज गति से प्रौद्योगिकी के विकास के लिए लागत की साझेदारी के आधार पर सहायता देने के उद्देश्य से उद्योग के साथ एक सरकारी भागीदारिता कार्यक्रम है।

यह नई योजना जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान एवं विकास और सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक सक्षम तंत्र है। इस योजना में खोज संबंधित नवोन्वेषण के लिए उद्योग को 30-50% सरकारी अंशदान देने का प्रावधान है। इस उन्नत प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत केवल भविष्योन्मुखी क्षेत्रों, जनहित के लिए रूपांतरकारी प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास तथा नई बौद्धिक संपदा सृजन के लिए ही सहायता दी जाएगी। जैवप्रौद्योगिकी स्वास्थ्य उत्पादों के क्लीनिकीय परीक्षणों और देशी खोज एवं नवोन्वेषण पर आधारित जैवप्रौद्योगिकी कृषि उत्पादों के फील्ड परीक्षणों के लिए सहायता अनुदान भी दिया जाएगा। यह योजना प्रमुख अनुसंधान सुविधाओं और आधारिक प्रौद्योगिकी केन्द्रों को ऐसी कोर सुविधाओं के रूप में सहायता देगी जो एस.एम.ई. और सार्वजनिक क्षेत्र के वैज्ञानिकों के लिए तत्काल सुलभ हों।

सहायता की चार श्रेणियां हैं:

(i) स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल/हरित विनिर्माण क्षेत्र में राष्ट्र स्तर की प्रमुख प्रौद्योगिकी संबंधी अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग के साथ भागीदारिता।

(ii) नई एवं भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकी में भारतीय उद्योग की विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग के साथ भागीदारिता।

(iii) राष्ट्र स्तरीय अति महत्वपूर्ण पहले से विकसित उत्पादों के मूल्यांकन और मान्यकरण के लिए उद्योग के साथ भागीदारिता।

(iv) प्रौद्योगिकी मंच के निकटवर्ती प्रमुख सुविधाओं की कोर सुविधाओं के रूप में साझेदारी।

(ग) 11वीं योजना अवधि के लिए 350 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (एन.बी.ए.पी.) को अनुमोदन दिया है। एन.बी.ए.पी. दस्तावेज मुख्यतः मौजूदा विधानों, क्षेत्रीय नीतियों, विनियामक प्रणालियों, क्रियान्वयन तंत्रों, विद्यमान कार्यनीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर आधारित है। इसमें भौतिक एवं वित्तीय उपकरणों के संरक्षण एवं सतत उपयोगिता की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर कार्य-योजना तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। एन.बी.ए.पी. के निर्दिष्ट कई गतिविधियां पहले से ही चल रही हैं और इन्हें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र तथा सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों की मुख्यधारा में लाया गया है।

(च) केन्द्र सरकार ने जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्ष 1986 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) को जैवप्रौद्योगिकी के संवर्धन एवं विकास के लिए अधिदेश दिया गया है। डी.बी.टी. के अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता देते हैं। डी.बी.टी. की प्रमुख गतिविधियों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का संवर्धन, उत्पादों/प्रक्रियाओं का विकास, सार्वजनिक निजी भागीदारी का संवर्धन, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापारीकरण के लिए क्षमता वृद्धि, विनियामक तंत्रों को कारगर बनाना, बौद्धिक संपदा का प्रभावकारी प्रबंधन, उत्कृष्टता केन्द्रों का निर्माण और अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। देश में अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी गई है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

***343. श्री के.एस. राव:**

श्रीमती जयाप्रदा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में नया उत्साह भरने तथा निरक्षरता की पूर्व स्थिति में न जाने देने हेतु इस मिशन को नया रूप दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम को नया रूप दिए जाने से देश में शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने में कितनी सफलता मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) प्रौढ़ शिक्षा हेतु 10वीं योजना के लक्ष्य में सभी जिलों में 75 प्रतिशत साक्षरता की प्राप्ति, उत्तर-साक्षरता को पूर्ण करना तथा देश के 100 जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करना शामिल है। साक्षरता दर पर आंकड़ों का मुख्य स्रोत दशवार्षिक जनगणना है, जिसमें संपूर्ण जनसंख्या शामिल है। दशवार्षिक जनगणना 2001 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत हो गई थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के घरेलू प्रतिदर्श के आधार पर साक्षरता आंकड़े एकत्रित करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 61वें दौर के अनुसार देश की सम्पूर्ण साक्षरता दर 67.3 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के द्वारा वर्ष 2005-06 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार साक्षरता दर 67.6 प्रतिशत है। अगली दशवार्षिक जनगणना वर्ष 2011 में की जाएगी। 10वीं योजनावधि के अंत तक 95 जिले सकल साक्षरता अभियान कार्यान्वित कर रहे थे, 120 जिले अवशिष्ट निरक्षरता परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे थे, 174 जिले उत्तर-साक्षरता चरण में थे तथा 328 जिलों में सतत शिक्षा परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं।

(ख) और (ग) 11वीं योजना में "साक्षरता अभियान एवं ऑपरेशन रेस्टोरेशन" तथा "सतत शिक्षा कार्यक्रम" की स्कीमों को समामेलित करके "प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास" नामक कार्यक्रम बना दिया गया है ताकि कार्यात्मक साक्षरता, सतत शिक्षा एवं समकक्षता को शामिल करते हुए व्यापक एवं विविध अध्ययन कार्यक्रम प्रदान किया जा सके। कार्यक्रम के समामेलन से व्यक्ति को बुनियादी साक्षरता से सतत शिक्षा कार्यक्रम तक पहुंच के अवसर सहज रूप में बिना रूकावट के प्राप्त होंगे।

(घ) XIवीं योजनावधि के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पुनर्गठित कार्यक्रमों में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के साक्षरता स्तरों पर विशेष बल देते हुए निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों पर नए रूप से ध्यान देने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

***344. श्री गणेश सिंह:**

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या हाल ही में लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चा किए गए विषयों, उनकी प्रमुख मांगों और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(च) मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में देश में लघु उद्योगों की सहायता करने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) का संवर्धन और विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनों का कार्य है। केंद्र सरकार जारी और नई विशेष योजनाओं/पहलों के द्वारा देश भर में एम.एस.ई. के एकरूप विकास और संवर्धन को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु सहायक उपाय करते हुए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजारों तक पहुंच, बेहतर आधारभूत संरचना, बेहतर ऋण उपलब्धता, उद्यमियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सुविधाओं, आदि की योजनाएं शामिल हैं। इस दिशा में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया गया है और 2 अक्तूबर 2006 से लागू किया गया है।

(ग) 2008-09 के दौरान एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के इन जारी और नई सहायक पहलों के लिए कुल बजटीय प्रावधान 1854 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2007-08 में 1548.25 करोड़ रुपये था।

(घ) से (च) जी, हां। एम.एस.ई. संघों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख मुद्दे आर्डरों (घरेलू के साथ साथ निर्यातों) में कमी, बड़े उद्यमों द्वारा विलंबित/आस्थगित भुगतान, बैंकों से ऋण उपलब्धता और अन्य राजकोषीय मुद्दों से संबंधित है।

सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और उसने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को समर्थन देने के लिए 7 दिसम्बर 2008 को उपाय घोषित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यथामूल्य सेनवैट दर में 4 प्रतिशत की कटौती, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा एम.एस.एम.ई. के बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना, क्रेडिट गारंटी योजना में संशोधन और एस.एम.ई. निर्यातकों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कम ब्याज दरों पर एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा

***345. श्री पी. करूणाकरन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.सी.) योजना का विस्तार/सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आई.ई.डी.सी. के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) विभिन्न राज्यों द्वारा धनराशि का उपयोग न करने/कम उपयोग करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/गैर सरकारी संगठनों से शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के कल्याण हेतु अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। "विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा" नामक

मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के स्थान पर सितम्बर, 2008 में "माध्यमिक स्तर पर विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा" नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को अनुमोदित किया गया है। इस नई योजना का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक स्तर (कक्षा नौवीं-बारहवीं) पर अध्ययनरत विकलांग बच्चों को शामिल करना है जो विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में उल्लिखित एक अथवा एकाधिक विकलांगताओं से ग्रस्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो घटकों के लिए शत-प्रतिशत आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है:-

i. विद्यार्थी उन्मुखी घटकों जिनमें अभिनिर्धारण एवं आकलन, सहायता एवं उपकरण का प्रावधान, अध्ययन-अध्यापन सामग्री, लड़कियों के लिए वजीफे, परिवहन, छात्रावास, सहयोगी कर्मचारी हेतु सुविधाओं का प्रावधान आदि शामिल हैं, के लिए 3000/- रु. प्रति बच्चा प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रवृत्ति के रूप में 600/- रु. प्रति बच्चा प्रति वर्ष प्रदान करें।

ii. अन्य घटक जैसे अड़चनमुक्त परिवेश सृजित करना, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक प्रशिक्षण जागरुकता सृजन आदि।

(ग) और (घ) विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना के तहत राज्यवार निधियां जारी नहीं की जाती हैं क्योंकि यह योजना मांग-आधारित है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (18-12-2008 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई राशियों और इन राशियों के उपयोग की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) यह राज्यों पर है कि वे उस प्रयोजन के लिए इन निधियों का उपयोग करें जिनके लिए ये संस्वीकृत की गई हैं। वर्ष 2007-08 के अंत तक जारी की गई निधियों के उपयोग के संबंध में 10 राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने उपयोग प्रमाणपत्र भेज दिए हैं।

(च) और (छ) इस अवधि के दौरान राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन्हें केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गई है। वर्ष 2008-09 हेतु 20 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निधियां जारी कर दी गई है और अभी तक 7 राज्यों को निधियां जारी करना संभव नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

वर्ष 2006-07 से राज्य सरकारों के समेकित प्रस्तावों में गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को शामिल करना अपेक्षित है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं जो गैर सरकारी संगठनों को निधियां जारी करते हैं।

(ज) इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के प्रयोजनार्थ विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों को भी इस बारे में स्मरण कराया गया है। जब कभी भी प्रस्ताव अधूरे पाए जाते हैं तो उनके संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगे जाते हैं।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (18-12-08 तक) जारी की गई राशि
		जारी की गई राशि	जिस राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुए	जारी की गई राशि	जिस राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुए	जारी की गई राशि	जिस राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुए	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	39.02	39.02	292.05	292.05	134.85	134.85	281.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19	17.19	0.00
3.	असम	39.61	26.61	14.04	14.04	15.42	15.42	71.64
4.	बिहार	55.29	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	7.45	7.45	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	690.66	690.66	1302.46	1302.46	1439.67	1439.67	1700.63
7.	हरियाणा	76.49	76.49	39.64	39.64	627.49	627.49	432.61
8.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.00	0.00
9.	कर्नाटक	0.00	0.00	1606.01	1606.01	861.72	0.00	0.00
10.	केरल	502.86	502.86	409.35	409.35	796.33	796.33	565.81
11.	मध्य प्रदेश	1518.50	1518.50	4.82	4.82	821.97	821.97	0.98
12.	महाराष्ट्र	92.07	92.07	377.30	377.30	633.67	633.67	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	मणिपुर	18.41	18.41	0.00	0.00	122.50	122.50	33.27
14.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00
15.	मिजोरम	50.27	50.27	53.14	53.14	41.76	41.76	124.03
16.	नागालैण्ड	4.18	4.18	7.72	0.72	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	79.99	79.99	156.03	156.03	782.49	782.49	0.00
18.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	4.73	0.00
19.	राजस्थान	103.04	103.04	16.46	16.46	193.25	193.25	0.00
20.	सिक्किम	0.00	0.00	11.07	11.00	0.00	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	149.87	149.67	277.60	277.60	340.42	340.42	251.69
22.	त्रिपुरा	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	4.52
23.	उत्तर प्रदेश	50.20	21.20	17.73	17.73	0.00	0.00	25.78
24.	पश्चिम बंगाल	598.08	598.08	450.60	450.60	606.47	606.47	515.74
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17.01	17.01	0.00	0.00	23.74	23.74	9.68
26.	दिल्ली	49.91	49.91	89.23	89.23	127.34	127.34	0.00
27.	पुडुचेरी	4.94	4.94	9.97	9.97	11.69	11.69	0.00
	कुल	4147.85	4064.27	5162.84	5155.77	7610.85	6748.63	4017.92

[हिन्दी]

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति की समीक्षा

*346. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) संबंधी नीति की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार एकल ब्राण्ड उत्पादों के खुदरा व्यापार को छोड़कर खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति नहीं दी जाती है, जहां पर सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति दी जाती है:-

(i) केवल एकल "ब्राण्ड" के उत्पाद ही बेचे जाने चाहिए।

(ii) उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक ही ब्राण्ड के अंतर्गत बेचे जाने चाहिए।

(iii) "एकल ब्राण्ड" उत्पादों के खुदरा व्यापार में केवल ऐसे उत्पाद ही शामिल होने चाहिए जिनको विनिर्माण के दौरान "ब्राण्ड" नाम दिया जाता है।

एफ.डी.आई. नीति की उसके सरलीकरण एवं यौक्तिकरण के लिए सतत आधार पर समीक्षा की जाती है।

(ग) मार्च, 2006 से सितम्बर, 2008 तक एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में सीधे निवेश के 39 मामलों को अनुमोदित किया गया। ये प्रमुखतः उच्च श्रेणी के उत्पाद हैं जिसमें फैशन परिधान, चमड़ा उत्पाद माड्उलर फर्नीचर तथा लाइफ स्टाइल उत्पाद इत्यादि शामिल हैं जो कि रोजगार पर प्रतिकूल असर नहीं डालते।

(घ) और (ङ) खुदरा श्रम प्रधान क्षेत्र है तथा कृषि के बाद रोजगार का दूसरा बड़ा नियोजक है; सरकार रोजगार पर संगठित खुदरा के प्रभाव को लेकर चिंतित है। सरकार ने असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद (आई.सी.आर.आई.ई.आर.) को एक अध्ययन कार्य दिया है और रिपोर्ट अब प्रस्तुत कर दी गई है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पूरी तरह स्वीकार करती है कि बढ़ रहे संगठित खुदरा व्यापार का छोटे खुदरा व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

[अनुवाद]

एकल बालिका योजना

*347. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक बालिका योजना के अंतर्गत लड़कियों को स्कूल और कालेज स्तर पर छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान करने हेतु निर्धारित किए गए मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग एकल बालिका संतान हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संवितरित छात्रवृत्ति राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	कुल व्यय (लाख रु.)	
	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
2005-06	19.80	240.00
2006-07	132.24	481.20
2007-08	78.78	480.42
2008-09	शून्य	738.80
कुल	230.82	1940.42

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मानदण्ड इस प्रकार हैं:-

(i) वे विद्यार्थी जो अपने माता-पिता की एकमात्र बालिका संतान है और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित Xवीं की परीक्षा में 60% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध किसी विद्यालय में कक्षा-XI तथा XII में अध्ययन कर रही हैं तथा जहां ट्यूशन शुल्क 1000/-रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं है।

(ii) किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों (गैर-चिकित्सा/गैर इंजीनियरी) में अध्ययन करने के लिए। ऐसी एकल बालिका संतानों को प्रतिवर्ष 550 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिन्होंने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित XII की परीक्षा में 60% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।

(iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वर्ष उन एकल बालिका संतानों जिनके नाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मेडिकल तथा इंजीनियरी प्रवेश परीक्षाओं की योग्यता सूची में शामिल हों, को 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इनमें से 350 छात्रवृत्तियां इंजीनियरी विद्यार्थियों और 150 छात्रवृत्तियां मेडिकल विद्यार्थियों के लिए है।

छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार हैं:-

'एकल बालिका संतान' को किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर कॉलेज में नियमित, पूर्णकालिक प्रथम वर्ष के निष्णात डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहिए। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय पात्रता हेतु आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए।

(घ) और (ङ) स्कूल स्तर पर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाली छात्राओं के दाखिले से संबंधित वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	परीक्षा में बैठने वाली छात्राओं की संख्या	
	कक्षा X	कक्षा XII
2005	247498	174089
2006	265324	186274
2007	288344	207019
2008	311032	225301

कॉलेज स्तर पर कोई भी केन्द्रीयकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा-X तथा XII की परीक्षाओं हेतु बालिकाओं के दाखिले का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-बालिकाओं के राज्यवार दाखिले

कक्षा-X की परीक्षा में दाखिला प्राप्त विद्यार्थी

राज्य	नाम	2005	2006	2007	2003
एएल	अरुणाचल प्रदेश	5405	6163	6475	7171
एएम	असम	2236	2544	2862	3041
एएन	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2587	2622	2645	2713
एपी	आन्ध्र प्रदेश	4706	5179	5647	6276
बीआर	बिहार	8409	9539	10822	12228
सीजी	छत्तीसगढ	3129	3284	3805	3987
सीएच	चण्डीगढ	5141	5141	5461	5765
डीडी	दमन एवं दीव	42	47	59	70
डीएल	दिल्ली	72694	81896	82491	91583
डीएन	दादरा और नगर हवेली	52	77	94	131
एफएस	विदेशी	4323	4740	5107	5431
जीओ	गोवा	182	172	221	238
जीटी	गुजरात	2003	2276	2436	2960
एचए	हरियाणा	14438	15745	17044	[illegible]
एचपी	हिमाचल प्रदेश	2248	2280	2530	2630
जेएच	झारखण्ड	7302	7870	8873	[illegible]
जेके	जम्मू-कश्मीर	1774	1929	2133	2238
केके	कर्नाटक	3670	4069	4292	4873
केएल	केरल	10415	11458	13006	[illegible]
एलडी	लक्षद्वीप	36	28	37	36
एमजी	मेघालय	298	359	357	365
एसएन	मणिपुर	641	767	904	1142
एमपी	मध्य प्रदेश	9256	10434	11688	[illegible]

राज्य	नाम	2005	2006	2007	2008
एमआर	महाराष्ट्र	4375	4914	5607	6463
एमजैड	मिजोरम	55	58	50	80
एनएल	नागालैण्ड	123	117	158	199
ओआर	उड़ीसा	3200	3476	3854	4113
पीबी	पंजाब	9509	10193	11687	13257
पीओ	पुडुचेरी (सं.शा.प्र.)	83	139	128	156
आरजे	राजस्थान	7866	9150	10265	11878
एसएम	सिक्किम	2212	2132	2313	2607
टीए	त्रिपुरा	232	245	332	412
टीएन	तमिलनाडु	5330	5793	5942	6638
यूए	उत्तरांचल	4536	6196	6967	7564
यूपी	उत्तर प्रदेश	25138	26631	29519	33215
डब्ल्यूबी	पश्चिम बंगाल	4107	4409	4704	5038
पीवी	पी.वी.टी./पत्राचार	19745	13252	17829	10297
टीटी	कुल	247498	265324	288344	311032

विवरण-II

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-बालिकाओं के राज्यवार दाखिले

कक्षा-XII की परीक्षा में दाखिला प्राप्त विद्यार्थी

राज्य	नाम	2005	2006	2007	2008
एएल	अरुणाचल प्रदेश	3152	3266	3642	3638
एएम	असम	1846	1911	2264	2583
एएन	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1591	1357	1722	1621
एपी	आन्ध्र प्रदेश	1176	1267	1778	1963
बीआर	बिहार	3338	4056	5061	6292

राज्य	नाम	2005	2006	2007	2008
सीजी	छत्तीसगढ़	2267	2387	2490	3001
सीएच	चण्डीगढ़	4945	5444	5606	5798
डीडी	दमन एवं दीव	26	43	28	18
डीएल	दिल्ली	57335	60303	65700	69619
डीएन	दादरा और नगर हवेली	46	64	44	52
एफएस	विदेश	3087	3293	3443	3828
जीओ	गोवा	103	110	137	136
जीटी	गुजरात	1361	1495	1714	1928
एचए	हरियाणा	13141	13795	15014	17000
एचपी	हिमाचल प्रदेश	1457	1668	1894	2265
जेएच	झारखण्ड	4916	5319	6005	6555
जेके	जम्मू-कश्मीर	921	1043	1196	1379
केके	कर्नाटक	1480	1427	1597	1893
केएल	केरल	6551	7086	8765	9566
एलडी	लक्षद्वीप	22	16	18	11
एमजी	मेघालय	266	312	320	400
एमएन	मणिपुर	668	1379	1215	1435
एमपी	मध्य प्रदेश	6427	7281	8347	9483
एमआर	महाराष्ट्र	2016	2282	2559	3075
एमजैड	मिजोरम	130	108	146	139
एनएल	नागालैण्ड	51	57	66	70
ओआर	उड़ीसा	1296	1526	1620	1860
पीबी	पंजाब	5863	6743	8039	9618
पी.ओ.	पुडुचेरी (सं.शा.प्र.)	48	59	60	87
आरजे	राजस्थान	7066	8199	9087	9965

राज्य	नाम	2005	2006	2007	2008
एसएम	सिक्किम	1467	1447	1667	1581
टीए	त्रिपुरा	250	216	251	273
टीएन	तमिलनाडु	1444	1709	2057	2195
यूए	उत्तरांचल	3486	4771	5514	5804
यूपी	उत्तर प्रदेश	19480	20205	23197	25364
डब्ल्यूबी	पश्चिमी बंगाल	3949	4182	4543	5010
पीती	पी.वी.टी./पत्राचार	11421	10448	10213	9796
टीटी	कुल	174089	186274	207019	225301

एकीकृत जांच चौकियां

***348. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पाकिस्तान, नेपाल बांग्लादेश और म्यांमार की भू-सीमाओं के प्रवेश स्थानों पर कार्गो तथा यात्री यातायात हेतु एकीकृत जांच चौकियां स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच चौकियों की स्थापना हेतु सीमाओं पर किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) जी हां,। ऐसा निर्णय लिया गया है कि नीचे दर्शाई गई स्थिति के अनुसार पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ देश की भूभाग सीमाओं पर 13 अभि-निर्धारित प्रवेश केन्द्रों पर एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना की जाए:-

क्र.सं.	स्थान	राज्य	सीमा
1.	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल
2.	अटारी/वाघा	पंजाब	भारत-पाकिस्तान
3.	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश
4.	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार
5.	दाउकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश
6.	अखौरा/अगरतला	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश
7.	हिली	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश
8.	चन्द्रबंधा	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश

क्र.सं.	स्थान	राज्य	सीमा
9.	सूतरखंडी	असम	भारत-बांग्लादेश
10.	कवरपुछिया	मिजोरम	भारत-बांग्लादेश
11.	जोगबानी	बिहार	भारत-नेपाल
12.	सुनौली	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल
13.	रुपैदिहा	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल

एकीकृत जांच चौकियां में एकीकृत तरीके से एक ही भवन में अन्य सहायक सुविधाओं सहित आप्रवासन, सीमाशुल्क, सीमा सुरक्षा आदि जैसी समस्त विनियामक एजेन्सियां होंगी। भारतीय भूपत्तन प्राधिकरण (एल.पी.ए.आई.) नामक एक संस्थागत ढांचा, जिसे स्थापित करने का प्रस्ताव है, को एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक नई योजनागत स्कीम के माध्यम से एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना के लिए 635 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति प्रदान की गई है।

एकीकृत जांच चौकियों को विकसित करने के लिए, जब तक भारतीय भूपत्तन प्राधिकरण की स्थापना नहीं हो जाती है, एक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में गृह मंत्रालय में एक अधिकारप्राप्त स्थायी समिति का गठन किया गया है।

समस्त 13 एकीकृत जांच चौकियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार किया जा चुका है और विस्तृत इंजिनियरी रिपोर्टों को तैयार किया जा रहा है।

भारतीय भूपतन प्राधिकरण विधेयक, 2008 को भी 18 दिसम्बर, 2008 को लोक सभा में पेश कर दिया गया है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं का आयात

***349. श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में आयात की गई आवश्यक वस्तुओं का वस्तुवार तथा देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के आयात में कोई वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग 17 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करता है। इन मदों में चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, तुअर (अरहर) दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, चीनी, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, चाय, दूध, आलू, प्याज एवं नमक (आयोडाइज्ड) शामिल हैं। इन मदों के आयात के वस्तु-वार, वर्ष-वार एवं देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशन "भारतीय विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े; खण्ड II (आयात), वार्षिक संख्या" में दिए गए हैं, जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

संदर्भ में सुविधा हेतु वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं अप्रैल-अक्तूबर, 2008-09 की अवधि के लिए इन 17 मदों के वस्तु-वार, वर्ष-वार आयात आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जैसा कि संलग्न आंकड़ों से देखा जा सकता है चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल-अक्तूबर, 2008 की अवधि के दौरान गेहूं, चावल, आटा, चीनी, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, आलू, प्याज एवं नमक के आयात मामूली रहे हैं। इसके अलावा इस अवधि के दौरान दूध एवं वनस्पति के आयात भी पर्याप्त नहीं रहे हैं।

घरेलू खपत हेतु घरेलू उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए दालों का आयात शून्य प्रतिशत सीमाशुल्क पर करने की अनुमति दी गई है। यद्यपि यह घरेलू उत्पादन की तुलना में उल्लेखनीय नहीं है तथापि चाय का आयात मुख्यतः ब्लेंडिंग एवं पुनर्निर्यात हेतु किया जाता है।

विवरण

आवश्यक वस्तुओं का आयात

(करोड़ रु.)

	मद	आई.टी.सी. (एच.एस.) कोड	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-अक्तू. 2008-09 (अ)
1.	चावल	1006	0.34	0.41	0.42	6.56
2.	गेहूं	1001	–	5850.49	2657.51	0.47
3.	आटा	1101	4.90	8.50	2.65	2.56
4.	चना दाल	0713	2793.81	4560.82	5649.56	3344.20
5.	तुअर दाल					
6.	उड़द					
7.	मसूर					
8.	मूंग					
9.	चीनी	1701	651.59	3.49	2.24	2.66
10.	मूंगफली का तेल	1508	0.11	0.04	0.03	0.29
11.	सरसों का तेल	1514	0.16	0.19	0.21	0.02
12.	वनस्पति	151620	1046.70	554.79	659.17	62.60
13.	चाय	0902	107.12	125.06	126.53	97.12
14.	दूध	0402	6.32	8.18	10.62	12.10
15.	आलू	0701	1.98	0.04	0.12	0.005
16.	प्याज	07031010	8.22	–	0.24	0.06
17.	नमक	25010010	0.01	0.00	0.21	0.01
	कुल	–	4621.26	11112.01	9109.51	3528.655

(अ) - अनंतिम

[अनुवाद]

दस्तकारों हेतु कल्याण योजना

***350. श्री सुब्रत बोस:** क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के बांस और बेंत उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में अवसंरचना तथा औजार प्रदान कर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के दस्तकारों के कल्याण हेतु एक नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के बांस और बेंत उत्पादों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग है। दिसम्बर, 2006 में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) जोकि एक सांविधिक निकाय है, को 'निर्यात संवर्धन परिषद' का दर्जा दिया है जिसके अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र से अब तक बांस और बेंत उत्पादों के निर्यात हेतु चार संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के बांस एवं बेंत उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग पर कोई औपचारिक मूल्यांकन संचालित नहीं किया गया है तथापि, 'हस्तशिल्प संबंधी निर्यात संवर्धन परिषद' के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बांस एवं बेंत उत्पादों के लिए निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित समस्त देश में दस्तकारों के कल्याण हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) क्षेत्र में अवसंरचना तथा औजार प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा के.वी.आई.सी. के माध्यम से लागू की जाने वाली स्कीमों में 'जनश्री बीमा योजना', 'ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र योजना', बेहतर डिजाइन व पैकेजिंग के लिए 'प्रोदीप' योजना आदि हैं तथा खादी, ग्रामोद्योग और कयर क्षेत्र के 100 पारंपरिक क्लस्टरों के विकास के लिए 'स्फुर्ति' नामक योजना आरंभ की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं/इकाईयों को खादी उत्पादों के विपणन हेतु राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2008-09 से के.वी.आई.सी. के माध्यम से तीन नई योजनाएं नामतः (क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र का क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), (ख) खादी कारीगरों के लिए बेहतर कार्यवातावरण हेतु 'वर्कशेड निर्माण योजना', (ग) खादी उद्योग 30 बिक्री केन्द्रों के नवीकरण तथा मौजूदा 100 कमजोर खादी संस्थाओं के अवसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एक अन्य योजना का अनुमोदन हुआ है।

सरकार वस्त्र मंत्रालय में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित समाज के कमजोर वर्गों के दस्तकारों के साथ हस्तशिल्प दस्तकारों के विकास और संवर्धन हेतु 'अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना', 'विपणन सहायता योजना', 'डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम', 'मानव संसाधन विकास योजना', 'अनुसंधान और विकास योजना' तथा 'हस्तशिल्प दस्तकार गहन कल्याण योजनाएं' भी संचालित करती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत अगरतला में बांस एवं बेंत विकास संस्थान की स्थापना की है जो मानव संसाधन विकास और अनुसंधान के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों और वैयक्तिक दस्तकारों, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु मंच प्रदान करता है।

अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों में कार्य का तनाव

***351. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) सहित अर्ध-सैनिक बलों के बड़ी संख्या में कार्मिक, स्वास्थ्य तथा कार्य के वातावरण से जुड़े मामलों के कारण कार्य के भारी तनाव से गुजर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कार्मिकों में तनाव के स्तर को कम करने तथा उनके लिए योग शिविर आयोजित करने

सहित उनके स्वास्थ्य तथा उनकी कार्य-दशाओं में सुधार करने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) कार्य के स्वरूप और जिस वातावरण में वे कार्य करते हैं उससे केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों (सी.पी.एफ.) के कार्मिकों पर दबाव पड़ता है। जिन कारणों से उन पर दबाव पड़ता है उन मुख्य कारणों में लम्बी अवधि के लिए लगातार तैनाती, कठिन और दूर-दराज के स्थानों, निर्जन क्षेत्रों पर तैनाती, ड्यूटी के लम्बे कठिन घंटे, लंबी दूरी की यात्रा और परिवार से अलग रहना शामिल है।

पी.एम.एफ. के कार्मिक, अपनी समस्या को दूर करने पर ध्यान दे सकें और अपनी संतुष्टि के स्तर को बढ़ा सकें, इसके लिए उनके दबाव को कम करने के वास्ते उठाए गए कुछ कदमों में ये शामिल हैं - परिवार पर अधिक ध्यान देना और परिवार के लिए आवास की पृथक व्यवस्था करना; टुकड़ियों और उनके परिवारों के लिए बुनियादी सुख-सुविधायें प्रदान करना; जहां व्यावहारिक हो वहां सीमा पर टुकड़ियों को टेलीफोन सुविधायें प्रदान करना; पारदर्शी छुट्टी नीति; अधिकारियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की नियमित रूप से बातचीत करना; दबाव दूर करने के लिए योग कक्षायें लगाना; मनोरंजन और खेल-कूद की सुविधायें; शिकायत निवारण तंत्र फिर शुरू करना; विशेषज्ञ सुविधाओं के साथ कंपोजिट हास्पिटल शुरू करना; सभी सेवारत और भूतपूर्व-सी.पी.एफ. कार्मिकों के लिए सैंट्रल पुलिस कैंटीन की सुविधायें; "निकट संबंधियों" और भूत-पूर्व सी.पी.एफ. कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास की जांच करने के लिए कल्याण और पुनर्वास बोर्ड का गठन करना और विश्राम, स्वास्थ्य लाभ और प्रशिक्षण के लिए "आरक्षित" के रूप में अतिरिक्त बटालियनों को मंजूरी प्रदान करना।

लौह अयस्क की आवश्यकता

***352. श्री गुरूदास दासगुप्ता:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू उद्योग की मांग को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लौह अयस्क की कुल आवश्यकता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में लौह अयस्क के कुल भंडारों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लौह अयस्क की मैपिंग और अन्वेषण हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान देश में निकाले तथा उत्पादित किए जा रहे लौह अयस्क का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश में लौह अयस्क की वर्तमान उपलब्धता घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 में लौह, अयस्क की 80 मिलियन टन की अनुमानित खपत के साथ 53.90 मिलियन टन इस्पात उत्पादन सूचित किया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2011) के लिए इस्पात उद्योग संबंधी कार्य दल ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2011-12 तक देश में लौह अयस्क की कुल आवश्यकता 130 मिलियन टन हो जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) 1982-83 के फील्ड सीजन तक लौह अयस्क के लिए गवेषण करता रहा और इसने 1997-98 के फील्ड सीजन में लौह अयस्क का गवेषण पुनः आरंभ कर दिया है। फिलहाल, फील्ड सीजन 2007-08 में जी.एस.आई. झारखंड (जिला पश्चिम सिंहभूम), उड़ीसा (केन्दुझर जिला), कर्नाटक (बेल्लारी और गडग जिला), तमिलनाडु (नामाक्काल जिला), छत्तीसगढ़ (कंकेर जिला) और राजस्थान (जिला जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू और अलवर) राज्यों में लौह अयस्क के लिए क्षेत्रीय गवेषण कर रहा है। 11वीं योजना के दौरान जी.एस.आई. लौह अयस्क के लिए अपने गवेषण कार्यकलापों को आंध्र प्रदेश (जिला अनंतपुर), मध्य प्रदेश (जबलपुर, कटनी, सिद्धि, ग्वालियर और शिवपुरी जिले), महाराष्ट्र (जिला चन्द्रपुर और गढ़चिरौली) और छत्तीसगढ़ (जिला दुर्ग) के राज्यों में विस्तारित करने का प्रस्ताव रखता है।

(ङ) चालू वर्ष (अप्रैल, 2008 से सितम्बर, 2008 तक)

के दौरान लौह अयस्क का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है:-

राज्य	उत्पादन (हजार टन में)
गोवा	12413
आन्ध्र प्रदेश	4585
छत्तीसगढ़	13483
झारखण्ड	9992
कर्नाटक	25070
मध्य प्रदेश	677
महाराष्ट्र	252
उड़ीसा	35095
राजस्थान	10

(च) जी, नहीं।

(छ) उपरोक्त (च) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना

***353. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**

श्री रामदास आठवले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (के.जी.बी.वी.) के लिए आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 10वीं और 11वीं योजना अवधि हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई/आवंटित की गई;

(ग) क्या 10वीं योजना अवधि के दौरान इन विद्यालयों की स्थापना हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए राज्यवार आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 10वीं योजनावधि के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए 489 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई थी। 11वीं योजनावधि में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान में आमेलित कर दिया गया है और इस अवधि के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के लिए 71,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(ग) से (ङ) 10वीं योजनावधि के दौरान, संस्वीकृत 2180 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 2026 (93%) को प्रकार्यात्मक बल दिया गया है। भारत सरकार इस योजना का नियमित रूप से अनुवीक्षण करती है और शीघ्रातिशीघ्र कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत करती है।

विवरण

वर्ष 2005-06 के बाद से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए आबंटित निधियों (लाख में) की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2679.73	2535.00	11308.83	20380.11

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	258.29	73.13	383.03	2081.32
3.	असम	350.10	0.00	344.78	1228.73
4.	बिहार	2794.69	2330.44	12974.40	22434.27
5.	छत्तीसगढ़	766.77	473.44	2034.78	2841.03
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	76.27
7.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	48.73
8.	गुजरात	326.76	127.50	1780.67	3131.98
9.	हरियाणा	182.18	36.56	480.67	380.84
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	127.99	158.60
11.	जम्मू-कश्मीर	186.25	0.00	1527.73	5644.53
12.	झारखण्ड	4083.03	390.00	7511.85	7205.35
13.	कर्नाटक	1584.17	0.00	958.31	1218.86
14.	मध्य प्रदेश	1769.32	975.00	4199.16	8669.78
15.	महाराष्ट्र	0.00	109.69	1543.05	2609.72
16.	मणिपुर	0.00	33.98	37.43	34.32
17.	मिजोरम	33.98	0.00	19.05	25.47
18.	मेघालय	12.47	5.94	13.13	77.48
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	97.45
20.	उड़ीसा	2114.09	0.00	3628.37	5140.89
21.	पंजाब	14.70	0.00	15.04	70.03
22.	राजस्थान	1272.29	1689.38	4078.75	6297.81
23.	तमिलनाडु	0.00	706.30	1074.33	1292.72
24.	त्रिपुरा	131.40	0.00	35.83	91.35
25.	उत्तर प्रदेश	3768.59	1608.75	13482.19	29090.13
26.	उत्तराखण्ड	0.00	180.00	582.93	975.08

1	2	3	4	5	6
27.	पश्चिम बंगाल	34.08	357.94	1039.18	1377.07
	कुल	22362.89	11633.05	69181.47	122679.90

सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम की निगरानी

***354. डा. के.एस. मनोज:**

श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम की निगरानी हेतु कोई प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकोष्ठ ने चल रहे पुनर्वास कार्यों की प्रगति के बारे में कोई रिपोर्ट सौंपी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल सहित प्रभावित राज्यों ने सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार ने उक्त कार्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी हां, दीर्घावधिक मुद्दों को हल करने और सुनामी से प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास की योजना बनाने तथा उपायों का समन्वय करने के लिए योजना आयोग में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है।

सरकार ने सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टी.आर.पी.) और इसकी प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों के शक्ति प्राप्त ग्रुप (ई.जी.ओ.एम.) का गठन किया है। ई.जी.ओ.एम. का कार्य, योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) ई.जी.ओ.एम. ने 9822.10 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर टी.आर.पी. पैकेज का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तिमाही लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और इसकी प्रगति की सूचना, योजना आयोग को देनी चाहिए। टी.आर.पी. के मुख्य क्षेत्रों में सितम्बर, 2008 तक हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) केरल सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने टी.आर.पी. का विस्तार मार्च, 2009 से आगे किए जाने का अनुरोध किया है। ई.जी.ओ.एम. ने मई, 2008 में हुई अपनी बैठक के दौरान टी.आर.पी. की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्णय लिया कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को काम समय पर पूरा करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और समय सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर प्रगति की विस्तृत समीक्षा किए जाने के बाद ही पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

विवरण

सितम्बर, 2008 तक प्रमुख क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति

(I) आवास

राज्य	कुल क्षति	सितम्बर, 2008 तक किया गया कार्य	शेष कार्य
1	2	3	4
तमिलनाडु	63588*	51078	12510**

1	2	3	4
केरल	3867#	3867	#
आन्ध्र प्रदेश	481	481	शून्य
पुडुचेरी	7567	4344	3223
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9797	1937	7860 मकान निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं।
कुल	85300	61707	23593

* तमिलनाडु ने खतरनाक मकानों/क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए 52569 और मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है।

केरल ने पर्यावरण और तटवर्ती संरक्षण वाले खतरनाक मकानों/क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए 9773 और मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है।

** अतिरिक्त संवेदनशील मकानों को वर्ष 2008-09 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(ii) कृषि और जीवन यापन

राज्य	कुल क्षति	सितम्बर, 2008 तक किया गया कार्य	शेष कार्य
1	2	3	4
तमिलनाडु	कृषि-8175.352 हेक्टेयर बागवानी-669.820 हेक्येर	कार्य पूरा हो गया है।	शून्य
केरल	2151 हेक्टेयर भूमि लवणयुक्त हो गई है/फसलें प्रभावित हुई हैं।	भूमि सुधार का कार्य पूरा हो चुका है।	जीवन यापन की योजनायें प्रगति पर हैं।
आन्ध्र प्रदेश	टी.आर.पी. के तहत निधियों को जुटाने के लिए क्षति की कोई सूचना नहीं है।		
पुडुचेरी	1145 हेक्टेयर जमीन लवण युक्त हो गई है।	कार्य पूरा हो गया है।	शून्य
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8069 हेक्टेयर की क्षति हुई है जिसमें से केवल 5733 हेक्टेयर का सुधार।	4819.72 हेक्टेयर के फसल योग्य क्षेत्र का सुधार किया गया है। 2435.23 हेक्टेयर का मलबा साफ कर दिया गया है, 36.7 कि.मी. जल निकासी की सुविधा का सृजन किया गया है। 550 पावर टिलरों और 2300 पंप सेटों का वितरण किया गया है। 854 कुओं/तालाबों का निर्माण किया गया है। 2 चैक डैम बनाए गए हैं।	913.28 हेक्टेयर का सुधार किया जाना है।

1	2	3	4
(iii) मत्स्य पालन और आजीविका			
तमिलनाडु	बेड़ा-303373 वल्लम-4628 यांत्रिक नावें-2727 जाल-39316 फिशिंग हार्बर-8 फिश हैंडिंग सेंटर-7 नई एफ.एल.सी.-10	10 नए फिश लेंडिंग सेंटर का निर्माण किए जाने को छोड़ कर कार्य पूरा हो गया है।	10 नए एफ.एल.सी. का निर्माण
केरल	3989 नाव/क्राफ्ट/जाल/ फिशिंग एक्सेसरीज	नाव/क्राफ्ट/जाल/फिशिंग एक्सेसरीज को बदल दिया गया है/मरम्मत कर दी गई है।	जीवन यापन की योजनायें प्रगति पर हैं।
आन्ध्र प्रदेश	11394-नावें 34067-जाल	कार्यक्रम पूरा हो गया है।	शून्य
पुडुचेरी	7894-नाव नए/अतिरिक्त क्रियाकलाप (i) मत्स्य पालन प्रशिक्षण संस्थान (ii) जीवन रक्षक जैकेटों की खरीद (iii) जीवन यापन की परियोजनायें (समुद्र की सेवार संस्कृति)	7652 नावों को बदल दिया गया है और मांग पूरी कर दी गई है।	नए/अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रगति पर है।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2065-नाव 858-फिशिंग गियर, एल.एफ.सी. और फिशिंग हार्बर 525-कृत्रिम मत्स्यपालक	2012 नावों को बदल दिया गया है और 858 फिशिंग गियर प्रदान किए गए हैं। 448* कृत्रिम मत्स्य-पालकों और 117 मत्स्य विक्रेताओं का पुनर्वास किया गया है। 5 मत्स्य पालन परियोजनायें और 1 कोल्ड स्टोरेज पूरा कर दिया गया है।	कार निकोबार के आदि-वासी मछुआरों की 53 होदियों का विनिर्माण करने के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी उपलब्ध न होने के कारण 53 नावों को बदला नहीं जा सका। मत्स्य पालन से संबंधित 2 परियोजनायें और 3 क्रैब/लोबस्टर फ्लैटनिंग यूनिटों की भी क्षतिपूर्ति कर दी गई थी।

*मांग पूरी कर दी गई है।

(iv) सड़क और पुल			
तमिलनाडु	1087.77 कि.मी. + 460.55 कि.मी. * कुल 1548.32 कि.मी. 6+52 पुल*	नई सड़कों और पुलों सहित 1385.53 कि.मी. 17 पुलो का कार्य पूरा हो गया है।	162.79 कि.मी. सड़कें और 41 पुल

1	2	3	4
केरल	686 कि.मी. 3 पुल	प्रमुख सड़कों और पुलों का कार्य प्रगति पर है।	प्रमुख सड़कों और पुलों का कार्य
आन्ध्र प्रदेश	टी.आर.पी. के तहत निधियां जुटाने के लिए क्षति की कोई सूचना नहीं है।		
पुडुचेरी	108 कि.मी.	100.72 कि.मी.	7.28 कि.मी.
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	350.05 कि.मी. (140.05 नई सड़कों सहित)	306.65 कि.मी. (210 कि.मी. क्षतिग्रस्त और नई सड़कें 96.65 कि.मी. पूरी कर ली गई हैं)	43.4 कि.मी. नई सड़कें

*460.55 कि.मी. सड़क और 52 पुलों को तटवर्ती क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है।

महिलाओं के प्रति अपराध

***355. श्री हरिसिंह चावड़ा:**

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में महिलाओं के प्रति अपराधों में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग सहित विभिन्न निकायों द्वारा महिलाओं पर आपराधिक हमलों के मामलों से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 498क के संशोधन के बारे में क्या रुख अपनाया है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) वर्ष 2005, 2006 और 2007 के पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के प्रति किए अपराध की राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो से प्राप्त विस्तृत जानकारी क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III पर दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग का दृष्टिकोण यह है कि महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क जैसे कानून ऐसे महत्वपूर्ण विधायन हैं जो महिलाओं को संरक्षण तथा विधिक उपचार प्रदान कराते हैं और इनमें फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। तथापि आयोग का यह विचार है कि वैवाहिक मतभेद के मामले में केवल उपाय झगड़ा करने वाले पति-पत्नी परिवारों के बीच प्रभावी समाधान और बातचीत करके उनके परिवार और विवाह को बचाने के इरादे से कोई तरीका निकालना चाहिए। तथापि, पीड़ित महिला को यह विकल्प प्राप्त हो कि वह इस तरह के समाधान को पसन्द करेगी अथवा वैकल्पिक रूप से आरोप दायर करना पसन्द करेगी। दण्ड न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए बनी मालीमथ समिति ने संस्तुत किया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अन्तर्गत आने वाले अपराधों को जमानत योग्य तथा प्रशमनीय बनाने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता में समुचित संशोधन किया जाए। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि उक्त अपराध का न्यायालय की अनुमति से प्रशमन किया जाना चाहिए। चूंकि दण्ड न्याय प्रणाली की विषयवस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है इसलिए मालीमथ समिति की सिफारिशों को उनकी टिप्पणी के लिए राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है। अपराध विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 में, अन्य बातों के साथ-साथ, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अन्तर्गत आने वाले अपराध (पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई निर्दयता) का प्रशमन करना सक्षम हो सके। हालांकि इस प्रस्ताव को विधेयक से हटा दिया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी आई.पी.सी. की धारा 498क के प्रावधान में कोई छूट देने के पक्ष में नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 2005 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के कुल मामलों के लिए दर्ज मामलों (सी.आर.), आरोप पत्र दायर किए गए मामलों (सी.एस.), दोष सिद्ध मामलों (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्तियों (पी.ए.आर.), आरोप पत्र दायर किए गए व्यक्तियों (पी.सी.एस.) तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों (पी.सी.वी.) का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	20819	18226	5353	31136	30369	7543
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	122	38	129	105	45
3.	असम	6027	3876	524	8760	5934	762
4.	बिहार	6019	4267	626	11220	9280	1035
5.	छत्तीसगढ़	3599	3417	1085	5491	5435	1683
6.	गोवा	121	97	47	229	196	105
7.	गुजरात	6343	5834	345	16510	16314	555
8.	हरियाणा	4161	2914	741	6275	6264	1159
9.	हिमाचल प्रदेश	793	668	73	1267	1242	102
10.	जम्मू-कश्मीर	2144	1781	104	3163	3039	136
11.	झारखंड	2544	1790	475	3432	2367	721
12.	कर्नाटक	6057	5102	1238	10590	10335	2375
13.	केरल	6762	5929	461	10669	10155	929
14.	मध्य प्रदेश	14529	13939	3301	24254	24298	5836

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	13370	12625	616	34156	33326	944
16.	मणिपुर	140	11	0	127	11	0
17.	मेघालय	131	62	4	106	53	4
18.	मिजोरम	95	89	29	85	70	169
19.	नागालैण्ड	37	29	34	37	40	49
20.	उड़ीसा	6249	5015	377	9524	9368	693
21.	पंजाब	1969	1381	224	3303	3027	498
22.	राजस्थान	11657	7393	2383	12838	12856	4042
23.	सिक्किम	62	26	6	42	25	5
24.	तमिलनाडु	8648	7877	4630	12275	12471	6152
25.	त्रिपुरा	840	742	111	1308	1090	192
26.	उत्तर प्रदेश	14875	12316	6484	32720	31006	14537
27.	उत्तराखण्ड	786	603	183	1648	1465	382
28.	पश्चिम बंगाल	11887	11199	812	19227	17324	1261
	कुल (राज्य)	**150814**	**127330**	**30304**	**260521**	**247465**	**51914**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीव समूह	22	14	1	32	23	2
30.	चण्डीगढ़	205	141	12	306	247	17
31.	दादरा और नगर हवेली	24	18	0	35	33	0
32.	दमन और दीव	10	8	0	17	18	0

33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	4351	2552	473	5853	5238	798
34.	लक्षद्वीप	01	1	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	127	109	36	191	177	54
	कुल संघ शासित क्षेत्र	**4739**	**2843**	**522**	**6434**	**5736**	**871**
	कुल अखिल भारत	155553	130173	30826	266955	253201	52785

स्रोतः भारत में अपराध

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की जानकारी में विगत वर्ष के लंबित मामलों की जानकारी शामिल है।

विवरण-II

वर्ष 2006 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के कुल मामलों के लिए दर्ज मामलों (सी.आर.), आरोप पत्र दायर किए गए मामलों (सी.एस.), दोष सिद्ध मामलों (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्तियों (पी.ए.आर.), आरोप पत्र दायर किए गए व्यक्तियों (पी.सी.एस.) तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों (पी.सी.वी.) का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सी आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	21484	16139	3579	30660	27617	5892
2.	अरुणाचल प्रदेश	168	108	16	141	114	22
3.	असम	6801	3987	692	8438	5425	955
4.	बिहार	6740	4488	801	11757	9827	1591
5.	छत्तीसगढ़	3757	3665	881	5758	5676	1491
6.	गोवा	96	83	29	159	166	65
7.	गुजरात	7279	6592	276	18188	17566	543
8.	हरियाणा	4617	3255	791	6857	6665	1308
9.	हिमाचल प्रदेश	792	645	69	1151	1153	97
10.	जम्मू-कश्मीर	2432	2142	170	3896	3887	268
11.	झारखण्ड	2979	2110	629	4117	3733	526
12.	कर्नाटक	6084	5252	716	11035	10494	1509
13.	केरल	7554	6565	617	11406	10926	1159
14.	मध्य प्रदेश	14321	13950	3705	23753	23696	6061

15.	महाराष्ट्र	14452	13020	584	36197	34067	1064
16.	मणिपुर	171	3	3	104	3	2
17.	मेघालय	176	88	7	158	101	10
18.	मिजोरम	125	128	209	138	139	128
19.	नागालैण्ड	43	36	26	64	52	38
20.	उड़ीसा	6825	5851	535	10408	10179	957
21.	पंजाब	2242	1588	276	3882	3094	697
22.	राजस्थान	12934	8155	2719	14546	14565	4987
23.	सिक्किम	47	34	3	39	34	3
24.	तमिलनाडु	6489	5598	2923	9483	8987	4991
25.	त्रिपुरा	964	834	106	1272	892	159
26.	उत्तर प्रदेश	16375	13254	6800	34720	32599	15710
27.	उत्तराखण्ड	1038	836	207	2176	1895	523
28.	पश्चिम बंगाल	12785	11445	1001	22398	18226	2077
	कुल (राज्य)	159770	129851	28370	272901	251778	52833
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36	39	1	49	63	1
30.	चण्डीगढ़	224	133	24	352	267	33
31.	दादरा और नगर हवेली	32	22	2	25	31	3
32.	दमन और दीव	9	9	1	28	26	3
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	4544	2909	565	6207	5537	925

1	2	3	4	,	6	7	8
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	1	0	0
35.	पुडुचेरी	149	139	35	260	250	77
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	**4995**	**3251**	**628**	**6922**	**6174**	**1042**
	कुल अखिल भारत	164765	133102	28998	279823	257952	53875

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की जानकारी में विगत वर्ष के लंबित मामलों की जानकारी शामिल है।

विवरण-III

वर्ष 2007 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के कुल मामलों के लिए दर्ज मामलों (सी.आर.), आरोप पत्र दायर किए गए मामलों (सी.एस.), दोष सिद्ध मामलों (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्तियों (पी.ए.आर.), आरोप पत्र दायर किए गए व्यक्तियों (पी.सी.एस.) तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों (पी.सी.वी.) का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	24738	20967	3911	35121	34088	6093
2.	अरुणाचल प्रदेश	185	128	16	203	155	20
3.	असम	6844	4148	821	8797	5755	851
4.	बिहार	7548	5941	764	14955	11842	1425
5.	छत्तीसगढ	3775	3637	580	5855	5764	1038
6.	गोवा	80	48	10	145	88	14
7.	गुजरात	8260	7763	298	21665	21625	581
8.	हरियाणा	4645	3368	636	7071	6876	1111
9.	हिमाचल प्रदेश	1018	727	53	1476	1302	76
10.	जम्मू-कश्मीर	2521	2192	123	4411	4398	183
11.	झारखण्ड	3317	2383	829	4528	4047	854
12.	कर्नाटक	6569	5576	685	11302	11049	1412
13.	केरल	7837	7267	470	11210	11440	805
14.	मध्य प्रदेश	15370	15030	3737	25990	25989	6932

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	14924	13516	597	36040	34625	1073
16.	मणिपुर	188	3	1	133	3	1
17.	मेघालय	172	67	16	130	71	30
18.	मिजोरम	151	142	84	152	163	95
19.	नागालैण्ड	32	25	38	58	40	49
20.	उड़ीसा	7304	6098	547	10424	9902	1391
21.	पंजाब	2694	1672	274	4211	3358	708
22.	राजस्थान	14270	8693	2446	14548	14528	4138
23.	सिक्किम	55	33	2	63	44	2
24.	तमिलनाडु	7811	5963	2116	11601	10449	3338
25.	त्रिपुरा	1067	1078	133	1107	1175	222
26.	उत्तर प्रदेश	20993	15626	6918	48291	39978	17392
27.	उत्तराखण्ड	1097	810	329	2711	2059	804
28.	पश्चिम बंगाल	16544	14424	467	22175	22423	667
	कुल (राज्य)	**180009**	**147325**	**26901**	**304373**	**283236**	**51305**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56	36	3	80	50	6
30.	चंडीगढ़	230	128	28	290	232	40
31.	दादरा और नगर हवेली	18	14	1	21	17	1

32.	दमन और दीव	11	7	1	57	30	1
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	4804	2587	646	5648	4739	1022
34.	लक्षद्वीप	5	2	0	2	2	0
35.	पुडुचेरी	179	178	32	337	351	69
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	**5305**	**2952**	**711**	**6435**	**5421**	**1139**
	कुल अखिल भारत	185312	150277	27612	310808	288657	52444

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की जानकारी में विगत वर्ष के लंबित मामलों की जानकारी शामिल है।

स्कूली शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय नीति

***356. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूली शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कार्य किसी अन्य एजेंसी को सौंपने (आउटसोर्स करने) का निर्णय किया है जैसा कि 17 अक्तूबर, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में देश के प्रख्यात शिक्षाविदों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिनांक 15-10-2008 का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से स्कूली शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) स्कूल शिक्षा क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग संबंधी नीति बनाने के लिए एक राजकीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्यों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकारों के दो प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

महिला साक्षरता

***357. श्री एडवोकेट सुरेश कुरूप:**

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार करने संबंधी विद्यमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महिला साक्षरता में वृद्धि करने हेतु कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शिक्षण परिसर स्थापित करने हेतु निर्धारित की गई धनराशि को उन जिलों की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कर दिया गया था जो चयनित जिलों में सम्मिलित नहीं थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन चयनित जिलों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं; और

(घ) देश में महिला साक्षरता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर-साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में महिल" साक्षरता पर विशेष बल दिया जाता है ताकि उनके आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान में वृद्धि की जा सके और उनमें सामाजिक तथा आर्थिक जागरूकता विकसित हो सके। महिला समाख्या कार्यक्रम में देश के चयनित जिलों/ब्लॉकों में महिला शिक्षा तथा उनके अधिकारों के लिए कार्यनीतियां बनाने का भी प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों के अंतर्गत पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं ताकि प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाया जा सके तथा उन्हें स्कूल में बनाए रखा जा सके और ऐसा करके प्रौढ़ आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों की बढ़ती संख्या में कमी की जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय भी कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की स्कीम जिसे पहले 'जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ाने हेतु कम साक्षरता पॉकेटों में शैक्षिक परिसर' की स्कीम कहा जाता है, को कार्यान्वित करता है।

(ख) और (ग) "जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए कम साक्षरता पॉकेटों में शैक्षिक परिसर" की स्कीम को गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की

स्वायत्त सोसायटियों के माध्यम से वर्ष 2007-08 तक कार्यान्वित किया गया। इस स्कीम में 134 अभिनिर्धारित कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा आदिम जनजातीय वर्गों की बालिकाओं को शामिल किया गया। इस स्कीम के तहत अभिनिर्धारित कम साक्षरता वाले जिलों में और इसके साथ-साथ आदिम जनजातीय वर्गों की बालिकाओं के लाभार्थ परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(घ) ग्यारहवीं योजना में कम महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ अन्य कम साक्षरता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने की परिकल्पना की गई है।

मौसम का पूर्वानुमान

***358. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**

श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मौसम का पूर्वानुमान लगाने संबंधी तंत्र यथार्थवादी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; .

(ग) क्या भारतीय मौसम विभाग (आई.एम.डी.) के पास मौसम के सही पूर्वानुमान लगाने हेतु अपेक्षित समुचित उपकरणों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय मौसम विभाग तथा देश के सभी केंद्रों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में मौसम की स्थितियों का सही पूर्वानुमान बताने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) द्वारा किए जा रहे मौसम पूर्वानुमानों को काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। देश में किसी स्थान विशेष के लिए 3 दिन पहले मौसम पूर्वानुमान की 10 वर्षीय औसत परिशुद्धता मानसून अवधि के दौरान लगभग 67% तथा शीत ऋतु के दौरान लगभग 88% रही है। मौसम-विज्ञानी उप-प्रभाग अथवा राज्य जैसे अधिक बड़े क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान की परिशुद्धता बहुत अधिक (90% से अधिक) है। मौसम पूर्वानुमान एक अनुप्रयोग विज्ञान है, जो काफी हद तक संभावना आधारित है। प्रत्येक पूर्वानुमान में त्रुटि की संभावनना रहती है, पूर्वानुमान कार्य के दीर्घकालिक अनुभव तथा उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके त्रुटि की संभावना को कम किया जा सकता है। मौसम पूर्वानुमान मौसम विज्ञानी प्रेक्षणों के आधार पर किए जाते हैं, जिनका प्रयोग वायुमंडल की भावी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए कंप्यूटर आधारित अनुरूपण मॉडलों में किया जाता है। पूर्वानुमान की परिशुद्धता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे प्रेक्षणों के घनत्व एवं गुणवत्ता, वायुमंडल की वर्तमान स्थिति का अनुरूपण, विशेष मौसम स्थितियों की जटिलताएं आदि। उच्च अक्षांश वाले देशों की तुलना में भारत जैसे उष्ण-कटिबंधीय देशों में मौसम पूर्वानुमान करना वैज्ञानिक तौर पर अधिक कठिन तथा जटिल है। भारत में, मौसम का पूर्वानुमान करना विशेष रूप से बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि यह देश चारों ओर से छुटपुट पहाड़ी क्षेत्रों तथा सागरों से घिरा हुआ है। अतः दोनों मानसून ऋतुओं अर्थात् दक्षिण पश्चिम (जून-सितंबर) तथा उत्तर-पूर्व (अक्तूबर-दिसंबर) और दो उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात ऋतुओं अर्थात् मानसून पूर्व। (मार्च-मई) तथा मानसून के बाद (अक्तूबर-दिसंबर) के विभिन्न पैमानों पर अधिक प्रभाव वाली मौसम स्थितियों के कारण जटिल स्थिति पैदा हो जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग को प्रेक्षणात्मक अवसंरचना को अपग्रेड करने तथा उसमें वृद्धि करने और नेटवर्क का घनत्व बढ़ाने के लिए अभी भी पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं हो रही हैं। आई.एम.डी. के पास मौसम पूर्वानुमान के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी से कार्य करने में सक्षम प्रशिक्षित कार्मिकों की भी कमी है।

(ङ) जी हां।

(च) सरकार ने अगले 2 वर्षों के दौरान आई.एम.डी. पूर्वानुमान अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए 920.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित कर दी है।

(छ) मौसम तथा जलवायु सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाने के लिए, सरकार ने वर्ष 2006 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य परिशुद्ध मौसम पूर्वानुमान तैयार करने के लिए समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रेक्षणों का विस्तार करना, उसको अपग्रेड करना, उसमें वृद्धि करना, मिलाना तथा उनका एकीकरण करना है, ताकि आने वाले समय में देश को उत्तम मौसम-विज्ञानी सेवाएं प्रदान की जा सकें।

आई.एम.डी. के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कुछ मुख्य घटक इस प्रकार हैं:-

(i) देश में विभिन्न स्थानों पर प्रेक्षणात्मक नेटवर्क के घनत्व में महत्वपूर्ण वृद्धि करना, डॉप्लर मौसम रेडार, स्वचालित वर्षामापी, स्वचालित मौसम स्टेशन, विंड प्रोफाइलर आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों को अपग्रेड करना तथा उन्हें चालू करना।

(ii) आई.एम.डी. पूर्वानुमान कार्यालयों के बीच प्रेक्षण एवं पूर्वानुमान उत्पादों के आदान-प्रदान हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ करके वास्तविक समय संबंधी प्रेक्षणात्मक डेटा, विश्लेषण, विवेचना तथा प्रसारण प्रणाली के एकीकरण के लिए उपयुक्त हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर अंतरापृष्ठ तैयार करने के उद्देश्य से मैसर्स मीटिओ फ्रांस इंटरनेशनल के साथ सहयोग।

(iii) आई.एम.डी. में वैश्विक, क्षेत्रीय तथा स्थानीय पैमाने पर मौसम पूर्वानुमान संबंधी उन्नत प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए उच्च क्षमता वाली संगणन प्रणालियां चालू करना।

आपदा राहत कोष संबंधी
मानदंडों में संशोधन

***359. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के अन्तर्गत पात्रता संबंधी मानदंडों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपदा राहत कोष के अंतर्गत पात्रता हेतु निर्धारित विद्यमान मानदंडों में छूट देने के लिए बाढ़ प्रभावित राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) वित्त आयोग के पंचाट सरकार द्वारा स्वीकार होने के पस्यात आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता मदों एवं मानदण्डों की समीक्षा एवं संशोधन करना एक आम प्रथा रही है। पिछला संशोधन बारहवें वित्त आयोग के पंचाट के पश्चात जून, 2007 में किया गया था। राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श करके बनाए गए ये मानदण्ड सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. से सहायता प्रदान करते समय सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। इस कारण सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. के अन्तर्गत मानदण्डों में व्यापक संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस पर 13वें आयोग का पंचाट प्राप्त होने के पश्चात विचार किया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने पशुओं के प्रतिस्थापन के लिए सहायता शर्तों, पशु शिविर और क्षतिग्रस्त अवस्थापना में तत्काल प्रवृत्ति की मरम्मत/पुनर्बहाली करने के लिए निर्धारित समय सीमा तथा रोजगार सृजन के लिए सामग्री संगटक के प्रावधान में ढील दिए जाने की मांग की है। केरल राज्य सरकार ने सहायता के लिए पात्र सूची में अधिक पशुओं और पशु बाड़ों के लिए सहायता को शामिल करने का अनुरोध किया था।

इसी तरह बिहार सरकार ने मानदण्डों में छूट देकर राहत शिविरों के प्रचालन की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 6 माह करने और अहेतुक राहत देने की समय सीमा मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने का अनुरोध किया है और पंजाब राज्य ने भी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए इनपुट इम्दाद, बरतनों/घरेलू वस्तुओं को हुई क्षति के लिए सहायता, पशुओं के लिए चारा एवं अनुपूरक आहार जैसी मदों के संबंध में संशोधन करने का अनुरोध किया है।

इन अनुरोधों पर विचार किया गया है तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रचलित मानदण्डों एवं मदों को राज्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात् 27-6-2007 को अधिसूचित किया गया है और तेरहवें वित्त आयोग, जो सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. योजना के समस्त

दायरे को देखता है, की सिफारिशें एक वर्ष के अंदर उपलब्ध होंगी यह निश्चय किया गया है कि मानदण्डों में संशोधन के लिए राज्यों के इस अनुरोध को स्वीकार न किया जाए।

पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान में प्रगति

***360. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पृथ्वी विज्ञान विशेषकर सुनामी से संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में तीव्र प्रगति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) 26 दिसंबर, 2004 को आई सुनामी के बाद, सरकार ने हिंद महासागर में सुनामी और तूफान महोर्मि संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिसके निम्नलिखित घटक है:

- हिन्द महासागर में समुद्र तल के निकट उपयुक्त स्थानों पर वास्तविक समय संयोजन के साथ सुनामी चेतावनी सेंसर स्थापित करना।

- तट पर सुनामी तरंगों के आने की पुष्टि करने के लिए ज्वारमापी और डेटा ब्यॉय की नेटवर्किंग।

- सुनामी पैदा करने वाले भूकंप आने के करीब-करीब वास्तविक समय का पता लगाने के लिए मौजूदा भूकंप-वैज्ञानिक नेटवर्क को सुदृढ़ करना।

- समूचे तट के लिए आप्लावन दृश्यलेखों की मॉडलिंग तथा जोखिम की संभावना वाले क्षेत्रों का मानचित्रण।

- डेटा/सूचना एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और भूकंप तथा सुनामी संबंधी परामर्श सूचनाएं तैयार करने के लिए एक चेतावनी केंद्र की स्थापना करना।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकाईस), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में चौबीसों घंटे और सातों दिन के आधार पर एक पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गईहै। यह प्रणाली 15 अक्तूबर, 2007 को राष्ट्र को समर्पित की गई। केंद्र सुनामी पैदा करने वाले भूकंपों को मॉनीटर करने के लिए करीब-करीब वास्तविक समय में भूकंपीय संकेतों को प्राप्त करता है, समुद्र स्तर में वास्तविक समय के दौरान होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण करता है तथा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समुद्र तल पर लगे तल दाब संवेदकों के माध्यम से किसी सुनामी लहर के उत्पन्न होने पर उसके बढ़ने की पुष्टि करता है। यह प्रणाली, सुनामी के लिए सतर्क करने और सुनामी के लिए चेतावनी सूचनाएं देने में सक्षम है।

सुनामी मॉडल स्थापित किया गया है और प्रचालनात्मक सुनामी पूर्वानुमान के लिए हिंद महासागर के विभिन्न दृश्यलेख तैयार किए गए हैं और उन्हें सिनेरिओ डेटा बेस में स्टोर किया गया है। डेटा से मॉडलिंग और क्रमिक रूप से परिष्करण, अर्थात बाथीमीट्री, एयरबोर्न लेजर टेरेन मैपिंग (ए.टी.एम.ए.) द्वारा तटीय आकृति-विज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। कार्टोसेट 1 डेटा का प्रयोग भारतीय तट के लिए डिजिटल टेरेन मॉडलिंग (डी.टी.एम.) तैयार करने के लिए किया जाता है। देश के तटीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न सुनामीजनित स्रोतों के लिए सभी अवसंरचनात्मक ब्यौरों तथा रूपरेखा एवं खतरे के स्तरों सहित उपयुक्त विघटन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया जा रहा है। उच्च विभेदन तटीय स्थलाकृति-विज्ञान तथा भू-उपयोग मानचित्र तैयार करने के लिए ए.एल.टी.एम./कार्टोसेट सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

पूर्व चेतावनी केंद्र समय पर परामर्श सूचनाएं तैयार करके गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराता है ताकि यह मंत्रालय आगे जनता में इनका प्रसारण कर सके।

इंकाईस में सभी आवश्यक संगणनात्मक एवं संचार अवसंरचना के साथ एक अत्याधुनिक पूर्व चेतावनी केंद्र की स्थापना की गई है, जो सभी संवेदकों से वास्तविक समय संबंधी डेटा प्राप्त करने, डेटा का विश्लेषण करने, मानक प्रचालन प्रक्रिया अपनाते हुए सुनामी संबंधी परामर्श सुचनाओं का सृजन और प्रसारण करने में सक्षम है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

3379. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने प्रचुर एवं विविध उत्पादन आधार के बावजूद कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय निर्यात पश्चिम एशिया, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तर अमेरिका के परम्परागत बाजारों तक सीमित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत के ताजा एवं प्रसंस्कृत खाद्य के उत्पादन एवं निर्यात के पूर्ण उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट खाद्य पार्कों से संबंधित है। देश से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में सतत वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की अनुसूची में उल्लिखित इन वस्तुओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

मात्रा मि.मी. टन में : मूल्य करोड़ रु.

2005-06		2006-07		2007-08	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
10.45	18782.96	10.90	21805.94	17.45	31870.62

(स्रोतः एपीडा)

(निर्यात में सतत् वृद्धि हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के हमारे कुल निर्यातों में पश्चिम एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका का हिस्सा निम्नानुसार है:

करोड़ रु. में

	मूल्य	% हिस्सा
पश्चिम एशिया उत्तरी अफ्रीका	11218	35.19
पश्चिमी यूरोप	2735	8.58
उत्तरी अमरीका	1617	5.07

स्रोतः डी.जी.सी.आई. एंड एस.

(ङ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात संवर्धन करने के लिए एपीडा द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर और तिरूअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के लिए केन्द्रों, सामान्य पैक ग्रहों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं की स्थायपना करना।

(ii) जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना और उनका उन्नयन तथा अवशिष्ट निगरानी योजनाओं का कार्यान्वयन, पैकेजिंग विकास एवं फलों तथा सब्जियों के निर्यात हेतु फसल-पूर्व एवं फसलोत्तर मैनुअल तैयार करना।

(iii) फलों एवं सब्जियों के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदार, संवर्धनात्मक अभियानों, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा प्रमाणन निकायों एवं किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(v) अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु अपनी स्कीमों के अंतर्गत अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता तथा परिवहन सहायता।

[हिन्दी]

माडल पुलिस अधिनियम

3380. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा माडल पुलिस अधिनियम अधिनियमित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचार सरकार को प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान काफी ज्यादा संख्या में पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त माडल पुलिस अधिनियम में पुलिस अधिकारियों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध दंडात्मक उपबंध हैं तथा उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी है जो झूठे मामलों में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाते हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) एक नया माडल पुलिस अधिनियम का मसौदा बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने सितम्बर, 2005 में एक विशेषज्ञ समिति गठन किया था। समाज के सभी वर्गों से व्यापक भागीदारी और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के विचार से समिति के गठन के बारे में पूरे देश के अग्रणी अखबारों में विज्ञापन दिया गया तथा सुझाव/इनपुट मांगे गए। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर एक वेब पेज खोला गया। इसके अतिरिक्त पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सेवारत पुलिस अधिकारियों से प्राप्त विचारों का सर्वेक्षण किया तथा समिति की फीडबैक उपलब्ध कराया। इस समिति ने विभिन्न क्षेत्रों की जानीमानी हस्तियों तथा विशेषज्ञों से भी रायमशविरा किया। इस समिति ने इन सभी इनपुटों पर विधिवत रूप से विचार किया। इस समिति ने 30 अक्तूबर, 2006 को एक प्रतिदर्श (माडल) पुलिस अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य पुलिस बोर्ड का सृजन करने, पुलिस महानिदेशक के कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यकरण की स्वायत्तता, निष्पादन एवं आचरण दोनों के लिए कर्तव्य-निर्वहन की जिम्मेदारी सर्वोपरि रखने आदि जैसी मूल सिफारिशें शामिल हैं। चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है इसलिए इस प्रतिदर्श पुलिस अधिनियम को विचारार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्यों को भेजा गया था। इस समय प्रतिदर्श अधिनियम "अधिनियमित" करने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

अरब देशों द्वारा निवेश

3381. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरब देशों ने भारत में निवेश का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में कितनी राशि निवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) अप्रैल, 2005 से मार्च, 2008 के दौरान सरकार ने यू.ए.ई. सहित खाड़ी देशों के 15 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

स्वीकृत परियोजनाओं में निवेश की जाने वाली प्रस्तावित राशि 124.85 मिलियन अमरीकी डालर है।

(घ) सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के लिए उदार नीति लागू की है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वतः मार्ग पर 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति दी जाती है। इस नीति को संवर्धनात्मक उपायों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भारत-जी.सी.सी. औद्योगिक सम्मेलन के जरिए तथा यू.ए.ई. के पास निवेशों पर एक परिषद की स्थापना करके अरब देशों के साथ आर्थिक कार्यकलाप बढ़ाने के लिए प्रयास भी किए गए हैं।

विवरण

खाड़ी देशों में अप्रैल, 2005 से मार्च, 2008 तक के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) तथा विदेशी प्रौद्योगिक मामलों (एफ.टी.सी.एस.) के लिए ब्यौरे

(राशि मिलियन में)

क्रम सं.	पंजीकरण संख्या और तारीख	भारतीय कम्पनी का नाम और पता	विदेशी सहयोगी का नाम और पता	विदेशी इक्विटी (रुपये में)	विदेशी इक्विटी का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1.	15 07 फरवरी 2005	किवी बिल्डिंग सिस्टम्स इण्डिया. लि., प्लाट नं. 8-15, आई.डी.ए., फेस-3 पासामयलारम, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश-502307	मै. क्रिर्बी बिल्डिंग सिस्टम्स-कुवैत 23933, सैफट: 1310 कुवैत	तकनीकी मामला		
	स्थान: जिला मेडक (आंध्र प्रदेश) **अनुमोदन सं.** (तारीख): 29 (30 अप्रैल 2005)			**विनिर्माण की मद:** औद्योगिक क्षेत्रों वेयर हाउसिंग आदि में प्रयुक्त प्री-इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग का विनिर्माण		
2.	224 14 अगस्त, 2007	नूर फाइनेन्सियल इन्वेस्टमेंट कं. द्वारा ट्राई लीगल बी-1/एफ-2, मोहन को-ओपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044	नूर फाइनेन्सियल इंवेस्टमेंट कं., कुवैत	0.00	0.00	5.00
	स्थान: दिल्ली **अनुमोदन सं. (तारीख):** 163 (31 अगस्त 2007)			**विनिर्माण की मद:** दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में इक्विटी भागीदारी		
3.	227 13 अगस्त 2007	इकारस इण्डस्ट्रियल पैट्रोलियम कं. कुवैत, द्वारा: ट्राई लीगल, द शैफायर बी. 1/एफ 2, मोहन को-ओपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड नई दिल्ली-110044	इकारस इण्डस्ट्रियल पैट्रोलियम कं. कुवैत	0.00	0.00	5.00
	स्थान: दिल्ली **अनुमोदन सं. (तारीख):** 164 (31 अगस्त 2007)			**विनिर्माण की मद:** दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में इक्विटी भागीदारी		

4.	228 14 अगस्त 2007	कुवैत प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स होल्डिंग, के.एस.सी. कुवैत द्वारा: ट्राई लीगल, द शैफायर बी. 1/एफ 2, मोहन को-ओपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड नई दिल्ली-110044	कुवैत प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स होल्डिंग कं., के.एस.कुवैत			
	स्थान: दिल्ली अनुमोदन सं. (तारीख): 165 (31 अगस्त 2007)			विनिर्माण की मद: दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में इक्विटी भागीदारी		
	कुल तकनीकी केस: 1	कुल वित्तीय केस: 3	कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रुपयों में: 0.00		अमरीकी डालर करोड़: 0.00	
5.	379 05 अक्तूबर 2003	के.आर.बी.एल. लिमिटेड 5190, लाहौरी गेट,, दिल्ली-110006	मि. उमर अली ओबेद, बाला सराफ, साउदी अरब	660.00	14.86	39.77
	स्थान: दिल्ली अनुमोदन सं. (तारीख): 282 (31 जनवरी 2006)			विनिर्माण की मद: धान की प्राप्ति के कारोबार संबंधी कार्यकलाप, उसके उच्च तकनीकी मशीनों से उनके प्रसंस्करण तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में मुख्य रूप से निर्यात करने के लिए चावल में बदलने के लिए		
	कुल तकनीकी केस: 0	कुल वित्तीय केस: 1	कुल विदेशी इक्विटी	660.00	अमरीकी डालर करोड़: 1486	
6.	54 26 फरवरी 2003	दमस ज्वैलरी एल.एल.सी. दुबई 606, विशाल भवन, 95, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019	दमस ज्वैलरी एल.एल.सी., दुबई	22.95	0.54	51.00
	स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई((महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 77 (30 अप्रैल 2007)			विनिर्माण की मद: विभिन्न भारतीय हवाई-अड्डों, समुद्री पत्तनों तथा ऐसे अन्य स्थानों पर ड्यूटी मुक्त दुकानों की स्थानों की स्थापना करने के लिए जहां पर नीति के अनुसार ड्यूटी मुक्त दुकानों की अनुमति दी गई है।		
7.	101 30 मार्च 2005	सिरडी इण्डस्ट्रीज लि., ए. विंग, दूसरी मंजिल, मात्रे पेन्ट बिल्डिंग, सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम) मुम्बई-100 028	क्लिकर्ट लिमिटेड, यू.ए.ई.	30.00	0.69	49.28

1	2	3	4	5	6	7
	स्थानः उधमसिंह नगर (उत्तरांचल), **अनुमोदन सं. (तारीख):** 122 (30 जून, 2005)			**विनिर्माण की मदः डोर स्किन, पेनल डोर, तथा फर्नीचर संघटकों के निर्माण में लगे। मौजूदा कार्यकलापों के अलावा कम्पनी प्लेन/प्री-लेमिनेटिड पार्टिकल बोर्ड तथा एम.डी.एफ. बोर्डों का भी विनिर्माण करेगी।**		
8.	116 27 अप्रैल 2007	**ए.एल. खलीज शुगर कं. (एल.एल.सी.) द्वाराः मै. माइन एंड यंग एडवोकेट एंड लीगल कंसलटेंट, सी.-346, एल.जी.एफ. डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024**	ए.एल. खलीज शुकर कं. (एल.एल.सी.) दुबई	1.50	0.04	100.00
	स्थानः ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) **अनुमोदन सं. (तारीख):** 103 (31 मई 2007)			**विनिर्माण की मदः** निर्यात आदि के प्रयोजनों के लिए चीनी की घरेलू खरीद		
9.	141 23 मई 2007	राकिण्डो डवलपर्स प्रा. लि., द्वाराः प्राइस वाटर हाउस कूपरस प्रा. लि., सुचेता भवन, (गेट नं. 2, दूसरी मंजिल), 11-ए, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110 002	राकिण्डो डवलपमेंट पी.जे.एस.सी., यू.ए.ई	4,100.00	101.45	50.00
	स्थानः चेन्नई (तमिलनाडु) **अनुमोदन सं. (तारीख):** 131 (31 जुलाई, 2007)			**विनिर्माण की मदः** अवसंरचना (औद्योगिक पार्कों तथा एस.ई.जेड. सहित) तथा संरचना विकास परियोजना (आवासीय तथा वाणिज्यिक) में लगी भारतीय कंपनियों में निवेश शुरू करना, रखना तथा अधोप्रवाही निवेश।		
10.	173 03 जून 2005	**अहमद रामधन जुमा ई.एस.टी., दुबई, यू.ए.ई. द्वाराः बी.एस.आर. एंड कंपनी 4 बी. डी.एल.एफ. कोरपोरेट पार्क, डी.एल.एफ. सिटी, फेस-III, गुड़गांव-122 002**	अहमद रामधन जुमा ई.एस.टी., दुबई, यू.ए.ई.	10.00	0.23	100.00

स्थानः नहीं दिया है

अनुमोदन सं. (तारीख): 170 (31 जुलाई, 2005)

विनिर्माण की मदः सभी प्रकार के उपकरणों सहित तथा औद्योगिक यन्त्रों में कैश एंड कैरी आधार पर थोक विक्रेताओं के रूप में कार्रवाई करना लेकिन सेंट्रीफ्यूगल, सबमर्सिबल, सीवेज, ड्रेनेज, औद्योगिक, हाइड्रो न्यूमेंटिक तक सीमित नहीं।

11. 175 06 जून 2005	बेलाडामास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा: सुरेश सुराना एंड ऐसोसिऐट्स, चौथी मंजिल, दलमल चेम्बर, 29, न्यू मैरिन लाईन्स, मुम्बई-20	थामीना ज्वैलरी, एफ.जेड.सी.ओ., दुबई, यू.ए.ई.	1.00	0.02	100.00

स्थानः ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई((महाराष्ट्र)

अनुमोदन सं. (तारीख): 172 (31 जुलाई, 2005)

विनिर्माण की मदः मौजूदा हीरों, बहुमूल्य पत्थरों, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, सोने, चांदी, ज्वेलरी को काटने व पालिश करने से संबंधित प्राप्ति निरीक्षण, मूल्यांकन तथा वर्गीकरण विक्रेता विकास और इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के बारे में सेवा देने में लगे हुए।

12. 256 31 अगस्त 2005	दुबई फर्नीचर मेन्यूफेक्चरिंग कं.. एल.एल.सी. एंड एम.आर. फेसल द्वारा: ए.एल. कपानी एंड कंपनी, 207, चार्टड हाउस, 297, डा. कावसजी होरमसजी, मैरिन लाईन्स, मुम्बई-400 002	दुबई फर्नीचर मेन्यूफेक्चरिंग कं. एल.एल.सी. एंड एम.आर. फेसल ए.एल. मूसा, दुबई	0.50	0.01	100.00

स्थानः ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र)

अनुमोदन सं. (तारीख): 255 (31 अक्तूबर, 2005)

विनिर्माण की मदः दो वर्ष के लिए टेस्ट मार्केटिंग शुरू करने तथा उसके बाद मैटरेस तथा स्लीप सिस्टम के लिए धीरे-धीरे भारत में समग्र विनिर्माण प्रक्रिया चलायी जायेगी।

13. 281 05 अक्तूबर 2007	हाइप ट्रान्सपोर्ट वेन्चर्स प्रा. लि. 54, रिचमंड रोड, बैंगलोर-560 025	इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एफ.जेड.ई., यू.ए.ई.	275.36	6.98	0.00

विनिर्माण की मदः अवसंरचना योजना

स्थानः बैंगलोर (ग्रामीण) (कर्नाटका)

अनुमोदन सं. (तारीख): 244 (05 दिसम्बर, 2007)

1	2	3	4	5	6	7
14.	347 16 नवम्बर, 2007	ओ.आर.जी. इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड, तीसरी मंजिल, ओरचिड स्कावयर, बी.-ब्लाक सुशांतलोक-1, गुडगांव-122 002	मै. एन.क्यू. इंटरप्राइसेस एफ.जेड.ई., यू.ए.ई., एन.आर.आई./ओ.सी.बी. आदि	0.00	0.00	28.45
	स्थान: गुडगांव (हरियाणा) अनुमोदन सं. (तारीख): 262 (31 दिसम्बर, 2007)			विनिर्माण की मद: साफ्टवेयर विकास क्षेत्र।		
15.	480 24 नवम्बर, 2002	यूनाइटेड मोटर्स एंड हेवी इक्यूपमेंट्स कम्पनी एल.एल.सी. द्वारा: किंग एंड पार्टरिटज् एडवोकेट्स, 48 लावेला रोड, बैंगलोर-560 001	यूनाइटेड मोटर्स एंड हेवी इक्यूपमेंट्स कम्पनी एल.एल.सी. पी.ओ. बाक्स 22804-दुबई, यू.ए.ई.	1.20	0.03	100.00
	स्थान: बैंगलोर (ग्रामीण) कर्नाटका) अनुमोदन सं. (तारीख): 363 (30 अगस्त, 2005) पूंजी संरचना के कारण संशोधन			विनिर्माण की मद: मुख्यत: व्यापार कार्यकलापों में लगाना जिसमें भारत के बाहर निर्मित उपकरण हिस्सों/अतिरिक्त पुर्जों का आयात करने, विपणन करने तथा निर्यात के लिए भी शामिल होगा।		

कुल तकनीकी केस: 0 कुल वित्तीय केस: 10 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रुपयों में: 4442.51 अमरीकी डालर करोड़: 109.99

[अनुवाद]

कंप्यूटर शिक्षा

3382. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कंप्यूटर शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अब तक राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) "स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्रीय प्रयोजित योजना दिसम्बर, 2004 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की आधारभूत सुविधाओं, विषय-वस्तु, शिक्षक प्रशिक्षण तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कम्प्यूटर साक्षर तथा कम्प्यूटर आधारित शिक्षण और अध्ययन में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के आरम्भ होने से लेकर अभी तक 51069 स्कूलों को संस्वीकृति दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा स्तर पर निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित की हैं:-

1. कॉलेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - नेटवर्क संसाधन केन्द्रों की स्थापना।
2. विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना/स्तरोन्नयन।

(ख) वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं:-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित आबंटन किए हैं:-

वर्ष	आबंटन (लाख रु.)
2005-06	1600.00
2006-07	1100.00
2007-08	100.00 (केवल विश्वविद्यालयों के लिए)

विवरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई राशि			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (18-12-2008 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	200.28	3750.00	3750.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	444.81	267.26	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	1301.23	0.00

1	2	3	4	5	6
4.	चंडीगढ़	0.00	35.20	100.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	247.70	0.00	217.53
6.	दमन एवं दीव	25.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	292.50	0.00	571.50	432.00
8.	गुजरात	0.00	11.25	1022.15	0.00
9.	हरियाणा	230.50	250.00	1250.00	1250.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	772.44
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	570.06	0.00
12.	झारखण्ड	0.00	0.00	1074.00	0.00
13.	कर्नाटक	1200.00	1200.00	4558.00	0.00
14.	केरल	312.50	312.50	1016.00	2516.00
15.	लक्षद्वीप	0.00	8.40	0.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	807.50	0.00
17.	महाराष्ट्र	0.00	337.50	500.00	0.00
18.	मणिपुर	0.00	0.00	195.9750	0.00
19.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	202.75
20.	मिजोरम	150.00	0.00	0.00	0.00
21.	नागालैण्ड	319.59	327.37	1299.46	500.00
22.	पुडुचेरी	0.00	34.47	259.53	0.00
23.	पंजाब	0.00	0.00	91.24	867.40
24.	राजस्थान	53.26	0.00	400.00	1050.00
25.	सिक्किम	270.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	2.10	0.00	1312.50	2000.00
27.	त्रिपुरा	0.00	603.00	209.00	0.00

1	2	3	4	5	6
28.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	3115.47	0.00
29.	उत्तराखण्ड	75.00	0.00	377.25	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	393.17	0.00	964.33	762.42
	कुल	3768.43	3834.93	24745.195	14320.54

घरेलू इस्पात उत्पादकों को लौह अयस्क की आपूर्ति

3383. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स (आई.सी.सी.) से उचित दर पर घरेलू इस्पात उत्पादकों को लौह अयस्क की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए सरकारी क्षेत्र की खनन कंपनियों को निदेश देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात क्षेत्र के दीर्घावधि हित में लौह अयस्क के बेंच मार्क मूल्य निर्धारित का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स ने भारत में इस्पात उद्योग के विकास में लौह अयस्क की भूमिका को दर्शाते हुए सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि सरकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनियों को दीर्घावधि संविदाओं के अंतर्गत घरेलू उद्योग के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति हेतु प्राथमिकता देने के लिए निर्देश जारी करें जिनमें कीमतों को खनन की लागत तथा निवेश पर यथोचित आय (रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट) के साथ जोड़ा जा सकता है। ये कीमतें वार्षिक रूप से लागत में वृद्धि के अध्यधीन हो सकती हैं। लौह अयस्क की कीमतों पर बेंचमार्क रखने के लिए इस समय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

3384. श्री गिरिधारी यादव: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) इन गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं जिन्हें विभिन्न अनियमितताओं में लिप्त पाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए गैर-सरकारी संगठनों को योजना-वार प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न अनियमितताओं से संबद्ध पाए गए गैर-सरकारी संगठनों का तथा तत्संबंधी शुरू की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(लाख रु.)

क्र. सं.	योजना का नाम	विगत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता		
		2005-06	2006-07	2007-08
1.	अनुषंगी विकास के लिए उप-संविदा केन्द्र	13.070	13.080	24.110
2.	व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास (ट्रैड)	21.980	30.550	35.650
3.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	120.000	175.000	70.000
4.	उद्योग संघों द्वारा परीक्षण केन्द्र	शून्य*	13.000	9.390
5.	क्षमता निर्माण	शून्य*	81.750	69.625
6.	सूक्ष्म लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.-सी.डी.पी.)	18.280	20.450	24.170
7.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाएं	55038.55	58683.10	64366.360
8.	कॉयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली उत्पादन बढ़ाने से संबद्ध कॉयर कामगार कल्याण योजना	शून्य*	93.0483 **	शून्य*

* योजना 2006-07 में आरंभ हुई।

** योजना प्रयोग के आधार पर थी।

विवरण-II

राज्य	संस्थान का नाम और पता	पाई गई शिकायतों की प्रकृति	आरंभ की गई कार्रवाई
1	2	3	4
		2005-06	
पंजाब	स्वास्तिक खादी ग्रामोद्योग समिति, मुबारिकपुर, जिला पटियाला	लेखा एवं सतर्कता से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निधियों का दुरुपयोग	कोर्ट केस चल रहा है।
कुल		1	
		2006-07	
राजस्थान	भरतपुर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति, अन्हनगेट, भरतपुर	राज्य सरकार के सतर्कता विभाग अनियमितताओं की रिपोर्ट की है।	प्रक्रियाधीन (शिकायत हाल ही में मिली है)
हिमाचल प्रदेश	जयंत खादी ग्रामोद्योग समिति, बिलासपुर	निधियों का दुरुपयोग	राज्य निदेशक, हिमाचल प्रदेश ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो प्रक्रियाधीन है।
उत्तर प्रदेश	नवनिर्माण संस्थान, उजायन घाट, कर्टाडिह, बलिया	विभागीय निदेशक, गोरखपुर द्वारा कार्य न किए जाने संबंधी रिपोर्ट मिली है।	के.वी.आई.सी. अधिनियम की धारा 19-बी के तहत कानूनी वसूली कार्रवाई का सुझाव दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ	जनकल्याण खादी ग्रामोद्योग आश्रम, चुरी, कटघोड़ा, कोरबा	निधियों का दुरुपयोग एवं उपलब्ध आधारभूत संरचना के मुकाबले उत्पादन और बिक्री का गैर-विनियोजन	तकनीकी-आर्थिक अध्ययन संचालित किया गया है। सभी प्रकार के वित्तीय रिलीजों पर निषेध लागू कर दिया गया है।
महाराष्ट्र	1. आकांक्षा खादी ग्रामोद्योग विकास सोसायटी, माटुंगा, मुंबई	कार्य नहीं कर रहा	एफ.आई.आर. दर्ज।

1	2	3	4
	2. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर खादी ग्रामोद्योग संघ, मंगलवेद, शोलापुर	निधियों का दुरुपयोग	एफ.आई.आर. दर्ज।
बिहार	1. सर्वोदय आश्रम खादी ग्रामोद्योग विभाग, रानीपात्रा पुर्णिया	निधियों का दुरुपयोग एवं संपदा की अवैध बिक्री	उप. सी.ई.ओ. (ई.जेड.), कोलकाता द्वारा जांच संचालित की जा रही है।
	2. भगवानपुर ग्रामोद्योग सहयोग समिति लि. सौगोना, मधुबनी	नकली खादी	पुनर्निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए नमूने इकट्ठे करने के लिए टीम गठित।
कुल		8	
		2007-08	
मध्य प्रदेश	1. एम.पी. खादी संस्था संघ, नई मार्केट, भोपाल	प्रबंधन संबंधी विवाद	मामले की जांच के लिए टीम गठित कर ली गई है।
	2. खादी आश्रम, टीकमगढ़ और अन्य 5-6 संस्थान	निधियों का दुरुपयोग अधिक ऊंचे टारगेट का आबंटन	मामले की जांच के लिए टीम गठित कर ली गई है।
तमिलनाडु	1. चेन्नई सर्वोदय संघ, चेन्नई	मुख्य सलाहकार, योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन संबंधी गतिविधियों में बिजली का प्रयोग एवं कान्ट्रैक्ट लेबर, भत्तों का भुगतान कारीगरों को न करके एन.जी.ओ. को किया जाता है।	कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
	2. खादी ग्रामोद्योग संघ, चेन्नई	मुख्य सलाहकार, योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन संबंधी गतिविधियों में बिजली का प्रयोग एवं कान्ट्रैक्ट लेबर, भत्तों का भुगतान कारीगरों को न करके एन.जी.ओ. को किया जाता है।	कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
	3. छेंगलपेट जिला सर्वोदय संघ, कांचीपुरम	मुख्य सलाहकार, योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन संबंधी गतिविधियों में	कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

		बिजली का प्रयोग एवं कान्ट्रैक्ट लेबर, भत्तों का भुगतान कारीगरों को न करके एन.जी.ओ. को किया जाता है।	
राजस्थान	1. सगन क्षेत्र विकास समिति, राजसामंद	मुख्य सलाहकार, योजना आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार निधियों का खादी से ग्रामोद्योग गतिविधियों को स्थानांतरण	कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
	2. विनोबा सेवा समिति, 149, हिम्मत नगर, टोंक रोड, जयपुर	अन्य संस्थानों का समामेलन	राज्य निदेशक, जयपुर को मामले की जांच करने और केन्द्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है।
	3. राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्थान संघ, बजाज नगर, जयपुर	निधियों का दुरुपयोग	प्रक्रियाधीन (शिकायत हाल ही में मिली है)।
उत्तर प्रदेश	1. महालक्ष्मी खादी ग्रामोद्योग संस्थान, भैरमाउ, नाकुर, सहारनपुर	नकली खादी	पुनर्निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए नमूने इकट्ठे करने के लिए टीम गठित।
	2. ग्रामीण खादी ग्रामोद्योग संस्थान, छिपवाड़ा पिलखुआ, गाजियाबाद	नकली खादी	पुनर्निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए नमूने इकट्ठे करने के लिए टीम गठित।
	3. रघुवंश ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, तिलहिया, रामबाबा, अम्बेडकर नगर	निधियों का दुरुपयोग और ऑडिट की रिपोर्ट के अनुसार अन्य अनियमितताएं	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।
	4. शुभम सेवा संस्थान, कानपुर रोड, लखनऊ	निधियों का दुरुपयोग और बोगस उत्पादन और बिक्री जैसे कि राज्य निदेशक ने रिपोर्ट की है	लेखा निदेशालय द्वारा विशेष लेखा परीक्षा संचालित की जा रही है।
	5. खादी आश्रम, 33 ए, स्टैनली रोड, इलाहाबाद	निधियों का दुरुपयोग और बोगस उत्पादन और बिक्री जैसे कि विभागीय निदेशक ने रिपोर्ट की है	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।
हरियाणा	1. गायत्री खादी ग्रामोद्योग संस्थान, जाटन गेट के बाहर, खेड़ा कैनाल के पास	नकली खादी	पुनर्निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए नमूने इकट्ठे करने के लिए टीम गठित।

1	2	3	4
उड़ीसा	1. ग्राम विकास सोसायटी, सर्वोदय आश्रम, भंजपुर, बारिपदा, मयूरभंज	मुख्य सलाहकार, योजना आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कार्य नहीं कर रहा है	कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
बिहार	1. बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, सर्वोदय ग्राम, मुजफ्फरपुर	निधियों का दुरुपयोग एवं संपत्ति की अवैध बिक्री	उप-सी.ई.ओ. (ई.जेड.), कोलकाता द्वारा जांच संचालित की गई और रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है।
	2. राजेन्द्र खादी ग्रामोद्योग संघ, ब्रिजकिशोर आश्रम, सीवान	निधियों का दुरुपयोग एवं संपत्ति की अवैध बिक्री	उप-सी.ई.ओ. (ई.जेड.), कोलकाता द्वारा जांच संचालित की गई और रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है।
पश्चिम बंगाल	1. भारत खादी सेवक संघ, 4 बी.बी. गुप्ता रोड, खगड़ा, मुर्शिदाबाद	निधियों का दुरुपयोग एवं काल्पनिक उत्पादन	उप-सी.ई.ओ. (ई.जेड.), कोलकाता द्वारा जांच की जा रही है।
	2. दुर्गादास खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, बेहरामपुर, मुर्शिदाबाद	लेखा द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय एवं अन्य अनियमितताएं	खादी प्रमाणपत्र का नवीकरण नहीं कराया गया है।
कुल		19	

होमगार्ड कार्मिकों को सुविधाएं

3385. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के कुछ होमगार्ड कार्मिकों को उनकी अद्वितीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति मेडल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कार्मिकों को रेल तथा बस यात्रा का मुफ्त पास, पहचान-पत्र तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार गणतंत्र दिवस, 2008 के अवसर पर श्री प्रवीण के हिवारे, जिला कमांडेंट, होम गार्ड्स, वर्धा को शौर्य के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है।

(ग) और (घ) इस समय शौर्य के लिए राष्ट्रपति का होमगार्ड एवं सिविल पदक प्राप्तकर्ता, शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्राप्तकर्ता के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। तथापि, शौर्य के लिए राष्ट्रपति का होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स पदक प्राप्तकर्ताओं को शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के समान लाभ देने का एक मामला विचाराधीन है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इसके वित्तीय निहितार्थ बनाने को कहा गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग

3386. श्री महावीर भगोरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग का गठन एवं उद्देश्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 3 तथा धारा 11 में निहित है। जब संसद में कानूनी विधेयक पारित किया गया था तब उसमें उल्लिखित उद्देश्य तथा कारणों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) तथा (ग) सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 हेतु आयोग की वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के साथ सदन के सभा पटल पर रख दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के खण्डों में से एक खण्ड में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (इसके बाद इसे राष्ट्रीय आयोग कहा गया है) स्थापित करने हेतु एक प्रावधान मौजूद है जो अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ संबंधन प्रदान करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षाविदों, लब्धप्रतिष्ठित नागरिकों तथा अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े सामुदायिक नेताओं के साथ आयोजित कई बैठकों में अल्पसंख्यकों की इस चिरप्रतीक्षित मांग को जोर-शोर से उठाया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गए विभिन्न मुद्दों में से एक मुद्दा इस संबंध में उन्हें दी गई संवैधानिक गारंटी के बावजूद उनके स्वयं की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करके इनके संचालन में आ रही कठिनाई से संबंधित है। मुख्य समस्या उनके मनपसंद किसी विश्वविद्यालय के साथ संबंधन प्राप्त करने से जुड़ी है। राज्य विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार और कुछ विशिष्ठ इलाकों में अल्पसंख्यक जनसंख्या की बहुलता का आशय निरपवाद रूप से यह है कि संस्थाओं को उनके मनपसंद विश्वविद्यालयों के साथ संबंधन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका।

2. तदुपरान्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति की 27 अगस्त, 2004 को आयोजित बैठक में कई विशेषज्ञों ने इसी प्रकार के अभिमत व्यक्त किए। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिभागियों ने ऐसी संस्थाओं के संबंधन के संबंध में विश्वविद्यालयों के मौजूदा संविधियों द्वारा प्रायः लगाई जाने वाली प्रतिबंधात्मक शर्तों के मद्देनजर ऐसे संबंधन सुलभ कराने की आवश्यकता की अभिपुष्टि की। उन्होंने महसूस किया कि उनके अल्पसंख्यक दर्जे के कारण उन्हें प्रदत्त अधिकारों को ये शर्तें प्रभावित करती हैं। यह तथ्य कि अपील करने तथा शीघ्र निराकरण के बाबत कोई प्रभावी मंच उपलब्ध नहीं है, ने अल्पसंख्यक समुदायों के लाभवंचित रह जाने संबंधी भय को बद से बदतर किया है।

3. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सरकार की प्रतिबद्धता के मद्देनजर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना एक नितांत अनिवार्यता थी। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और आगामी शैक्षिक सत्र से इस राष्ट्रीय आयोग के कार्यकरण को संचालित करने के बाबत उल्लेखनीय प्रस्तुतीमूलक कार्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 11 नवम्बर, 2004 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था अध्यादेश, 2004 को प्रख्यापित करके एक राष्ट्रीय आयोग बनाने हेतु संसाधनों का उपयोग किया गया।

4. पूर्वोक्त अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग स्थापित करने की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।

(ii) यह इसके बावजूद कि उस समय विशेष पर प्रवृत्त किसी अन्य कानून में क्या कुछ उल्लिखित है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को किसी संबद्ध कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

(iii) किसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था और किसी अनुसूचित विश्वविद्यालय के बीच संबंधन संबंधी मामले में यह एक सांविधिक आयोग के रूप में विवाद निपटान हेतु एक मंच की अनुमति देता है और इसका निर्णय अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(iv) इस आयोग के पास अपने कार्यकरण का निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ किसी मुकदमे का निपटारा करते समय एक सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे, जो आयोग के निर्णय को इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित विधिक प्रतिबंध की समकक्षता प्रदान करेंगे; और

(v) यह केन्द्र सरकार को इस अनुसूची में किसी विश्वविद्यालय को शामिल करने, अथवा हटाने का अधिकार प्रदान करता है।

[अनुवाद]

बालिकाओं द्वारा बीच में विद्यालय छोड़ देने की दर

3387. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण संबंधी राजीव गांधी योजना के अंतर्गत बालिकाओं द्वारा बीच में विद्यालय छोड़ देने की दर के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) बच्चों की उम्र के मद्देनजर प्रदान किए जा रहे पोषण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना के अंतर्गत वित्तीय अनुदान हेतु कोई अतिरिक्त मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि "राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना" को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पेटेंट के लिए प्री-ग्रांट अपोजिशन

3388. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पेटेंट अधिनियम में प्री-ग्रांट अपोजिशन प्रचालन में है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2005 से 31 अगस्त, 2008 तक भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 25 के कितने अंर्तत प्री-ग्रांट अपोजिशन आवेदन पत्र दाखिल किए गए;

(ग) प्री-ग्रांट अपोजिशन आवेदन पत्रों की सूची आविष्कार का शीर्षक, पेटेंट आवेदक के नाम व पते, दाखिल करने की तिथि, पेटेंट आवेदन पत्र संख्या इत्यादि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वीकृत तथा अस्वीकृत किए गए प्री-ग्रांट अपोजिशन आवेदन पत्रों तथा लंबित पेटेंट आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 25 के तहत 1 जनवरी, 2005 से 31 अगस्त, 2008 तक दायर किए गए प्री-ग्रांट अपोजिशन आवेदन पत्रों की संख्या 390 है।

(ग) और (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय पेटेंट कार्यालय में प्री ग्रांट ऑपोजिशन के ब्यौरे

क्र. सं.	दायर किए गए पेटेंट आवेदन का शीर्षक	आवेदक का नाम एवं पता	आवेदन संख्या एवं आवेदन दायर करने की तारीख	विरोध करने वालों की संख्या	विरोध दायर करने की तारीख	विरोध करने वाले का नाम एवं पता	विरोध की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ए नोवेल साल्ट	ग्लैक्सो ग्रुप लि., ग्लैक्सो वेल्कम हाउस, बेरकेले एवेन्यू, ग्रीन फोर्ड, किडक्स, यूबी 6 ओ.एन.एन., यूनाइटेड किंगडम	872/सी.एल./1998 दि. 14-05-1998	2	08-09-2005 2006-07	1. रैनबैक्सी रैन्बैक्सी लैबोरेटरिज लि. कोआपरेट ऑफिस प्लाट 90, सेक्टर 32, गुड़गांव-122001 (हरियाणा), इंडिया 2. इंडियन नेटवर्क फॉर पिपल लविंग विद एच.आई.वी./एड्स न्यु नं. 41, ओल्ड नं. 42/3, सेकेन्ड मेन रोड, कलाईमगल नगर, इक्काडुथांगल, चैन्नई-600097 इंडिया	पेटेंट आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया
2.	सेलमेटरोल और फ्लुक्टिकेसोन प्रोपीनेट का फार्मास्युटिक्ल प्रतिपादन	ग्लैक्सो ग्रुप लि., ग्लैक्सो वेल्कम हाउस, बेरकेले एवेन्यू, ग्रीन फोर्ड, किडक्स, यूबी 6 ओ.एन.एन., यूनाइटेड किंगडम	166/के.ओ.एल.-एन.पी./2003 दि. 11-02-03	2	2005-06	1. रैन्बैक्सी लैबोरेटरिज लि. कोआपरेट ऑफिस प्लाट 90, सेक्टर 32, गुड़गांव-122001 (हरियाणा), इंडिया 2. सिप्ला लि., मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई 400008 इंडिया	पेटेंट आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया
3.	इंसुलिन एनालोग प्रतिपादन	ई.एल.आई. लिलि एंड कं. लिलि कोरपोरेट सेन्टर, सिटी ऑ इंडियानापोलिस,	675/सी.ए.एल./1995 दि. 14-06-95	2	15-09-05	1. वोकहार्डट लि. वोकहार्डट टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स बांद्रा (इस्ट), मुम्बई-400051,	अस्वीकृत निर्णय को कोलकाता उच्च न्यायालय में चुनौती:

1	2	3	4	5	6	7	8
		सेट आफ इंडियाना, यू.एस.ए.				महाराष्ट्र, इंडिया 2. त्रिडोज लैब, नार्थ विंग, पूनम चैम्बर्स डा. एनीबिसेंट रोड, मुम्बई 400018, इंडिया	लम्बित
4.	मोनोमेरिक इंसुलिन एनालोग प्रतिपादन	ई.एल.आई. लिलि एंड कं. लिलि कोरपोरेट सेन्टर, सिटी ऑ इंडियानापोलिस, सेट आफ इंडियाना, यू.एस.ए.	677/सी.ए.एल./ 1995 दि. 14-06-95	2	15-09-05 2007-2008	1. वोकहार्डट लि. वोकहार्डट टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स बांद्रा (इस्ट), मुम्बई-400051, महाराष्ट्र, इंडिया 2. त्रिडोज लैब, नार्थ विंग, पूनम चैम्बर्स डा. एनीबिसेंट रोड, मुम्बई 400018, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
5.	माइक्रोनाइज्ड इप्लेरेनोन संयोजन	जीडी सेएरले एंड कं. पो. बाक्स 5110, शिकागो आई.एल. 60606-5110, यू.एस.ए.	आईएन/पी.सी.टी./ 01/536 दि. 22-05-2001	1	06-12-05	रैन्बैक्सी लैबोरेटरिज लि. कोआपरेट ऑफिस प्लाट 90, सेक्टर 32, गुड़गांव-122001 (हरियाणा), इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
6.	एक मौखिक संयोजन एवं उसे तैयार करने की विधि	ओरियन कारपोरेशन ओरियनीनटाई 1, फिन-0220 इसयू फिनलैण्ड	आई.एन./पी.सी.टी./ 01/1271 दि. 03-12-01	1	13-12-05	टोरेन्ट फार, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, गुजरात, इंडिया	पेटेंट के आवेदक की अपने आवेदन को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं औपचारिक वापसी प्रतीक्षित
7.	माइक्रोनाइज्ड नेबिवोलोल रखने वाले संयोजन	जानसीन फार्मास्युटिका एन.वी. टर्नहाउटसेवेज 30बी-2340 बीरसे बेल्जियम	191/सी.ए.एल./ 1995 दि. 24-02-95	1	12-12-05	टोरेन्ट फार, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, गुजरात इंडिया	विरोध की अनुमति दी गई, कोलकाता उच्च न्यायालय में चुनौती: लंबित
8.	लो हाइग्रोस्कोपिक ए.आर.आई.+डी6 प्रिपाजोल ड्रग	ओटसुका 9 कांडाटसुका-साचो-चो, चियोडा-कु, टोक्यो, जापान	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/1536	1	17-12-2002	टोरेन्ट फार, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, गुजरात इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन

सब्सटेन्स एवं उनकी तैयारी की प्रक्रियाएं						
9. जलशोधन संयोजन	द प्रोक्टर एंड गैम्बले कंपनी, वन प्रोक्टर एंड गैम्बले प्लाजा चिनचिनाती, ओहियो 45202 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका	आई.एन./पी.सी.टी./ 02/1455 दि. 26-11-02	1	27-02-06	हिन्दुस्तान लिवर, हिन्दुस्तान युनिलिवर हाउस, 165/166, बैकबे रेक्लेमेशन मुम्बई-400020, महाराष्ट्र, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
10. फार्मास्युटिकल संयोजन	ग्लैक्सो ग्रुप लि. ग्लैक्सो वेलकम हाउस, बेरकेलेय एवेन्यु, ग्रीन फोर्ड, किडक्स, यूबी 6 ओ.एन.एन., यूनाइटेड किंगडम	2044/सी.ए.एल./ 1997 दि. 29-10-97	3	05-04-06 और 03-05-06	1. सिप्ला मुम्बई सेन्ट्रल मुम्बई-400008 इंडिया 2. मणिपुर नेटवर्क ऑफ पोजिटिव पिपल याइसकुल हिरूनाम्बा लेईकाई इम्फाल, मणिपुर 795001 3. इंडियन नेटवर्क फार पिपल लिविंग विथ (एच.आई.वी./एड्स) इंडियन नेटवर्क फार पिपल लिविंग विथ एच.आई.वी./एड्स (आई.एन.पी.+) न्यू नं. 41, ओल्ड नं. 42/3, सेकेन्ड मैन रोड, कलाईमागल नगर, इक्काडुथांगल चैन्नई-600097 इंडिया	पेटेंट आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया।
11. सर्कुलर कॉम्ब की एक विधि	ग्राफ+सी.आई.ई. ए.जी. एंड मैसचिनेन्फाब्रिक राइटर ए.जी., सी.एच.-8640 रैपरस्वील, स्वीटजरलैण्ड	422/सी.ए.एल./ 2000 दि. 25-07-2000	3	22-03-06 और 22-03-06	1. विवेक वर्धन प्रसाद, 20 सिटर-कलापत्ती, कोयम्बटूर 641035, इंडिया 2. निटो शोजि लि., जापान निटो शोजि लि., 12-5 निशिटेनमा, 4-चोमे, किटा-कु ओसाका जापान 3. लक्ष्मी कार्ड क्लोथिंग	विरोध की अनुमति दी गई, कोलकाता उच्च न्यायालय में चुनौती: लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
						मैन्युफैक्शन कं. लि., लक्ष्मी प्लाजा, 1089 अवानाशी रोड, कोयम्बटूर, इंडिया	
12.	हड्डियों की मजबूती और कड़ापन बढ़ाने की विधि एवं घटाने वाले कारक	ई.एल.आई. लिलि एंड कं., लिलि कोरपोरेट सेन्टर, सिटी ऑ इंडियाना पोलिस, सेट आफ इंडियाना, यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./ 2000/336 दि. 20-9-2000	1	7-04-06	यू.एस.वी. लि., बी.एस. देवशी मार्ग, गोवांडी, मुम्बई 400088 इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
13.	स्टेबलाइज्ड टेरीपेरेंटाइड विलयन ड्रग	ई.एल.आई. लिलि एंड कं., लिलि कोरपोरेट सेन्टर, सिटी ऑ इंडियाना पोलिस, सेट आफ इंडियाना, यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./ 2000/119 दि. 5 जुलाई, 2000	1	11-05-06	यू.एस.वी. लि., बी.एस. देवशी मार्ग, गोवांडी, मुम्बई 400088 इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
14.	क्रिस्टेलाइन टेरीपेरेटाइड	ई.एल.आई. लिलि एंड कं., लिलि कोरपोरेट सेन्टर, सिटी ऑ इंडियाना पोलिस, सेट आफ इंडियाना, यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./ 2000/118	1	2006-07	यू.एस.वी. लि., बी.एस. देवशी मार्ग, गोवांडी, मुम्बई 400088 इंडिया	पेटेंट आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया।
15.	मानोमेरिक इन्सुलिन एनालॉग प्रतिपादन	ई.एल.आई. लिलि एंड कं., लिलि कोरपोरेट सेन्टर, सिटी ऑ इंडियाना पोलिस, सेट आफ इंडियाना, यू.एस.ए.	566./सी.ए.एल./ 1996 दि. 25-03-1996	1	20-03-06	वोकहार्डट लि. वोकहार्डट टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (इस्ट), मुम्बई-400 051, महाराष्ट्र, इंडिया	पेटेंट आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया।
16.	वाटर फिल्टर और उनके उपयोग की प्रक्रियाएं	द प्रोक्टर एंड गैम्बले कंपनी, वन प्रोक्टर एंड गैम्बले प्लाजा धिनधिनाती, ओहियो 45202 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका	227/के.ओ.एल.एन./ पी./2004 दि. 18-02-2004	1	29-09-06	हिन्दुस्तान लिवर, हिन्दुस्तान युनिलिवर हाउस, 165/166, बैकबे रेक्लेमेशन मुम्बई-400020, महाराष्ट्र इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन

17. वाटर फिल्टर निर्माण की प्रक्रिया	द प्रोक्टर एंड गैम्बले कंपनी, वन प्रोक्टर एंड गैम्बले प्लाजा चिनचिनाती, ओहियो 45202 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका	228/के.ओ.एल.एन. पी./2004 दि. 18-02-2004	1	29-09-06	हिन्दुस्तान लिवर, हिन्दुस्तान युनिलिवर हाउस, 165/166, बैकबे रेक्लेमेशन मुम्बई-400020, महाराष्ट्र इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
18. फ्लेम सेंसिंग प्रणाली सहित ज्वलनशील उत्सर्जन मूल्यांकन	ए.बी.बी. आई.एन.सी. 501 मेरिट्ट 7 नोरवाल्क सी.टी. 06856 यू.एस.ए.	318/के.ओ.एल.एन. पी./2005 दि. 02-03-05	1	2006-07	बी.एच.ई.एल., बी.एच.ई.एल. हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-110019, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
19. इंडोलीन क्विनोइलोन कारबोजाइलिक एसिडडेरिवेटिव्स उत्पादन की प्रक्रिया	टोयामा केमिकल कं. लि. 2-53-चोमे, निशिशिन्जु कु शिन्जुकु-कु, टोक्यो जापान	1891/सी.ए.एल./ 1998 दि. 23-10-98	1	22-11-06	जी.एम. फार्मा लि. रत्नमणि कॉम्पलेक्स, रिलिफ रोड, अहमदाबाद जी.पी.ओ. अहमदाबाद-380001	विरोध प्रक्रियाधीन
20. 2 मेथाइल-थाइनो-बेंजोडिजोपिन की प्रक्रिया एवं क्रिस्टल	ई.एल.आई. लिलि एंड कं., लिलि कोरपोरेट सेन्टर, सिटी ऑफ इंडियान पोलिस, सेट आफ इंडियाना, यू.एस.ए.	514/सी.ए.एल./96 दि. 22-03-96	1	5-09-05	टेरेन्ट फार, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, गुजरात इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
21. पैराथाइराइड हारमोन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेन डिवाइस	ई.एल.आई. लिलि एंड कं., लिलि कोरपोरेट सेन्टर, सिटी ऑफ इंडियाना पोलिस, सेट आफ इंडियाना, यू.एस.ए.	249/के.ओ.एल.एन. पी./2003 दि. 07-02-2003	2	2006-07 और 30-09-08	1. यू.एस.वी. लि., बी.एस. देवशी मार्ग, गोवांडी, मुम्बई-400088 इंडिया 2. इन्टास बायोफार्मास्युटिकल्स लि., प्लाट नं. 423/पी/ए/जी.आई. डी.सी. सारखेज-बावला हाईवे, मोरैया, तालुका-सनंद, 382210 अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	एक नया एक्सेनडिन एगोनिस्ट प्रतिपादन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की विधियां	एमिलीन फार्मास्युटिक्ल्स आई.एन.सी. 9373 टोवने सेंटर ड्राइव, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया 92121 यूनाइटेड स्टेट ऑं अमेरिका	आई.एन./पी.सी.टी./ 2001/729 दि. 13-07-01	3	04-12-06 07-08-08	1. नाटको फार्मा, नाटको फार्मा लिमिटेड, नाटको हाउस, रोड नं. 2, बंजारा हिल्स हैदराबाद-500033 2. सन फार्मा, एक्मे प्लाजा, अंधेरी, कुर्ला रोड, अंधेरी (यू.) मुम्बई-59, इंडिया 3. जी.एल. लल्थिा 27 डी, रूद्रप्पा गार्डन, विवेक नगर पोस्ट, बंगलौर-560047 कर्नाटक, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
23.	एबाकाविर, लेमिवु-डाइन और जिडो-वुडाइन रखने वाला होमोजेनियस फार्मास्युटिक्ल प्रतिपादन	ग्लैक्सो ग्रुप लि. ग्लैक्सो वेलकम हाउस, बेरकेलेय एवेन्यु, ग्रीन फोर्ड, किडक्स, यूबी 6 ओ.एन.एन., यूनाइटेड किंगडम	आई.एन./पी.सी.टी./ 2000/521 दि. 16-11-2000	1	25-04-06	सिप्ला लि., मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई-400 008 इंडिया	पेटेंट आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया।
24.	लेवोसिमेनडन रखने वाला ए.एन. एक्यूओस इंट्रवेनस इन्फ्युजन सोल्युशन या उसका साल्ट	ओरियन कारपोरेशन, ओरिओनिनटाई 1, फिन-0220 इस्पू फिनलैण्ड	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/312 दि. 05-03-02	1	02-01-06	जी.एम. फार्मा लि. रत्नमणि कॉम्पलेक्स, रिलिफ रोड, अहमदाबाद जी.पी.ओ. अहमदाबाद-380001	विरोध प्रक्रियाधीन
25.	ज्वलनरोधी एजेंटों के रूप में से 17 बीटा कारबोथि-ओएट 17 अल्फा-एरिलकारबोनी-लोक्सी एंडरोस्टाने डेरिवेटिव्स	ग्लैक्सो ग्रुप लि. ग्लैक्सो वेलकम हाउस, बेरकेलेय एवेन्यु, ग्रीन फोर्ड, किडक्स, यूबी 6 ओ.एन.एन., यूनाइटेड किंगडम	108./के.ओ.एल.एन. पी./2003 दि. 29-01-03	1	21-03-07	इंटरमेड लैब्स प्रा. लि. 77डी, किआडब, इंडस्ट्रियल एरिया, जिगानी, बंगलौर-562106	विरोध प्रक्रियाधीन

26. समुन्नत आर्सेनिक रिमूवल मीडिया	इंग्लेहार्ड कारपोरेशन, ऑफ पी.ओ. बॉक्स 770, 101 वूड एवेन्यु, इसेलिन, न्यू जर्सी 08830-0770, ए कारपोरेशन ऑफ दिलवारे, यू.एस.ए.	1313/के.ओ.एल.एन. पी./2005 दि. 07-07-05	1	15-03-07	हिन्दुस्तान लिवर, हिन्दुस्तान युनिलिवर हाउस, 165/166, बैकबे रेक्लेमेशन मुम्बई-400020, महाराष्ट्र इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
27. स्वच्छ टूथपेस्ट के लिए अपघर्षी संयोजन	जे.एम. हबर कारपोरेशन 333 थोरनाल स्ट्रीट, इडिसन एन.जे. 08837-2020 यू.एस.ए.	861/के.ओ.एल.एन. पी./2005 दि. 11-05-05	1	06-12-06	हिन्दुस्तान लिवर, हिन्दुस्तान युनिलिवर हाउस, 165/166, बैकबे रेक्लेमेशन मुम्बई-400020, महाराष्ट्र इंडिया	पेटेंट आवेदन वापस लिया गया।
28. उच्च शुद्धता लाइपोपेपटइड्स उसको तैयार करने की प्रक्रिया तथा उनको रखने वाले फार्मा संयोजन	क्युबिस्ट फार्मास्युटिक्ल्स आई.एन.सी. 65 हैडेन एवेन्यू, लेक्सिगटन मा 02421 यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./2002/927 दि. 16-07-02	1	23-03-07	जी.एम. फार्मा लि. रत्नमणि कॉम्पलेक्स, रिलिफ रोड, अहमदाबाद जी.पी.ओ. अहमदाबाद-380001, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
29. हाइपाईरीडीन डेरीवेटिव अम्ल एडिशन साल्ट	सैंकयो कंपनी लिमिटेड 5-1 निहोनबाशी होक नं. 3 घोमे, चुकु, टोक्यो 103-8426, जापान और यू.बी.ई. इंडस्ट्रीज लि., 1213 निशिहःनमाशी कोमे, यू.बी.ई.-एस.एच.ई., यामागुची, जापान	आई.एन./पी.सी.टी./2002/1558	2	16-11-06 11-04-08	1. सन फार्मा, एक्मे प्लाजा, अंधेरी, कुर्ला रोड, अंधेरी (यू.) मुम्बई-400059 2. ग्लेनमार्क फार्मा लि., रत्नमणि काम्पलेक्स, रिलिफ रोड, अहमदाबाद जी.पी.ओ. अहमदाबाद-380001	विरोध प्रक्रियाधीन
30. उच्च शुद्धता लाइपो-पेपटाइड्स, लिपो-पेटाइड माइसेलस एवं उसे तैयार करने की प्रक्रिया	क्यूबिस्ट फार्मास्युटिकल्स आई.एन.सी. 65 हेडेन एवेन्यू, लेक्सिगटन मा 02421, यू.एस.ए.	33./सी.ए.एल./2001 दि. 19-01-2001	1	23-03-07	जी.एम. फार्मा लि. रत्नमणि कॉम्पलेक्स, रिलिफ रोड, अहमदाबाद, जी.पी.ओ. अहमदाबाद 380 001, इंडिया	विरोध की अनुमति

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	फार्मास्युटिकल संयोजन	ग्लैक्सो ग्रुप लि. ग्लैक्सो वेलकम हाउस, बेरकेलेय एवेन्यु, ग्रीन फोर्ड, किडक्स, यूबी 6 ओ.एन.एन., यूनाइटेड किंगडम	479./सी.ए.एल./98 दि. 23-03-98	1	01-02-07	सिप्ला लि. मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई-400008 इंडिया	पेटेंट आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया
32.	टी-सैल मीडिएटिव उन्मुक्ति में सुधार के लिए एल.एच. आर.एच. एंटागोनिस्ट जो कैस्ट्रेशन पैदा नहीं करते	जैनटारिस जी.एम.बी.एच. वेईस्मुल्लरट्रासेस 45,60314 फ्रैंकफ्रट मेन, जर्मनी, जर्मनी	1610/के.ओ.एल.एन. पी./200 दि. 11-12-03	1	03-10-07	जी.एम. फार्मा लि. रत्नमणि कॉम्पलेक्स, रिलिफ रोड, अहमदाबाद, जी.पी.ओ., अहमदाबाद 380001 इंडिया	पेटेंट के लिए आवेदन छोड़ दिया गया यू/एस 21(1)
33.	माइक्रोएनकैप्सूलेट एफ.डी.-3, पाइपिरिडीनाइल-प्रतिस्थापित 1, 2-बेनाजिसोजाजोल्स एवं 1, 2-बेनजि-साथियाजोल्स	जानसीन फार्मास्युटिका एन.वी. टर्नहाउटसेवेज 30, बी-2340 बीरसे बेल्जियम	188./सी.ए.एल./95 दि. 24-02-95	1	29-10-07	सन फार्मा, एक्मे प्लाजा, अंधेरी, कुर्ला रोड, अंधेरी (पू.) मुम्बई-400 059	प्री ग्रांट ओपोजिशन खारिज क्योंकि जांच के लिए कोई अनुरोध दाखिल नहीं किया गया।
34.	ए.सी.एस. के उपचार के लिए फोंडापारिनक्स सोडियम की विशिष्ट खुराक का उपयोग	एकजो नोबेल एन.वी., नीदरलैण्ड और सैनोफी सिन्थेलाबो फ्रांस	414/के.ओ.एल.एन. पी./2004 दि. 29-03-04	1	16-04-2008	ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लि. रत्नमणि काम्पलेक्स, रिलिफ रोड, अहमदाबाद जी.पी.ओ. अहमदाबाद-380001, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
35.	लायोफिलीसेशन के लिए बेंडामॉस्टाइन	सेफालोन, आई.एन.सी., 145 ब्रांडीवाइन पार्कवे,	2767/के.ओ.एल.एन. पी./2007	1	25-03-2008	नाटको फार्मा. नाटको फार्मा लिमिटेड, नाटको हाउस, रोड	विरोध प्रक्रियाधीन

फार्मास्युटिकल संयोजन	वेस्ट चेस्टर, पीए 19380 यू.एस.ए.	दि. 27-07-07			नं. 2, बंगारा जिला हैदराबाद-500 033	
36. रैनोलाजाइन रखने वाले सस्टेन रिलीज फार्मा-स्युटिकल संयोजन	सेफालोन, आई.एन.सी., 145, ब्रांडीवाइन पार्कवे, वेस्ट चेस्टर, पी.ए. 19380 यू.एस.ए.	2963/के.ओ.एल.एन. पी./2007 दि. 06-07-07	1	11-03-08	सिप्ला लि. मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई-400008 इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
37. सेंसर मोड्यूल यूनिट से युक्त एक सेंसर मेड्यूल एवं थ्रोटल उपकरण	मिकुनी कारपोरेशन, 13-11, साटोकांडा, 6-कोमे, चियोडाकु, टोक्यो, जापान	1548/के.ओ.एल.एन. पी./2005 दि. 03-08-05	1	09-05-08	फलैश इलेक्ट्रोनिक्स (इंडिया) प्रा. लि., डी 13/6, मथुरा रोड, सेक्टर-27बी, फरीदाबाद (हरियाणा) इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
38. नेबुलाइजर प्रतिपादन	ब्रेथ लिमिटेड, 88 माउंट प्लिजेन्ट, बीगिन हिल, केन्ट, टी.एन. 16 3टी.आर. यू.के.	2872/के.ओ.एल.एन. पी./2007 दिनांक 06-08-07	1	17-03-2008	सिप्ला लि. मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई-400008 इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
39. हर्बल फ्लेवर चाय संयोजन और उसके बनाने की प्रक्रिया	टाटा चाय लिमिटेड, 1, बिशप लेफरॉय रोड कोलकाता-700020 पश्चिम बंगाल, इंडिया	359/के.ओ.एल./2007 दि. 12-03-07	1	17-04-08	हिन्दुस्तान युनिलिवर लि., हिन्दुस्तान युनिलिवर हाउस, 165/166, बैकबे रेक्लेमेशन मुम्बई-400020, महाराष्ट्र इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
40. जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए डेलबावासिन देने की विधियां	विकुरोन फार्मास्युटिकल्स आई.एन.सी., 455, साउथ गल्फ रोड, स्युट 305, किंग ऑफ परसिया, पी.ए. 17940, यू.एस.ए.	873/के.ओ.एल.एन. पी./2005 दि. 12-05-05	1	23-06-08	जी.एम. फार्मा लि. रत्नमणि कॉम्पलेक्स, रिलिफ रोड, अहमदाबाद, जी.पी.ओ. अहमदाबाद-380001, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
41. टाइसेसाइक्लिन संयोजन एवं उनकी तैयारी की विधियां	वाइथ फाइव गिराल्डा फार्म, मैडिसोन, एन.जे. 07940 यू.एस.ए.	3140/के.ओ.एल.एन. पी./2007 दि. 27-08-07	2	5-07-08 26-11-08	1. नाटको फार्मा, नाटको फार्मा लिमिटेड, नाटको हाउस, रोड नं. 2, बंजारा हिल्स हैदराबाद-500033 2. लुपिन लि. 159 सी.एस.टी. रोड कालिना, सांताक्रुज (पूर्व) मुम्बई-400098, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	प्रोफिलेक्सिस की औषधि एवं एटरेरियोसक्लेरोसिस एवं हाइपरटेंशन का उपचार	सैंकयो कंपनी लिमिटेड 5-1 निहोनबाशी होंक नं. 3-चोमे, चुकु, टोक्यो 103-8426, जापान	1462/के.ओ.एल.एन.पी/2005 दि. 27-07-05	1	12-08-08	ग्लेन मार्क फार्मास्युटिकल्स लि. रत्नमणि कॉम्पलेक्स, रिलिफ रोड, अहमदाबाद, जी.पी.ओ. अहमदाबाद-380001, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
43.	पांनी में कम घुलनशील फार्मास्युटिकल एजेंटों एवं जीवाणुरोधी एजेंटों को रखने वाला संयोजन	एबरैक्सिस बायोसाइन्स, आई.एन.सी., 11755 विलसाइर बी.एल.वी.डी. 20वीं मंजिल, लास एंजेल्स, कैलिफ्रोनिया 90025 यू.एस.ए.	2664/के.ओ.एल.एन.पी./2007 दि. 17-07-07	1	29-08-2008	नाटको फार्मा, नाटको फार्मा लिमिटेड, नाटको हाउस, रोड नं. 2, बंजारा हिल्स हैदराबाद-500 033, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
44.	इम्युनोग्लोबुलिन रूपान्तर और उनके उपयोग	जेनेटेक, आई.एन.सी., 1, डी.एन.ए. वे, साउथ सन फ्रासिस्को, सी.ए. 94080-4990, यू.एस.ए.	1362/के.ओ.एल.एन.पी./2005 दि. 14-07-05	1	14-08-2008	जी.एम. फार्मा लि. रत्नमणि कॉम्पलेक्स, रिलिफ रोड, अहमदाबाद, जी.पी.ओ. अहमदाबाद-380001, इंडिया	विरोध प्रक्रियाधीन
45.	एक बॉबिन होल्डर	श्री माइलसामी रंगा रमानुजन "कोट्स", नं. 13/24, सिट्रा कलापट्टी रोड, सिविल एयरोड्रम पोस्ट, कोयम्बतूर-641014	348/एम.ए.एस./2002 दि. 08-05-2002	1	21-06-2005	मै. टाइटन पेन्ट्स एंड केमिकल्स लि., पोस्ट बॉक्स नं. 4402, इंडस्ट्रियल एस्टेट पो.आ. कोयम्बतूर-641021	विरोध की अनुमति
46.	ए-एन-फेनिल-2 प्रीमिडीनियामाइन डेरिवेटिव प्रक्रिया के निर्माण और उसके उपयोग के लिए क्रिस्टल संशोधन	मै. नोवारटिस एजी, ए स्विस कार्पोरेशन ऑफ लिशत्रास 35,4056 बासेल, स्विटजरलैंड	1602/एम.ए.एस./1998 17-07-1998	6	26-05-2005; 26-05-2005; 05-07-2005; 22-08-2005; 10-10-2005; 26-09-2005	1. मै. रैनबैक्सी लैब लि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18, गुड़गांव-122 015, हरियाणा 2. मै. नाटको फार्मा लि., नाटको रिसर्च सेन्टर, बी-13, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सनथ नगर, हैदराबाद- 500 018 3. मै. सिप्ला लि., मुम्बई सेन्टर, मुम्बई-400008	विरोध की अनुमति

					4. मै. हिटेरो ड्रग्स लिमिटेड, हाउस नं.-8-3-166/7/1, इरागड्डा, हैदराबाद-500 018 5. मै. सन फार्मास्युटिकल्स लि., 17-बी, महल इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पू.) मुम्बई-400 093 6. कैंसर पेसेन्ट्स एंड एसो-शिएसन, 5 मलहोत्रा हाउस, पीछे, जी.पी.ओ. मुम्बई-400001	
47. आधुनिक जेकर्ड मशीन	मिस्टर एम. राजेनधिरन, न्यू फ्रेंड्स इंजीनियरिंग वर्क्स, कपूर रोड, वेल्लाकोविल-638	899/सी.एच.ई./2003, दि. 05-11-2003	3	27-06-2005	1.मि.ए. शेकर, 81/77, नाटेसन नगर, वेल्लाकोविल-638111 2. मि. के.आर. रामाचन्द्रन, मदुरै हैंडलूम जेकर्ड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन, 24-ए, कीलमाथुर पल्लीवासल सलाई, मदुरै-625009 3. मि. अलगु सुन्दरम, 174, मूलानूर रोड, वेल्लाकोइल, इरोड-638111	विरोध अस्वीकृत
48. एक हैपिटाइटिस बी एंटीजेन, उसे रखने वाला संयोजन तथा उससे बनाया गया एक टीका	डा. के. कोटेश्वरा राव, प्लाट नं. 163, रोड नं. 13, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500034	196/एम.ए.एस./95, दि. 20-02-2005	1	24-05-2005	मै. सेरुम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया लि., 212/2, ऑफ सोली पूनावाला रोड, पुणे-411028	पेटेंटे आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया।
49. फार्मास्युटिकल संयोजन	मै. नोवारटिस एजी, ए स्विस कार्पोरेशन ऑफ लिशत्रास 35,4056 बासेल, स्विटजरलैंड	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/00641/ सी.एच.ई., दि. 01-05-2002	2	17-02-2005	1. मै. रैनबॉक्सी लैब लि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18, गुड़गांव-122 015, हरियाणा 2. मै. टोरेन्ट फार्मास्युटिकल्स	पेटेंट के लिए आवेदन छोड़ दिया गया यू/ एस. 21(1)

1	2	3	4	5	6	7	8
						लि., अहमदाबाद एयरपोर्ट-गांधी हाइवे, नजदीक इन्दिरा ब्रिज, गांव भट-380 015, तालुका और जिला गांधीनगर	
50.	पी.ई.जी. इंटफेरोन एल्फा कौन्जुगेट्स के संरक्षण के लिए प्रतिपादन	मै. शेरिंग कार्पोरेशन, 2000 गल्लोपिंग हिल रोड, केन्नीलवर्थ, न्यू जर्सी 07033-0530 यू.एस.ए.	आई.एन./पी,सी.टी./ 2000/00434/ सी.एच.ई., दि. 25-09-2000	1	20-07-2005	मै. कडिला हेल्थ केयर लि., जाइडस टावर, सैटेलाइट क्रास रोड, अहमदाबाद-380 015	विरोध अस्वीकृत
51.	नया नियंत्रित रिलीज बीड, उसे बनाने की विधि तथा इसे रखने वाले बहु यूनिट प्रतिपादन	मै. फार्मासिया एबी, एस-11287, स्टॉकहोम, स्वीडन	आई.एन./पी,सी.टी./ 2001/00788/ सी.एच.ई., दि. 07-06-2001	1	22-07-2005	मै. रैनबॉक्सी लैब लि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18, गुड़गांव-122 015, हरियाणा	विरोध अस्वीकृत
52.	नियंत्रित रिलीज के साथ टोलटे-रोडाइन के एडमिनिस्ट्रेशन हेतु चिकित्सीय प्रतिपादन	मै. फार्मासिया एबी, एस-11287, स्टॉकहोम, स्वीडन	आई.एन./पी,सी.टी./ 2000/00084/ सी.एच.ई., दि. 22-05-2000	1	22-07-2005	मै. रैनबॉक्सी लैब लि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18, गुड़गांव-122 015, हरियाणा	विरोध अस्वीकृत
53.	नवीन संघटन और उपयोग	स्मिथलाइन बीकेम बायो-लोजिकल्स एस.ए., रियू डी.एल. इंस्टीट्यूट 89, बी-1330, रेक्सेनशार्ट, बेल्जियम	आई.एन./पी,सी.टी./ 2001/00310/ सी.एच.ई. दि. 07-03-2000	1	5-9-2005	मेसर्स टोरेन्ट फार्मासिटिकल्स लिमि., अहमदाबाद एयरपोर्ट-गांधी हाईवे, नीयर इन्दिरा ब्रिज ग्राम भात-382 428, तह. तथा जिला-गांधीनगर	विरोध अस्वीकृत
54.	दमे के लिए	मै. नोवार्टिस एजी,	आई.एन./पी,सी.टी./	1	12-09-2005	मै. रैनबॉक्सी लैब लि.,	लंबित है

मोटिरोल और फ्यूटिसोन प्रोपियो-नेट का संयोजन	लिचस्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056 बेसल, स्विटजरलैंड	2001/1100/ सी.एच.ई., दि. 03-08-2001			77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18, गुड़गांव-122 015, हरियाणा	
55. एस्कोमाइसिन युक्त स्थानिक संघटन	मे. नोवार्टिस एजी, लिचस्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056 बेसल, स्विटजरलैंड	आई.एन./पी,सी.टी./ 2001/00766/ सी.एच.ई., दि. 31-05-2001	1	18-10-2005	मै. रैनबॉक्सी लैब लि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18, गुड़गांव-122 015, हरियाणा	विरोध अस्वीकृत
56. इनहेलर उपकरणों में प्रयोग के फार्मु-लेशन में या उनसे संबंधित सुधार	मे. वेक्टुरा लि. यूनिवर्सिटी आफ बाथ कैम्पस, क्लेवर्टनडो, बाथ बी.ए.2 7ए.वाई., यूनाईटेड किंगडम	आई.एन./पी,सी.टी./ 2002/01699/ सी.एच.ई., दि. 17-10-2002	1	26-10-2005	मै. रैनबॉक्सी लैब लि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18, गुड़गांव-122 015, हरियाणा	विरोध अस्वीकृत
57. आटोमाइज्ड डायरेक्ट गेन्स रोस्टर एटी-1 या एटी-2 रिसेप्टर्स की वृद्धि से संबंधित रोग का उपचार हेतु, एटी-2 माड्यूलेटर के एटी-1 रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट का प्रयोग	श्री दुरईस्वामी नटराजन, 284, डा. अंबेडकर रोड, वेलांडी पलायम, कोयम्बटूर-641025, तमिलनाडु	1284./सी.एच.ई.,/ 2004 दि. 01-12-2004	1	31-10-2005	मि. डी. नारायण स्वामी, 1143, मेट्टुपलायम रोड, कोयम्बटूर-641043	लंबित है
58. एटी-1 रिसेप्टर एटी 2 के एन्टा-गोनिस्ट का प्रयोग एटी-1 और एटी-2 रिसेप्टर के बढ़ने से संबद्ध बीमारी का उपचार करने का मोड्युलेटर	मै. नोवार्टिस एजी, लिच-स्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056 बेसल, स्विटजरलैंड	आई.एन./पी,सी.टी./ 2001/00864/ सी.एच.ई. दि. 21-06-2001	1	1-12-2005	मेसर्स टोरेन्ट फार्मासिटिकल्स लिमि., अहमदाबाद एयरपोर्ट-गांधी हाईवे, नीयर इन्दिरा ब्रिज ग्राम भात-382 428, तह. तथा जिला-गांधीनगर	विरोध की अनुमति

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	क्रिस्टल रूप एन-(4 ट्राइफ्लोरो-मिथाइल फिनाइल)-5-एमथाइलिसो-क्साजोल 4-कार्बोक्सामाइज	मै. होइचेस्ट मैरियन रसेल ड्यूसलैंड जी.एम.बी.एच., जर्मनी	1722/एम.ए.एस./1998 दि. 31-07-1998	2	8-12-2005 17-04-2007	1. मैसर्स टोरेन्ट फार्मासिटिकल्स लिमि., अहमदाबाद एयरपोर्ट-गांधी हाईवे, नीयर इन्दिरा ब्रिज ग्राम भात-382 428, तह. तथा जिला-गांधीनगर 2. डा. विश्वजीत औडी, 8/3, कैनाल स्ट्रीट, कोलकाता-700 014	विरोध अस्वीकृत
60.	ऑक्साकार्बाजियो-पाइन फिल्म की परत चढ़ी टेबलेटें	मै. नोवार्टिस एजी, लिच-स्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056 बेसल, स्विटजरलैंड	237/एम.ए.एस./1998 दि. 05-02-1998	2	04-11-2005 19-12-2005	1. मैसर्स टोरेन्ट फार्मासिटिकल्स लिमि., अहमदाबाद एयरपोर्ट-गांधी हाईवे, नीयर इन्दिरा ब्रिज ग्राम भात-382 428, तह. तथा जिला-गांधीनगर 2. मैसर्स रैनबैक्सी लैब लिमि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18 गुड़गांव-122015, हरियाणा	विरोध की अनुमति
61.	ठोस मुंह से ली जाने वाली खुराकें	मै. नोवार्टिस एजी, लिच-स्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056 बेसल, स्विटजरलैंड	1269/एम.ए.एस./1997 दि. 12-06-97	1	14-12-2005	मैसर्स टोरेन्ट फार्मासिटिकल्स लिमि., अहमदाबाद एयरपोर्ट-गांधी हाईवे, नीयर इन्दिरा ब्रिज ग्राम भात-382 428, तह. तथा जिला-गांधीनगर	लंबित है
62.	एसिलेटेड इन्सुलिन	नोवो नारडिस्क ए/एस, नोवोएलई, डी.के.-2880, बैग्स वेल्ड, डेनमार्क	318/एम.ए.एस./95, दि. 16-03-21995	1	16-02-2005	मैसर्स बॉयोकान लिमिटेड, 20 के.एम. होसुर रोड, इलेक्ट्रॉ-निक्स सिटी पी.ओ. बैंगलोर-560 100	विरोध अस्वीकृत
63.	टेट्राहाइड्रोलिप्स-टेटिन युक्त संघटन	एफ होफमन्न-ला रोचे एजी, 124 ग्रेनजैचेरस्ट्रास एस.ई., सी.एच.-4070 बैसल, स्विटजरलैंड	190/एम.ए.एस./1998, दि. 29-01-1998	1	20-12-2005	मैसर्स रैनबैक्सी लैब लिमि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18 गुड़गांव-122015, हरियाणा	विरोध की अनुमति

64.	8-क्लोरो-6, 11-डाइहाइड्रो-11-(4 पाइपेरिडाइलाइडीन 5एच-बेंजो (5, 6) साइक्लोबेप्टाल, 2-6) पाइराइडाइन	मै. शेरिंग कार्पो., 2000 गैलोपिंग हिल रोड, कैनिलवर्थ, न्यूजर्सी 07033-0530, यू.एस.ए.	1473/एम.ए.एस./1998 दि. 01-07-1998	1	3-1-2006	मैसर्स रैनबैक्सी लैब लिमि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18 गुड़गांव-122015, हरियाणा	अनुमति
65.	वीडियो कोडिंग	मै. कोनिकलिजकी फिलिप्स इलेक्ट्रानिक्स एन.वी., ग्रोने-वुड्सवेग 1, 5621, बी.ए. एंडो 1, हालैंड	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/1426/ सी.एच.ई. दि. 09-09-2002	1	6-2-2006	मैसर्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे यूनिवर्सिटी कैम्पस, पुणे-411 007	आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया
66.	नियंत्रण डेटा को वीडियो सिगनल में कूटबद्ध करने की विधि	मै. हुकममिलर, पीटरअर्नेस्ट (जीबी/जीबी) 9, मोंकवेल स्क्वायर, लंदन ईसी2 वाई5बीएन (जीबी)	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/1582/ सी.एच.ई. दि. 30-09-2002	1	21-02-2006	मैसर्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे यूनिवर्सिटी कैम्पस, पुणे-411 007	लंबित है
67.	स्थल पर ही कृषि उत्पाद विश्लेषण प्रणाली तथा विश्लेषण की तिथि	मै. काग्नीज कार्पो., 2500, रिनेसेंस बालीवर्ल्ड, सुईट 200, गर्फ मिल्स, पी.ए. 19406, यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/1406/ सी.एच.ई., दि. 05-09-2002	1	21-02-2006	मैसर्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे यूनिवर्सिटी कैम्पस, पुणे-411 007	आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया
68.	क्रिस्टलाइन मैक्रोलाइड	मै. नोवार्टिस एजी, लिच-स्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056 बेसल, स्विटजरलैंड	1440/एम.ए.एस./98, दि. 29-06-1998	1	9-3-2006	मैसर्स रैनबैक्सी लैब लिमि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18 गुड़गांव-122015, हरियाणा	लंबित है
69.	डोनेपेरिल हाइड्रो-क्लोराइड का नवीन क्रिस्टलाइन रूप-iv तथा उसे बनाने की प्रक्रिया	डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लि., 7-1-27, अमीरपेत, हैदराबाद, ए.पी.-500016	279/एम.ए.एस./2003 दि. 02-04-2003	1	7-4-2006	मैसर्स वोकहॉर्ट लिमिटेड, वोकहार्ट टावर, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400 051	लंबित है
70.	ऑटोस्टाप कुकिंग गैस रेग्युलेटर	श्री संकुशिवा शिदासन, मै. शिवा प्रेस कंपोनेंट्स,	1828/सी.एच.ई./ 2005,	1	30-05-2006	मै. के. राजसेकर, नं. 6, पाम्मा सलै, आई.सी.एफ.	अस्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7	8
		प्लाट नं. 115 जी, ताश, औद्योगिक इस्टेट, सिडको, अम्बातुर, चेन्नई-600 098	दि. 14-12-2005			इम्प्लाईज कालोनी, अम्बातुर, एथीपेट, चेन्नै-600 058	
71.	व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए डिस्पोजेबल अंडर आर्म ड्रेस लाइनर	लक्ष्मी आर, यानामदाला, 41624, मिसेल रोड, नोवीं, मिसिगन-48377, यू.एस.ए.	589/सी.एच.ई./2004, दि. 21-06-2004	1	15-06-2006	मि. स्वामीनाथन, वेंकटरमन दास, 'श्रीविलास', टी.सी. नं. 36/709(2), पेरून्थान्नी, तिरूवनन्तपुरम-695 008	लंबित है
72.	2-(2-अमीनो-1,6-डाइहाइड्रो-6-ऑक्सो-प्यूटिन-9-वाई.एल. मेथोक्सी-1, 3-प्रोपेनेडियोल उत्पाद)	एफ होफमन्न-ला रोचे एजी, 124 ग्रेनजैचेरस्ट्रास एस.ई., सी.एच.-4070 बैसल, स्विजटरलैंड	959/एम.ए.एस./1995 दि. 27-07-1995	1	12-7-2006	द तमिलनाडु नेटवर्किंग पीपल एच.आई.वी./एड्स, इंडियन नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विथ एच.आई.वी./एड्स (आई.एन.पी.+) फ्लैट नं. 6, काश टावर, 93, साउथ वेस्ट बोग रोड, टी. नगर, चेन्नै-600 017	अस्वीकृत
73.	एन्टीवायरल तौर पर सक्रिय हैट्रोसाइक्लिकेजाहेक्सेन उत्पाद	मै. नोवार्टिस एजी, लिचस्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056 बेसल, स्विटजरलैंड	805/एम.ए.एस./1997, दि. 21-04-1997	1	27-07-2006	द इंडियन नेटवर्किंग पीपल एच.आई.वी./एड्स कर्नाटक नेटवर्क पीपल लिविंग विथ एच.आई.वी./एड्स, इंडियन नेटवर्किंग फार पीपल लिविंग विथ एच.आई.वी./एड्स (आई.एन.पी.+) फ्लैट नं. 6, काश टावर, 93, साउथ वेस्ट बोग रोड, टी. नगर, चेन्नै-600 017	पेटेंट आवेदन वापस लिया गया
74.	क्रिस्टलीय कपरोधी पॉलीमार्फ	मै. शेरिंग कार्पो., 2000 गैलोपिंग हिल रोड, कैनिलवर्थ, न्यूजर्सी 07033-0530, यू.एस.ए.	2232/एम.ए.एस./98, दि. 06-10-1998	1	21-08-2006	मैसर्स रैनबैक्सी लैब लिमि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18, गुड़गांव-122015, हरियाणा	अस्वीकृत

75. ड्यूटास्टेराइड का नवीन एमेफिस रूप और उसे तैयार करने की प्रक्रिया	डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लि., 7-1-27, अमीरपेत, हैदराबाद, ए.पी.-500016	523/सी.एच.ई./2003, दि. 26-06-2003	1	21-08-2006	मैसर्स रैनबैक्सी लैब लिमि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18, गुड़गांव-122015, हरियाणा	लंबित है
76. ड्यूटास्टेराइड का नवीन क्रिस्टलीय पालामॉर्फिक रूप और उसे तैयार करने की प्रक्रिया	डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लि., 7-1-27, अमीरपेत, हैदराबाद, ए.पी.-500016	534/एम.ए.एस./2002, दि. 17-07-2002	1	21-08-2006	मैसर्स रैनबैक्सी लैब लिमि., 77-बी, इफको रोड, सेक्टर-18, गुड़गांव-122015, हरियाणा	आवेदक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया
77. ब्रिटको सिक्योरिटी माइक्रो डिवाइस (बी.एस.एम.डी.)	मै. हैंजा अन्युमुकिल, अन्युमुकिल हाउस, चेलाकोथु रोड रांडाथानी, मालापुरम--676 510	133/सी.एच.ई./2004 दि. 19-02-2004	1	18-09-2006	मि. पद्मनामन सेखर, प्लाट नं. 126, सेक्टर 28, वाशी, नवी मुम्बई-400 705	लंबित है
78. एन्टीसाइकोटॉपिक रेस्पेरिडोन को तैयार करने की प्रक्रिया	मै. अरबिन्दो फार्मा लि., प्लाट नं. 2, मैत्रीविहार, अमीरपेट, हैदराबाद-500 038	545/एम.ए.एस./ 2002 दि. 22-07-2002	1	22-09-2006	मेसर्स टोरेन्ट फार्मासिटिकल्स लिमि., अहमदाबाद एयरपोर्ट-गांधी हाईवे, नीयर इन्दिरा ब्रिज ग्राम भात-382 428, तह. तथा जिला-गांधीनगर	अनुमति
79. टेन्शनर	मै. एन.एच.ए. स्प्रिंग कं. लि., 10 हकुरा 3 कोम, कनाजावाकु, याकोहामा-साई, कानागावा, 2360004, जापान	1470/सी.एच.ई.एन. पी./2004, दि. 30-06-2004	2	25-10-2006; 24-09-2007	1. मैसर्स अडविक हाई-टेक प्रा.लि., गैट नं. 357/प्लाट नं. 99, पार्ट ए, चाकन-टेलीगांव रोड, ग्राम-खरबवाडी चाकन, पुणे-410501। 2. मि. श्याम गवाडे, सेक्टर-21, प्लाट 610, यमुनानागा निग्डी, पुणे-44	लंबित है
80. तरल परिवहन प्रणाली के लिए पिल्फर प्रूफ लॉकिंग सिस्टम	मि. एन. रंगास्वामी, पार्टनर स्टर्ना सेक्युरिटी, 169, वेस्टसंबंदम रोड, आर.एस. पुरम, कोयम्बटूर-641 002	847/एम.ए.एस./2000 दि. 05-10-2000	1	26-10-2006	मैसर्स गोदरेज एंड बायसी मैन्यु, कं. लि., पिरोइशा नगर, विखोली, मुम्बई-400 079	21(1) के तहत पेटेंट आवेदन छोड़ दिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	प्लंबिंग सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक फिटिंग पर सांरेखण चिन्ह	मै. आशीर्वाद पाइप्स प्रा. लि., नं. 4-बी, एट्टीबेट इंडस्ट्रियल एरिया, होसुर रोड, बैंगलोर-562107	528/सी.एच.ई./2005, दि. 05-05-2005	1	23-01-2007	श्री संजय कुमार जोइतराम चौधरी बी/5, कदम फ्लैट, बी/एच गवर्मेंट ट्यूब वाल नीयर ओल्ट जी.ई.बी. ऑफिस, भोपाल, अहमदाबाद	आदेवक द्वारा पेटेंट आवेदन वापस लिया गया
82.	एक दहनीय जीव-नाशक उत्पाद और उसे तैयार करने की विधि	रेकिट बेंककिसर एन.वी., कैंटूरगेबोउ डी एपीलीयर, डी फ्रुटूइनेन 2-12, 2132 एन.जेड. हुफड्राप, नीदरलैंड	238/सी.एच.ई.एन. पी./2003, दि. 07-08-2003	1	2-3-2007	श्री चोकलिंगम, एस.पी. डेयर हाउस एनेक्सी, चौथा तल, सेकेंड लाइन बीच, चेन्नै-600 001	लंबित है
83.	सेफाजोलिन को तैयार करने की परिष्कृत प्रक्रिया	मै. अरबिन्दो फार्मा लि., प्लाट नं. 2, मैत्रीविहार, अमीरपेट, हैदराबाद-500 038	808/सी.एच.ई./2004 दि. 17-08-2004	1	16-02-2007	मैसर्स आर्चिड केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लि. 476/14, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, शोलींगानल्लुर, चेन्नै-600 119	लंबित है
84.	4-(4-मेथीलपाइप-राजिन-1-येलमे-थाइल)-एन-(4-मेथाइल-3-(4 पाइराडिन-3 वाईएल) पाईरि-मिडिन-2-यलामिनो फिनाइल)-बेजामाइड के मोनोमीथेन सल्फोनेट लवण का आल्फा क्रिस्टल रूप	मै. नोवार्टिस एजी, लिच-स्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056 बेसल, स्विटजरलैंड	799/सी.एच.ई./2004 दि. 12-08-2004	4	20-03-2007; 25-04-2007; 19-07-2007; 26-06-2007	1. मैसर्स ओकासा प्रा .लि., 12, गनबो स्ट्रीट, मुम्बई, -400 001; 2. मै. सन फार्मासियुटिकल्स लिमि., 17-बी महल इंडस्ट्रियल इस्टेट,महाकाली केवेस रोड, अंधेरी (ई), मुम्बई-400 093; 3. मै. टाइम कैप फार्मा लैब्स प्रा.लि., 'नैटको, हाउस' रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 033. 4. सालिनी बेन, शिवमंगल, तीसरा तल, नीयर बिग बाजार, अकुर्ली रोड कान्दीवली ईस्ट, मुम्बई-400 101.	लंबित है

85. इन्टरफेरोन घोल	एफ होफमत्र-ला रोचे एजी, 124 ग्रेनजैचेरस्ट्रास एस.ई., सी.एच.-4070 बेसल, स्विटजरलैंड	474/एम.ए.एस./1996 25-03-1996	1	23-04-2007	मैसर्स वोकहॉर्ट लिमिटेड, वोकहार्ट टावर, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400 051.	लंबित है
86. सेफिट्रयोफर इसके मध्यवर्ती तथा उन्हें बनाने की प्रक्रिया	मै. अरबिन्दो फार्मा लि., प्लाट नं. 2, मैत्रीविहार, अमीरपेट, हैदराबाद--500 038.	646/एम.ए.एस./2000, 14-08-2000	1	16-05-2007	मै. रश्मि गुप्ता, डी-II, सी-19 मोती बाग-1, नई दिल्ली	अस्वीकृत
87. वाहन के लिए सीट व्यवस्था तथा यात्री अकोमोडेशन यूनिट	मि. विर्जिन अटलांटिक एयरवेज लि., दी आफिस, मैनोर रायल, क्रावली, वेस्ट सुसेक्स आर.एच. 10 9एन.यू. यूनाइटेड किंगडम	500/सी.एच.ई.एन. पी./2004/ 08-03-2004	1	26-07-2007	मै. जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड, एस.एम. सेंटर, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी(ई), मुम्बई-400 059	लंबित है
88. एक निम्न सोडियम डाइटेटिक खनिज लवण	मै. एस.एम.एस. फार्मा-सियुटिकल्स लि., 417, नीलगिरी, आदित्य इनक्लेव, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, ए.पी. भारत	1430/सी.एच.ई./ 2004, 24-12-2004	1	3-9-2007	मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, 165/166 बैकवे रेक्लामेशन, मुम्बई-400 020	लंबित है
89. समोकिंग टी	श्री एस. सुदर्शन मै. साई राम मेडिकल्स, शाप नं. 7-96, मारूति नगर, संतोष नगर, हैदराबाद-500 059.	1194/सी.एच.ई./ 2005, 29-08-2005	1	6-9-2007	मै. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि., 49, कम्युनिटी सेंटर, फ्रेंडस कालोनी, नई दिल्ली-110 025	लंबित है
90. माइलाइट प्लास्टिक सिंड्रोम के उपचार व प्रबंधन हेतु इम्साइनो माड्यू-लेटरी योगिक वाले संयोजन एवं उन्हें प्रयोग करने की तिथि	मै. सेल्गेनी कार्पो., 7 पोवी हार्न ड्राइव, वारेन, एन.जे. 07059 यू.एस.ए.	4190/सी.एच.ई.एन. पी./2006; 14-11-2006	1	17-09-2007	मै. जी.एम. फार्मा, बी/2, महालक्ष्मी चैम्बर्स, 22, भुलाभाई देसाई रोड, महालक्ष्मी मुम्बई-400 026	लंबित है

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	कैंसर और अन्य रोगों के उपचार व प्रबंधन हेतु थेलिडोमाइड को प्रयोग करने की विधि एवं संयोजन	मै. सेल्गेनी कार्पो., 7 पोवी हार्न ड्राइव, वारेन, एन.जे. 07059 यू.एस.ए.	1990/सी.एच.ई.एन.पी./2006; 06-06-2006	1	17-09-2007	मै. जी.एम. फार्मा, बी/2, महालक्ष्मी चैम्बर्स, 22, भुलाभाई देसाई रोड, महालक्ष्मी मुम्बई-400 026	लंबित है
92.	मार्टल और टायो-ट्रोपियन लवण वाली एक दवा	मै. नोवार्टिस एजी, लिचस्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056 बेसल, स्विटजरलैंड	आईएन/पी.सी.टी./2001/1052/सी.एच.ई.; 25-07-2001	1	28-09-2007	मै. सिप्ला लि., मुम्बई सेंटर, मुम्बई-400 008	लंबित है
93.	एक कंप्यूटर नेटवर्क सर्च एप्परेटस के परिचालन की विधि	मै. ओवरचर सर्विसेज इंक, 140 डब्ल्यू. का एक डेलवेयर कार्पो. यूनियन स्ट्रीट पासाडेना, सी.ए. 91103, यू.एस.ए.	आईएन/पी.सी.टी./2001/1652/सी.एच.ई. 26-11-2001	1	22-10-2007	मै. रेडिफ कॉम, इंडिया लि. महालक्ष्मी इस्टेट, एल.जे. रोड, 1, माहिम, मुम्बई-400 016	लंबित है
94.	वल्सार्टन और उसके भेषजीय तौर स्वीकार्य लवण वाला एक भेषजीय संघटन	मै. नोवार्टिस एजी, लिच-स्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056 बेसल, स्विटजरलैंड	आईएन/पी.सी.टी./2001/0016/सी.एच.ई. 04-01-2001	1	2-11-2007	मै. सन फार्मासियुटिकल्स लि., 17-बी, महल इंडस्ट्रियल इस्टेट महाकाली कैवेस रोड, अंधेरी(ई), मुम्बई-400 093	लंबित है
95.	अवसाद और जैव पदार्थ हटाने वाली प्रणाली का वाटर प्योरिफायर	मै. फिलसेक्स इंटरनेशनल प्रा.लि., चौथा मेन रोड, कल्याण नगर, बैंगलोर-560 043	1146/सी.एच.ई./2006; 03-07-2006	1	2-11-2007	मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. 165/166 बैकवे रेक्लामेशन, मुम्बई-400 020	लंबित है
96.	एक्वाश्योर आयरन हटाने वाला उत्पाद	मै. यूरेका फोर्ब्स लि., 143-सी/4, बोमासांद्रा इंडस्ट्रियल एरिया, आफ होसुर रोड, एनेकल तालुक, बैंगलोर-562 158	1008/सी.एच.ई./2006; 09-06-2006	1	2-11-2007	मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. 165/166 बैकवे रेक्लामेशन, मुम्बई-400 020	लंबित है

97.	एक्वाश्यार फ्लोट और केमिकल रिमूवर	मै. यूरेका फोर्ब्स लि., 143-सी/4, बोमासांद्रा इंडस्ट्रियल एरिया, आफ होसुर रोड, एनेकल तालुक, बैंगलोर-562 158	1009/सी.एच.ई./ 2006; 09-06-2006	1	2-11-2007	मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. 165/166 बैकवे रेक्लामेशन, मुम्बई-400 020	लंबित है
98.	गर्भनिरोधक के तौर पर प्रयोग के लिए एथिनाइल एस्ट्रीडियोल तथा ड्रॉप्सारेनोन का भेषजीय संयोजन	मै. बेयर शेरिंग फार्मा एजी., डी-13342 बर्लिन जर्मनी	आईएन/पी.सी.टी./ 2002/0410/ सी.एच.ई. 18-03-2002	2	23-11-2007 और 10-01-2008	1. मै. नैटको फार्मा लि., नैटको रीसर्च सेंटर, बी-13, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सनथ नगर, हैदराबाद-500 018. 2. मै. सिप्ला लि., मुम्बई सेंटर, मुम्बई-400 008	लंबित है
99.	डेफरेसिरोक्स की घुलनशील टेबलेटें	मै. नोवार्टिस एजी, लिचस्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056, बेसल, स्विटजरलैंड	2033/सी.एच.ई.एन. पी./2007; 11-05-2007	1	3-12-2007	मै. सिप्ला लि., मुम्बई सेंटर, मुम्बई-400 008	लंबित है
100.	डेफरेसिरोक्स की घुलनशील टेबलेटें	मे. नोवार्टिस एजी, लिचस्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056, बेसल, स्विटजरलैंड	593/सी.एच.ई.एन. पी./2005; 11-04-2007	1	3-12-2007	मै. सिप्ला लि., मुम्बई सेंटर, मुम्बई-400 008	लंबित है
101.	डेफरेसिरोक्स की घुलनशील टेबलेटें	मै. नोवार्टिस एजी, लिचस्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056, बेसल, स्विटजरलैंड	3735/सी.एच.ई.एन. पी./2006; 09-10-2006	1	3-12-2007	मै. सिप्ला लि., मुम्बई सेंटर, मुम्बई-400 008	लंबित है
102.	प्लफ कलेक्टर	श्री मिलसामी रंगा रामानुजम, 'कोट्स', नं. 13/24, सितरा कालापट्टी रोड, विसिल एयरोड्रम पोस्ट, कोयम्बटूर-641 014	850/सी.एच.ई./2005; 04-07-2005	1	7-1-2008	मै. लक्ष्मी रिंग ट्रेवेलर्स लिमिटेड, 34-ए, कामराज रोड, कोयम्बटूर--641 018	लंबित है

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	पालीमर सामग्री का बना चपटे सिर वाला शीर्ष	मासचिनेन्फैब्रिक रिइटर जी.एम.बी.एच., फाल्केन-स्टेनस्ट्रसी 8, डी-93059 रेजेनबर्ग, जर्मनी	311/एम.ए.एस./ 2003; 10-04-2003	1	28-01-2008	लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड, कोयम्बटूर--641 020	लंबित है
104.	एश्योपाइक्लोन को तैयार करने की एक प्रक्रिया	डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लि., 7-1-27, अमीरपेत, हैदराबाद-ए.पी.-500 016	1241/सी.एच.ई./ 2005; 05-09-2005	1	22-02-2008	मै. सेंटौर केमिकल्स प्रा. लि., सेंटौर हाउस, शान्ति नगर, नीयर ग्रैंड हयान, वकोला, शांताक्रुज (ईस्ट), मुम्बई-400055	लंबित है
105.	संवेदक रोधी भेषजीय संघटन तथा उसकी किट	मै. नोवार्टिस एजी, लिचस्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056, बेसल, स्विटजरलैंड	724/सी.एच.ई.एन. पी./2003; 13-05-2003	1	25-03-2008	मै. सन फार्मासियुटिकल्स लि., 17-बी, महल इंडस्ट्रियल इस्टेट महाकाली कैवेस रोड, अंधेरी(ई), मुम्बई-400 093	लंबित है
106.	साइलिल इस्टर कोपॉलिमर संघटन	मै. एक्जो नोबल कोटिंग्स इंटरनेशनल बी वी वेलपेनवेन 76, एन-6824, बी.एम. आर्न्हन, दी नीदरलैंड	68/सी.एच.ई.एन. पी/2006; 05-01-2006	1	26-03-2008	मै. जोतुन ए.एस., ब्रुकलिन, आस्ट्रेलिया	लंबित है
107.	कैंसर और दूसरे रोगों के उपचार व प्रबंधन हेतु इम्मोमाड्यूलेटरी यौगिकों के प्रयोग वाली विधियां तथा संघटन	मै. सेल्गेनी कार्पो., 7 पीवी हार्न ड्राइव, वारेन, एन.जे. 07059 यू.एस.ए.	3418/सी.एच.ई.एन. पी./2005 15-12-2005	1	25-04-2008	मै. जी.एम. फार्मा, बी/2, महालक्ष्मी चैम्बर्स, 22, भुलाभाई देसाई रोड, महालक्ष्मी, मुम्बई-400 026	लंबित है
108.	एक कोलेस्ट्रोल घटाने वाले तत्व, एक रैनिनैंजियो-	मै. लांगवुड फार्मासियुटि-कल्स रीसर्च इंक 179 लांगवुड एवेन्यु बोस्टन	636/सी.एच.ई.एन. पी./2004 26-03-2004	1	8-5-2008	मै. यू.एस.वी. लि., बी.एस.डी. मार्ग, गोवांडी मुम्बई-400 088.	लंबित है

	टेंशन रोधक और एस्पिरिन वाला संयोजन खुराक रूप	एम.ए. 02115, यू.एस.ए.					
109.	एक भेषजीय संघटन में, एजेलसो हाइड्रेटेड एच.एम.पी.सी. के निर्माण को रोकने की एक विधि	मै. नोवार्टिस एजी, लिचस्ट्रासे 35 का एक स्विस निगम, 4056, बेसल, स्विटजरलैंड	2942/सी.एच.ई.एन. पी./2007 02-07-2007	1	26-05-2008	मै. सिप्ला लि., मुम्बई सेंट्रल, मुम्बई-400 008	लंबित है
110.	डी.,डी.ई. 5 रोधक का प्रयोग करते हुए लिंग उत्पादन विकार के लिए दैनिक उपचार	मै. लिली आइकोस एल.एल.सी., 1209 ऑरेंज स्ट्रीट, विलर्निगटन, डेलवेयर, 19801, यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/1941/सी.एच.ई. 25-11-2002	1	11-7-2008	मै. सन फार्मासियुटिकल्स लि., 17-बी, महल इंडस्ट्रियल इस्टेट महाकाली कैवेस रोड, अंधेरी(ई), मुम्बई-400 093	21(1) के तहत पेटेंट आवेदन छोड़ दिया गया
111.	एक एयरोसोल सस्पेंशन फार्मुलेशन वाला मीटरयुक्त खुराक इनहेलर	मै. शेरिंग कार्पो., 2000 गैलोपिंग हिल रोड, कैनिलवर्थ, न्यूजर्सी 07033-0530, यू.एस.ए.	3209/सी.एच.इ.एन. पी./2007 20-07-2007	1	14-07-2008	मै. सिप्ला लि., मुम्बई सेंट्रल, मुम्बई-400 008	लंबित है
112.	इंजन स्थापित करने की व्यवस्था	बजाज ऑटो लि., नं. 6, दूसरा तल, हबीबुल्ला, रोड टीनगर, चेन्नै-600 017	966/सी.एच.ई./2006; 05-06-2006	1	11-8-2008	मै. टी.वी.एस. मोटर कंपनी लि., जयलक्ष्मी इस्टेट, 24 (ओल्ड नं. 8) हैडोस रोड, चेन्नै-600 006	लंबित है
113.	एक प्रोटोन पंम निरोधक तथा एक प्रोकाइनेटिक एजेंट वाले मौखिक भेषजीय रूप	ऐस्ट्रा एक्टीबोलेग, एस-15185 सोडर टालजे स्वीडन	21/डी.ई.एल./1997 03-01-1997	1	21-06-2005	मै. टोरेन्ट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ,, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	लंबित है

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	युग्म में प्रोटीन तैयार करने की एक प्रक्रिया	जे. मित्रा एंड कं. प्रा. लि., ए-180/181, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 नई दिल्ली	592/डी.ई.एल./2000 (14-06-2000)	2	20-06-2005 और 13-02-2006	1. डा. मिस स्नेहलता सी गुप्ता, सूरत, सूरत रक्तदान केन्द्र एंड रीसर्च सेंटर, बीहाइंड टी एंड टी.वी. मिडिल स्कूल, गोपीपुरा, सूरत-395 001 गुजरात 2. कुलाप्रो डायग्नोस्टिक्स, ग्रीतांजली, तुलीप ब्लाक, डा. एंटोनियो डी.ओ. रेगो बाग, अल्टो सांताक्रुज पोस्ट आफिस, गोवा-403 202, इंडिया	लंबित है
115.	एस-ओमेप्रेजोल का नवीन रूप	ऐस्ट्रा एक्टीबोलेग, स्वीडन	1344/डी.ई.एल./ 1998 (20-05-1998)	2	11-07-2005	1. टेरेन्ट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ,, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात इंडिया 2. रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, पंजाब	निपटान कर दिया गया है
116.	पाइपराजाइन उत्पादों का भेषजीय संघटन	यू.सी.बी. फार्धिम एस.ए.जेड. 1, प्लानशी, कैमिन् डि क्रोक्स ब्लान्श 10, सी.पी. 411, सी.एच.-1630 बुलो, स्विट्जरलैंड	229/डी.ई.एल.एन. पी./2007 (09-01-1997)	1	02-11-07	मे. सिप्ला लि., मुम्बई सेंट्रल, मुम्बई-400 008, इंडिया, टेलीफोन-91-2223082891	लंबित है
117.	टेट्रोसाइक्लिक उत्पाद	लेबोट्वायर्स ग्लैक्सो एस.ए., फ्रांस	85/डी.ई.एल./1995 (23-01-1995)	1	11-07-05	रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, पंजाब-160 055	लंबित है
118.	नेफ्थाइराइडीन कार्बोक्सालिक	एल.जी. केमिकल लि., केरिया	648/डी.ई.एल./1998 (16-03-1998)	2	22-07-2005 और	1. कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड जीडस टावर, सेटेलाइट्स क्रास	लंबित है

	एसिड उत्पाद के लवण				28-11-2005	रोड्स, अहमदाबाद-380 015 गुजरात, भारत 2. रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, पंजाब-160 055	
119.	बहु-इकाई टेबलेट खुराक रूप	ऐस्ट्रा एक्टीबोलेग, स्वीडन	1120/डी.ई.एल./1995 (16-06-1995)	1	22-07-2005	टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	निपटान कर दिया गया है
120.	नवीन योगिक	स्मिथलाइन बीकेम पी.एल.सी.	2504/डी.ई.एल./ 1998 (25-08-1998)	1	25-07-2005	टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	लंबित है
121.	नवीन योगिक	बीकेन ग्रुप पी.एल.सी. इंग्लैंड	2505/डी.ई.एल./ 1998 (25-08-1998)	2	25-07-2005 और 25-10-07	1. टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया 2. सन फार्मासियुटिकल्स लि.	लंबित है
122.	बहु इकाई भेषजीय उत्पाद	ऐस्ट्रा एक्टीबोलेग, स्वीडन	1122/डी.ई.एल./ 1995 (16-06-1995)	1	28-07-2005	टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	लंबित है
123.	चावल से ग्लूटेन प्रोटीन) बनाने की एक प्रक्रिया	मे. गुडरिच कार्बो-हाइड्रेट्स, करनाल	659/डी.ई.एल./2003 (02-05-2003)	2	08-08-2005 और 16-1-2006	1. भारत इंडस्ट्रियल इंटर-प्राइजेज लिमि. 2. भारत स्टार्च इंडस्ट्रीज, एन 75, कर्नाट सर्कस, कनाट प्लेस, दिल्ली 110 001 भारत	लंबित है

1	2	3	4	5	6	7	8
124.	क्विनाज़ोलाइन उत्पाद	जेनेका लिमिटेड, लंदन	841/डी.ई.एल./1996 (19-04-1996)	2	09-08-2005 और 21-11-2006	1. नैटको फार्मा लिमिटेड, नैटको हाउस रोड, नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 033 2. जी.एम. फार्मा लिमिटेड, मुम्बई	निपटान कर दिया गया है
125.	प्रतिस्थापित सल्फोक्साइट के संश्लेषण की प्रक्रिया	ऐस्ट्रा एक्टीबोलेग	1255/डी.ई.एल/1995 (05-07-1995)	2	26-08-2005 और 04-10-2007	1. टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया 2. मिथिली वेंकटेश, मार्फत ए, मजुमदार एंड कम्पनी, 202 एलीकान चैम्बर्स, साकीनाका के पीछे, टेली एक्स मुम्बई	लंबित है
126.	उपचार की नई विधि	स्मिथलाइन बीकेम, न्यू होराइजंस कोर्ट, ब्रैटफोर्ड, मिडिल सैक्स टी.डब्ल्यू. 8 9 ई.पी., इंग्लैंड	1695/डी.ई.एल./ 1998 (18-06-1998)	1	16-08-2005	टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	निपटान कर दिया गया है
127.	उपचार की नई विधि	स्मिथलाइन बीकेम, न्यू होराइजंस कोर्ट, ब्रैटफोर्ड, मिडिल सैक्स टी.डब्ल्यू. 8 9 ई.पी., इंग्लैंड	1694/डी.ई.एल./ 1998 (18-06-1998)	1	16-08-2005	टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	निपटान कर दिया गया है
128.	अटोर्वास्टेन कैल्सियम फार्म IV	मोरपन लेबोरेटरीज लि., नई दिल्ली	पी.सी.टी./आई.एन. 02/00180 (03-09-2002)	1	1-09-2005	रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, 25 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	लंबित है
129.	क्रिस्टलाइन [(आर-(आर*,आर*)]-2-	बार्नर लैम्बर्ट कंपनी, यू.एस.ए.	1576/डी.ई.एल./ 1996	2	1-09-2005 और	1. रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, 25 नेहरू प्लेस,	लंबित है

	(फ्लूओरोफिनाइल)- और डिहाईड्रोक्सी- 5-(1-मेथिलीथाइल)- 3-फिनाइल-4- [(फिनाइलामीनो) कारवोनी]-1 एच- पिरोल-1-हेपटा- निक एसिड हेमी केलसियम साल्ट (2:1)		16-07-1996		12-12-2005	नई दिल्ली 2. टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड, आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद--380 009, गुजरात, इंडिया	
130.	अटोर्वास्टेटिन हेमी कैल्सियम फार्म VII	टेवा फार्मासियुटिकल इंडस्ट्रीज लि. 5, बेसल स्ट्रीट, पी.ओ. बाक्स 3190 पेटा टिक्वा 49131, इजराइल	699/डी.ई.एल.एन. पी./2003 (05-05-2003)	1	1-09-2005	रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, 25 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	लंबित है
131.	न्यूक्लियोटाइड एनालॉग संघटन और उसे बनाने की प्रक्रिया	गिलीड साइंसेज, इंक, यू.एस.ए.	963/डी.ई.एल./2002 (24-09-2002)	4	2-09-2005 और 09-05-2006 और 17-05-2006 और 20-04-2007	1. रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, 25 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 2. द इंडियन नेटवर्किंग पीपल एच.आई.वी./एड्स (आई.एन.पी.+) एंड दी दिल्ली नेटवर्क आफ पाजिटिव पीपल (डी.एन.पी.+) 3. सिप्ला लि., मुम्बई सेंट्रल, मुम्बई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891 4. इनटर्म्डस लैब्स प्रा.लि. #77डी, के आई.ए.डी.बी., औद्योगिक क्षेत्र, जिगानी, बैंगलोर-562 106	लंबित है
132.	न्यूक्लियोटाइड एनालांग संघटन	गिलीड साइंसेज इंक, यू.एस.ए.	896/डी.ई.एल./ 2002 (04-09-2002)	3	2-09-2005 और 09-05-2006	1. रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, 25 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	लंबित है

1	2	3	4	5	6	7	8
					और 27-11-07	2. द इंडियन नेटवर्किंग पीपल एच.आई.वी./एड्स (आई.एन.पी.+) एंड दी दिल्ली नेटवर्क आफ पाजिटिव पीपल (डी.एन.पी.+) 3. इनटर्मेड्स लैब्स प्रा.लि. #77डी, के आई.ए.डी.बी., औद्योगिक क्षेत्र, जिगानी, बैंगलोर-562 106	
133.	न्यूक्लियोटाइड एनालांग संघटन	गिलीड साइंसेज इंक, यू.एस.ए.	712/डी.ई.एल./ 2002 (03-07-2002)	1	2-09-2005	रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, 25 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	लंबित है
134.	घरेलू धुलाई प्रक्रिया के जलोपचार की प्रक्रिया	दी प्रोक्टर एंड गैम्बल कं., वन प्रोक्टर एंड गैम्बल प्लाजा, सिनसिनाटी, ओहियो, 45202, सं.रा. अमेरिका	आई.एन./पी.सी.टी./ 2001/00311/ डी.ई.एल. (16-04-2001)	1	5-09-2005	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, हिन्दुस्तान यूनिलीवर हाउस, 165-166, बैकवे रेक्लामेशन, मुम्बई-400 020, महाराष्ट्र, भारत	निपटान कर दिया गया है
135.	संघटन	स्निथलाइन बीकैम	1537/डी.ई.एल./ 1998 (04-06-1998)	1	6-09-2005	टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	निपटान कर दिया गया है
136.	संघटन	स्निथलाइन बीकैम	1541/डी.ई.एल./ 1998 (06-05-1998)	1	6-09-2005	टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	लंबित है
137.	फार्म III क्रिस्टलिनर पी.आर.-(आर*, आर*)?-2-(4-फ्लोरोफेनाइल)-बी-डी-डाइड्रोक्सी-5-	वार्नर लैम्बर्ट कंपनी, यू.एस.ए.	1577/डी.ई.एल./ 1996 (16-07-1996)	1	13-09-2005	टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	निपटान कर दिया गया है

	(1-मिथाइलइथाइल)-3-फिनाइल-4??						
138.	संयोजन उपचार के आधार के तौर पर एम्लोडाइपाइन और अटार्वास्टेटिन अथवा अटोर्वास्टिन मैटाबोलाइट के सिनर्जिस्टिक प्रभाव	आर प्रिस्टन मेसन, यू.एस.ए.	450/डी.ई.एल./2000 (24-04-2000)	1	13-09-2005	टोरेंट फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	निपटान कर दिया गया है
139.	थेराप्यूटिक कंबीनेकशन्स	फिजर आई.एन.सी., 235 इस्ट, 42 स्ट्रीट, न्यूयार्क 10017	2571/डी.ई.एल./1998 (28-08-1998)	1	13-09-2005	टोरेंट फार्मासियुटिकल लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	लंबित है
140.	–	–	आई.एन./पी.सी.टी./2002/01455/डी.ई.एल. (–)	1	13-09-2005	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, हिन्दुस्तान यूनिलीवर हाउस, 165-166, बैकवे रिक्लेमेशन, मुम्बई-400 020, महाराष्ट्र, मुम्बई	यह आवेदन संख्या मौजूद नहीं है। दस्तावेज विरोधकर्ता को वापस कर दिया गया।
141.	सी.डी.सी.एच. एवं औषधीय मिश्रण का नया क्रिस्टल संशोधन	बेयर एक्टीएन्जेसेलशाफ्ट लीवरकूसेन, जर्मनी	315/डी.ई.एल./2000 (27-03-2000)	2	13-10-2005 और 8-12-2005	1. रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, साहिबजादा अजित सिंह नगर, मोहाली पंजाब-160 055 2. टोरेंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड, गुजरात	निपटान कर दिया गया
142.	फार्मास्युटिकल फार्मूलेशन्स कंटेनिंग वोरि-कोनाजोले	फिजर आई.एन.सी., 235 इस्ट 42 स्ट्रीट, न्यूयार्क, 10017, यू.एस.ए.	1674/डी.ई.एल./1998 (17-06-1998)	3	13-10-2005 तथा 18-11-2005 एवं 26-06-2007	1. रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, साहिबजादा अजित सिंह नगर, मोहाली पंजाब-160 055 2. जी.एम. फार्मा लिमिटेड	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
						216, अध्यारू इंडस्ट्रियल इस्टेट, मुंबई 3. नाटको फार्मा लिमिटेड	
143.	क्यू स्यूडोपोलीमर्फिक फार्म ऑफ 2-(2-(4-बी.आई.एस. (4-फ्लूरोरोफिनाईल)-पिपराजिनाईल) एथोम्सी) एक्टिक एसिड डाईहाईड्रो-थिओराईड	यू.सी.बी., एस.ए.	3432/डी.ई.एल./1998 (17-11-1998)	1	03-11-2005	रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड साहिबजादा अजित सिंह नगर, मोहाली, पंजाब-160 055	लंबित
144.	साल्ट ऑफ नेपथीरीडिन कार्बोक्सिलीक डेरीवेटिव	एल.जी. केमिकल लिमिटेड, कोरिया	729/डी.ई.एल./1998 (23-03-1998)	3	14-11-2005 और 20-10-2006 और 25-10-2006	1. रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, साहिबजादा अजित सिंह नगर, मोहाली पंजाब-160 055 2. जी.एम. फार्मा लिमिटेड मुम्बई 3. हेटेरो ड्रग्स, हैदरबादा	निपटान कर दिया गया
145.	साल्ट ऑफ नेप्थीरीडिन कार्बोक्सिलीक एसिड डेरीवेटिव	एल.जी. केमिकल लिमिटेड 20, थोइडो-डांग योंगडूंग्पो-कू सियोल कोरिया	649/डी.ई.एल./1998 (16-03-1998)	1	28-11-2005	रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, साहिबजादा अजित सिंह नगर मोहाली, पंजाब-160 055	लंबित
146.	यौगिक 7-(3-एमिनो मिथाईल-4-मिथोक्सीमिनो पाइरोलिडिन -एल-वाईआई)-1	एल.जी. केमिकल लिमिटेड 20, थोइडो-डांग योंगडूंग्पो-कू सियोल कोरिया	727/डी.ई.एल./1998 23-03-1998	1	28-11-2005	रैनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, साहिबजादा अजित सिंह नगर मोहाली, पंजाब-160 055	निपटान कर दिया गया

147. सस्टेन्ड रिलीज मेटोप्रोलोल फार्मूलेशन्स	पेनवेस्ट फार्मास्यूटिकल्स	3005/डी.एल.एन. पी./2004 (01-10-2004)	1	10-1-2006	वोकहार्ड लिमिटेड, वोकहार्ड टावर, बांद्रा कुर्ला कंपलेक्स, बांद्रा (इस्ट), मुंबई-400 051, महाराष्ट्र, मुंबई, भारत.	लंबित
148. ए मेसोनरी बिल्डिंग यूनिट एंड प्रोसेस	आई.आई.टी., दिल्ली प्रो.सच्चिदानंद सिन्हा	00676/डी.ई.एल./ 2020 (24-06-2002)	1	13-1-2006	विनोद कुमार सिंह, एम-72, निवेदिता कुंज,सेक्टर 10, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	निपटानकर दिया गया
149. इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट कोर्ड-इसीसी	ओंग योंग किन (माईकल) [एयू/एयू], क्रिएटिव ऑन लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड सिटी विच	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/00886/ डी.ई.एल. 12-03-2002	1	16-01-2006	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस, गणेश खिंड, पुणे	लंबित
150. पॉलीविनाईल अल्कोहल पर आधारित फिल्म कोटिंग एवं फिल्म कोटिंग कंपाजिशन	बी.पी.एस.आई. होल्डिंग्स, आई.एन.सी. (यू.एस./ यू.एस.) यू.एस.	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/00020/ डी.ई.एल. (04-01-2002)	1	06-02-2006	आईडियल क्यूर प्रा. लि., 6वीं तल, इलेकॉन चैम्बर, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज, साकीनारा, अंधेरी (इस्ट) मुंबई-400 072, महाराष्ट्र, भारत	लंबित
151. कार्बोसाइक्लिक कंपाउण्ड	गिलीड साइंसेज, आई.एन.सी.	396/डी.ई.एल./1996 (26-02-1996)	4	14-02-2006 और 23-02-2006 और 03-04-2006 और 06-09-2006	1. मैसर्स मेडीटेक स्पेशियलीटीज प्रा. लि., मुम्बई 2. ओकासा प्रा. लि., महाराष्ट्र, मुंबई 3. सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891 4. लैब्स प्रा.लि., 77 किबाड इंडस्ट्रियल एरिया, जिगानी, बंगलूरू	लंबित
152. मिनरल सबट्रेट में कलर मिलाने की प्रक्रिया	समीर गुप्ता एंड मनुज गोयल	753/डी.ई.एल./2001 (09-07-2001)	1	20-02-2006	मेसर्स पिंकसिटी जेम्स टेक्नो-लॉजी, जयपुर, राजस्थान	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
153.	इंफ्लेटेबल बाल हेतु बैलेंस्ड ब्लेडर	पैराडाईज रबर इंडस्ट्रीज	1065/डी.ई.एल./1999 (05-08-1999)	1	23-02-2006	इनके (इंडिया) रबर को. प्रा. लि. बी-3, एस.एम.ए. इंडस्ट्रियल इस्टेट, जी.टी. करनाल रोड	लंबित
154.	लोसार्टन का पॉलीमाफर्म	रैनबेक्सी लैबरोटरीज लिमिटेड	202/डी.ई.एल./2003 (28-02-2003)	1	28-02-2006	टोरेंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	लंबित
155.	क्रिस्टलाईन विनालाफैक्सीन बेस एवं नोवल पॉलीमार्फ्स	टेवा फार्मास्यूटिकल्स लि., 5 बेसेल स्ट्रीट, पी.ओ. बॉक्स 3190,पीटा टिक्वा, 49131, इजरायल	612/डी.ई.एल. 2003 (22-04-2003)	1	23-03-2006	टोरेंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	लंबित
156.	विनलाफैक्सीन हाइड्रोक्लोराईड के क्रिस्टलाईन विनालाफैक्सीन बेस एवं नोवल पॉलीमार्फ्स	टेवा फार्मास्यूटिकल्स लि., 5 बेसेल स्ट्रीट, पी.ओ. बॉक्स 3190,पीटा टिक्वा, 49131, इजरायल	1541/डी.ई.एल.एन. 2004 (03-06-2004)	1	23-03-2006	टोरेंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड आफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, इंडिया	निपटान कर दिया गया
157.	मेटल फ्री फिल्टर एवं उसको बनाने का तरीका	प्यूरोलेटर	847/डी.ई.एल./ 2002 (16-08-2002)	1	12-04-2006	मान एंड हमेल फिल्टर प्रा. लिमिटेड, बंगलूर	लंबित
158.	घरेलू रिवर्स ओस्मोसिस आधारित पीने का पानी का प्यूरीफायर जिसमें शुद्ध पानी में नियंत्रित प्राकृतिक खनिज सामग्री होती है	श्री महेश गुप्ता, एच-35, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-I, नई दिल्ली	1887/डी.ई.एल./ 2005 (20-07-2005)	1	18-04-2006	मेसर्स यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड, कोंकण नगर कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., प्रकाश नारायण कोटनीस मार्ग, महिम (वेस्ट), मुंबई-400 016	लंबित

159.	घरेलू रिवर्स ओस्मोसिस आधारित पीने का पानी का प्यूरीफायर जिसमें शुद्ध पानी में नियंत्रित प्राकृतिक खनिज सामग्री होती है	श्री महेश गुप्ता, एच-35, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-I, नई दिल्ली	1888/डी.ई.एल./ 2005 (20-07-2005)	1	18-04-2006	मेसर्स यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड, कोंकण नगर कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., प्रकाश नारायण कोटनीस मार्ग, महिम (वेस्ट), मुंबई-400 016	निपटान कर दिया गया है
160	नेवीरापाईन हेमिहाइड्रेट से बनी फार्मा-स्यूटिकल सस्पेंशन	बोएहरिंगरगेलहिम फार्मास्यूटिकल आई.एन.सी.	2485/डी.ई.एल./ 1998 (24-08-1998)	1	09-05-2006	इंडियन नेटवर्क फोर पिपल लिविंग विथ एच.आई.वी./एड्स (आई.एन.पी.+) तथा द देहली नेटवर्क ऑफ पॉजीटिव पिपल (डी.एन.पी.+) हाउस नं. 64, गली नं., 3, नेब सराई, इग्नू के पास, नई दिल्ली-110 068	लंबित
161.	फार्मास्यूटिकल फामूलेशन	ग्लेक्सो ग्रुप लिमिटेड, ग्लेक्सो वेलकम हाउस, बर्कले एवेन्यू, ग्रीनफोर्ड, मिडलसेक्स यूबी 6 ओ.एन.एस., यूबी 6, ओ.एन.एन., ग्रेट ब्रिटेन	727/डी.ई.एल./1997 (21-03-1997)	1	13-07-2006	द उत्तर प्रदेश वेलफेयर फॉर पिपल लिविंग विथ एच.आई.वी./ एड्स सोसायटी, 43/38एफ, लोथर रोड, भोला हास्पिटल के सामने, इलाहाबाद-211 002 उत्तर प्रदेश	लंबित
162.	न्यूक्लिओटाईड एनालाग्स	गिलीड साइंसेज, आई.एन.पी.	2076/डी.ई.एल./ 1997 (25-07-1997)	4	18-07-2006 और 05-09-2006 और 12-07-2007 और 26-06-08	1. सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891 2. इंडियन नेटवर्क फोर पिपल लिविंग विथ एच.आई.वी./एड्स (आई.एन.पी.+) तथा द देहली नेटवर्क ऑफ पॉजीटिव पिपल (डी.एन.पी.+) नं. 4, 3 क्रास, वसंता, बंगलूरू	लंबित

					3. इंटरमेड लैब्स प्रा. लि., #77डी, के.आई.ए.डी.बी., इंडस्ट्रियल एरिया, जिगानी, बंगलूरू-562 106 4. सहारा सेंटर फॉर रेसिडेंशियल केयर एंड एसोकेओ ब्रेसिलेइरा इंटरडिसीप्लीनरी डी एड्स, प्रतिमा एस. 63/2 प्रथम तल, मस्जिद रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली	
163. हेपेटाईटिस सी की अनविट्रो जांच के लिए डायगनोस्टिक किट	जे. मित्रा एंड को. प्रा. लि., 180/181, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली	593/डी.ई.एल./2000 (14-06-2000)	2	24-08-2006 और 05-09-2006	1. डा. मिस स्नेहलता सी. गुप्ता, सूरत, सूरत रक्तदान केंद्र एवं रिसर्च सेंटर, टी एंड टीवी मिडल स्कूल के सामने गोपीपुरा, सूरत-395 001, गुजरात 2. डा. गिरीश जे. रिन्दानी, एम.डी. 1190/2, मेयो हास्पिटल रोड, श्याम नगर के पास, हरानी, वडोदरा-390022, गुजरात	निपटान कर दिया गया
164. हेपेटाईटिस सी वायरस की जांच हेतु उपकरण	जे. मित्रा एंड को. प्रा.लि., ए-180/181, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली	590/डी.ई.एल./2000 (14-06-2000)	2	24-08-2006 और 05-09-2006	1. डा. मिस स्नेहलता सी. गुप्ता, सूरत, सूरत रक्तदान केंद्र एवं रिसर्च सेंटर, टी एंड टीवी मिडल स्कूल के सामने गोपीपुरा, सुरत-395 001, गुजरात 2. डा. गिरीश जे. रिन्दानी, एम.डी. 1190/2, मेयो	लंबित

					हास्पिटल रोड, श्याम नगर के पास, हरानी, वडोदरा-390022, गुजरात	
165. शीघ्र पकने वाले चावल के उत्पादन हेतु एक उन्नत प्रक्रिया	सी.एस.आई.आर., रफी मार्ग, नई दिल्ली	588/डी.ई.एल./2004 (24-03-2004)	1	16-10-2006	डा. मोहन दीवान, पोदार चैंबर, एस.ए., ब्रेल्वी रोड फोर्ट, मुंबई-400 001, महाराष्ट्र	लंबित
166. फार्मास्युटिकल कंपोजिसंश कंप्राइजिंग पोलि-कोसानोल्स एंड एच.एम.जी. सी.ओ.ए. रिडक्टेस इनहिबिटर्स	पेनासिया बायोटेक लिमिटेड, बी-1, एक्सटेंशन ए/27 मोहन कोपरेटिव, इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110 044 भारत	99/डी.ई.एल./2004 (20-01-2004)	1	27-11-2006	सुरभि सिन्हा, 51 सत्य निकेतन, नई दिल्ली	लंबित
167. सी थ्रू टेस्टिंग डिवाईस	जे. मित्रा एंड को. प्रा. लि., ए-180/181, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली	670/डी.ई.एल./2001 (15-06-2001)	1	11-12-2006	क्वालप्रो डायग्नोस्टिक्स, गीतांजली, तुलीप ब्लॉक, डा. एंटोनियो डो रिगो बाग, अल्टो, सांताक्रुज, बंबोलिम कंपलेक्स, पो.आ., गोवा-403 202, भारत	निपटान कर दिया गया है
168. डेंगु हेतु एक टेस्ट कार्ड	जे. मित्रा एंड को. प्रा. लि., ए-180/181, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली	2383/डी.ई.एल./ 2004 (29-11-2004)	1	14-12-2006	क्वालप्रो डायग्नोस्टिक्स, गीतांजली, तुलीप ब्लॉक, डा. एंटोनियो डो रिगो बाग, अल्टो, सांताक्रुज, बंबोलिम कंपलेक्स, पो.आ., गोवा-403 202, भारत	निपटान कर दिया गया है
169. ट्विन कम टेस्ट डिवाइस	जे. मित्रा एंड को. प्रा. लि. ए-180/181, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली	2381/डी.ई.एल./ 2004 (29-11-2004)	1	14-12-2006	क्वालप्रो डायग्नोस्टिक्स, गीतांजली, तुलीप ब्लॉक, डा. एंटोनियो डो रिगो बाग, अल्टो, सांताक्रुज, बंबोलिम	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
						कंपलेक्स, पो.आ., गोवा-403 202, भारत	
170.	डायग्नोस्टिक स्ट्रिप	जे. मित्रा एंड को. प्रा. लि. ए-180/181, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली	2382/डी.ई.एल./2004 (29-11-2004)	1	18-12-2006	क्वालप्रो डायग्नोस्टिक्स, गीतांजली, तुलीप ब्लॉक, डा. एंटोनियो डो रिगो बाग, अल्टो, सांताक्रुज, बंबोलिम कंपलेक्स, पो.आ., गोवा-403 202, भारत	निपटान कर दिया गया है
171.	डायग्नोस्टिक स्ट्रिप	सी.एस.आई.आर., रफी मार्ग, नई दिल्ली	1219/डी.ई.एल./2004 (30-06-2004)	1	27-12-2006	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, हिन्दुस्तान यूनीलिवर हाउस, 165/166, बैकवे रिक्लेमेशन, मुंबई-400020, महाराष्ट्र, भारत	लंबित
172.	उन्नत पैकेजिंग फिल्म	फ्रिटो-ले-इंडिया 3बी डी.एल.एफ., कारपोरेट पार्क, एस. ब्लॉक, कुतुब इंक्लेव-3, गुडगांव	691/डी.ई.एल./2004 (08-04-2004)	1	22-03-2007	सुरभि सिन्हा, 51 सत्य निकेतन, नई दिल्ली	लंबित
173.	उन्नत लैमिनेटिड फिल्म	फ्रिटो-ले-इंडिया 3बी डी.एल.एफ., कारपोरेट पार्क, एस. ब्लॉक, कुतुब इंक्लेव-3, गुडगांव	811/डी.ई.एल./2003 (17-06-2003)	1	29-03-2007	सुरभि सिन्हा, 51 सत्य निकेतन, नई दिल्ली	लंबित
174.	क्वीनाजोलीन डेरीवेटिव्स	फिज आई.एन.सी., इस्टर्न प्वाइंट, रोड ग्रोटन, कनेक्टीकर 06340, यू.एस.ए.	537/डी.ई.एल./1996 (13-03-1996)	1	10-04-2007	नारको फार्मा लिमिटेड, नारको हाउस रोड नं. 2, बंजारा हिल्स हैदराबाद-500 033	निपटान कर दिया गया
175.	एक या उससे अधिक तल वाले इंफोर्मेशन डिसप्ले	फ्रैंकोइस एल होटल, 11, एवेन्यू डी ला रिपब्लिक, एफ-93170 बैग्नोलेट,	01211/डी.ई.एल.एन.पी./2003 (31-07-2003)	1	28-05-2007	झा कौशल शशिधर, महाराष्ट्र	लंबित

	यूनिट हेतु सहायता	फ्रांस					
176.	बेयर लिक्वर से कंटेमिनेंट्स हटाने की प्रक्रिया	क्वीन्सलैंड एलुमिना लिमिटेड एवं न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी	1010/डी.ई.एल.एन.पी./2003 (27-06-2003)	1	07-06-2007	बिलिटन एल्यूमिनियम आस्ट्रेलिया प्रा. लि., एल 14, रिवरसाईड सेंटर 123 इगल एस.टी., आस्ट्रेलिया	लंबित
177.	फार्मास्यूटिकल फामूलेशन	ग्लेक्सो ग्रुप लि.	727/डी.ई.एल./1997 (21-03-1997)	1	23-07-2007	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 006, भारत टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित
178.	क्वीनाजोलिन डेरीवेटिव्स	फिज आई.एन.सी., इस्टर्न प्वाइंट, रोड ग्रोटन, कनेक्टीकर 06340, यू.एस.ए.	537/डी.ई.एल./1996 (13-03-1996)	1	10-04-2007	नारको फार्मा लिमिटेड, नारको हाउस रोड नं. 2, बंजारा हिल्स हैदराबाद-500 033	निपटान कर दिया गया
179.	टायोट्रोपियम साल्ट से बनी इनहेलेशन हेतु पावडर्ड मेडिकानेंट	बोएहरिंगर इनगेलहिम फार्मा जी.एम.बी.एच. एंड कं. बिंगर स्ट्रासे 173, डी-55216 इंगेलहिम ए.एम., रीन, जर्मनी	2632/डी.ई.एल.एन.पी./2005 (15-06-2005)	1	29-08-07	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, इंडिया टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित
180.	कोरोजन रेसिसटेंट गैल्वेनाईज्ड स्टील पाइपों के निर्माण की प्रक्रिया एवं इस प्रक्रिया से प्राप्त पाइपें	जिंदल इंडस्ट्रीज लि., दिल्ली रोड, मॉडल टाउन, हिसार, हरियाणा भारत	1956/डी.ई.एल./2006 (31-08-2006)	1	29-08-07	(1) जिंदल पाईप्स लिमिटेड एंड सूर्य रोशनी लिमिटेड, दूसरा तल, पद्मा टावर 13, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 भारत	लंबित
181.	ओनेप्राजोल से बनी फार्मास्यूटिकल फामूलेशन	आस्ट्रा आम्तिएबोलाग स्वीडन	1354/डी.ई.एल./1998 (21-05-1998)	1	13-09-2005	टोरेंट फार्मास्यूटिकल लि., ऑफ, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380 009, गुजरात, भारत	निपटान कर दिया गया
182.	कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियोपल्मनरी,	बोएहरिंगर इनगेलहिम फार्मा जी.एम.बी.एच.	3073/डी.ई.एल.एन.पी./2005	2	01 10-07 और	1. इंटरमेड लैब्स प्रा. लि., #77डी, के.आई.ए.डी.बी.,	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
	पल्मनरी या रीनल बीमारियों को रोकने या इसके उपचार हेतु फार्मास्युटिकल कंबीनेशन	एंड कं. बिंगर स्ट्रासे 173, डी-55216 इंगेलहिम ए.एम., रीन, जर्मनी	(11-07-2005)		8-05-2008	इंडस्ट्रियल एरिया, जिगानी. बंगलूरू-562106 2. ग्लीनमार्क फार्मास्यूटिकल लि. ग्लीनमार्क हाउस, एच.डी.ओ.-कारपोरेट बिल्डिंग, विंग-ए, बी.डी.एस. मार्ग, चकाला, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अंधेरी (ईस्ट) मुंबई	
183.	कम फ्लूरोसेंस वाले ट्विन विंडो स्लाइड्स के निर्माण की प्रक्रिया एवं कोमेट एसेच हेतु ट्विन विंडो	सी.एस.आई.आर., रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत	1870/डी.ई.एल./2004 (29-09-2004)	1	03-10-07	डा. मैयम शाहिदी, ट्रेड मार्क ज्यूरीस, 317, वर्धमान प्लाजा-1, जे ब्लॉक राजौरी गार्डन, नई दिल्ली	लंबित
184.	हाइपोडर्मिक नोडल्स हेतु नोडल टीप गार्ड	इंजेक्टीमेड आई.एन.सी.	906/डी.ई.एल./1997 (08-04-1997)	1	05-10-07	बी. ब्राउन मेलसुंगेन एजी	लंबित
185.	फ्यूएल एडीटिव्स	न्यूफटेक लिमिटेड वेस्ट इंडिज	आई.एन./पी.सी.टी./2003/00002/डी.ई.एल. (01-01-2003)	1	05-10-07	आक्सोनिका मैटैरियल्स लिमिटेड, यू.के.	लंबित
186.	क्रिस्टालीन मोनो-हीइड्रेट, उसको बनाने की प्रक्रिया एवं फार्मास्युटिकल कंपोजिशन बनाने हेतु उसका उपयोग	बोएहरिंगर इनगेलहिम फार्मा जी.एम.बी.एच. एंड कं. बिंगल स्ट्रासे 173, डी-55216 इंगेलहिम ए.एम., रीन, जर्मनी	558/डी.ई.एल.एन.पी./2003 (16-04-2003)	1	05-11-07	इंटरमेड लैब्स प्रा. लि., #77डी, के.आई.ए.डी.बी., इंडस्ट्रीयल एरिया, जिगानी, बंगलुरू-562 106	लंबित

187. को पॉलीमर-1 फ्रैक्शन	येडा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को. लि. इजरायल	93/डी.ई.एल./2003 (05-02-2003)	1	21-11-07	नाटको फार्मा लिमिटेड, नाटको हाऊस, रोड नं. 2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 033	लंबित
188. इंफेक्शन्स के उपचार हेतु पूर्ण हल के लिए एन्टीबायोटिक कंबीनेशन्स	विनस रिमीडिज लिमिटेड, एस.सी.ओ., 39, सेक्टर-26, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019, भारत	2510/डी.ई.एल./2004 (17-12-2004)	1	21-11-2007	मैसर्स एफ.डी.सी. लि., एफ.डी.सी. लि., 142-48, एस.वी. रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम) मुंबई- 400 102, महाराष्ट्र, भारत	लंबित
189. इमीपेनेम	रैनबैक्सी लेबोरटरीज प्रा. लि..19, नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110 019, भारत	595/डी.ई.एल./2001 (18-05-2001)	1	3-12-07	यूनीमार्क रीमिडिज लिमिटेड, 19, क्रिस्टल, जूहु रोड, सांताक्रूज, (पश्चिम) मुंबई-400 054. भारत	लंबित
190. वेजेल एवं अन-लोडिंग सिस्टम	लाईफ होएग एंड को. ए.एस.ए., पी.ओ. बाक्स 2596 सोली, एन-0203, ओस्लो, नार्वे	1663/डी.ई.एल.एन.पी./2003 (14-10-2003)	1	5-12-07	वुडस्लाईड नेचुरल गैस, आई.एन.सी., 2425 ओलंपिक वी.एल.वी.डी. एस.टी.ई. 4030 डब्ल्यू.,सान्टा मोनिका, कैलीफोर्निया 90404, यू.एस.ए.	लंबित
191. इमीपेनेम मिश्रण हेतु प्रक्रिया	रैनबैक्सी लेबोरटरीज प्रा. लि..19, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019, भारत	594/डी.ई.एल./2001 (18-05-2001)	1	13-12-2007	यूनीमार्क रीमिडिज लिमिटेड, 19, क्रिस्टल, जूहु रोड, सांताक्रूज, (पश्चिम) मुंबई-400 054. भारत	लंबित
192. टॉपीकल एंटी वायरल फार्मूलेशन	गिलीड साइंसेज, आई.एन.सी. 333, लैकसाईड ड्राइव, फोस्टर सिटी, सीए 94404, यू.एस.ए.	7840/डी.ई.एल.एन.पी./2006 (22-12-2006)	1	31-12-2007	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित
193. उन्नत भंडारण स्थिरता वाले	अलकर्मस नियंत्रित थिराप्यूटिक्स आई.एन.सी.	1166/डी.ई.एल./1997	1	03-1-2008	सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
	माइक्रो पार्टिकल एवं ऐसे माइक्रो-पार्टिकल को तैयार करने की प्रक्रिया	एवं जानसीन फार्मास्यूटिका एन.वी.	(06-05-1997)				
194.	क्रेन हेतु एक स्लाटेड बूम	इस्कार्ट कंसट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, प्लाट नं. 2, सेक्टर-13, फरीदाबाद-121 007	1469/डी.ई.एल./ 2005 (08-06-2005)	1	10-1-2008	अमीत प्रसाद, जंगपुरा एक्सटेंशन, एन-8ए, नई दिल्ली	लंबित
195.	क्रेन हेतु एक स्लाटेड बूम	इस्कार्ट कंसट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, प्लाट नं. 2, सेक्टर-13, फरीदाबाद-121 007	2304/डी.ई.एल./ 1997 (14-08-1997)	1	24-1-2008	अमीत प्रसाद, जंगपुरा एक्सटेंशन, एन-8ए, नई दिल्ली	लंबित
196.	पॉलीमार्फ बी ऑफ एन-(3-एथीनील-फिनाइलामिनो)-6, 7- बी.आई.एस.) (2-मिथोम्सीइथोम्सी)-4 क्वीनालोलीना-माइन हाइड्रोक्लो-राइड के उत्पादन हेतु प्रक्रिया	ओ.एस.आई. फार्मास्युटिकल	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/00497/ डी.ई.एल. 1997	1	30-1-2008	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित
197.	पॉलीमार्फ बी ऑफ एन-(3-एथीनील-फिनाइलामिनो)-6, 7-बी.आई.एस.) (2-मिथोम्सीइथोम्सी)-4 क्वीनालोलीना-माइन हाइड्रोक्लो-	ओ.एस.आई. फार्मास्युटिकल	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/00507/ डी.ई.एल./ (14-05-2002)	1	30-1-2008	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित

	राइड के उत्पादन हेतु प्रक्रिया						
198.	क्रेन हेतु एक उन्नत बूम	इस्कार्ट कंसट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, प्लाट नं. 2, सेक्टर-13, फरीदाबाद-121 007	2305/डी.ई.एल./ 1997 (14-08-1997)	1	5-2-2008	अमीत प्रसाद, जंगपुरा. एक्सटेंशन, एन-8ए, नई दिल्ली	लंबित
199.	मेथड इंप्लीमेंटेशन हेतु लाइट टॉवर, लाइट टॉवर मास्ट, लाइट टॉवर ऑपरेशन, लाइट टॉवर कंट्रोल यूनिट	नलीचाएव, बोरिस ब्लादीमीरोविटेक एण्ड नलीचाएव, यू.एल., पालेश्काया डी, 143 केवी. 16, मास्को, 129347, रूसी परिसंघ, रूस	2938/डी.ई.एल.एन. पी./2007 (19-04-2007)	2	12-2-2008	1. अस्का इक्विमेंट लि., पितमपुरा, नई दिल्ली 2. मेसर्स रामेश्वर दास हरिप्रसाद इम्पेक्स, 9ए, लाल बाजार स्ट्रीट, मर्केन्टाईल बिल्डिंग, ब्लॉक-ए, प्रथम तल, कोलकाता-700 001	लंबित
200.	कंजूगेट कंपोजिशन एवं कंपोजिशन तैयार करने की प्रक्रिया	जे. मित्रा एंड को. प्रा. लि., ए-180/181, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली	2380/डी.ई.एल./ 2004 (29-11-2004)	1	13-2-2008	क्वालप्रो डायग्नोस्टिक्स, गीतांजली, तुलीप ब्लॉक, डा. एंटोनियो डो रिगो बाग, अल्टो, सांताक्रूज, बंबोलिम कंपलेक्स, पो.आ., गोवा-403 202, भारत	लंबित
201.	ओरल केयर इंप्लीमेंट	कोलगेट पामोलिव कंपनी 300 पार्क एवेन्यू, न्यूयार्क, 10022, यू.एस.ए.	3900/डी.ई.एल.एन. पी./2007 (24-05-2007)	1	22-2-2008	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, हिन्दुस्तान यूनीलिवर हाउस, 165/166, बैकवे रिक्लेमेशन, मुंबई-400 020, महाराष्ट्र भारत	लंबित
202.	कंपोजिशन एवं एंटीवायरल उपचार का तरीका	गिलीड साइंसेज, आई.एन.सी. 333, लैकसाईड ड्राइव, फोस्टर सिटी, सीए 94404, यू.एस.ए.	3383/डी.ई.एल.एन. पी./2005 (29-07-2005)	1	13-12-2007	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, इंडिया टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
203.	बिलेयर टेबलेट	बोएहरिंगर इनगेलहिम फार्मा जी.एम.बी.एच. एंड कं. बिंगर स्ट्रासे 173, डी-55216 इंगेलहिम ए.एम., रीन, जर्मनी	2428/डी.ई.एल.एन. पी./2007 (30-03-2007)	1	19-2-2008	मेडीटेब स्पेशियलीटिज प्रा.लि. मुंबई	लंबित
204.	क्रेन हेतु उन्नत बूम	इनसाईट विजन इनकॉरपोरेटेड, 965, अटलांटा एवेन्यू, अलमीडा, सीए 94501, यू.एस.ए.	3982/डी.ई.एल.एन. पी./2006 (11-07-2006)	1	03-03-2008	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित
205.	लीड एसिड बैटरीज तथा पॉजीटिव प्लेट एवं उनके रखरखाव	एक्साईड टेक्नोलॉजी, 13000 डीयरफील्ड पार्कवे, बिल्डिंग 200, अल्फारेटा, जीए 30004, यू.एस.ए.	334/डी.ई.एल.एन. पी./2003 (10-03-2003)	1	10-03-2008	शेखर खन्ना, 18 जे, डा. ए.के. पाल रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	लंबित
206.	बाईएक्सियली ओरियेंटेड पॉलीस्टर फिल्म	एस.के.वी. लि. #633, जियोंगजा-डोंग, जनगान-गु, 440-300 सूवोन-एस.आई., क्यूंग्की-डो कोरिया	1544/डी.ई.एल.एन. पी./2004 (03-06-2004)	1	24-03-2008	मंडालायु नागेश्वरा राव	लंबित
207.	टायोट्रोपियम साल्ट एवं सालमेटेरॉल साल्ट आधारित नोवल मेडिकामेंट कंपोजिशन	बोएहरिंगर इनगेलहिम फार्मा जी.एम.बी.एच. एंड कं. बिंगर स्ट्रासे 173, डी-55216 इंगेलहिम ए.एम., रीन, जर्मनी	00518/डी.ई.एल. एन.पी./2003 (07-04-2003)	1	10-04-2008	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित

208. बिलेयर टेबलेट	बोएहरिंगर इनगेलहिम फार्मा जी.एम.बी.एच. एंड कं. बिंगर स्ट्रासे 173, डी-55216 इंगेलहिम ए.एम., रीन, जर्मनी	2978/डी.ई.एल.एन. पी./2007 (20-04-2007)	1	17-04-2008	मेडीटेब स्पेशियलीटिज प्रा. लि., मुंबई	लंबित
209. टेलीमिसार्टन तथा डायूरेटिक से बनी बिलेयर फार्मस्युटिकल टेबल एवं उसका मिश्रण	बोएहरिंगर इनगेलहिम फार्मा जी.एम.बी.एच. एंड कं. बिंगर स्ट्रासे 173, डी-55216 इंगेलहिम ए.एम., रीन, जर्मनी	1928/डी.ई.एल.एन. पी./2004 (06-07-2004)	2	24-04-2008 और 6-05-2008	1. जी.एम. फार्मा, ग्लीनमार्क हाउस, एच.डी.ओ.-कारपोरेट बिल्डिंग, विंग-ए, बी.डी.एस. मार्ग, चकाला, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400 099 2. मेसर्स ओकासा प्रा.लि., 12, गुनबोव स्ट्रीट फोर्ट, मुंबई-400 001, भारत	लंबित
210. स्यूडोपालीमोर्फिक फार्म ऑफ एच.आई.वी. प्रोटीज इनहिबिटर	रिबोटेक फार्मास्यूटिकल लि., इस्टगेट विलेज, इस्टगेट लिटल आइलैंड, को कार्क आयरलैंड	3598/डी.ई.एल.एन. पी./2004 (17-11-2004)	1	25-04-2008	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित
211. वाटर फिल्टर सामग्री जिसमें माइक्रोपोरस एवं मेसोपोरस कार्बन पार्टिकल शामिल हैं तथा ऐसी सामग्री से बनी उक्त वाटर फिल्टर	पी.यू.आर. वाटर प्यूरी-फिकेशन प्रोडक्ट्स आई.एन.पी. एंड सी.यू.एन.ओ., वन प्रोक्टर एंड गैंबल प्लाजा का आई.एन.सी., सिनसिनाटी, ओहियो, 45202, यू.एस.ए. एवं 400 रिसर्च पार्कवे, मेरीडियन, सीटी 06450 यू.एस.ए.	7278/डी.ई.एल.एन. पी./2007 (20-09-2007)	1	30-04-2008	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, हिन्दुस्तान यूनीलिवर हाउस, 165/166, बैकवे रिक्लेमेशन, मुंबई-400 020,, महाराष्ट्र भारत	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
212.	बोरोनिक इस्टर एवं एसिड कंपाउण्ड का सिन्थेसिस	मिलेनियम फार्मा- स्यूटिकल, आई.एन.सी. 40 लैंड्सडाऊन स्ट्रीट, कैंब्रीज, एम.ए., 02139, यू.एस.ए.	5633/डी.ई.एल.एन. पी./2006 (27-09-2007)	1	05-05-2008	नाटको फार्मा लिमिटेड, नाटको हाउस रोड नं. 2, बंजारा हिल्स हैदाराबाद- 500 033	लंबित
213.	परक्यूटानियस कैथेटर डाइरेक्टेड ओक्लूजन डिवाइस	एजीए मेडिकल कारपोरेशन 682, मेडलसन एवेन्यू, गोल्डन वैली, मिनेसोटा, 55427, यू.एस.ए.	1115/डी.ई.एल./ 2003 (08-09-2003)	1	9-05-2008	फैसल कापडी, पटेल नगर, नई दिल्ली	लंबित
214.	परक्यूटानियस कैथेटर डाइरेक्टेड ओक्लुजन डिवाइस	एजीए मेडिकल कारपोरेशन 682, मेडलसन एवेन्यू, गोल्डन वैली, मिनेसोटा, 55427, यू.एस.ए.	1114/डी.ई.एल./ 2003 (08-09-2003)	1	9-05-2008	फैसल कापडी, पटेल नगर, नई दिल्ली	लंबित
215.	एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट वाले रिफ्रैक्टरी ह्यूमेन ट्यूमर का उपचार	इमक्लोन सिस्टम इनकारपोरेशन, 180 वेरिक स्ट्रीट, न्यूयार्क न्यूयार्क-10014, यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./ 2001/1154/ डी.ई.एल. (13-12-2001)	1	9-05-2008	जी.एम. फार्मा, ग्लीनमार्क हाउस, एच.डी.ओ.-कारपोरेट बिल्डिंग, विंग-ए, बी.डी.एस. मार्ग, चकाला, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400 099	लंबित
216.	एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट वाले रिफ्रैक्टरी ह्यूमेन ट्यूमर का उपचार	इमक्लोन सिस्टम इनकारपोरेशन, 180 वेरिक स्ट्रीट, न्यूयार्क न्यूयार्क-10014, यू.एस.ए.	1876/डी.ई.एल. एन.पी./2004 (30-06-2004)	1	9-05-2008	जी.एम. फार्मा, ग्लीनमार्क हाउस, एच.डी.ओ.-कारपोरेट बिल्डिंग, विंग-ए, बी.डी.एस. मार्ग, चकाला, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400 099	लंबित

217.	लाइन कंडीनर यूनिट	एकमे टेले पावर प्रा. लि., प्लाट सं. 48, सैक्टर-5, आई.एम.टी. मानेसर-1122050, गुडगांव, हरियाणा भारत	2083/डी.ई.एल./2005 (05-08-2005)	2	16-05-2008	1. सोलवान प्रा. लि., नई दिल्ली 2. लाम्बा ईस्टर्न टेलीकॉमिनेकेशन, 475, उद्योग विहार, फेज 5, गुड़गांव, हरियाणा भारत	लंबित
218.	न्यू क्रिस्टालाइन फॉरम ऑफ ओमप्रेजोल	आस्ट्रा एक्टीबोलोग, एस-151 85 सोडरटालजे, स्वीडन	3490/डी.ई.एल./ 1998 (20-11-1998)	1	29-05-2008	कार्डएडब इंडस्ट्रियल लैब प्रा. लि. बंगलूरू	लंबित
219.	एन्टीबॉडी पयूरीफिकेशन बाई प्रोटिन ए तथा आन एक्सचेंज क्रोनोटोग्राफी	लॉन्जा बायोलोजिक्स पी.एल.सी. 228 बाथ रोड स्लोग एस.एल. 14 डी.वाई. बर्कसायर (जी.बी.)	3871/डी.ई.एल.एन. पी./2005 (30-08-2005)	1	08-05-08	डा. रेड्डी लेबोरेट्रिज, ग्रीनलैण्ड्स अमीरपेट, हैदराबाद-500 016, भारत	लंबित
220.	हैक्साहाइड्रो फ्यूरो (2, 3-बी) फ्यूरान-3-ओएल की तैयारी (3 आर, 3 ए.एस., 6 ए.आर.) के लिए पद्धतियां	टिबोटेक फार्मास्यूटिकल लि. इस्टगेट विलेज, इस्टगेट लिटिल आइलैण्ड, कोकार्क, इरीलैण्ड	5301/डी.ई.एल.एन. पी./2006 (13-09-2006)	1	08-05-08	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित
221.	आईसोलेशन तथा पयोरीफिकेशन्स ऑफ कारोटेनाइड्स	कात्रा फाइटाकेम प्रा. लि. एन.ओ. 2281/बी,. 14ए मेन हाल सेकण्ड स्टेज बंगलूरू-560008, भारत.	1620/डी.ई.एल.एन. पी./2007 (28-02-2007)	1	04-06-2008	केमिन फूड्स एल.सी., 2100 मोरी सेन्ट पी.ओ. बाक्स 70, डेसमोएन्स, आई.ए. 50306-0070, यू.एस.ए.	लंबित
222.	एटाजानवीर बाइसल्फेट एण्ड नावल फाम की तैयारी के लिए प्रक्रिया	ब्रिस्टल-मायर्स एसक्यूब कंपनी, पी.ओ. बॉक्स 4000, रूट 206 तथा प्राविन्स लाइन रोड, प्रिन्सटोन, न्यू जर्सी 08543-4000, यू.एस.ए.	6425/डी.ई.एल.एन. पी./2006 (01-11-2006)	1	20-06-2008	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
223.	कंबेनेशन ऑफ साइटोक्राम पी-450 डिपेन्डन्ट प्रोटिज इनबीबीटर्स	टिबोटेक फार्मास्यूटिकल लि. इस्टगेट विलेज, इस्टगेट लिटिल आइलैण्ड, कोकार्क, इरीलैण्ड	1647/डी.ई.एल.एन.पी./2004 (11-06-2004)	1	21-06-2008	सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, भारत टेलीफोन: 91-2223082891	लंबित
224.	कंबीनेशन थैरेपी	बोरंगिर इन्गेलहेम इन्टरनेशनल जी.एम.बी.एच. बिन्गर स्ट्रासे 173, 55216 इन्गेलहेम ए.एम. रहेन, जर्मनी	4579/डी.ई.एल.एन.पी./2007 (17-06-2007)	1	3-7-08	मैसर्स ओकासा प्रा. लि. मुंबई	लंबित
225.	मल्टीलेयर टेबलेट	बोरंगिर इन्गेलहेम इन्टरनेशनल जी.एम.बी.एच. बिन्गर स्ट्रासे 173, 55216 इन्गेलहेम ए.एम. रहेन, जर्मनी	4704/डी.ई.एल.एन.पी./2006 (17-08-2006)	1	3-7-08	मैसर्स ओकासा प्रा. लि. मुंबई	लंबित
226.	क्रेन हेतु उन्नत बूम	एस्कॉर्ट कन्ट्रक्शन्स इक्यूपमेंट लि. प्लॉट नं. 2 सेक्टर 13, फरीदाबाद-121 007 भारत	330/डी.ई.एल./2004 (01-03-2004)	1	14-07-2008	अमीत प्रसाद जंगपुरा एक्सटेंशन, एन-8ए, नई दिल्ली	लंबित
227.	टेलीकाम उपयोगिता	कृष्णा पन्त, जे-236 डी.एल.एफ. फेज-2, गुड़गांव-122 002	1742/डी.ई.एल./2007 (16-08-2007)	1	31-07-2008	एसीएमई टेलीपावर लिमिटेड, 9वीं मंजिल, डी.एल.एफ., इनफिनिटी टावर-सी, डी.एल.एफ. साइबर सिटी, फेज-2, गुड़गांव-122 002, हरियाणा, भारत	लंबित
228.	लचीली फ्लूड कंटेनमेंट वेसल	अल्बोनी इंटरनेशनल कार्पोरेशन, 1373,	1608/डी.ई.एल.एन.पी./2003			आर.जे. फैशन हाउस नं. 1307, गली नं. 13, गोबिन्द पुरी,	लंबित

के लिए परत (कोटिंग) तथा उसे बनाने का तरीका	बोडवे अल्बेनी, न्यूयार्क 12204, यू.एस.ए.	(07-10-2003)	कालकाजी, नई दिल्ली	
229. रेडिन इंप्रेगनेटिड फाइबर्स से बनाए गये लम्बे एनईपी प्रेस बेल्ट	-तदैव-	17/डी.ई.एल.एन.पी./2006 (07-10-2006)	-तदैव-	-तदैव-
230. लचीली फ्लूड कंटेनमें मेरीन वेसल	-तदैव-	1580/डी.ई.एल.एन.पी./2003 (01-01-2003)	-तदैव-	-तदैव-
231. क्रोनिकल रिबेट्स के साथ ग्रूवड भा प्रेस बेल्ट	-तदैव-	4712/डी.ई.एल.एन.पी./2005 (17-10-2005)	-तदैव-	-तदैव-
232. गूवड सतह बेल्ट अथवा रोल तथा फेब्रिकेशन की पद्धति	-तदैव-	5349/डी.ई.एल.एन.पी./2005 (22-11-2005)	-तदैव-	-तदैव-
233. बाइंडर यार्न के तिहरे के साथ साथ दो रेप सिस्टम बाइंड सहित मल्टी लेयर फोर्मिंग फेब्रिक	-तदैव-	4713/डी.ई.एल.एन.पी./2005 (17-10-2005)	-तदैव-	-तदैव-
234. कंटामिनेशन रोधी प्रेस फेब्रिक स्ट्रक्चर तथा विनिर्माण की पद्धति	-तदैव-	5251/डी.ई.एल.एन.पी./2005 (16-11-2005)	-तदैव-	-तदैव-

1	2	3	4	5	6	7	8
235.	सिंथेटिक ब्लोन इन्सुलेशन	-तदैव-	5447/डी.ई.एल.एन.पी./2005 (25-12-2005)			-तदैव-	-तदैव-
236.	बेंजोनिनिलिजाइन्स रखने वाले फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन्स तथा उनके प्रयोग की पद्धति	वोकहार्डट लिमिटेड, वोकहार्डट टावर्स, बांदरा कुर्ला कंपलेक्स, बांदरा (ई.) मुम्बई-400051	308/मुम्बई/2002 (27/मुम्ब-डब्ल्यू.टी.ओ./2002 28-03-2002			सिपिला लिमिटेड, 289, बेलासिस रोड, मुम्बई सेंट्रल, मुम्बई-400008	-तदैव-
237.	फार्मास्यूटिकल का पोलीमोर्फ	एब्बोट लेबोरेटरिज, डी-377, एपी 6ए-1, 100, एब्बोट पार्क रोड, एब्बोट पार्क, आई.एल.-60064-6008, यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./2001/00018/मुम्बई 03-01-2001			रेनबेक्सी लेबोरेटरिज लिमिटेड	-तदैव-
238.	एंटी-इस्थामिक तथा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एमलोडीपिन बेसीलेट की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	कोपरान लिमिटेड, परिजात हाउस, 1076 डा. ई. मोसेस रोड, वोर्ली, मुम्बई-400 018 महाराष्ट्र, इण्डिया	803/803/मुम्बई/2002 04-09-2002			ग्लोचेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	विरोध मना कर दिया
239.	एपलेरेनॉम क्रिस्टाल्लीन फार्म	फार्मासिया कार्पोरेशन, पी.ओ. बॉक्स 5110, शिकागो, इलियनोयस, यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./2001/01057/मुम्बई 05-09-2001			ग्लेन पार्क फार्मास्यूटिकल्स लि. बी/2, महालक्ष्मी चेम्बर्स, 22, भूलाभाई देसाई रोड, मुम्बई-400026	लंबित
240.	क्रिस्टाल्लीन बी.आई.एस.{(ई)-7-{4-(4-फ्लोरोफेनिल) अमिनो} पिरीमिडिन-5-वाई.एल.} (3	आस्ट्राजेनेका एबी, एस-15185, सोडरतालजी, स्वीडन	223/मुम्ब एन.पी./2003 14-02-2003			टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लि., टोरेंट हाउस, ऑफ आरम रोड, अहमदाबाद-380 008	लंबित

आर, 5 एस)-3 5-डाई हाइड्रोक्सी-हेप्ट-6-इनोयक एसिड) केल्सियम साल्ट				
241. ग्लिमपिराइड के कंबिनेशन्स के लिए प्रक्रिया तथा टेबलेटस के ट्रीटमेंट के लिए थिआजोलीडीन-डाइयन	वोकहार्डट लि., वोकहार्डट टावर्स, बांदरा कुर्ला कंपलेक्स, बांदरा (ई), मुम्बई-400051	106/मुम्ब/2003 29-01-2003	-तदैव-	-तदैव-
242. एंटीडायबुटिक फोर्मुलेशन एंड पद्धति	ब्रिस्टल-माइर्स स्कूयब्ब कंपनी	आई.एन./पी.सी.टी/ 2002/00474/मुम्ब 16-04-2002	-तदैव-	-तदैव-
243. एक एच.एम.जी. रेडक्टेज इन-हिबिटर रखने वाले फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन्स	एस्ट्राजेनिका एबी, एस-15185 सोडरतालजी, स्वीडन	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/00112/मुम्ब 28-01-2002	-तदैव-	-तदैव-
244. हर्मेटिक्ली सील्ड कंप्रेसरों के लिए एक प्लास्टिक सक्सन मफ्फलर	क्रिलोस्कर कोपेलेंड लि. लक्ष्मणराव, क्रिलोस्कर रोड, खाडकी, पूणे-411 003.	336/मुम्ब/2000 09-04-2002	टेक्मसेह प्रोडक्टस इंडिया प्राइवेट लि.	-तदैव-
245. नोवेल कंपोजिशन और प्रयोग	स्मिथक्लाइन बीचाम, पी.एल.सी. (जीबी) 980 ग्रेट वेस्ट रोड ब्रेंटफोर्ड मिडिलसेक्स टी.डब्ल्यू. 89 जी.एस. यू.के.	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/00603/मुम्ब/ 2002 13-05-2002	टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्स लि., टोरेन्ट हाउस, ऑफ आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 008	-तदैव-

1	2	3	4	5	6	7	8
246.	क्रिस्टाल्लीन (+)-(S) क्लोपिडोगरेल हाइड्रोजन सल्फेट के पालीमोर्फ (फार्म-2)	सानोफी-सिंथेलाबो 174, एवेन्यू डी.ई. फ्रांस एफ-75013 पेरिस	391/एम.यू.एम./ 2004/ 16-07-2004	1	14-12-05	टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्स लि., टोरेन्ट हाउस, ऑफ आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 008	-तदैव-
247.	बेंजोजिनिनलीजा-इन्स रखने वाले फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन्स तथा उनके प्रयोक की पद्धति	वोकहार्डट लि. वोकहार्डट टावर्स, बांदरा कुर्ला कंपलेक्स, बांदरा (ई.) मुम्बई-400051	308/एम.यू.एम./ 2002 (27/एम.यू.एम.-डब्ल्यू.टी.ओ./2002 28-03-2002	2	17-03-05	सिपला लिमिटेड 289, बेलासिस रोड, मुम्बई सेंट्रल, मुम्बई-400008	लंबित
248.	फार्मास्यूटिकल का पोलीफार्म	एब्बोट लेबोरेटरिज डी-377, एपी6ए-1,100 एब्बोट पार्क, आई.एल. 60064-6008,, यू.एस.ए.	आईएन/पी.सी.टी./ 2001/00018/ एम.यू.एम. 03-01-2001	2	13-07-05	मै. रेनबेक्सी लेबोरेटरीज लि.	लंबित
249.	क्रिस्टाल्लीन बी.आई.एस.{(ई)-7-{4-(4-फ्लोरोफेनिल) अमिनो} पिरीमिडन-5-वाई.एल.} (3 आर, 5 एस)-3 5-डाई हाइड्रोक्सी-हेप्ट-6-इनोयक एसिड} केल्सियम साल्ट	आस्ट्राजेनेका एबी, एस-15185 सोडरतालजी, स्वीडन	आईएन/पी.सी.टी./ 2001/0758/ एम.यू.एम. 22-06-2001	1	3-1-2006	मै. रेनबेक्सी लेबोरेटरीज लि.	विरोध अस्वीकृत
250.	ए नोवेल कंपोजिट फ्रक्टोकोनिक ग्राइंडिंग रोल	ए.आई.ए. इंजीनियरिंग प्रा. लि., 115, जी.वी. एम.एम. एस्टेट, ओधव	32/एम.यू.एम./ 2002 15-01-2002	1	9-1-2006	मागोट्टेओक्स इंटरनेशनल एस.ए. 115, जी.वी.एम.एस. एस्टेट, ओधन रोड,	लंबित

		रोड, अहमदाबाद-382410				अहमदाबाद-382 410	
251.	एक इर्स्ट एक पद्धति तथा उसी के विनिर्माण के लिए एक माडल्ड	ए.ए. इंजीनियरिंग प्रा. लि. 115, जी.वी.एम.एम. एस्टेट ओघव रोड, अहमदाबाद-382 410	30/एम.यू.एम./ 2002 15-01-2002	1	9-1-2006	–वही–	लंबित
252.	एहाई परकोर्मेंस मिलिंग सिस्टम	ए.ए. इंजीनियरिंग प्रा. लि. 115, जी.वी.एम.एम. एस्टेट ओघव रोड, अहमदाबाद-382 410	354/एम.यू.एम./ 2002 16-04-2002	1	9-1-2006	–वही–	लंबित
253.	ए नोवेल क्रासिंग कपोनेंट तथा उसी के विनिर्माण के लिए प्रक्रिया	ए.ए. इंजीनियरिंग प्रा. लि. 115, जी.वी.एम.एम. एस्टेट ओघव रोड, अहमदाबाद-382 410	31/एम.यू.एम./ 2002 15-01-2002	1	9-1-2006	–वही–	लंबित
254.	थेराप्यूटिक प्रभाव का त्वरित ऑन सेट रखने वाले साइक्लोक्सीजेनेस-2 इहिबिटर कैपोजिशन्स	फार्मासिया कार्पोरेशन पीओ बाक्स 5110, शिकागो, इलिनोयस 60680	आई.एन/पी.सी.टी./ 2001/01055/ एम.यू.एम. 05-09-2001	1	30-01-06	टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्स लि. टोरेन्ट हाउस, ऑफ आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 008	लंबित
255.	एक मेडिकल/ सर्जिकल डिवाइस जो एक वी.एस.डी. आक्यूडूलर ऑफ परक्यूटेनियस, ट्रांसकेथेटर वेंट्रीकुलर सेपटल डिफेक्ट क्लोजर डिवाइस है जिसे मस्कुलर वेट्रीकुलर	फैसल एमकपाडी सी/2 जुहू अपार्टमेंटस, एस.एन. डी.टी. कालेज के पास, जुहू, मुम्बई-400 049	334/एम.यू.एम./ 2002 09-04-2002	1	21-09-06	ए.जी.ए. मेडिका कार्पोरेशन इंडिया	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
	सेपटल के ओकलूजन के लिए डिजाइन किया गया है						
256.	एक मेडिकल/ सर्जिकल डिवाइस जो एक वी.एस.डी. आक्यूडूलर ऑफ परक्यूटेनियस, ट्रांसकेथेटर वेंट्रीकुलर सेपटल डिफेक्ट क्लोजर डिवाइस है जिसे मस्कुलर वेट्रीकुलर सेपटल के ओकलूजन के लिए डिजाइन किया गया है	फैसल एमकपाडी सी/2 जुहू अपार्टमेंटस, एस.एन. डी.टी. कालेज के पास, जुहू, मुम्बई-400 049	335/एम.यू.एम./ 2002 09-04-2002	1	21-09-06	ए.जी.ए. मेडिका कार्पोरेशन इंडिया	लंबित
257.	एक मेडिकल/ सर्जिकल डिवाइस जो परकटेनियस, ट्रांसकेथेटर ओंक्लूजन डिवाइस की एक डक्ट ओक्कलूडर है जिसे पेटेंट डक्टस आर्टिरिपस के नॉन सर्जिकल क्लोजर के लिए बनाया	फैसल एमकपाडी सी/2 जुहू अपार्टमेंटस, एस.एन. डी.टी. कालेज के पास, जुहू, मुम्बई-400 049	336/एम.यू.एम./ 2002 09-04-2002	1	21-09-06	ए.जी.ए. मेडिका कार्पोरेशन इंडिया	लंबित

	गया है। उक्त डिवाइस हर्ट सर्जरी, एन्डोसकोपिक क्लोजर तथा वर्तमान में उपलब्ध अन्य ट्रान्सके थेटर ओक्लूसन डिवाइसेस का विकल्प है।						
258.	एन्जियोटेसिन 2 एंटागोनिस्टल तथा एन्जियोनिस्टस कंवर्टिंग एजाइम इहिबिटर्स का फार्मास्यूटिकल कंबीनेशन	बोहेरिंगर इजेहेय फार्मा केजी बिंगर सट्रासे 173, डी-55216 इंजेलहेम एएमरेहेन	110/एम.यू.एम.एन. पी./2003 24-01-2003	1	14-06-06	मै. ओकासा प्रा. लि., 12, गनबाऊ स्ट्रीट, मुम्बई-400 001	विरोध अनुमत्त
259.	सरट्रालीन हाई-ड्राक्लोराइड फ्री फ्रोम ट्रांसिसोमर एंड डीहालोजनटिड अशुद्धताओं के उत्पादन के लिए लागत प्रभावी प्रक्रिया	वेनबरी लिमिटेड प्लाट सं. 28, फस्ट फ्लोर सेक्टर 19सी, कोपरी रोड, वाशी, नवी मुम्बई	741/एम.यू.एम./2005 22-06-2005	1	10-5-2006	मै. अमोली आर्गेनिक्स लि., 407, दालामल हाउस, जे. बजाज रोड, नरीमन प्वाइंट मुम्बई-400 021	विरोध अस्वीकृत
260.	संरचनात्मक रूप से बेहतर लेटेंट उष्मा भंडारण सामग्री का उत्पादन करने हेतु प्रक्रिया . तथा	अमोल के. कामकर 101, काका कुंज, 1 नेसबिट रोड, मझगांव, मुम्बई-400 010, एम.एस. इंडिया	1183/एम.यू.एम./ 2006 26-07-2006	1	23-11-06	एम.के. टेलीपावर लि., डी.एल.एफ. इंफिनिटी, टावर सी, डी.एल.एफ. साइबर सिटी, फेज-II, गुड़गांव-122 001	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
	उद्देश्य प्रयोग हेतु उनके बेहतर प्रोफाइल से उन्हें एनकेपसुलेटिंग करना						
261.	लौह सुक्रोज के विनिर्माण के लिए तैयारी करने के लिए एक लागत प्रभावी प्रक्रिया	एमक्योर फार्मास्युटिकल लि., आर एंड डी सेंटर-II, 12/2 एफ-II ब्लॉक, एम.आई.डी.सी. पिम्परी, पुणे-411 018.	1298/एम.यू.एम./ 2004 06-12-2004	1		एल्केम लेबोरेटरीज लि., एल्केम हाउस, देवाशीष सेनपति बापट मार्ग, लोवर पारेल, मुम्बई-400 013	लंबित
262.	पीयर्ससेंट फिल्म कोटिंग सिस्टम तथा उनसे कोटेड सबस्ट्रेट्स	बी.पी.एस.आई. होल्डिंग इंक, 1105, नार्थ मार्केट स्ट्रीट, सूट 1450, पी.ओ. बॉक्स 8985, विलमिंगटन, डेलावाडे-10899-8985	786/एम.यू.एम.एन. पी./2005 15-07-2005	1		आइडियल क्योर्स लि., एलीकॉन चैम्बर्स 6 फ्लोर, साकीनाका अंधेरी (ई), मुम्बई-400 072	लंबित
263.	शोर्ट मेसेजिंग तथा सर्विसेज इंटरनेट का प्रयोग करने वाले व्हीकल सेक्यूरिटी	डा. पी. शेखर, जी 1/13 प्रेमज्योत काम्पलेक्स, चैम्बर मानखुर्द लिंक रोड, शिवाजी नगर, गोवांडी, मुम्बई-400 043	287/एम.यू.एम./ 2004 08-03-2004	3	1. 7-6-2006 2. 19-09-06 3. 25-07-06	1.डा. बी.बी. सिंह, डी-7, फेयरलॉन, वी.एन. परव मार्ग, चैम्बर, मुम्बई-400 071 2. श्री कीरत सेठ, 104, शिव इंडस्ट्रीयल स्टेट, मुम्बई-400 012 3. प्रीकॉल लि., 702-7, आबांशी रोड, कोयम्बतूर-641 037 निप्पान ओडियोट्रोनिक्स लि., डी-8, सेक्टर-10, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 01	अस्वीकृत

264.	क्रिस्टाल्लीन फार्मास्युटिकल	एब्बोट लेबोरेटरीज डी-377, ए.पी.6ए-1, 100 एब्बोट पार्क रोड, एब्बोट पार्क आई.एल.-60064-6008, यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/01243/ एम.यू.एम. 11-09-2002	1	26-06-04	दिल्ली नेटवर्क ऑफ पोजीटिव पीपल दिल्ली इंडिया	लंबित
265.	क्रिलोस्टाजोल प्रीपेरेशन	औटसुका फार्मास्युटिकल कं. लि., जापान	आई.एन./पी.सी.टी./ 2001/01152/ एम.यू.एम. 21-09-2001	1	04-03-05	लक्ष्मी कुमारन, बी-6/10, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली-110 029 एच.एम.आई. कुमारन	लंबित
266.	शोर्ट मेसेजिंग तथा सर्विसेज इंटरनेट प्रयोग करने वाले व्हीकल सेडुरिटी	डा.पी. शेखर पदमानथान शेखर, जी-1/3, प्रेमज्योत काम्पलेक्स, चैम्बर-मानखुर्द लिंक रोड शिवाजीनगर	287/एम.यू.एम./ 2004 08-03-2004	3	7-6-2006 19-09-06 25-07-06	1.डा. बी.बी. सिंह, डी-7, फेयरलॉन, वी.एन. परव मार्ग, चैम्बर, मुम्बई-400 071 2. श्री कीरत सेठ, 104, शिव इंडस्ट्रीयल स्टेट, मुम्बई-400 012 3. प्रीकॉल लि., 702-7, आबांशी रोड, कोयम्बतूर-641 037 निप्पान ओडियोट्रोनिक्स लि., डी-8, सेक्टर-10, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 01	लंबित
267.	स्थायी तौर पर स्थापित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कंटेनरों के आटोमोटिव उपयोग हेतु मल्टी फंक्शन वाल्व असेंबली	सहदेव कंवर, मुंबई महाराष्ट्र, भारत	619/एम.यू.एम./ 2005 24-05-2005	1	19-09-06	प्रिकोल लिमिटेड 702-7, अवासी रोड, कोयम्बेटूर-641 037	लंबित
268.	शाकनाशी	यूनाइटेड फाउसफेस	664/एम.यू.एम./	1	25-07-06	निप्पोन, आडियोट्रोनिक्स लिमिटेड	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
	(हर्बीसाइड) संयोजन	लिमिटेड, यूनिफोस हाउस, 11वीं रोड, सी.डी. मार्ग, खार (पश्चिम) मुंबई-400 052, महाराष्ट्र भारत	2004 18-06-2004			डी-8, सेक्टर 10, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 01	
269.	सिलोस्ट्रा जोल तैयार करने की प्रक्रिया	टी.ई.वी.ए. फार्मास्यूटिकल 5 वेसल स्ट्रीट पी.ओ. बाक्स 3190, पेथ टिक्वा	235/एम.यू.एम.एन. पी./2003 17-02-2003	1	05-05-06	रेनबेक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड	लंबित
270.	टेक्सटाइल मशीन, विशेषकर ड्राफ्टिंग डिवाइस से युक्त स्पिनिंग प्रीपेरेशन मशीन	रीटरा इंगोलस्टेड्ट स्पिनरी मस्क, बी.ए.यू.ए.जी.	720/एम.यू.एम./2004 07-06-2004	1	16-06-2006	लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड पेरियानेकेनपल्यम कोयमबेटूर-641 002	लंबित
271.	पालोनोस्ट्रान का तरल फार्मास्युटिकल फार्मुलेशन	हेल्सिन हेल्थकाट्रे एस.ए. पी.ओ. बाक्स 351, सी.एच.-6915 पाम्बोनारोंको स्विटजरलैण्ड	951/एम.यू.एम.एन. पी./2005 25-08-2005	1	15-1-2007	जी.एम. फार्मा लिमिटेड, मुम्बई	लंबित
272.	हर्बल अर्क का अक्सीर तैयार करने की प्रक्रिया	श्री धूतापापेश्वर लिमिटेड 135 नानूभाई देसाई रोड, मुम्बई-400004	5/एम.यू.एम./2005 04-01-2005	1	13-2-2007	मि. के.पी. प्रभाकर मुंबई	लंबित
273.	पालोनोस्ट्रान ट्रीटिंग पोस्ट-आपरेटिव नासीय तथा वोमिटिंग का उपयोग करना	हेल्सिन हेल्थकाट्रे एस.ए. पी.ओ. बाक्स 351, सी.एच.-6915 पाम्बोनारोंको स्विटजरलैण्ड	1024/एम.यू.एम.एन. पी./2005 19-09-2005	1	19-2-2007	जी.एम. फार्मा लिमिटेड, मुम्बई	लंबित
274.	इन ओरल सस्पेंशन	एमक्यूर फार्मास्यूटिकल	206/एम.यू.एम./	1	8-3-2007	सिप्ला लिमिटेड	लंबित

	एच एन्टीरिट्रोबिरल थेरेपी	लिमिटेड, चित्रकूट दूसरा तल, श्रीराम मिल परिसर गनपत राव कदम मार्ग वर्ली, मुम्बई-400 013	2006 14-02-2006			289, वेलासिन रोड, मुंबई सेन्ट्रल, मुंबई-400 008	
275.	क्यूटियापाइन ग्रेन्यूल्स	आस्ट्राजेनिक एबी एस-15185 सोडरतलजे	आई.एन./पी.सी.टी./ 2002/00262/ एम.यू.एम. 04-03-2002	1	8-5-2007	अश्विनी सधु मुंबई	लंबित
276.	नोवेल एग्रीकल्चरल कम्पोजीशन	दीपक प्राणजीवनदास शाह, 501/502, वंदना अपार्टमेंट्स जानकी कुटीर, जुहू चर्च रोड, जुहू, मुंबई	40/एम.यू.एम./2007 08-01-2007	2	15-06-2007	कमल ठक्कर ऑफ जायसिल सल्फर एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज, मुंबई	लंबित
277.	लीनियर फीडिंग सिस्टम	कनेरिया मनोज कुमार वेलजी भाई ए/12, स्वागत अपार्टमेंट, पोस्ट आफिस के पास, डेहगाम रोड, निरोदा, अहमदाबाद-3822330	471/एम.यू.एम./2007 13-03-2007	1	25-06-2007	सोनी पंकज कुमार जयंती लाल मुंबई	लंबित
278.	लीनियर फीडिंग सिस्टम	कनेरिया मनोज कुमार वेलजी भाई ए/12, स्वागत अपार्टमेंट, पोस्ट आफिस के पास, डेहगाम रोड, निरोदा,	663/एम.यू.एम./2006 28-04-2006	1	11-07-2007	सोनी पंकज कुमार जयंती लाल मुंबई	लंबित
279.	सालिड फार्मास्युटिकल डोसेज फोर्म	अबोट लेबोरेटरजी, डिपा, 377 बिल्डिंग एपी 6ए-1, 100 अबोट पार्क रोड, अबोट पार्क, आई.एल. 60064-6008	339/एम.यू.एम.एन. पी./2006 24-03-2006	1	16-8-2007	इनीसिएटिव फॉर मेडीसनूस, एसेस एण्ड नालेज-(1-एम.ए.के.)	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
280.	धूपबत्ती और उसे बनाने की विधि	भुपेन्द्र रतिलाल कावा 2 जय भारत इण्डस्ट्रियल एस्टेट, डिडोसी गांव, विरवानी इण्डस्ट्रियल एस्टेट के सामने, गोरेगांव (पूर्वी) मुम्बई-400 063	792/एम.यू.एम./2005 04-07-2005	1	31-08-2007	ई.बी.सी.ओ. प्रा. लिमिटेड 12, जीनियस एण्ड परिसर, पालघर, थाणे-401 404	लंबित
281.	धूपबत्ती और उसे बनाने की विधि	रामाकान्त राजाराम गायकवाड, ए/22, मिनी लैण्ड, गेट नं. 5, टैंक रोड, भान्दुप (डब्ल्यू.), मुम्बई-400 078	377/एम.यू.एम./2005 30-03-2005	1	03-09-2007	संजय महासाब्दे, सूत्र डिजाइन्स डबलपमेंट तीसरा तल, देवगिरी प्लाट नं.-14, संगम प्रेस के पास, पुणे-411 038	लंबित
282.	धूपबत्ती और उसे बनाने की विधि	भुपेन्द्र रतिलाल कावा 2 जय भारत इण्डस्ट्रियल एस्टेट, डिडोसी गांव, विरवानी इण्डस्ट्रियल एस्टेट के सामने, गोरेगांव (पूर्वी) मुम्बई-400 063	378/एम.यू.एम./2005 30-03-2005	1	03-09-2007	संजय महासाब्दे, सूत्र डिजाइन्स डबलपमेंट तीसरा तल, देवगिरी प्लाट नं.-14, संगम प्रेस के पास, पुणे-411 038	लंबित
283.	धूपबत्ती और उसे बनाने की विधि	भुपेन्द्र रतिलाल कावा 2 जय भारत इण्डस्ट्रियल एस्टेट, डिडोसी गांव, विरवानी इण्डस्ट्रियल एस्टेट के सामने, गोरेगांव (पूर्वी) मुम्बई-400 063	379/एम.यू.एम./2005 30-03-2005	1	03-09-2007	संजय महासाब्दे, सूत्र डिजाइन्स डबलपमेंट तीसरा तल, देवगिरी प्लाट नं.-14, संगम प्रेस के पास, पुणे-411 038	लंबित
284.	धूपबत्ती और उसे बनाने की विधि	भुपेन्द्र रतिलाल कावा 2 जय भारत इण्डस्ट्रियल एस्टेट, डिडोसी गांव, विरवानी इण्डस्ट्रियल	380/एम.यू.एम./2005 30-03-2005	1	03-09-2007	संजय महासाब्दे, सूत्र डिजाइन्स डबलपमेंट तीसरा तल, देवगिरी प्लाट न.-14, संगम प्रेस के पास, पुणे-411 038	लंबित

		एस्टेट के सामने, गोरेगांव (पूर्वी) मुम्बई-400 063					
285.	धूपबत्ती और उसे बनाने की विधि	भुपेन्द्र रतिलाल कावा 2 जय भारत इण्डस्ट्रियल एस्टेट, डिडोसी गांव, विरवानी इण्डस्ट्रियल एस्टेट के सामने, गोरेगांव (पूर्वी) मुम्बई-400 063	381/एम.यू.एम./2005 30-03-2005	1	03-09-2007	संजय महासाब्दे, सूत्र डिजाइन्स डबलपमेंट तीसरा तल, देवगिरी प्लाट नं.-14, संगम प्रेस के पास, पुणे-411 038	लंबित
286.	धूपबत्ती और उसे बनाने की विधि	भुपेन्द्र रतिलाल कावा 2 जय भारत इण्डस्ट्रियल एस्टेट, डिडोसी गांव, विरवानी इण्डस्ट्रियल एस्टेट के सामने, गोरेगांव (पूर्वी) मुम्बई-400 063	382/एम.यू.एम./2005 30-03-2005	1	03-09-2007	संजय महासाब्दे, सूत्र डिजाइन्स डबलपमेंट तीसरा तल, देवगिरी प्लाट नं.-14, संगम प्रेस के पास, पुणे-411 038	लंबित
287.	धूपबत्ती और उसे बनाने की विधि	भुपेन्द्र रतिलाल कावा 2 जय भारत इण्डस्ट्रियल एस्टेट, डिडोसी गांव, विरवानी इण्डस्ट्रियल एस्टेट के सामने, गोरेगांव (पूर्वी) मुम्बई-400 063	383/एम.यू.एम./2005 30-03-2005	1	03-09-2007	संजय महासाब्दे, सूत्र डिजाइन्स डबलपमेंट तीसरा तल, देवगिरी प्लाट नं.-14, संगम प्रेस के पास, पुणे-411 038	लंबित
288.	धूपबत्ती और उसे बनाने की विधि	भुपेन्द्र रतिलाल कावा 2 जय भारत इण्डस्ट्रियल एस्टेट, डिडोसी गांव, विरवानी इण्डस्ट्रियल एस्टेट के सामने, गोरेगांव (पूर्वी) मुम्बई-400 063	384/एम.यू.एम./2005 30-03-2005	1	03-09-2007	संजय महासाब्दे, सूत्र डिजाइन्स डबलपमेंट तीसरा तल, देवगिरी प्लाट नं.-14, संगम प्रेस के पास, पुणे-411 038	लंबित
289.	घिसावट-रोधी धातु पुर्जे तथा उनके विनिर्माण की विधि	ए.आई.ए. इंजीनियरिंग प्रा. लि., 115, जी.वी.एम.एम. एस्टेट ऊधव रोड, अहमदाबाद	276/एम.यू.एम./2005 14-03-2005	1	30-03-2007	मेगोटओक्स इन्टरनेशनल एस.ए. 115, जी.वी.एम.एम. एस्टेट, ऊधव रोड, अहमदाबाद-382 410	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
290.	लेमीनेट्स	बिलकेयर लिमिटेड 1028, सिरोली, राजगुरु नगर (तालुका खंड), पुणे-410 505	825/एम.यू.एम./2005 11-07-2005	1	16-03-2007	एसोसिएटिड केप्सयूल्स प्रा. लिमिटेड	लंबित
291.	एच.एफ.ए. 227 और एफ.एफ.ए. 134ए युक्त भेषजीय/एयरोसोल संयोजन	चेसी फार्मास्यूटिकल्स एस.पी.ए., वाया पालेर्मो, 26/ए, आई-43100 पार्मा	आई.एन./पी.सी.टी./ 2001/00684/ एम.यू.एम. 12-06-2001	1	28-02-2004	सिप्ला लिमिटेड 289, बेलासिस् रोड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008	लंबित
292.	उन्नत उत्सर्जन विशेषताओं वाले डीजल इंजन	कर्लोस्कर कोपलैण्ड लिमिटेड रॉव किर्लोस्कर रोड, खादकी, पुणे-411 003	404/एम.यू.एम./ 2005 01-04-2005	1	30-03-2007	राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन	लंबित
293.	उन्नत उत्सर्जन विशेषताओं वाले डीजल इंजन	कर्लोस्कर कोपलैण्ड लिमिटेड रॉव किर्लोस्कर रोड, खादकी, पुणे-411 003	405/एम.यू.एम./ 2005 01-04-2005	1	29-06-2007	राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन	लंबित
294.	सिंगल सिलिंडर फोर-स्ट्रोक पेट्रोल इंजीन का उन्नत एग्जॉस्ट सिस्टम	बजाज आटो लिमिटेड, अकुर्दी, पुणे-411 035	851/एम.यू.एम./ 2004 06-08-2004	1	22-06-2007	लक्ष्मी कुमारन, बी-6/10, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली-110 029 एच.एम.आई., कुमारन	लंबित
295.	नवीन कृषि संयोजन	दीपक प्राणजीवन दास शाह, 501/502, वंदना अपार्टमेंट्स जानकी कुटीर, जुहु, चर्चा रोड, जुहु, मुंबई	40/एम.यू.एम./2007 08-01-2007	2	9-1-2008	विलास सेठी, 202, इलेकन चेम्बर्स, ऑफ-कुर्ला अंधेरी रोड, अंधेरी (पुर्वी) मुंबई-400 072	लंबित

296.	परिष्कृत फोर्स्ड एयर कूलिंग वाला इंटरनल कबश्चन इंजन	बजाज आटो लिमिटेड, अकुर्दी, पुणे-411 035	40/एम.यू.एम./2006 10-01-2006	1	16-01-2008	टीवी.एस. मोटर कम्पनी जय लक्ष्मी एस्टेट 29, हरोव्स रोड, चेन्नई-600 006	लंबित
297.	स्लाइडिंग विंडो लैच	गोपी कृष्ण दमानी 402, ग्लेन क्लासिक हीरानन्दनी गार्डन, वोवाई, मुंबई-400 076	1047/एम.यू.एम./ 2004 30-09-2004	1	23-01-2008	ई.बी.सी.ओ. प्रा. लिमिटेड 12, जीनेसिस इण्डस्ट्रियल परिसर, पालघार, थाणे-401 404	लंबित
298.	बिजली और भाप उत्पन्न करने हेतु डी कॉयल केक (डी.सी.सी.) का नवप्रयोगात्मक उपयोग	क्लेरिस लाइफ साइसेज लिमिटेड क्लेरिस कारपोरेट मुख्यालय, परिमल क्रासिंग के पास एलीसब्रिज अहमदाबाद-380 006, भारत	1607/एम.यू.एम./ 2007 22-08-2007	1	23-01-2008	जयंत एग्रो आर्मेनिक्स लिमिटेड, अखंडानन्द, 38 मरोल को, इण्डस्ट्रियल एस्टेट के सामने एम.वी. रोड, साकीनॉका, अंधेरी (पूर्व) बजाज आटो लिमिटेड, अकुर्दी, मुंबई-400 059	लंबित
299.	डेक्लोफेनेक तथा इसके भेषजीय दृष्टि से इजेक्शन योग्य उत्पाद बनाना	त्रिकोरा फार्मेसिटिकल्स लिमिटेड, जोधपुर टेकरा, अहमदाबाद-380 015	96/एम.यू.एम./2005 01-02-2005	1	5-2-2008	मै. नियॉन लेबोरटरिज लिमिटेड धामजी श्यामजी इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स, महाकाली केब रोड, अंधेरी, मुंबई-400 093	लंबित
300.	किसी भेषजीय उत्पाद के लिए जरूरत के अनुरूप पैकेजिंग फिल्म बनाने की विधि	बी-1 लिमिटेड, 1028, शीरोली, राजगुरू नगर (तालुका खेद) पुणे-410 505	262/एम.यू.एम./2005 10-03-2005	1	8-2-2008	ऐसोसिएटिड केप्सूल प्राइवेट लिमिटेड	लंबित
301.	गैस से चलने वाले वाहनों के लिए ईंधन आपूर्ति प्रणाली	बजाज ऑटो लिमिटेड अखुडी, पुणे-411 035	1582/एम.यू.एम./ 2005 16-12-2005	1	11-2-2008	टी.वी.एस. मोटर कम्पनी जयलक्ष्मी, स्टेट-29 हडोबस रोड, चेन्नई-600 006	लंबित
302.	आटोमोटिव वाहनों के लिए कंट्रोल स्विच	बजाज ऑटो लिमिटेड अखुडी, पुणे-411 035	48/एम.यू.एम./ 2006 12-01-2006	1	11-2-2008	टी.वी.एस. मोटर कम्पनी जयलक्ष्मी, स्टेट-29 हडोबस रोड, चेन्नई-600 006	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
303.	एक परिष्कृत आंतरिक दहन इंजन	बजाज ऑटो लिमिटेड अखुडी, पुणे-411 035	33/एम.यू.एम./ 2006	1	11-2-2008	टी.वी.एस. मोटर कम्पनी जयलक्ष्मी, स्टेट-29 हडोबस रोड, चेन्नई-600 006	लंबित
304.	परिष्कृत इगनिशन विशेषताओं वाला आंतरिक दहन इंजन	बजाज ऑटो लिमिटेड अखुडी, पुणे-411 035	784/एम.यू.एम./ 2005 01-07-2005	1	29-02-2008	ऐसोसिएटिड केप्सूल प्राइवेट लिमिटेड, प्रभात रोड, जोगेश्वरी-मुम्बई	लंबित
305.	धातुकृत पैकेजिंग ब्लिस्टर कंटेनर	बी-1 लिमिटेड, 1028, शीरोली, राजगुरूनगर (तालुका खेद), पुणे-410 505	1612/एम.यू.एम./ 2005 23-12-2005	1	29-02-2008	ऐसोसिएटिड केप्सूल प्राइवेट लिमिटेड, प्रभात रोड, जोगेश्वरी-मुम्बई	लंबित
306.	एन्टीरेट्रोवायरल के तौर पर एक ओरल सस्पेंशन	एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 12/2 एफ-11, ब्लॉक एम.आई.डी.सी., पिमपरी पुणे-411 018	206/एम.यू.एम./ 2005 24-02-2005	1	27-02-2008	सिप्ला लिमिटेड, 289, बेलैसिस रोड, मुम्बई, सेंट्रल	लंबित
307.	डिटेकीफायर संमाइक्रोनाइज किये गये एंटरिक पॉलीमर वाला एंटरिक फिल्म कोटिंग संयोजन	बी.पी.एस.आई. होल्डिंग इंक 1105 नार्थ मार्किट स्ट्रीट स्यूट, 1450 पी.ओ. बाक्स 8985 बिलमिंगटन डेलावर 19899-8985	689/एम.यू.एम.एन. पी./2007 08-05-2007	1	14-05-08	आइडियल कोर्स लिमिटेड एलिकॉन चेंबर छठा तल, शाकीनाका, अंधेरी इस्ट मुम्बई-400 072	लंबित
308.	प्लास्टिक कंटेनर या बोल जैसे किसी कंटेनर के लिए ढक्कन	मारिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड महाराष्ट्र, भारत	349/बी.ओ.एम./ 1999 10-05-1999	1		हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड 165/166, बेकवे रिक्लेमेशन, मुम्बई-400 020	लंबित

309. क्लोपिडोग्रेल प्रक्रिया के लावण उन्हें बनाने के लिए तथा उनसे युक्त भेषजीय संयोजन तथा चिकित्सा में उनका उपयोग	काडिला हेल्थ केयर लिमिटेड जयुदस टॉवर सेटेलाइट क्रोस रोड अहमदाबाद	413/एम.यू.एम./ 2003 25-04-2003	1	10-7-2008	ग्लोचम इंडस्ट्रिज लिमिटेड 7-2सी 8 एंड बी8/2, आई.ई. सनथ नगर हैदराबाद-500 018	लंबित
310. आटोमोबाइलों के लिए एक उन्नत एयर फिल्टर	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, महिन्द्रा टावर, वर्ली मुम्बई-400 018	752/एम.यू.एम./2004 14-07-2004	1	21-07-2008	एम.एन. रमा रॉव एण्ड कम्पनी इण्डिया	लंबित
311. भेषज का पॉलीमार्फ	अबेट लेबोरटरिज डी-377, ए.पी. 6ए-1, 100, अबोट पार्क रोड अबोट पार्क, आई.एल.-60064-6008, यू.एस.ए.	आई.एन./पी.सी.टी./ 2001/00018/ एम.यू.एम. 03-01-2001	1	23-07-08	सिपला लिमिटेड, 289, बेलेसिस रोड, मुम्बई सेंट्रल, मुम्बई-400 008	लंबित
312. एक ट्रांस एलेथिन के विनिर्माण की प्रक्रिया	शोगुन ओरगनाइज लिमिटेड 504, स्मारथ वैभव, लोखण्डवाला कोम्पलेक्स के सामने, लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट (पश्चिम)	897/एम.यू.एम./ 2007 10-05-2007	1	5-9-2008	लाल साहब सिंह फ्लैट सं.-304, बिल्डिंग सी.आई., सेक्टर-7, शान्ति नगर, मीरा रोड, महाराष्ट्र-401 107	लंबित
313. एक नवीन सिनर्जिस्टिक कवकनाशी उत्पाद	दीपक प्राणजीवन दास शाह 501/502, बन्दना अपार्टमेंट, जानकी कुटीर, जुहु चर्च रोड, जुहु, मुम्बई-400 049	378/एम.यू.एम./2004 26-03-2004	1	9-9-2008	विलास शेट्टी, 202, एलकोन चेम्बर, के सामने कराला अंधेरी रोड अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई मुम्बई-400 072	लंबित

1	2	3	4	5	6	7	8
314.	एक नवीन भेषजीय खुराक स्वरूप और उसके विनिर्माण की प्रक्रिया	अंकुर ड्रग्स एण्ड फार्म लिमिटेड सी-306, क्रेस्ट्रल प्लाजा, अंधेरी लिंक रोड, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई-400 053	87/एम.यू.एम./2007 16-01-2007	1	10-9-2008	ऐरो क्योटिड परोडक्स लिमिटेड 5-डी, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल स्टेट-न्यू लिंक रोड, अंधेरी (वेस्ट) मुम्बई-400 053	लंबित
315.	प्रेलेथ्रीन के विनिर्माण की प्रक्रिया	शोगुन ओर्गेनाइज लिमिटेड 504, स्मारथ वैभव, लोखण्डवाला कोम्पलेक्स के सामने, लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट (पश्चिम) मुम्बई-400 053, महाराष्ट्र, भारत	24/एम.यू.एम./2008 03-01-2008	1	15-9-2008	लाल साहब सिंह फ्लैट सं.-304, बिल्डिंग सी.आई., सेक्टर-7, शान्ति नगर, मीरा रोड, महाराष्ट्र-401 107	लंबित
316.	छेड़छाड़ न की जा सकने वाली सील	अतुलभाई नरसीभाई पटेल 266/3, जी.आई.डी.सी. फेस-2, मधावन सिटी, ज़िला-सुरेन्दर नगर	1663/एम.यू.एम./2007 30-08-2007	1	20-10-08	पटेल मुकेशभाई लक्ष्मीदासभाई 18, दिव्य विजय, बजरंग आश्रम, कृष्णा नगर, साइजपुर बुध, अहमदाबाद-380 025	लंबित
317.	गैस से चलने वाले वाहनों के लिए ईंधन आपूर्ति प्रणालियां	बजाज ऑटो लिमिटेड अखुडी, पुणे-411 035	1582/एम.यू.एम./2005 16-12-2005	1	2-11-2008	टी.वी.एस. मोटर कम्पनी, जयलक्ष्मी स्टेट-29, हदोस रोड, चैन्नई-600 006	लंबित
318.	आटोमोटिव वाहनों के लिए कंट्रोल स्विच	बजाज ऑटो लिमिटेड अखुडी, पुणे-411 035	48/एम.यू.एम./2006 12-01-2006	1	2-11-2008	टी.वी.एस. मोटर कम्पनी, जयलक्ष्मी स्टेट-29, हदोस रोड, चैन्नई-600 006	लंबित
319.	एक उन्नत आंतरिक दहन इंजन	बजाज ऑटो लिमिटेड अखुडी, पुणे-411 035	33/एम.यू.एम./2006 10-01-2006	1	2-11-2008	टी.वी.एस. मोटर कम्पनी, जयलक्ष्मी स्टेट-29, हदोस रोड, चैन्नई-600 006	लंबित

320.	परिष्कृत इगनिशन विशेषताओं वाला आंतरिक दहन इंजन	बजाज ऑटो लिमिटेड अखुडी, पुणे-411 035	784/एम.यू.एम./ 2005 07-01-2005	1	2-11-2008	टी.वी.एस. मोटर कम्पनी, जयलक्ष्मी स्टेट-29, हदोस रोड, चैन्नई-600 006	लंबित
321.	केवल 94 संकेताक्षरों वाली देवनागरी लिपि/ फोन्ट	जोशी शशिकान्त विठल एटी-टाईप 5-बी.टी.ए. पी.एस., कलोनी, पोस्ट ऑफिस टी.ए. पी.पी.- 401 504 जिला-थाणे	339/एम.यू.एम./ 2006 03-09-2006	1	13-08-2008	श्रेयस जयसीमा सी/ओ माक, इंक नं. 9, द्वितीय-मेन-रोड वयालिकवल बैंगलोर-560 003	लंबित
प्राप्त हुए प्री-ग्राण्ट ओपोजीनन्स की कुल संख्या				390			

"कट-फ्लावर्स" के निर्यात के लिए "मार्केट फेसिलिटेशन सेंटर्स"

3389. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न देशों में "कट-फ्लावर्स" के निर्यात के लिए "मार्केट फेसिलिटेशन सेंटर्स" स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन देशों में देशवार कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में विभिन्न देशों में और ज्यादा ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा एम्सटरडम, नीदरलैंड में अक्तूबर, 2001 में एक बाजार सुविधा केन्द्र (एम.एफ.सी.) की स्थापना की गयी थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.एफ.सी. द्वारा सुविधा प्राप्त ताजे टहनीयुक्त फूलों के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

मात्रा (टहनियों की संख्या हजार में)

2005-06	2006-07	2007-08
13259	14200	14069

(स्रोत: एपीडा)

चालू वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कोई राजस्व सृजित नहीं हुआ था क्योंकि एम.एफ.सी. की सेवाएं एक संवर्धनात्मक उपाय के रूप में निःशुल्क प्रदान की गई थीं। केंद्र को बन्द कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार संगठन

3390. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य मंत्री ने विश्व व्यापार संगठन सहित विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए इस वर्ष जून में अमेरिका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम रहे तथा वार्ता के परिणामस्वरूप किए गए समझौता ज्ञापनों और हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी हां। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ताओं के दोहा दौर के प्रमुख मुद्दों विशेष रूप से 19 मई, 2008 को जारी किए गए कृषि एवं गैर-कृषि बाजार पहुंच (एन.ए.एम.ए.) के पाठों के मसौदे पर सामान्य विचार विमर्श करने और डब्ल्यू.टी.ओ. पाठों के अति महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में मतभेदों को सुलझाने तथा एक दूसरे की वैचारिक स्थिति को समझने के लिए संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू.एस.टी.आर.) और यू.एस. ट्रेजरी सेक्रेटरी से मुलाकात करने हेतु जून, 2008 में वाशिंगटन का दौरा किया था।

[हिन्दी]

सूचना देने वालों को अवार्ड देना

3391. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में हुए बम धमाकों के दौरान इंडिया गेट और रीगल बिल्डिंग के पास छुपाकर रखे गए बमों की सूचना देने वाले नागरिकों को कोई अवार्ड देने की घोषणा की है;

(ख) क्या बम निरोधक दस्ते के पुलिसकर्मियों के लिए भी अवार्ड की घोषणा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी):

(क) दिल्ली में इंडिया गेट और रीगल बिल्डिंग के पास बम रखे होने की सूचना देने वाले दो लोगों को रिवार्ड दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

विज्ञान प्रयोगशालाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता

3392. **श्री सुभाष महरिया:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान को हाल ही में विज्ञान प्रयोगशालाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान कितनी राशि दी गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राजस्थान में विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थानों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के विकास सहित अनुसंधान अवसंरचना में सुधार हेतु लगभग 700 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करायी है। विगत दो वर्षों के दौरान मुहैया करायी गयी धनराशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्वविद्यालय/संस्थान/ कालेज का नाम	विभाग का नाम	स्वीकृत/अनुशंसित धनराशि (लाख रुपये)
1	2	3
वर्ष (2006-07)		
राजकीय डूंगर कालेज	• वनस्पति विज्ञान	20
	• पृथ्वी विज्ञान	15
राजकीय कालेज, कोटा	• रसायन विज्ञान	60
एम.एल.वी. कालेज, भीलवाड़ा	• रसायन विज्ञान	27
वर्ष (2007-08)		
सेठ ज्ञानीराम बंसीधर कालेज, झुनझुनू	• रसायन विज्ञान	40
एस.डी. कालेज, ब्यावर	• रसायन विज्ञान	40
एम.एस.जे. कालेज, भरतपुर	• रसायन विज्ञान	33
राजस्थान विश्वविद्यालय	• भूगोल	65
राजकीय डूंगर कालेज, बीकानेर	• प्राणी विज्ञान	28
	• भू-विज्ञान	60
एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	• प्राणी विज्ञान	27

1	2	3
जे.एन.वी. विश्वविद्यालय, जोधपुर	• वनस्पति विज्ञान	55
	• रसायन विज्ञान (आर)	90
राजकीय कालेज, अजमेर	• भौतिक विज्ञान	48
	• गणित विज्ञान	13
राजकीय कालेज, सिरोही	• रसायन विज्ञान	45
राजकीय कालेज, टोंक	• रसायन विज्ञान	45

2006-07 और 2007-08 में कुल सहायता

वर्ष	संस्थानों की संख्या	विभागों की संख्या	कुल सहायता (लाख रुपये)
2006-07	3	4	122.00
2007-08	10	13	589.00

[अनुवाद]

प्रतिबंधित कीटनाशकों और बीजों का आयात

3393. श्री रनेन बर्मन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका और यूरोप स्थित कतिपय कृषि रसायन कंपनियों ने कीटनाशकों और बीजों जैसे अपने उन उत्पादों का निर्यात किया है जो उनके अपने देशों में प्रतिबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय बाजार में ऐसे उत्पादों को अनुमति देने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुलिस कार्मिकों द्वारा फर्जी मुकदमा बनाना

3394. श्रीमती के. रानी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में न्यायालय के निर्णयों सहित पुलिस कार्मिकों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी मुकदमें बनाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामले दायर करने के लिए जिलेवार पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध राज्यवार की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शामिल व्यक्ति के अनुरोध पर या न्यायालय के निदेश पर मामले के सही तथ्यों का पता लगाने के लिए ऐसे पुलिस कार्मिकों का पालीग्राफ तथा नारको परीक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा

इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत पुलिस राज्य का विषय है। इस कारण इनका ब्यौरा केन्द्रीय रूप से संग्रति अथवा अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है।

(घ) से (च) अभियुक्त व्यक्तियों पर ऐसे टेस्ट न्यायालयों के निदेश पर, यह ध्यान दिए बिना कि वे पुलिस कार्मिक हैं अथवा सिविलियन हैं, किये जाते हैं।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का संवर्धन

3395. श्री नवीन जिन्दल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत तथा विदेश से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई पुनरीक्षा/अध्ययन कराया गया है कि इन उपायों से भारतीय उद्योग किस सीमा तक लाभान्वित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सरकार ने भारत और विदेशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में प्रौद्योगिकी अंतरण से युक्त 100% तक एफ.डी.आई. के स्वतः अनुमोदन की अनुमति प्रदान करते हुए विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग (एफ.डी.आई.) नीति को अनेक क्षेत्रों में उदार बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, औषध एवं भेषज, जैव-प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, आटोमोबाइल आदि के क्षेत्रों में भारत में विदेशी अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की संस्थापना की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का सरलीकरण हुआ है। भारत ने रसायनों, औषधियों और आहार के क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था को लागू करके विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के व्यापार संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार (टी.आर.आई.पी.) करार का अनुपालन किया है, इससे भी ट्रांस-नेशनल निगमों द्वारा भारत को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का सरलीकरण हुआ है। हाल ही में, यू.एस. के साथ अग्रणी 123 करार पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय परमाणु करार के प्रचालन में आने से नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कई द्विपक्षीय करार किए हैं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संवर्धन के लिए अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकीय शुरुआत की हैं। इसके अलावा, सरकार का एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और अर्जन के विभिन्न मामलों जैसे प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, कीमत निर्धारण आदि के संबंध में प्रलेखन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

जहां तक भारत से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संवर्धन का संबंध है, सरकार का प्रौद्योगिकी निर्यात के संवर्धन का एक कार्यक्रम है, जिसमें निर्यात की जा सकने वाली प्रौद्योगिकियों का समेकन किया जाता है और चुने क्षेत्रों में भारत के प्रौद्योगिकीय विकास के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाती है, अपनी प्रौद्योगिकियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शन कक्ष में प्रदर्शन के लिए उद्योग का सरलीकरण किया जाता है और प्रौद्योगिकी निर्यात नीति के निर्माण के लिए उद्योग में आविष्कारों के लिए परामर्शदाताओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

(ख) और (ग) इन उपायों से भारतीय उद्योग किस सीमा तक लाभान्वित हुआ है, इस बात का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई पुनरीक्षा/अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा रखे जा रहे एफ.डी.आई. सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार भारतीय उद्योग और समुद्रपारिय देशों के उद्योगों के बीच विदेशी तकनीकी सहयोगों (एफ.टी.सी. अनुमोदन) की अनुमोदित संख्या 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में क्रमशः 83, 81 और 95 थी। विश्व बैंक के नवीनतम उपलब्ध सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2005 और 2006 के दौरान क्रमशः रायल्टी और लाइसेंस शुल्क (प्रौद्योगिकी आयातों के लिए किया गया निहित भुगतान) के लिए भारत द्वारा यू.एस. डालर 421 मिलियन और यू.एस. डालर 949 मिलियन का भुगतान किया गया था और रायल्टी और लाइसेंस शुल्क (प्रौद्योगिकीय निर्यातों के लिए निहित प्राप्तियां) के लिए भारत की प्राप्तियाँ यू.एस. डालर 25 मिलियन और यू.एस. डालर112 मिलियन थी।

पुरस्कार राशि का भुगतान न किया जाना

3396. श्री हरिन पाठक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम का एक कर्मचारी जिसने बस से एक जिन्दा बम बाहर फेंक कर साठ लोगों के जीवन की रक्षा की थी उसे पुरस्कार राशि प्राप्त नहीं हुई है जैसाकि दिनांक 16 सितम्बर, 2008 के द टाईम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है साथ ही उक्त व्यक्ति को प्रदान की जा रही/प्रदान करने हेतु प्रस्तावित अन्य सुविधाएं कौन सी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा अलग से किसी क्षतिपूर्ति की घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि, दिल्ली नगर निगम (डी.टी.सी.) के ड्राइवर श्री कुलदीप सिंह को निम्नलिखित लाभों/भुगतानों की अदाएगी की गई:-

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 1.00 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की।

(ii) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 2.00 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया।

(iii) श्री कुलदीप सिंह, जो कि पहले निजी एजेंसी से लिया गया एक बाहरी ड्राइवर था, को इस घटना के बाद किसी परिवहन निगम में वाहन निरीक्षक के रूप में स्थायी नौकरी दी गयी थी।

(iv) एक विशेष मामले के रूप में, पारी से अलग के आधार पर डी.टी.सी. कालोनी, शादीपुर, नई दिल्ली में उन्हें एक आवास भी आबंटित किया गया है।

(v) वह डी.टी.सी. में उपलब्ध चिकित्सा योजना के अनुसार चिकित्सा संविधाएं भी प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) उन्हें आंख के इलाज के लिए डी.टी.सी. द्वारा 63,483/- रु. की धनराशि प्रदान की गई है।

(vii) उन्हें डिजीटल हियरिंग ऐड प्रदान किए जाने के लिएं मैसर्स पंजाब ऑप्टीकल हाऊस, द्वारका, नई दिल्ली को डी.टी.सी. द्वारा 28,500/- रु. की धनराशि भी प्रदान की गई है।

सिंगापुर के साथ व्यापार

3397. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सिंगापुर से आयात तथा निर्यात किए जा रहे वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी राशि शामिल है;

(ख) क्या भारत तथा सिंगापुर के बीच अन्य वस्तुओं के आयात/निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आयात/निर्यात में वृद्धि करने के लिए सिंगापुर सरकार की भागीदारी हेतु अनुरोध करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वर्ष 2007-08 के दौरान सिंगापुर से भारत में हुए आयातों का मूल्य 3,268,217.73 लाख रु. रहा है। इसी अवधि के दौरान भारत से सिंगापुर को हुए निर्यातों का मूल्य 2,966,223.26 लाख रु. रहा। आयात एवं निर्यात की मदों का ब्यौरा http://commerce.nic.in/eidb/ecntcomq.asp पर उपलब्ध है।

(ख) से (ङ) भारत और सिंगापुर के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी.ई.सी.ए.) पर दिनांक 29 जून, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो दिनांक 1 अगस्त, 2005 से लागू हुआ था। वस्तु व्यापार संबंधी अध्याय के भीतर टैरिफ उदारीकरण पैकेज में आगे और विस्तार करने के लिए भारत और सिंगापुर ने भारत-सिंगापुर सी.ई.सी.ए. में संशोधन करने के लिए दिनांक 20-12-2007 को एक नयाचार पर हस्ताक्षर किए हैं। करार का ब्यौरा www.commerce.nic.in/trade/international_ta_framework_ceca.asp पर उपलब्ध है।

खनन कंपनियां

3398. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत परिचालित विभिन्न खनन कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये खनन कंपनियां सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों तथा विनियमों के अनुसार कार्य कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या इन कंपनियों द्वारा पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु सुरक्षोपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यों में प्रमुख खनिजों (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, लिग्नाइट और भराई हेतु बालू तथा परमाणु खनिजों को छोड़कर) की कार्यरत खानों की क्षेत्रवार संख्या का सारांश संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) आई.बी.एम. की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008-2009 (नवम्बर, 2008 तक) के दौरान खनिज संरक्षण और विकास नियमावली (एम.सी.डी.आर.) के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में इंगित किए गए एवं सुधारे गए मामलों और दायर किए गए मुकदमों आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) खनन प्रचालन पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियों के अध्यधीन रहते हैं जिनके लिए पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सांविधिक उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

विवरण-I

वर्ष 2007-2008 के दौरान राज्यों में प्रमुख खनिजों (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, लिग्नाइट और भराई हेतु बालू तथा परमाणु खनिजों को छोड़कर) की कार्यरत खानों की क्षेत्रवार संख्या का सारांश

क्र. सं.	राज्य का नाम	खानों की संख्या		कुल
		निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	302	18	320
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	2	2	4
4.	बिहार	6	0	6
5.	छत्तीसगढ़	73	12	85
6.	दिल्ली	0	0	0
7.	गोवा	76	0	76
8.	गुजरात	413	11	424
9.	हरियाणा	0	0	0

1	2	3	4	5
10.	हिमाचल प्रदेश	24	2	26
11.	जम्मू-कश्मीर	1	3	4
12.	झारखंड	104	15	119
13.	कर्नाटक	194	24	218
14.	केरल	20	7	27
15.	मध्य प्रदेश	227	18	245
16.	महाराष्ट्र	79	17	96
17.	मेघालय	6	4	10
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	मणिपुर	0	0	0
20.	नागालैण्ड	0	0	0
21.	उड़ीसा	166	34	200
22.	पंजाब	0	0	0
23.	राजस्थान	181	24	205
24.	सिक्किम	0	0	0
25.	तमिलनाडु	140	13	153
26.	त्रिपुरा	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	20	1	21
28.	उत्तराखंड	34	1	35
29.	पश्चिम बंगाल	8	3	11
	कुल	2076	209	2285

विवरण-II

एम.सी.डी.आर., 1988 के अनुपालन संबंधी सूचना

वर्ष	निरीक्षित खानों की संख्या	इंगित किए गए उल्लंघनों की संख्या	सुधारे गए उल्लंघनों की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या	कारण बताओ नोटिस के जारी होने के बाद सुधारे गए उल्लंघनों की संख्या	चलाए गए अभियोजनों की संख्या	उन अभियोजनों की संख्या जिनमें समझौता हुआ	प्राप्त हुई समझौते की फीस (रुपए)	निर्णीत अभियोजनों की संख्या	प्राप्त जुर्माना (रुपए)
2008-2009 (नवम्बर, 2008 तक)	1550	1146	622	240	216	40	14	88000	12	38800

[हिन्दी]

आन लाइन अभिगम कार्यक्रम

3399. श्री राकेश सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंजीनियरिंग तथा विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कोई आन लाइन अभिगम कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पाठ्यचर्या आधारित वीडियो पाठ्यक्रम तथा वेब आधारित ई-पाठ्यक्रम के विकास के माध्यम से देश में गुणवत्तापरक इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम (एन.पी.टी.ई.एल.) शुरू किया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में दिनांक 3 सितम्बर, 2006 से इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा अनुरक्षित वेबसाइट http://nptel.iitm.ac.in के माध्यम से भारत तथा विदेश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वर्तमान में इसकी विषयवस्तु उपलब्ध कराई जाती है। 140 से ज्यादा देशों से छात्रों/शिक्षकों/कार्यकारी पेशेवरों की एक बड़ी संख्या ने मुफ्त पहुंच हेतु इस साइट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। देश में एकलव्य चैनल के माध्यम से वर्तमान में वीडियो लेक्चर प्रसारित किए जा रहे हैं तथा करीब 50 इंजीनियरिंग संस्थाओं ने अपने परिसर में सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटिना से युक्त अपना रिसीवर स्थापित कर लिया है।

[अनुवाद]

संसद पर हुए हमले में अशोक चक्र विजेताओं के परिवारों को सुविधाएं

3400. श्रीमती निवेदिता माने: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद भवन में हुए आतंकी हमले के मामले में अशोक चक्र से सम्मानित व्यक्तियों के परिवारों तथा निकटतम रिश्तेदारों को सभी पात्रता सुविधाएं प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इन पुरस्कार पाने वाले लोगों के परिवारों को दी गई/प्रस्ताव सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त सुविधाएं प्रदान करने में कोई विलंब हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किए जाने से संबंधित कार्य रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। अशोक चक्र से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में अनुमेय मासिक मौद्रिक भत्ता जहां संसद पर हुए आतंकी हमले के मामले में अशोक चक्र से सम्मानित व्यक्तियों के निकट संबंधियों के लिए मंजूर कर दिया गया है वहीं अन्य सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी संबंधित मंत्रालयों से एकत्रित की जा रही है उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को मतदाता पहचान-पत्र जारी करना

3401. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री किरिप चालिहा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में मतदाता पहचान-पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):

(क) से (ग) बांग्लादेश से आए कुछ अवैध अप्रवासियों द्वारा धोखाधड़ी पूर्ण साधनों के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र प्राप्त किए जाने के कुछ दृष्टांतों की सूचना मिली है। जब कभी ऐसे दृष्टांतों का पता चलता है, संबंधित राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन मतदाता पहचान पत्र रद्द करने के अतिरिक्त कानून के अनुसार अवैध अप्रवासियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई भी करते हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में सीमेंट उद्योग हेतु उत्पाद शुल्क छूट

3402. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पाद शुल्क में छूट के कारण पूर्वोत्तर में सीमेंट उद्योग में निवेश हेतु बड़ी संख्या में निवेशकों ने रूचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार इस प्रोत्साहन को समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों विशेषतः मेघालय में चूना पत्थर तथा कोयला का भारी भण्डार है जिसे बिना किसी मूल्य संवर्धन के बांग्लादेश को निर्यात किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल, 2007 से नवम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान सीमेंट आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 29 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किये गये हैं:-

राज्य	संख्या	निवेश (करोड़ रुपये)	रोजगार
असम	11	800	10839
मेघालय	14	4045	10129
सिक्किम	04	31	4845

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय में चूना पत्थर तथा कोयला के सबसे अधिक भंडार हैं जिन्हें साख पत्र (एल.सी.) के आधार पर निर्यातकों द्वारा घोषित मूल्य के अनुसार बांग्लादेश को निर्यात किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये चूना पत्थर तथा कोयले की मात्रा तथा अन्तर्ग्रस्त मूल्य निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	चूना पत्थर		कोयला	
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)	कोयला (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
2006-07	1135667.100	31.78	1254777.334	249.58
2007-08	972738.000	28.01	1292112.835	241.00
2008-09 (नवम्बर तक)	1550907.000	54.76	656898.800	290.45

निर्यात की गई वस्तुएं कच्चे माल के रूप में हैं और आगे बिना किसी प्रसंस्करण के हैं।

बालू के अवैध खनन के प्रभाव

3403. श्रीमती मेनका गांधी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर के रामनगर जिला में कावेरी नदी से बालू के अवैध खनन के कारण संकटापन्न प्रजाति के रूप में वर्गीकृत डेक्कन महासीर को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, रामनगर जिला जहां कावेरी नदी बह रही है, के क्षेत्रों में बालू खनन गतिविधियों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

मुस्लिम लड़कियों को प्रशिक्षण

3404. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में मुस्लिम लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण देने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या लड़कियों को अपने कौशल उपयोग हेतु सक्षम बनाने के लिए बुनियादी उपस्कर दिये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त योजना का वित्तपोषण किस प्रकार किया जाएगा;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत सरकारी-निजी भागीदारी का प्रस्ताव है; और

(च) क्या इस योजना का विस्तार अन्य राज्यों के लिए भी किये जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सहयोग से हुनर परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में बिहार राज्य में शैक्षिक वर्ष 2008-09 के दौरान 11-16 वर्ष के आयु वर्ग की 13500 से अधिक मुस्लिम बालिकाओं के लक्षित समूह हेतु सात चुनिंदा दक्षता आधारित पाठ्यक्रमों में निःशुल्क कौशल विकास तथा प्रशिक्षण की अभिकल्पना की गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास तथा प्रशिक्षण हेतु लागत के लिए अब तक 1.82 करोड़ रु. जारी किए हैं।

(ग) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने बिहार में लक्षित समूह को कौशल विकास तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यापित एजेंसियों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। हुनर परियोजना के अंतर्गत इन प्रत्यापित एजेंसियों को इन बालिकाओं को उन ट्रेडों जिनके लिए उन्हें नामांकित किया गया है में व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक उपस्कर, कच्चामाल आदि उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के बिहार में प्रमुख मुस्लिम सामाजिक-धार्मिक शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित किया है जिनमें अन्य के बीच इमारत-ए-शरिया, इदारे-शरिया तथा रहमनी फाउंडेशन शामिल है तथा वह उनकी सेवाओं, मदरसों, मकतबों तथा अन्य संगठनों के नेटवर्क का उपयोग कर रहा है।

(ङ) इस परियोजना हेतु कार्यान्वयन तथा सुपर्दगी तंत्र समुदाय आधारित हैं।

(च) परियोजना 'प्रायोगिक' है तथा इसमें विस्तार की गुंजाइश के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता।

नार्को परीक्षण की प्रमाणिकता

3405. श्री रेवती रमन सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नार्को विश्लेषण का वैज्ञानिक आधार अप्रचलित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परीक्षण किये जाने के तरीके संतोषजनक नहीं है और इसके दुष्प्रभाव घातक नहीं तो खतरनाक जरूर सिद्ध हो सकते है; और

(ग) यदि हां, तो इन परीक्षणों पर कब तक प्रतिबंध लगाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) आपराधिक मामलों में नार्को विश्लेषण टेस्ट की जांच हथियार के रूप में इसकी संपूर्णता की संवैधानिकता को भारत के उच्चतम न्यायालय में सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में वर्ष 2004 की आपराधिक अपील संख्या 1267 के माध्यम से चुनौती दी गई है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी कोई निर्णय नहीं सुनाया है।

भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन

3406. श्री विजय कृष्ण: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खतरनाक तथा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई दुर्घटनाओं से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों को और कठोर बनाए जाने के लिए उनमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों के पीड़ितों के परिवारों को कोई मुआवजा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित हुए व्यक्ति मुआवजे का दावा या तो "आदोष सिद्धान्त" के आधार पर संरचनात्मक मुआवजा नियम के तहत ले सकते हैं या फिर अधिक मुआवजे की राशि के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पास जा सकते हैं। मारकर भागने (मृत्यु) के मामले में सड़क दुर्घटना में पीड़ित हुए व्यक्ति के परिवार द्वारा पच्चीस हजार रुपए का दावा किया जा सकता है।

झारखण्ड में घाटकुरी खान

3407. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घाटकुरी खनिज भण्डारों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित करते हुए कोई अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिसूचना के अनुसार घाटकुरी में लौह अयस्क या अन्य खनिज भण्डारों के इष्टतम उपयोग तथा दोहन को निजी कम्पनियों के लिए नहीं खोला जाएगा;

(घ) यदि हां, तो घाटकुरी खानों का खनन पट्टा/भावी लाइसेंस प्रदान करने/प्रदान करने का प्रस्ताव करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि झारखण्ड राज्य सरकार ने राज्य में खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग तथा दोहन के लिए घाटकुरी लौह अयस्क भंडार का एक भाग आवंटन हेतु आरक्षित किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वीजा धोखाधड़ी के मामले

3408. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वीजा और पारपत्र जारी करने में हेरा-फेरी के संबंध में शिकायतें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कई विदेशी देश में अवैध रूप से घुस गये हैं;

(ग) क्या राजस्थान सीमा तथा अन्य राज्यों में 29 से भी अधिक ऐसे मामलों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) किसी भी विदेशी को आप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा देश में घुसने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक कि उसके पास वैध वीजा सहित वैध यात्रा दस्तावेज न हों। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 (जून तक) में

राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के अंतर्गत पड़ने वाले मुनाबाओ आप्रवासन सीमा चौकी पर जाली यात्रा दस्तावेजों के 108 मामलों का पता चला था।

(घ) वीजाओं सहित यात्रा दस्तावेजों की प्रमाणिकता निर्धारित करने तथा जालीपन का पता लगाने के लिए देश के समस्त आप्रवासन सीमा चौकियों को मिलान करने हेतु यात्रा दस्तावेजों की नमूना प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। संभावित छेड़छाड़ का पता लगाने के लिए उन्हें पराबैंगनी लैम्पें/आवर्धक शीशे भी प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, समस्त आप्रवासन सीमा चौकियों पर पासपोर्ट रीडिंग मशीनों तथा क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट एक्जामिनर को भी लगाया गया है। इन सबसे अलग, समस्त आप्रवासन सीमा चौकियों के आप्रवासन काऊन्टरों पर बैठने वाले अधिकारियों को जाली/नकली यात्रा दस्तावेजों का पता लगाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

एफ.डी.ए. से धनराशि

3409. श्री अनन्त नायक: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रेंच डेवलपमेंट एजेन्सी (एफ.डी.ए.) कुछ भारतीय कंपनियों का उनकी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा एफ.डी.ए. से निधियां प्राप्त कर रही कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) उनके द्वारा कुल कितनी धनराशि प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) फ्रेंच डेवलपमेंट एजेन्सी (एफ.डी.ए.) द्वारा भारतीय कंपनियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। यद्यपि, भारत सरकार ने भारत-फ्रांस विकास सहयोग के तहत आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डी.ए.) के लिए दिनांक 29 सितंबर, 2008 को एजेंसी फ्रेंकेज डी.आर. डेवलपमेंट (फ्रेंच डेवलपमेंट एजेन्सी, ए.एफ.डी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एस.ई.जेड.

3410. श्री दुष्यंत सिंह:

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों विशेषत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में ऐसे कितने एस.ई.जेड. की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्तमान में किन-किन राज्यों में प्रस्ताव लम्बित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) आई.टी./आई.टी.ई.एस. हेतु विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड.) सहित एस.ई.जेडों की स्थापना के लिए प्रस्ताव एस.ई.जेड. अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा गठित अनुमोदन बोर्ड (बी.ओ.ए.) के विचारार्थ राज्य सरकारों द्वारा भेजे जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित जोनों सहित विशेष आर्थिक जोनों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार वितरण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

आई.टी./आई.टी.ई.एस./इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एस.ई.जेडों की राज्य-वार सूची

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	अधिसूचित एस.ई.जेड.	लंबित प्रस्ताव
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	57	41	18

1	2	3	4
चंडीगढ़	2	2	1
छत्तीसगढ़	1	–	–
दादरा और नगर हवेली	1	–	–
दिल्ली	2	1	3
गोवा	2	1	2
गुजरात	16	7	6
हरियाणा	34	19	23
कर्नाटक	38	16	14
केरल	11	4	6
मध्य प्रदेश	11	3	4
महाराष्ट्र	53	23	31
उड़ीसा	4	2	–
पंजाब	6	1	1
राजस्थान	4	3	–
तमिलनाडु	43	32	11
उत्तराखंड	2	2	–
उत्तर प्रदेश	25	13	13
पश्चिम बंगाल	20	8	10
कुल	332	178	143

[हिन्दी]

गेहूं आयात घोटाला

3411. श्री संतोष गंगवार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों की संलिप्तता वाले गेहूं आयात घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उक्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) शुरुआती जांच के आधार पर सी.बी.आई. ने इन आरोपों के संबंध में एक नियमित मामला दर्ज किया

कि मंत्रिमंडल सचिवालय, खाद्य विभाग, एस.टी.सी., एफ.सी.आई. के कुछेक अधिकारियों ने आपस में सांठगांठ की और उसी सांठगांठ के चलते वर्ष 1998 के दौरान ऑस्ट्रेलियाई गेहूं बोर्ड से 2 मिलियन मी. टन गेहूं की खरीद में विभिन्न कृत्याकृत्यों में संलिप्त रहे। सी.बी.आई. द्वारा इस संबंध में की गई मांग के अनुसार इस विभाग ने डॉ. एस.एम. दीवान, सी.एम.डी., एस.टी.सी. का जीवनवृत्त सी.बी.आई. को सौंपा था। बाद में जांच के परिणाम् के संबंध में मंत्रिमंडल सचिव को प्रस्तुत एक नोट में सी.बी.आई. ने उल्लेख किया कि आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णायक साक्ष्यों के अभाव में विशेष न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय में दिनांक 3-1-2004 को एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और न्यायालय ने विधिवत विचार करने के पश्चात दिनांक 17-1-2004 को उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। जुलाई, 2008 में सी.बी.आई. ने उनके द्वारा एस.टी.सी. को लौटाए गए उपर्युक्त मामले से संबंधित कुछ दस्तावेजों/फाइलों की यह कह कर मांग की कि मामले में आगे की जांच अब शुरू हो गई है। चल रही जांच की आगे की प्रगति के बारे में सी.बी.आई. द्वारा अब तक एस.टी.सी. को सूचना नहीं दी गई है।

कृषि तथा भेषज जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियां

3412. श्री संजय धोत्रे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार कृषि जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों तथा भेषज जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) कृषि क्षेत्र में वाणिज्यक उद्देश्यों से अनुसंधान कर रही उक्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, देश में एग्रो बायोटेक्नोलॉजी तथा फार्मा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आनुवांशिक रूप से परिष्कृत फसलें (जी.एम.ओ.) तथा रिकाम्बीनेंट डियोजाईरिबो न्यूक्लिक एसिड प्रौद्योगिकी (आर.डी.एन.ए.) के साथ 162 कंपनियां काम कर रही हैं। इन सभी कंपनियों के ब्यौरे प्रकाशित किए गए हैं और बायोटेक्नोलॉजी विभाग की वेबसाइट नामतः http:/www.igmoris.nic.in. पर उपलब्ध हैं।

डब्ल्यू.पी.आई. तथा सी.पी.आई. मूल्य सूचकांक में असमानता

3413. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) की गणना के संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इसमें सम्मिलित सभी पण्यों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक पण्य का डब्ल्यू.पी.आई. में कितना प्रतिशत हिस्सा है;

(ग) क्या अधिकांश देश मूल्य गणना के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सहारा लेते हैं जबकि हमारे देश में मूल्य गणना के लिए डब्ल्यू.पी.आई. का इस्तेमाल किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) जून-नवम्बर, 2008 की अवधि के दौरान डब्ल्यू.पी.आई. की दर क्या थी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) भारत में थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) हर सप्ताह आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है। वर्तमान शृंखला (आधार 1993-94=100) अप्रैल, 2000 से प्रभावी हुई और इसमें 435 वस्तुएं होती हैं।

इस सूचकांक को लास्पेरे के सूत्र के अनुसार भारित अंकगणित माध्य (मीन) के सिद्धान्त पर संकलित किया जाता है, जिसमें सम्पूर्ण शृंखला के दौरान संचालित निश्चित आधार वर्ष भार होता है।

प्रयोग किया गया सूत्र यह है $I = \Sigma(I_j \times W_j)/\Sigma W_j$

जहां पर

I = उप-समूह/समूह/वृहद समूह/सभी वस्तुओं के थोक बिक्री मूल्य की सूचकांक संख्या है।

W_j = मद के उप-समूह/समूह/वृहद समूह के लिए नियत किया गया भार।

I_j = वी मद/उप-समूह/समूह/वृहद समूह का सूचकांक

मूल्य सापेक्षों की गणना प्रतिशतता अनुपात के रूप में की जाती है जो आधार वर्ष में मौजूद मूल्यों के लिए वर्तमान मूल्य होते हैं अर्थात् आधार अवधि मूल्य को वर्तमान मूल्य से विभाजित करके और भागफल को 100 से गुणा करके प्राप्त होता है। वस्तु सूचकांक उस वस्तु में शामिल सभी किस्मों के मूल्य सापेक्ष का साधारण अंकगणितीय औसत के रूप में प्राप्त किया जाता है। उप-समूहों/समूहों/वृहद समूहों/सभी वक्तव्यों के लिए सूचकांक फिर, उनके अपने-अपने शीर्षों के अन्तर्गत आने वाली मदों/उप-समूहों/समूहों/वृहद समूहों के सूचकांक का भारित अंकगणितीय मान के रूप में निकाला जाता है।

वस्तुओं के मुख्य समूहों तथा समूहों का ब्यौरा तथा डब्ल्यू.पी.आई. में उनका महत्व नीचे दिया गया है:-

विवरण	भार (%)
सभी वस्तुएं	100.00
I. प्राथमिक वस्तुएं	22.02
खाद्य वस्तुएं	15.40
गैर-खाद्य वस्तुएं	6.14
खनिज	0.48
II. ईंधन, विद्युत, लाइट तथा लुब्रीकेंट	14.23
कोकिंग कोयला	1.75
खनिज तेल	6.99
बिजली	5.48
III. निर्मित उत्पाद	63.75
खाद्य उत्पाद	11.54
मद्य, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद	1.34
वस्त्र	9.80
लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद	0.17
कागज तथा कागज उत्पाद	2.04
चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	1.02
रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	2.39
रसायन और रसायन उत्पाद	11.93
गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	2.52
बुनियादी धातु, अलाए तथा धातु उत्पाद	8.34
मशीनरी तथा मशीन औजार	8.36
परिवहन, उपस्कर तथा पुर्जे	4.29

(ग) और (घ) मुद्रा-स्फीति को मापने के लिए अलग-अलग देश अलग-अलग मूल्य सूचकांकों का प्रयोग करते हैं जैसे - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) उत्पाद मूल्य सूचकांक (पी.पी.आई.) तथा थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.)। आई.एम.एफ. के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (सितम्बर, 2007) की सूचना के अनुसार डब्ल्यू.पी.आई. का विश्व के 24 देशों में प्रयोग किया जाता है। थोक बिक्री मूल्य सूचकांक के अतिरिक्त भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की विशिष्ट समूह के उपभोक्ताओं के लिए गणना की जाती है जैसे:- औद्योगिक कामगार (सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.) कृषि मजदूर (सी.पी.आई.-ए.एल.) तथा ग्रामीण मजदूर (सी.पी.आई.-आर.एल.)। समूह विशिष्ट उपभोक्ता व्यय से संबंधित सर्वेक्षणों के आधार पर इन उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए कोमोडिटी-बास्केट तथा वेट प्राप्त किये जाते हैं। तथापि थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) एक अर्थव्यवस्था व्यापी सूचकांक है जिसमें 435 वस्तुएं शामिल होती हैं। डब्ल्यू.पी.आई. में इन वस्तुओं का महत्व (वेट) घरेलू बाजार में लेन-देन की गई मात्राओं के मूल्य के आधार पर प्राप्त किये जाते हैं। इस प्रकार यह अधिक उच्च आवर्तिता वाली उपलब्ध अर्थव्यवस्था व्यापी मुद्रा स्फीति का एक अधिक व्यापक उपाय है।

(ङ) जून-नवम्बर, 2008 अवधि के दौरान साप्ताहिक डब्ल्यू.पी.आई. नीचे दिए अनुसार था:

सप्तांहत में	डब्ल्यू.पी.आई.
7-जून-08	236.5
14-जून-08	236.9
21-जून-08	237.7
28-जून-08	238.4
5-जुलाई-08	239.3
12-जुलाई-08	239.5
19-जुलाई-08	240.5
26-जुलाई-08	240.7
2-अगस्त-08	241.4
9-अगस्त-08	241.1
16-अगस्त-08	241.1
23-अगस्त-08	241.2
30-अगस्त-08	241.4
6-सितम्बर-08	241.7
13-सितम्बर-08	241.7
20-सितम्बर-08	241.3
27-सितम्बर-08	241.3
4-अक्तूबर-08	239.7
11-अक्तूबर-08	239.3
18-अक्तूबर-08	238.3
25-अक्तूबर-08	238.5
1-नवम्बर-08	235.5
8-नवम्बर-08	235.0
15-नवम्बर-08	235.1
22-नवम्बर-08	233.7
29-नवम्बर-08	233.6

चाय उत्पादन

3414. **श्री अजीत जोगी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में चाय के उत्पादन का ब्रांड-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) घरेलू बाजार में कुल कितनी चाय की आवश्यकता है तथा उक्त अवधि के दौरान निर्यात हेतु उपलब्ध अतिरिक्त चाय की मात्रा कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चाय के उत्पादन के श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

राज्य	उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.)			
	2005	2006	2007	2008 (जन.-अक्तू.)
1	2	3	4	5
असम	487.49	502.04	479.92	430.88
पश्चिम बंगाल	217.55	237.11	231.44	191.19
त्रिपुरा	7.51	7.13		
अरुणाचल प्रदेश	2.62	3.75		
मणिपुर	0.11	0.11	@	@
सिक्किम	0.16	0.17		
नागालैंड	0.19	0.19	13.33	9.70
मेघालय	0.10	0.14		
मिजोरम	0.07	0.07		
उत्तरांचल	0.43	0.43		
हिमाचल प्रदेश	0.97	0.89		
बिहार	1.12	1.12		
उड़ीसा	0.10	0.09		
कुल उत्तर भारत	**718.42**	**753.24**	**724.69**	**631.77**
तमिलनाडु	163.68	163.66	153.13	136.55
केरल	58.50	59.46	61.83	59.30
कर्नाटक	5.37	5.44	5.03	4.93
कुल दक्षिण भारत	**227.55**	**228.56**	**219.99**	**200.78**
समग्र योग	945.97	981.80	944.68	832.55

@ छोटे राज्यों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

भारत में चाय का श्रेणीवार उत्पादन

(आंकड़े मिलियन कि.ग्रा. में)

श्रेणी	अखिल भारतीय		
	2005	2006	2007 (अ)
सी.टी.सी. कुल	**849.40**	**893.44**	**850.68**
परंपरागत ब्लैक	75.90	66.31	72.14
दार्जीलिंग	11.31	10.85	11.36
ग्रीन टी	9.36	11.20	10.50
परंपरागत कुल	**96.57**	**88.36**	**94.00**
कुल	945.97	981.80	944.68

(अ) - अनंतिम और संशोधन के अधीन

(ख) पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(आंकड़े मिलियन कि.ग्रा. में)

	उत्पादन	आयात	कुल उपलब्धता (उत्पादन + आयात	घरेलू खपत (अनुमानित)	निर्यात उपलब्धता
2005	945.97	16.76	962.73	757	205.73
2006	981.80	23.81	1005.61	771	234.61
2007 (अ)	944.68	15.99	960.67	786	174.67

(अ) - अनुमानित एवं संशोधन के अधीन

[अनुवाद]

ब्रांड लाइसेंस समझौता

3415. डा. अरविन्द शर्मा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय कंपनियों द्वारा अपनी विदेशी साझीदार कंपनियों के ब्रांडों का भारत में उपयोग करने के लिए रायल्टी/तकनीकी शुल्क को अपने देश ले जाने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी दिशा-निर्देश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी भारतीय कंपनी तथा उसकी सहयोगी विदेशी कंपनी के बीच किसी ब्रांड लाइसेंस समझौते को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों को किए गए रायल्टी भुगतान का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त समझौता रायल्टी भुगतान हेतु सरकारी मानदंडों तथा दिशा-निर्देशों के अनुकूल है; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार तम्बाकू क्षेत्र में किसी नये औद्योगिक लाइसेंस को अनुमति नहीं दे रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (छ) जी, हां। सरकार भारतीय कंपनियों द्वारा उनके विदेशी सहयोगियों को, भारत में उनके ब्रांड के इस्तेमाल के लिए, रॉयल्टी/तकनीकी शुल्कों के प्रत्यावर्तन की अनुमति देती है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप, विदेशी सहयोगी के व्यापार चिन्ह//ब्रांड नाम के इस्तेमाल सहित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के विदेशी सहयोगी का सिर्फ व्यापार चिन्ह/ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने पर स्वतः मार्ग के तहत घरेलू बिक्री पर 2 प्रतिशत तक रॉयल्टी की अनुमति है। स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत न आने वाले प्रस्तावों पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड, एक अंतर-मंत्रालयीय निकाय द्वारा विचार किया जाता है। परियोजना अनुमोदन बोर्ड मौजूदा सरकारी मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप मामलों पर विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सिर्फ ब्रांड नाम/व्यापार चिन्ह के इस्तेमाल हेतु सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदनों एवं भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए रॉयल्टी भुगतान का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। तंबाकूयुक्त सिगार एवं सिगरेट का विनिर्माण उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसिंग के अधीन है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1999 से सिगरेट के विनिर्माण के लिए कोई भी औद्योगिक लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	भारतीय कंपनी एवं विदेशी कंपनी का नाम	शामिल समझौते/ कार्यकलाप का ब्यौरा	पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान सरकारी मार्ग के जरिए अनुमोदित ब्रांड नाम/व्यापार चिन्ह के इस्तेमाल हेतु रॉयल्टी भुगतानों का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	मेसर्स बंगलोर सेल्स कॉरपोरेशन तथा मेसर्स एस.जे.आर. हैंगर कार्प. डी/बी/ए यूनीप्लास्ट इंडस्ट्रिज फार इस्ट, यू.एस.ए.	तैयार वस्त्रों (ब्रांड नाम एवं व्यापार चिन्ह के इस्तेमाल हेतु) के लिए सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल प्लास्टिक इंजेक्शन माउल्डेड हैंगर।	(क) घरेलू बिक्री पर 1% की दर से (ख) निर्यात बिक्री, करों के पश्चात् @2% की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए
2.	मेसर्स जी.के.एन. ड्राइवलाईन (इंडिया) लि. तथा मेसर्स जी.के.एन. होल्डिंग पी.एल.सी. यू.के.	निर्मित एवं बिक्री किये जाने वाले उत्पादों के लिए "जी.के.एन." नाम एवं लोगों के इस्तेमाल हेतु एक नया व्यापार चिन्ह लाइसेंस समझौता करना - फ्रंट व्हील वाहनों के लिए "ड्राईव एक्सल एसेंबलीज - कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट्स सहित"	(क) यदि संबंधित वित्तीय अवधि के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन 3% से कम हो तो 0.5% की दर तथा (ख) यदि संबंधित वित्तीय अवधि के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन 3% या अधिक हो लेकिन 7% से कम हो तो 1% की दर (ग) यदि संबंधित वित्तीय अवधि के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन 7% या अधिक हो,

1	2	3	4
			तो 1-1-2007 को लागू करों के अधीन, 1.5% की दर
3.	मेसर्स जी.के.एन. सिन्टर मेटल्स लि. तथा मेसर्स जी.के.एन. होल्डिंग्स पी.एल.सी., यू.के.	सिन्टर्ड बियरिंग, ऑटोमोटिव संघटकों, फिल्टर्स एवं मेटल पावडर्स एवं सेवाओं के विनिर्मित उत्पादों में "जी.के.एन. एंड जी.के.एन. लोगो व्यापार चिन्ह के इस्तेमाल हेतु एक नया व्यापार चिन्ह लाइसेंस समझौता करना	(क) यदि संबंधित वित्तीय अवधि के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन 3% से कम हो तो 0.5% की दर (ख) यदि संबंधित वित्तीय अवधि के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन 3% या अधिक हो लेकिन 7% से कम हो तो 1% की दर (ग) यदि संबंधित वित्तीय अवधि के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन 7% या अधिक हो, तो 1-1-2007 को लागू करों के अधीन, 1.5% की दर

रणजीत सिंह पुलिस विश्वविद्यालय को अनुदान

3416. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल ही में महाराजा रणजीत सिंह पुलिस विश्वविद्यालय के लिए पूंजी अनुदान तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत पंजाब के सीमा क्षेत्र में मलजल और पेयजल सुविधा की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) पंजाब सरकार ने महाराजा रणजीत सिंह पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। इस समय ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत यह अनुदान दिया जा सकता हो।

पंजाब सरकार ने पंजाब के निम्नलिखित सीमावर्ती जिलों को जलापूर्ति एवं मल व्ययन परियोजनाएं चलाने के लिए सीमाक्षेत्र विकास के अंतर्गत 92.86 करोड़ रुपये की राशि मंजूर करने का भी अनुरोध किया है।

शहर का नाम	अनुमानित परियोजना लागत		
	जलापूर्ति	सीवरेज	कुल
1	2	3	4
रामदास	0.66	2.40	3.06
अजनाना	1.53	4.83	6.36
खेमकरण	0.81	5.29	6.10
फजिल्का	1.77	3.18	4.95

1	2	3	4
फिरोजपुर शहर और फिरोजपुर कैंट (सैन्य प्राधिकारियों के साथ)	9.23	26.91	36.14
गुरुहरसहाय	0.22	2.43	2.65
जलालाबाद	0.72	6.03	6.75
डेरा बाबा नानक	1.22	7.10	8.32
दिना नागर	0.95	4.22	5.17
गुरदासपुर	5.07	8.29	13.36
कुल	22.18	70.68	92.86

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) केन्द्रीय रूप से 100 प्रतिशत वित्तपोषित कार्यक्रम है जिसे पंजाब सहित 17 राज्यों के 362 अभिज्ञात सीमा ब्लाकों में कार्यान्वित किया जाता है। बी.ए.डी.पी. के अंतर्गत, योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित बजटीय आबंटन आनुपातिक रूप से सीमा राज्यों में बांटा जाता है। वर्ष 2008-09 के बजट में बी.ए.डी.पी. के अंतर्गत 635 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार बी.ए.डी.पी. के अंतर्गत पंजाब का हिस्सा लगभग 20 करोड़ रुपये होगा और प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियों को बी.ए.डी.पी. के अंतर्गत सामान्य आवंटन से पूरा नहीं किया जा सकता है।

आफिसर्स क्लब हेतु शुल्क

3417. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एन.डी.एम.सी.) नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर कोई आफिसर्स क्लब चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे क्लबों में सदस्यों के नामांकन हेतु एन.डी.एम.सी. द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं और इसके लिए कितना शुल्क लिया जाता है;

(घ) क्या विभिन्न सेवाओं की श्रेणियों के अधिकारियों से भिन्न-भिन्न शुल्क लिए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और इस प्रकार की विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) प्रधानतः नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधिकारियों एवं उनके परिवारों के कल्याण एवं मनोरंजन के लिए स्थापित पालिका सेवक अधिकारी संस्थान, एक पंजीकृत समिति, को विनय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्थित एन.डी.एम.सी. के भवन में संचालित किया जा रहा है।

(ग) से (च) संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं प्राथमिकतः एन.डी.एम.सी. के अधिकारियों एवं उनके परिवारों को दिए जाने के लिए निर्धारित थीं, जिसे बाद में बढ़ाकर दिल्ली में रह रहे अन्य सरकारी अधिकारियों एवं उनके परिवारों के लिए कर दिया गया। संघशासित प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों तथा दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के अधिकारियों को संबद्ध सदस्यता इस आधार पर दी जाती है कि उनकी सेवा अवधि के दौरान उन्हें एन.डी.एम.सी. में तैनात किया जा सकता है। एक बार एन.डी.एम.सी. में तैनात होने के बाद वे स्थायी सदस्यता के लिए योग्य हो जाते हैं। विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों से लिए जाने वाले अंशदान को ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अंशदान की संरचना को संस्थान के प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया गया है जिससे विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों को समायोजित किया जा सके। यह एक समुचित वर्गीकरण है और इस श्रेणीयन को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों से पालिका सेवक अधिकारी संस्थान द्वारा लिया जाने वाला अंशदान शुल्क

सदस्यता का प्रकार	योग्यता	प्रवेश अंशदान (रुपए)	सुरक्षा जमा (रुपए)	मासिक अंशदान (रुपए)	टिप्पणी
स्थायी (एन.डी.एम.सी.)	रु. 10,000/- या उससे अधिक वेतनमान वाले एन.डी.एम.सी. के अधिकारी	500/-	500/-	150/-	–
मताधिकार के बिना संबद्ध (स्थायी)	संघशासित प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा तथा दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के अधिकारीगण	7500/-	3000/-	200/-	–
कार्यकाल (3 वर्ष) से 5 वर्ष	रु. 12,000/- या उससे अधिक वेतनमान वाले उप सचिव या उससे ऊपर की श्रेणी के केन्द्र सरकार के अधिकारीगण। रु. 15,000/- या उससे अधिक वेतनमान वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारीगण	(क) 3 वर्ष 7500/- (ख) 4 वर्ष 10,000/- (ग) 5 वर्ष 12,000/-	3000/- 3000/- 3000/-	200/- 200/- 200/-	प्रवेश शुल्क रु. 3000/- प्रति वर्ष और रु. 200/- का मासिक अंशदान देकर चार वर्ष की सदस्यता को एक वर्ष के लिए और तीन वर्ष की सदस्यता को 1+1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
अस्थायी (एक वर्ष)	प्रबंध समिति की स्वेच्छा से	3000/-	3000/-	200/-	–

बिजनेस आप्टिमिज्म में कमी

3418. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

श्री मधु गौड यास्खी:

श्री रघुबीर सिंह कौशल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ए.ई.आर. सर्वेक्षण और अनुसंधान फर्म डून एण्ड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों के बिजनेस आप्टिज्म में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय कंपनियों के बिजनेस आप्टिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा इनसे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) द्वारा जुलाई, 2008 में किए गए बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे के अनुसार कारोबार विश्वास सूचकांक 22.9 बिन्दु तक गिर गया। अक्तूबर-दिसंबर, 2008 की अवधि के लिए डून एण्ड ब्रैडस्ट्रीट के बिजनेस आप्टीमिज्म सूचकांक में 28 प्रतिशत की कमी रिकार्ड की। कारोबार विश्वास में कमी बहुत से कारणों की वजह से हुई जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वैश्वीय वित्तीय संकट, आर्थिक विकास में धीमापन तथा मुद्रा स्फीति की उच्च दर शामिल है।

(ग) सरकार ने औद्योगिक विकास को प्रेरित करने तथा भारतीय उद्योग में व्यवसाय की आशा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 दिसंबर, 2008 को एक बड़े पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में सेनवेट/उत्पाद शुल्क में एक समान रूप से 4 प्रतिशत की कमी, श्रम गहन उद्योगों (जैसे - वस्त्र, हेंडलूम, हस्तशिल्प, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र) के लिए शिपमेंट पूर्व व पश्चात निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता, कठिन बाजारों/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटी प्रदान करने के लिए निर्यात उधार गारन्टी निगम (ई.सी.जी.सी.) को सरकार समर्थित गारंटी, निर्यातकों को विदेशी एजेंट कमीशनों पर सेवा कर की वापसी, राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4000 करोड़ रुपये की पुनः वित्तपोषण सुविधा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की सहायता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) को 7000 करोड़ रुपये की पुनः वित्तपोषण सुविधा, वस्त्र उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी.यू.एफ.) हेतु 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योजनागत व्यय और चालू वर्ष में 20,000 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त योजनागत व्यय आदि।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो दर, स्टेटयूटरी लिक्विडिटी रेश्यो (एस.एल.आर.), कैश रिजर्व रेश्यो (सी.आर.आर.) आदि में कमी करके उद्योग के लिए ऋण की लागत को कम करने एवं तरलता में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

उपर्युक्त उपायों से यह उम्मीद की जाती हैं कि उद्योगों के लिए तरलता की उपलब्धता में सुधार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उच्चतर औद्योगिक विकास को प्रेरित किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

उत्तर पुस्तिकाओं की जांच

3419. श्री पंकज चौधरी:

श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ऐसे उपबंध करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिनसे 10वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्र अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होने पर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी कक्षाओं में छात्रों हेतु शिकायत पेटिका लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है क्योंकि इसने उत्तर पुस्तिकाओं का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त उसमें छात्रों को अपने प्राप्त अंकों के सत्यापन हेतु आवेदन करने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रयोगशालाओं का क्यू.सी.आई. में पंजीकरण

3420. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में सभी चिकित्सा प्रयोगशालाओं का भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यू.सी.आई.) में पंजीकरण कराना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो देश में केन्द्रीय कानून के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्यू.सी.आई. में पंजीकरण ऐसी प्रयोगशालाओं का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संघ राज्य क्षेत्र हेतु विधान सभा

3421. श्री काशीराम राणा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) ऐसी विधान सभा के कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) जी नहीं। दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा गठित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नवोदय विद्यालयों में दूसरी भाषाएं

3422. डा. राम लखन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सहित देश में चल रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों में दूसरी भाषा के रूप में कौन सी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं;

(ख) क्या इन भाषाओं को पढ़ाने के लिए सभी विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दूसरी भाषा के रूप में शिक्षण के लिए उपयोगी भाषाओं को अपनाने तथा इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम को छोड़कर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली द्वितीय भाषा अंग्रेजी है। पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के मामले में हिन्दी द्वितीय भाषा है। इन भाषाओं को पढ़ाने के लिए अध्यापक उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

माइक्रो मिशन का गठन

3423. श्री सुरेश अंगड़ि:

श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पुलिस प्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय पुलिस मिशन के अंतर्गत छह माइक्रो मिशन गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त छह माइक्रो मिशनों द्वारा सरकार के पास अपनी रिपोर्ट कब तक देने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) नेशनल पुलिस मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, छह माइक्रो-मिशनों को गठित किया गया है।

(ख) इसका ब्यौरा इस प्रकार है:

माइक्रो मिशन: 01-मानव संसाधन विकास (पुलिस जनसंख्या अनुपात-पेशे में उन्नति-नेतृत्व-विश्वसनीयता-निष्पादन का मूल्यांकन-प्रशिक्षण-व्यवहार संबंधी परिवर्तन पुलिस कर्मियों का कल्याण-पुलिस विश्वविद्यालय, आदि)

माइक्रो मिशन: 02 सामुदायिक पुलिस व्यवस्था (पुलिस में समुदाय को शामिल करना-मीडिया, उद्योग तथा अन्य संगत क्षेत्रों के साथ पुलिस की साझेदारी-पुलिस की छवि आदि)

माइक्रो मिशन: 03 संचार एवं औद्योगिकी (पोलनेट-सीमा-साईबर तकनीकी फॉरेंसिक साइन्स-डी.एन.ए.-नारको एनालिसिस, आदि)

माइको मिशनः 04-अवसंरचना (भवन-कार्यालयी एवं आवासीय उपकरण तथा हथियार, आदि)

माइक्रो-मिशनः 05-नई प्रक्रियाएं (प्रक्रिया इंजीनियरी) चालू पुलिस व्यवहार-समीक्षा एवं परिणाम का आकलन-विद्यमान बेहतर व्यवहार भारत एवं अन्यत्र खोज तथा उनका अपनाया जाना-प्राप्ती की प्रक्रियाएं-सौंपा जाना एवं विकेन्द्रीकरण आदि)

माइक्रो-मिशनः 06-सकारात्मक पुलिस व्यवस्था तथा भावी चुनौतियों को दर्शाया जाना (उग्रवाद एवं नक्सलवाद उत्तेजित भीड़ की हिंसा-साईवर अपराध-मनी लाउंडरिंग-नार्को आतंकवाद-मानव तस्करी, आदि)

(ग) चूंकि माइक्रो-मिशनों में पुलिस कार्यप्रणाली का व्यापक क्षेत्र शामिल है, इसलिए विचार-विमर्श चल रहा है और प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से रिपोर्टों को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। तथापि, चार महीने की सूचनात्मक समय-सीमा निर्धारित की गई है।

एम.फिल और पी.एच.डी. के विद्यार्थियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

3424. **श्री एल. राजगोपालः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश में एम.फिल और पी.एच.डी. कार्यक्रमों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत राज्यवार अ.जा./अ.ज.जा. के कितने छात्रों का नामांकन किया गया;

(ख) क्या उच्च शिक्षा के लिए अर्ह होने और उसकी पढ़ाई करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को कतिपय कठिन शर्तों का पालन करना होता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 (संयुक्त) तथा वर्ष 2007-08 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप के लिए चयनित अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या संगल्न विवरण में दी गई है। वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए चयन वर्ष 2006-07 में किया गया था।

(ख) और (ग) 2000 फेलोशिप के लिए 10,000 से भी अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। निर्धारित मानदंडों के अनुसार इस उद्देश्यार्थ गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा इसके लिए चयन किया जाता है, तथा विद्यार्थियों को इस स्कीम के दिशा-निर्देशों में निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करना होता है।

विवरण

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या			
		2005-06 और 2006-07		2007-08	
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	392	112	110	75
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	8	0	26
3.	असम	9	13	17	18
4.	बिहार	65	2	58	2

1	2	3	4	5	6
5.	चण्डीगढ़	0	0	1	0
6.	छत्तीसगढ़	13	9	17	1
7.	दिल्ली	71	139	34	2
8.	गुजरात	18	4	27	21
9.	हरियाणा	79	1	45	0
10.	हिमाचल प्रदेश	43	21	24	26
11.	जम्मू-कश्मीर	20	13	13	12
12.	झारखण्ड	25	45	11	29
13.	कर्नाटक	189	34	79	52
14.	केरल	97	4	37	3
15.	मध्य प्रदेश	127	22	61	2
16.	महाराष्ट्र	232	25	90	28
17.	मणिपुर	25	45	20	90
18.	मेघालय	4	58	0	33
19.	मिजोरम	0	14	0	33
20.	नागालैण्ड	0	36	0	56
21.	उड़ीसा	83	17	49	20
22.	पाण्डिचेरी	2	0	13	0
23.	पंजाब	40	2	23	0
24.	राजस्थान	134	120	92	91
25.	सिक्किम	0	0	0	2
26.	तमिलनाडु	379	10	118	6
27.	त्रिपुरा	1	1	1	2
28.	उत्तर प्रदेश	506	23	311	10
29.	उत्तराखंड	32	9	19	8
30.	पश्चिम बंगाल	79	6	63	19
	कुल	2666	793	1333	667

ए.आई.सी.टी.ई. का क्षेत्रीय कार्यालय

3425. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थानवार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अवसंरचना की उपलब्धता के बावजूद हैदराबाद स्थित ए.आई.सी.टी.ई. का क्षेत्रीय कार्यालय समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है जिसकी वजह से राज्य के करीब 500 महाविद्यालय प्रबंधनों को कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक क्रियाशील बनाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के 8(आठ) क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, बंगलौर, चंडीगढ़, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में स्थित हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों का अधिकार क्षेत्र निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	केन्द्रीय	मध्य प्रदेश और गुजरात
2.	पश्चिमी	गोवा, महाराष्ट्र, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली
3.	दक्षिण-पश्चिमी	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप
4.	पूर्वी	मणिपुर, असम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड
5.	उत्तर-पश्चिमी	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़
6.	उत्तरी	बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
7.	दक्षिणी	तमिलनाडु और पांडिचेरी
8.	दक्षिण-केन्द्रीय	आन्ध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़

(ख) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय चालू है। एक क्षेत्रीय अधिकारी की हैदराबाद में तैनाती की गयी है और उसने 1 नवम्बर, 2008 को कार्यग्रहण कर लिया है। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से सभी संबद्ध फाइलें हैदराबाद कार्यालय में स्थानांतरित कर दी गयी हैं।

भारत-स्विट्जरलैंड समझौता

3426. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किसी भारत-स्विट्जरलैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नोवार्टिस ने भारतीय पेटेंट कानून को चुनौती दी थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त कानून को किस प्रकार चुनौती दी गयी तथा जब मामला दर्ज कराया गया उस समय का आंकड़ा क्या है;

(ङ) नोवार्टिस मामले का ब्यौरा क्या है तथा भारत द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस विवाद के क्या कारण हैं और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, हां। बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 7 अगस्त, 2007 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा स्विटजरलैंड के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनोमिक अफेयर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन की सामग्री औ.नी.सं.वि. की वेबसाइट http//www.dipp.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) से (च) मै. नोवार्टिस एजी, स्विटजरलैंड और उसकी भारतीय सहायक कंपनी मै. नोवार्टिस इंडिया लि. ने 19 मई, 2006 को मद्रास में हाइकोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर के समक्ष दो रिट याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(घ) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी जो कि इस अधिनियम की व्याख्या के भीतर कुछ विशेष खोजों को आविष्कार नहीं मानने के बारे में था। सरकार ने मामले का बचाव किया। 6 अगस्त, 2007 को एक डिविजन बेंच ने धारा 3(घ) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।

मै. नोवार्टिस ने मद्रास में हाइकोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर में भी पांच रिट याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवा इमेटिनिब मेसीलेट (Imatinib Mesylate) (जिसे ग्लाइवेक के नाम से जाना जाता है) हेतु इसके पेटेंट को अस्वीकार करने संबंधी पेटेंट नियंत्रक के आदेश को चुनौती दी गई थी। पेटेंट अपीलों के लिए बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.) के काम शुरू कर देने के फलस्वरूप, उच्च्य न्यायालय ने ये रिट याचिकाएं अपीलों के तौर पर आई.पी.ए.बी. को हस्तांतरित कर दी थीं। ये अपीलें आई.पी.ए.बी. में लंबित हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंच का गठन

3427. श्री सनत कुमार मंडल: क्या विज्ञान और **प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने उद्योग, गैर सरकारी संगठन, शिक्षण से जुड़े लोगों और सरकार की भागीदारी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से संबंधित समाधानों पर ध्यान देने के लिए एक 'पृथ्वी विज्ञान मंच' का गठन करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह मंच लाभकारी न्यून कार्बन उत्सर्जन रणनीतियों को प्रदर्शित करने हेतु पूरे देश में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कार्यशालाओं को अधिक संख्या में ऐसे लघु और मध्यम उद्यमों वाले शहरों पर लक्षित किया जाएगा, जोकि अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं जैसे लोहा और इस्पात, विद्युत, ऑटोमोटिव, तेल और खनन उद्योग आदि; और

(च) यदि हां, तो देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु इस मंच के माध्यम से कितना लाभ होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन के अलावा समझौता ज्ञापन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी शामिल है। तीन पहलें की गई हैं नामतः जलवायु परिवर्तन नेतृत्व परिषद, मध्यम और छोटे उद्यमों के लिए कार्बन फुट-प्रिंट कम करने पर कार्यशाला और जलवायु परिवर्तन पर प्रसार अभियान।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस प्रकार की चर्चा-परिचर्चाएं उन चुनिंदा स्थानों में आयोजित की गई हैं जहां अधिकांश मात्रा में छोटे और मध्यम उद्यम स्थापित हैं। ऐसी और चर्चा-परिचर्चाएं आयोजित किए जाने की योजना है।

(च) समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के उपशमन के लिए कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देना होगा।

जैव प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र

3428. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या विज्ञान और **प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित जैव प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय को एक जैव प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र स्थापित करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की प्रस्तावित लागत कितनी है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) महोदय, हमने देश में जैवप्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र की स्थापना नहीं की है।

(ख) जी हां, केरल जैवप्रौद्योगिकी आयोग, केरल राज्य विज्ञान परिषद, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत केरल में जैवप्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव जैवप्रौद्योगिकी विभाग में जून, 2008 को प्राप्त हुआ था।

(ग) इस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य जैवप्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करना था जो अद्यतन उपस्करण और विशेषज्ञता में सहायता, अनुसंधान क्रियाविधि और सेवाओं में तीव्र गति लाना तथा जैवप्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण पर 15.21 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत प्रदान करता है।

(घ) विभाग में प्रस्ताव की जांच की गई है। जबकि न तो इस प्रस्ताव में कोई निर्गत परिणाम दर्शाया गया है और न ही इसका सुनिश्चित लक्ष्य है, विभाग इसका वित्त-पोषण किए जाने में असमर्थ है। फिर भी, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटैक्नोलोजी (आर.जी.सी.बी.), तिरूवनन्तपुरम का विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया है और प्रस्तावित केन्द्र के लिए रूपरेखांकित उद्देश्य पहले ही आर.जी.सी.बी. द्वारा संबोधित किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुत्तीर्ण न किए जाने संबंधी नीति

3429. श्री अधीर चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के केन्द्रीय विद्यालयों में 'अनुत्तीर्ण न किए जाने संबंधी नीति' क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न करने की नीति को अपनाया है।

[हिन्दी]

बीजों का निर्यात

3430. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की बीज उत्पादक कम्पनियां अपने द्वारा उत्पादित बीजों का निर्यात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी देश-वार, किस्म-वार और मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात हेतु बीजों की नई किस्में विकसित करने के लिए सहायता अनुदान मुहैया कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीजों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मात्राः मी. टन में, मूल्यः करोड़ रु.

वर्ष	मात्रा	मूल्य
2005-06	7,522.17	92.95
2006-07	8,104.05	121.58
2007-08	10,157.15	142.12
2008-09 (अप्रैल, जुलाई, 2008)*	2,618.05	37.24

(स्रोतः डी.जी.सी.आई.एस.) * अनंतिम

निर्यात का देश-वार ब्यौरा एपीडा की वेबसाइट http://apeda.com/TradeJunction/. पर उपलब्ध है। किस्म-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2008-09 (अप्रैल-जुलाई, 2008) के लिए निर्यात का देश-वार ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सूचना कृषि एवं सहकारिता विभाग से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तट सुरक्षा योजनाएं

3431. श्री हरिन पाठक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से तट सुरक्षा संबंधी व्यापक योजना के बारे में योजनाएं अथवा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजनाओं अथवा प्रस्ताव अग्रेषित करने वाले राज्यों के नाम क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) जी हां। नौसेना, तट रक्षक, नौ तटवर्ती राज्यों और चार संघ शासित क्षेत्रों आदि के साथ परामर्श करने के बाद भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए के अनावर्ती परिव्यय और 151 करोड़ रुपए के आवर्ती परिव्यय के साथ पांच वर्षों में कार्यान्वित किए जाने के लिए जनवरी, 2005 में विस्तृत तट सुरक्षा योजना तैयार की थी और उसका अनुमोदन किया था।

योजना के तहत अनुमोदित प्रत्यक्ष और वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इंटरसेप्टर नावों की आपूर्ति के लिए गृह मंत्रालय ने मार्च, 2008 में मैसर्स गोवा शिपयार्ड लि. गोवा और मैसर्स गाडेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि. कोलकाता के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण

तट सुरक्षा योजना के तहत अनुमोदित प्रत्यक्ष और वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	तटवर्ती पुलिस स्टेशन	पोत	जीप	मोटर साइकल	जांच चौकी	सीमा चौकी	बैरक	अन्य मदें	अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपए)
1.	गुजरात	10	30	20	101	25	46	–	–	5842.60
2.	महाराष्ट्र	12	28	25	57	32	–	24	–	4092.60
3.	गोवा	3	9	6	9	–	–	–	आर.आई. बी-10*	1653.50
4.	कर्नाटक	5	15	9	4	–	–	–	–	2711.90
5.	केरल	8	24	16	24	–	–	–	–	4356.00
6.	तमिलनाडु	12	24	12	36	40	12	–	–	4408.00
7.	आन्ध्र प्रदेश	6	18	12	18	–	–	–	–	3267.00
8.	उड़ीसा	5	15	10	15	–	–	–	–	2722.50
9.	पश्चिम बंगाल	6	18	12	12	–	–	6	–	3353.40
10.	पांडिचेरी	1	3	2	3	–	–	–	–	544.50
11.	लक्षद्वीप	4	6	8	8	–	–	–	–	936.80
12.	दमण और दीव	1	4	3	5	–	–	–	–	668.35
13.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	10	18	20	–	–	–	–	2604.00
	कुल	73	204	153	312	97	58	30	10	37161.15

रबर इंफ्लेटिड नावें

केरल की अपराध शाखा और आसूचना स्कंध हेतु कारों की खरीद

3432. श्री पी.सी. थामस: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अपराध शाखा और आसूचना स्कंध के प्रयोग हेतु जीपों के अलावा कारों की खरीद के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां।

(ख) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ. स्कीम) योजना के अंतर्गत केरल राज्य को वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय आबंटन 24.00 करोड़ रुपया तथा राज्य का हिस्सा 8.00 करोड़ रुपया, राज्य के लिए कुल 32.00 करोड़ रुपये का योजना आकार, निर्धारित किया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने 38.60 करोड़ रुपये राशि का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चूंकि राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव आबंटित राशि से अधिक है इसलिए कुछ मदों को हटा दिया गया। अतः केरल सी.आई.डी. की विशेष शाखा को 2 बुलेट प्रूफ कारें प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया जा सका।

पत्तन आधारित उद्योगों को बढ़ावा

3433. श्री परसुराम माझी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में पत्तन आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन तटीय राज्यों में दसवीं योजना के दौरान ये पत्तन आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या ग्यारहवीं योजना के दौरान कोई ऐसा उद्योग स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो सरकार के पास लम्बित पड़े प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रस्तावों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) उदारीकृत आर्थिक माहौल में निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा तकनीकी आर्थिक समझ के आधार पर लिए जाते है जो फिर अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके प्रेरक वातावरण का सृजन करने में राज्य सरकार की पहलों पर निर्भर करते हैं। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता/प्रोत्साहन प्रदान करके यथा संभव उनके प्रयासों में मदद करती है। यह विभाग पत्तन आधारित उद्योगों सहित सभी प्रकार के स्थान आधारित उद्योगों को बढ़ावा देता है।

दसवीं योजना अवधि (2002-2007) के दौरान तटीय राज्यों में पत्तन आधारित उद्योगों के लिए इस विभाग के पास 12 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर किए गए हैं। ऐसे आई.ई.एम. की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इस प्रकार, इस विभाग के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

विवरण

1-04-2002 से 31-03-2007 तक की अवधि के दौरान पत्तन तथा जल परिवहन के लिए दायर आई.ई.एम. का ब्यौरा

कम्पनी का नाम	स्थापना स्थल	निर्माण की मद	क्षमता	आई.ई.एम. तारीख
1	2	3	4	5
पी.पी. स्वामी खिला गगनगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट	रायगढ़ (कुलाबा) महाराष्ट्र	समुंद्री तथा तटीय जल परिवहन	25,00,000 एम.एल.डी.	1511/2003 दिनांक 9-6-2003

1	2	3	4	5
अदनी पेट्रोनेट (दाहेज) पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	भड़ौच गुजरात	निर्यात, आयात पोर्ट की गति की देखभाल तथा भंडारण एवं सेवा क्षेत्र की सुविधाएं उपलब्ध कराना	0	228/2004 दिनांक 20-01-2004
विराट कन्टेनर फोर्नूट स्टेशन प्रा. लि.	रायगढ़ (कुलाबा) महाराष्ट्र	जल परिवहन के कार्गो की देखभाल	200000 एम.टी.	1772/2005 दिनांक 11-4-2005
पी.एस.ए. साईकल टर्मिनल लि.	टूटीकोरन तमिलनाडु	जल परिवहन को सहयोगी सेवाएं	400000 टी.ई.यू.	1792/2005 दिनांक 13-4-2005
अपोलो इंटरनैशनल लि.	रायगढ़ (कुलाबा) महाराष्ट्र	जल परिवहन से सम्बद्ध कार्गो की देखभाल	50000	6195/2005 दिनांक 30-12-2005
गम्मन इंडिया लि.	रायगढ़ (कुलाबा) महाराष्ट्र	सड़कों, रेल बेड, पुल, सुरंगों पाईप लाईन रोपवे पत्तनों, हारबर तथा रनवे इत्यादि का निर्माण एवं रखरखाव	0	2547/2006 दिनांक 11-5-2006
मुन्द्रा पोर्ट एण्ड स्पेशल एकनोमिक जोन लिमिटेड	कच्छ गुजरात	कार्गो के रखरखाव भण्डारण स्थानान्तरण तथा हण्डलिंग आदि	5000000 टी.ई.यू.	2629/2007 दिनांक 13-9-2007
रिलाइंस इंडस्ट्रिज लिमिटेड-आपरेटर	पूर्वी गोदावरी आन्ध्र प्रदेश	ऑफसोर फिलड से निकाले गए हाइ्रोकार्बन का रखरखाव एवं ढुलाई	0	2825/2007 दिनांक 3-10-2007
अमेया सी.एफ.एस. प्रा. लि.	आमरेली, गुजरात	जल परिवाहन के लिए प्रासंगिक कार्गो का रख-रखाव	0	1254/2008 दिनांक 28-4-2008
मुन्द्रा पोर्ट एण्ड स्पेशल एकनोमिक जोन लिमिटेड	कच्छ गुजरात	वाटर फ्रंट डवलपमेंट प्लाट मुन्द्रा-पत्तनों एवं सिपयार्ड, सम्बद्ध अवसंरचना सुविधाओं का समूह	0	2120/2008 दिनांक 8-7-2008
जे.एस.डब्ल्यू. इंफ्रट्रक्चर लि.	रतनागिरी महाराष्ट्र	पत्तन देखभाल संबंधी सेवाएं	0	2995/2008 दिनांक 15-9-2008

1	2	3	4	5
एलाईड आई.सी.डी. सर्विसज लिमिटेड	वर्दवान पश्चिम बंगाल	एड्राइ पोर्ट ऑपरेटर (इनलैंड कंटेनर डिपो)	2500 टी.ई.यू.एस.	3152/2008 दिनांक 26-9-2008

महिला दुर्व्यापार

3434. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भर्ती कराने वाले एजेण्टों द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नौकरानी का कार्य दिलवाने के बहाने पूर्वोत्तर भारत से युवा जनजातीय महिलाओं का दक्षिण पूर्व-एशियाई देह व्यापार बाजार में कथित दुर्व्यापार किए जाने के मामलों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवायी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) भर्ती कराने वाले एजेण्टों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अपंजीकृत/पंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय कामगारों की अवैध भर्ती किए जाने के बारे में, जिसके कारण अकसर उनके नियोक्ताओं द्वारा उनका दोहन और शोषण किया जाता है, मलेशिया सहित विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगारों से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती है। आव्रजन अधिनियम, 1983 के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के संबंध में वर्ष 2006, 2007 और 2008 (30-11-2008 तक) के दौरान क्रमशः 78, 41 और 87 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ग) से (ङ) प्राप्त हुई सभी शिकायतों को संघ सरकार द्वारा अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों और अप्रवासियों के संरक्षकों को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006, 2007 और 2008 (30-11-2008 तक) के दौरान अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध क्रमशः 21,07 और 34 अभियोजनों को भी मंजूर किया गया था। इसके साथ ही इसी अवधि के दौरान क्रमशः 80, 12 और 24 भर्ती एजेंटों के पंजीकरण प्रमाण पत्र भी निलंबित/रद्द किए गए थे। जिन विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके नामों को भारतीय मिशन की सिफारिशों के आधार पर पूर्व अनुमोदन श्रेणी (पी.ए.सी./काली सूची) में रख करके काली सूची में रखा गया है और यदि जरूरत हुई तो भारत से कामगारों की और भर्ती किए जाने से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा।

प्रबंधन संस्थानों हेतु मानदंड

3435. श्री राम कृपाल यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने अपने मानदंडों का पालन न किए जाने तथा शिक्षा का वाणिज्यीकरण करने में संलिप्त रहने हेतु प्रबंधन संस्थानों के विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी की गयी कार्रवाई का दिल्ली सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उन प्रबंध संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारत मानदंडों का अनुसरण नहीं कर रही हैं। उन प्रबंध संस्थाओं की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिनके विरुद्ध अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के लिए कार्रवाई की गई थी।

विवरण

उन प्रबंध संस्थाओं की राज्य-वार सूची जिनके विरुद्ध अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के लिए कार्रवाई की गई

राज्य - तमिलनाडु (सत्र 2006-07)

क्र. सं.	संस्था का नाम और पता	कार्यक्रम	अनुमोदित प्रवेश 2005-06	संशोधित प्रवेश 2006-07
1.	श्री मीनाक्षी गवर्नमेंट कालेज फार वूमेन मदुरै डिस्ट्रीक्ट	एम.बी.ए. (एफ..टी.)	60	45
2.	वी.जी.पी. स्कूल आफ मैनेजमेंट, इन्जामबक्कम, शोलिंग-नालूर पोस्ट आफिस, चेन्नई, जिला कांचीपुरम-600 119	एम.बी.ए. (एफ..टी.)	40	कोई प्रवेश नहीं

राज्य - उत्तर प्रदेश (सत्र 2006-07)

क्र. सं.	संस्था का नाम और पता	कार्यक्रम	अनुमोदित प्रवेश 2005-06	संशोधित प्रवेश 2006-07
1.	खंडेलवाल कालेज आफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नालाजी, कलापुर, पोस्ट रिथोरा, पीलीभीत रोड, बरेली-243122	एम.बी.ए. (एफ..टी.)	120	90

राज्य - कर्नाटक (सत्र 2008-09)

क्र. सं.	संस्था का नाम और पता	कार्यक्रम	अनुमोदित प्रवेश 2007-08	संशोधित प्रवेश 2008-09
1.	सेंट जोसफ कालेज आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नं. 18 एफ.एम., करियप्पा रोड, बंगलौर-560 025	पी.जी.डी.एम. (एफ.टी.)	120	90
		पी.जी.डी.एम.-एक्जीक्यूटिव (15 माह)	30	30
		पी.जी.सी.एम.-जनरल मैनेजमेंट (एक वर्ष)	30	30

राज्य - दिल्ली (सत्र 2008-09)

क्र. सं.	संस्था का नाम और पता	कार्यक्रम	अनुमोदित प्रवेश 2007-08	संशोधित प्रवेश 2008-09
1.	एन.डी. वाई.एम.सी.ए. इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, 1, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110 001	पी.जी.डी.एम. (पी.टी.)	60	कोई प्रवेश नहीं

राज्य - महाराष्ट्र (सत्र 2006-07)

क्र. सं.	संस्था का नाम और पता	कार्यक्रम	अनुमोदित प्रवेश 2005-06	संशोधित प्रवेश 2006-07
1.	सेन्ट्रल हिन्दू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी, डा. मुंज इंस्टीट्यूट फार मैनेजमेंट एंड कम्प्यूटर स्टडीज, नासिक-422 005	एम.बी.ए. (एफ.टी.)	60	45
2.	विद्या भारती इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस रिसर्च एंड पी.जी. स्टडीज एंड मैनेजमेंट, नागपुर-440 025	एम.बी.ए. (एफ.टी.)	60	45

राज्य - महाराष्ट्र (सत्र 2008-09)

क्र. सं.	संस्था का नाम और पता	कार्यक्रम	अनुमोदित प्रवेश 2007-08	संशोधित प्रवेश 2008-09
1.	अहमदनगर जे.एम.वी.पी. समाज एच.के.सी.सी.एम. इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अहमदनगर-414 001	एम.सी.एम. (एफ.टी.) एम.पी.एम. (पी.टी.)	60 30	30 30

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश

3436. श्री हितेन बर्मन: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों में पश्चिम बंगाल सहित देश में क्षेत्र-वार और राज्य-वार कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) इनमें से प्रत्येक क्षेत्र (सेक्टर) में राज्य-वार कितने रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं; और

(ग) जनजातियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र-वार और राज्य-वार ऐसे कितने उद्यम है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) देश में पश्चिम बंगाल राज्य सहित सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में कुल नियत निवेश और रोजगार का आकलन 2001-02 के दौरान संचालित लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) के लिए तृतीय अखिल भारतीय गणना के परिणामों के आधार पर किया गया था। वर्ष 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए ये अनुमान क्रमशः तालिका-1 और तालिका-2 में दिए गए हैं। अनुमानित नियत निवेश और रोजगार संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II पर दिया गया है। चूंकि 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2006 के तहत मध्यम उद्यमों को पहली बार परिभाषित किया गया था अतः मध्यम उद्यम क्षेत्र में नियत निवेश और रोजगार के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

तालिका 1

क्षेत्र	नियत निवेश (करोड़ रु.)	
	2005-06	2006-07
1. सूक्ष्म उद्यम	1,07,983	1,13,023
2. लघु उद्यम	90,067	94,284
कुल	1,98,050	2,07,307

तालिका 2

क्षेत्र	रोजगार (लाख व्यक्ति)	
	2005-06	2006-07
1	2	3
1. सूक्ष्म उद्यम	193.87	202.15
2. लघु उद्यम	105.98	110.37
कुल	299.85	312.52

(ग) लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना (2001-02) के अनुसार 2001-02 के दौरान अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रबंधित उद्यमों की क्षेत्र-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा विवरण III में दी गई है।

विवरण-I

2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा किए गए अनुमानित नियत निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित नियत निवेश (करोड़ रु.)	
		2005-06	2006-07
1	2	3	4
1.	जम्मू-कश्मीर	1652	1738
2.	हिमाचल प्रदेश	1042	1104
3.	पंजाब	12929	13186
4.	चण्डीगढ़	588	604
5.	उत्तरांचल	2096	2294
6.	हरियाणा	8786	9052
7.	दिल्ली	7712	7913
8.	राजस्थान	8873	9254
9.	उत्तर प्रदेश	23407	24852
10.	बिहार	3251	3392
11.	सिक्किम	13	14
12.	अरुणाचल प्रदेश	40	42
13.	नागालैण्ड	524	601

1	2	3	4
14.	मणिपुर	413	428
15.	मिजोरम	155	167
16.	त्रिपुरा	370	384
17.	मेघालय	187	202
18.	असम	1399	1451
19.	पश्चिम बंगाल	6424	6638
20.	झारखंड	787	839
21.	उड़ीसा	2530	2640
22.	छत्तीसगढ़	2351	2420
23.	मध्य प्रदेश	4481	4723
24.	गुजरात	13908	14327
25.	दमन और दीव	4039	4216
26.	दादरा और नगर हवेली		
27.	महाराष्ट्र	38644	41197
28.	आन्ध्र प्रदेश	14047	14480
29.	कर्नाटक	10672	11206
30.	गोवा	839	855
31.	लक्षद्वीप	12	13
32.	केरल	8748	8998
33.	तमिलनाडु	16335	17252
34.	पुडुचेरी	742	766
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	56	58
	अखिल भारतीय	1,98,050	2,07,307

विवरण-II

2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में अनुमानित सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सृजित रोजगार	
		2005-06	2006-07
1	2	3	4
1.	जम्मू-कश्मीर	183962	192254
2.	हिमाचल प्रदेश	164464	172350
3.	पंजाब	1014594	1042995
4.	चण्डीगढ़	55826	57743
5.	उत्तरांचल	246642	262737
6.	हरियाणा	619731	640564
7.	दिल्ली	712888	737325
8.	राजस्थान	1055332	1097842
9.	उत्तर प्रदेश	4848046	5076632
10.	बिहार	1267525	1319395
11.	सिक्किम	1703	1774
12.	अरुणाचल प्रदेश	4965	5178
13.	नागालैण्ड	82875	91032
14.	मणिपुर	156904	162667
15.	मिजोरम	31318	33383
16.	त्रिपुरा	65640	68147
17.	मेघालय	83048	88418
18.	असम	511033	530497
19.	पश्चिम बंगाल	2494556	2586716
20.	झारखंड	335225	352479
21.	उड़ीसा	1091768	1134891

1	2	3	4
22.	छत्तीसगढ़	613479	635522
23.	मध्य प्रदेश	1609311	1680379
24.	गुजरात	1534932	1585675
25.	दमन और दीव	76163	79558
26.	दादरा और नगर हवेली		
27.	महाराष्ट्र	2569860	2704767
28.	आन्ध्र प्रदेश	2451500	2539234
29.	कर्नाटक	1968567	2056678
30.	गोवा	37368	38260
31.	लक्षद्वीप	2008	2106
32.	केरल	1332814	1374692
33.	तमिलनाडु	2703291	2840532
34.	पुडुचेरी	47779	49428
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9541	9831
	अखिल भारतीय	2,99,84,658	3,12,51,682

विवरण-III

2001-02 के दौरान अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का क्षेत्र-वार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की अनुमानित संख्या	
		सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम
1	2	3	4
1.	जम्मू-कश्मीर	803	1542
2.	हिमाचल प्रदेश	568	1445
3.	पंजाब	1676	1124

1	2	3	4
4.	चण्डीगढ	8	1
5.	उत्तरांचल	3191	1329
6.	हरियाणा	627	1773
7.	दिल्ली	370	1379
8.	राजस्थान	9184	8020
9.	उत्तर प्रदेश	10085	15608
10.	बिहार	3250	1745
11.	सिक्किम	45	9
12.	अरुणाचल प्रदेश	209	161
13.	नागालैण्ड	12568	882
14.	मणिपुर	24294	9002
15.	मिजोरम	5709	5200
16.	त्रिपुरा	297	1704
17.	मेघालय	12253	3488
18.	असम	5028	4488
19.	पश्चिम बंगाल	6539	2609
20.	झारखण्ड	22689	3912
21.	उड़ीसा	84318	12599
22.	छत्तीसगढ	16808	28246
23.	मध्य प्रदेश	30911	29752
24.	गुजरात	21155	39653
25.	दमन और दीव	5	3
26.	दादरा और नगर हवेली	21	118
27.	महाराष्ट्र	8108	12189
28.	आंध्र प्रदेश	9492	5983

1	2	3	4
29.	कर्नाटक	6472	16968
30.	गोवा	11	0
31.	लक्षद्वीप	390	136
32.	केरल	4667	1816
33.	तमिलनाडु	1936	4511
34.	पुडुचेरी	0	31
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1717	0
	अखिल भारतीय	3,05,406	2,17,425

[हिन्दी]

विदेश व्यापार

3437. श्री टेक लाल महतो: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान विदेश व्यापार से होने वाले लाभ में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विदेश व्यापार को बढ़ावा देने तथा इससे अर्जित होने वाले राजस्व को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान विदेश व्यापार से होने वाले लाभों में गिरावट के संबंध में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ग) सरकार का प्रयास यह रहता है कि विदेश व्यापार नीति (2004-09) तथा उसके वार्षिक पूरक अंक के प्रावधानों के अनुसार पहलों के जरिए विदेश व्यापार का संवर्धन किया जाए। सरकार द्वारा नीति के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार निर्यातों के संवर्धन हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण भारत के निर्यातों में गिरावट को रोकने के लिए चालू वर्ष के दौरान कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अन्य के साथ-साथ श्रम गहन निर्यातों के लिए लदान-पूर्व एवं लदान-पश्चात् निर्यात ऋण में ब्याज सहायता का प्रावधान, अंतिम उत्पाद शुल्क/सी.एस.टी. की पूर्ण वापसी हेतु अतिरिक्त निधि का प्रावधान, दुर्लभ बाजारों को/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटी प्रदान करने में ई.सी.जी.सी. को समर्थ बनाने के लिए उसे सरकार समर्थित गारंटी, निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 10% तक विदेशी एजेंट के कमीशनों पर निर्यातकों को सेवा कर की वापसी आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

कॉलेजों में रैगिंग

3438. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कॉलेजों में रैगिंग को रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कदम किस हद तक सफल रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का अनुवीक्षण करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की समय-समय पर बैठकें होती हैं तथा स्थिति की समीक्षा की जाती है एवं रैगिंग को

रोकने के संबंध में उच्चतम न्यायालय को प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस समिति के सुझावों के अनुसार, नियंत्रक प्राधिकरण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त विस्तृत प्रगति रिपोर्ट तथा रैगिंग की विशिष्ट घटनाओं के संबंध में जांच-पड़ताल रिपोर्ट समय-समय पर प्राप्त करते हैं। नियंत्रक प्राधिकरणों ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को यह भी निदेश दिया है कि वे अपनी विवरणिका में रैगिंग की घटनाओं के बारे में तथा संस्था में पिछले वर्षों के दौरान इस संबंध में दिए गए दंड के बारे में विस्तार से उल्लेख करें तथा इस बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि दोषी पाए जाने वाले विद्यार्थियों को संस्था से निष्कासित कर दिया जाएगा। पिछले दो वर्षों से भारत सरकार ने समाचार-पत्रों तथा दृश्य-श्रव्य मीडिया के माध्यम से नया सत्र शुरू होने पर रैगिंग के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। इसी के परिणामस्वरूप शैक्षिक संस्थाओं, विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों तथा पुलिस जैसे सभी स्टेकहोल्डर्स में रैगिंग के विपरीत प्रभावों तथा इस कुप्रथा पर रोक लगाने के संबंध में जागरूकता पैदा करने में काफी सफलता मिली है।

[हिन्दी]

खादी योजना के अंतर्गत अनियमितताएं

3439. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खादी के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का दुरुपयोग किए जाने और अनियमितताएं बरतने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) अभियुक्त के विरुद्ध विभागीय जांच सहित की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा इनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में खादी के निमित्त निधियों की निगरानी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी संस्थानों के साथ बजट चर्चा और खादी व ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा स्थापित आंतरिक मशीनरी द्वारा करवाए गए समेकित ऑडिट के क्रम में, लगभग 253 खादी संस्थानों में प्रमाणन नियमों के उल्लंघन संबंधी अनियमितताएं पाई गईं।

(ग) इन अनियमितताओं के संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

(i) खादी कार्यक्रम खादी संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो स्वायत्त पंजीकृत एजेंसियां हैं। इन संस्थानों द्वारा अपनाई गई उपविधियों के अनुसार, उन्हें खादी प्रमाण नियमों का पालन करना होता है। इन प्रमाणन नियमों में से किसी नियम का उल्लंघन अनियमितता माना जाता है। के.वी.आई.सी. ने लगभग 73 खादी संस्थानों के खादी प्रमाणपत्र रद्द किए हैं।

(ii) खादी प्रमाणन नियमों और दूसरे संबंधित मुद्दों में विभिन्न शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए, के.वी.आई.सी. में एक समेकित ऑडिट प्रणाली प्रचलन में है जो सुनिश्चित करती है कि कार्यान्वयक एजेंसियों को दी जा रही सहायता का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है और कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा खादी प्रमाणन नियमों में किए गए प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है।

(iii) खादी व ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, धारा 19-बी में यह भी है कि अभिव्यक्त या निहित, या अन्यथा, किसी भी समझौते के तहत आयोग को भुगतान योग्य किसी भी राशि की भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जा सकता है। तदनुसार, के.वी.आई.सी. ने देश के विभिन्न भागों में स्थित 73 खादी संस्थानों के खिलाफ कानूनी वसूली कार्रवाई शुरू की है।

(iv) केंद्रीय सतर्कता आयोग पुस्तिका के प्रावधान के अनुरूप, मामलों की जांच की जाती है और यदि यह साबित हो जाता है कि किसी शिकायत में कोई दम है तो चार्ज शीट जारी किए जाते हैं और विभागीय जांच की जाती है तथा खादी व ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अनुप्रयोग) विनियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार दंड निर्धारित किए जाते हैं।

(v) संस्थानों को जारी निधियों की नियमित निगरानी करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित किया

गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आंतरिक ऑडिट आयोजित किए जाते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी निधियों का उपयोग उसी के लिए किया गया है। अगर किसी प्रकार के दुरुपयोग की बात सामने आती है, तो वसूली की जाती है।

(vi) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा करवाए गए ऑडिट के अलावा के.वी.आई.सी. के प्रत्येक फील्ड ऑफिस में, एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया गया है। जब भी अनियमितताएं सामने आती हैं, सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(vii) योजना आयोग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भी के.वी.आई. कार्यकलापों/उसके संचालन की आवधिक समीक्षा करते हैं और के.वी.आई.सी. को निष्पादन में कमी आदि के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा जाता है।

(viii) जहां तक कि के.वी.आई.सी. के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी करवाई जाती है, जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें आती हैं, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों, के.वी.आई.सी. द्वारा विभागीय अधिकारियों के मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	कुल विभागीय शिकायतें		वर्ष के दौरान निपटान	शेष
	खाता खुलने पर शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		
2005-06	3	23	2	24
2006-07	24	4	4	24
2007-08	24	2	9	17

(घ) खादी के लिए रखी गई निधियों को किसी और काम में लगाने को रोकने के लिए के.वी.आई.सी. ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, के.वी.आई.सी. ने संस्थानों के लिए खादी संहिता भी बनाई है और ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा रहा है। आयोग की बैठकों में और मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निधियों के उपयोग और व्यय की समीक्षा की जाती है।

खादी उत्पादों का उत्पादन और बिक्री

3440. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री फ्रान्सिस फैन्थम:
श्री विजय कृष्ण:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री हरिसिंह चावडा:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वार्षिक लक्ष्यों और उपलब्धि के संदर्भ में देश में खादी उत्पादों की मांग, उत्पादन और बिक्री का राज्य-वार, उत्पादन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी उत्पादों की बिक्री घटी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है;

(घ) देश में खादी की उत्पादकता और बिक्री बढ़ाने हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धि के संदर्भ में खादी उद्योग में सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी उत्पादों को सूती, ऊनी तथा सिल्क किस्मों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। गत तीन वर्षों के दौरान खादी की इन तीन किस्मों के उत्पाद-मूल्यों तथा विक्रय-

मूल्यों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे क्रमशः विवरण-I तथा II में दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान उत्पादन मूल्य तथा की गई बिक्री/की जाने वाली बिक्री से सम्बद्ध आंकड़े इस वर्ष के पूरा होने तथा आंकड़े समेकित करने के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेंगे।

(ख) जी, नहीं। जैसा कि नीचे विवरण-II में देखा जा सकता है, गत तीन वर्षों में खादी क्षेत्र में खादी उत्पादों का विक्रय मूल्य बढ़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खादी की उत्पादकता और बिक्री बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) खादी उद्योगों और दस्तकारों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए स्कीम के साथ-साथ इस स्कीम का उद्देश्य खादी उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, बाजार आधारित बनाने तथा उत्पादन, वितरण, संवर्धन एवं क्षमता-निर्माण जैसी खादी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में एकसमरूप आधारित तथा आवश्यकता आधारित समर्थन सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। प्रारंभ में इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु 200 खादी संस्थानों को इस स्कीम में शामिल करने के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है।

(ii) खादी दस्तकारों के लिए एक वर्कशेड स्कीम भी शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य दस्तकारों को बेहतर वर्कशेड/अवसंरचना प्रदान करना है ताकि वे अपने चरखा एवं बुनकर कार्य कुशलता बनाए रख सकें, उन्हें अधिक संग्रहण, पूनियां रखने, कच्चा माल रखने, औजार और उपकरण, डॉबी, जेकार्ड यार्न कपड़ा आदि रखने के लिए अधिक कार्य-स्थल उपलब्ध हो सके। इस स्कीम में बिजली के कनेक्शन और वर्कशेड की लाइटिंग के द्वारा बुनकरों की कुशलता और उत्पादकता में सुधार भी किया जाता है। वर्ष 2008-09 में 10,000 वर्कशेडों के निर्माण के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने 25 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

(iii) वर्ष 2008-09 में सरकार ने खादी की बिक्री पर छूट के रूप में बिक्री संवर्धन सहायता जारी रखी है।

(iv) डिजाईन, पैकेजिंग, इत्यादि में सुधार सहित खादी उत्पादों के बेहतर परिणाम लाने के उद्देश्य से प्रोडक्ट डेवलेपमेंट डिजाईन इन्टरवेंशन एंड पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) नामक एक स्कीम शुरू की गई है ताकि खादी उत्पादों को बाजार में उतारने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके।

(v) के.वी.आई. उत्पादों की बिक्री में सुधार हेतु तीन समग्र ब्रांड अर्थात् खादी इंडिया, देसी आहार तथा सर्वोदय शुरू किए गए हैं।

(vi) के.वी.आई. उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरुकता सृजन करने तथा बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शनियां आयोजित करने संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2007-08 के दौरान देश भर में ऐसी कुल 118 प्रदर्शनियां/अवसर आयोजित किए गए हैं।

(vii) के.वी.आई. उत्पादों के निर्यात गति प्रदान करने के लिए निर्यातोन्मुख इकाइयों को प्रोत्साहन देना जारी रखा गया है। के.वी.आई. उत्पादों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार द्वारा के.वी.आई.सी. को मान्य निर्यात संवर्धन परिषद् (ई.पी.सी.) का दर्जा दिया गया है। अब तक 750 इकाइयां/संस्थान के.वी.आई.सी. - ई.पी.सी. के सदस्य बन चुके हैं।

(viii) उत्पाद विकास और उत्पाद नवीनीकरण के लिए के.वी.आई.सी. ने आई.आई.टी. और एन.आई.आई.टी. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खादी फैब्रिक में आधुनिक डिजाईन और स्टाईल शुरू करने के लिए के.वी.आई.सी. ने राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (एन.आई.डी.), अहमदाबाद और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.), नई दिल्ली के साथ अनुबन्धन विकसित किए हैं। इन परियोजनाओं के तहत, एन.आई.डी. सुविज्ञों के द्वारा अनेक डिजाईन विकसित किए गए हैं जिनसे खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ी है।

(ix) युवा पीढ़ी के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर डिजाईनों में बाजार में खादी फैब्रिक से बनी नई चीजें और नए रंग और पैकेजिंग भी उतारे गए हैं, जैसे कि खूबसूरत खादी, डेनिम जीन्स, सॉफ्ट एंड स्टिफ खादी।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान खादी क्षेत्र में प्रदान किए गए रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण-I

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान सूती, ऊनी और सिल्क खादी के उत्पादन के मूल्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06				2006-07				2007-08			
		सूती	ऊनी	सिल्क	कुल	सूती	ऊनी	सिल्क	कुल	सूती	ऊनी	सिल्क	कुल
1.	चंडीगढ़	0.35	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	0.39	0.00	0.00	0.39
2.	दिल्ली	140.77	13.48	0.00	154.25	166.06	13.48	0.00	179.54	205.43	13.30	0.00	218.73
3.	हरियाणा	1777.19	1580.89	0.00	3358.08	1895.50	1791.51	0.00	3687.01	2195.52	2301.07	0.00	4496.59
4.	हिमाचल प्रदेश	67.05	256.55	0.00	323.60	69.77	286.73	0.00	356.50	78.61	314.26	0.00	392.87
5.	जम्मू-कश्मीर	9.09	691.60	0.21	700.90	9.30	709.95	0.29	719.54	18.50	1197.16	7.60	1223.26
6.	पंजाब	788.88	217.05	0.00	1005.93	793.39	215.86	0.00	1009.25	888.40	239.60	0.00	1128.00
7.	राजस्थान	1341.42	1389.27	0.00	2730.69	1479.49	1408.50	0.00	2887.99	1876.55	1289.10	1.29	3166.94
8.	बिहार	372.03	118.56	169.97	660.56	462.03	128.16	174.07	764.26	481.51	198.68	176.75	856.94
9.	झारखण्ड	40.56	14.58	243.17	298.31	43.46	15.05	253.27	311.78	48.00	17.15	269.36	334.51
10.	उड़ीसा	47.68	0.00	180.68	228.36	55.32	0.00	196.67	251.99	89.56	0.00	204.95	294.51
11.	पश्चिम बंगाल	1050.77	0.00	3742.03	4792.80	1095.70	0.00	3759.70	4855.40	1192.40	0.00	4297.95	5490.35
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.45	0.00	5.51	5.96	0.56	0.00	6.20	6.76	0.83	0.00	8.58	9.41
13.	असम	36.97	0.00	436.67	473.64	51.00	0.00	439.86	490.86	30.22	0.00	554.48	584.70
14.	मणिपुर	21.02	0.00	34.80	55.82	23.21	0.00	39.29	62.50	25.25	0.00	42.64	67.89

15. मेघालय	1.00	1.01	2.07	4.08	1.04	1.05	2.12	4.21	2.60	0.00	3.72	6.32
16. मिजोरम	0.31	0.00	58.52	58.83	0.32	0.00	59.50	59.82	33.64	0.00	0.00	33.64
17. नागालैंड	6.75	10.00	55.25	72.00	0.00	10.00	64.85	74.85	0.00	0.00	55.95	55.95
18. सिक्किम	2.24	1.70	0.00	3.94	4.14	2.14	0.00	6.28	0	0	0	0
19. त्रिपुरा	8.13	0.00	0.00	8.13	8.46	0.00	0.00	8.46	2.67	0.00	0.00	2.67
20. आन्ध्र प्रदेश	1031.76	20.40	464.28	1516.44	1100.56	23.40	415.88	1539.84	1714.62	33.46	463.75	2211.83
21. कर्नाटक	1663.01	746.23	894.67	3303.91	1748.41	778.20	919.05	3445.66	1956.25	870.44	1028.15	3854.84
22. केरल	1140.45	0.00	49.64	1190.09	1457.28	0.00	54.94	1512.22	1512.07	0.00	62.15	1574.22
23. पुडुचेरी	0.05	0.00	5.26	5.31	0.06	0.00	6.50	6.56	0.08	0.00	6.87	6.95
24. तमिलनाडु	2242.04	0.00	3366.01	5608.05	2540.29	0.00	3705.07	6245.36	2901.89	0.00	3414.50	6316.39
25. गुजरात	1898.30	150.63	732.68	2781.61	1992.81	182.84	732.68	2908.33	2265.35	207.10	836.88	3309.33
26. महाराष्ट्र	279.38	0.00	4.72	284.10	287.20	0.00	4.98	292.18	395.52	0.00	0.00	395.52
27. छत्तीसगढ़	54.44	6.43	692.70	753.57	61.11	4.27	632.12	697.50	93.36	8.00	868.26	969.62
28. मध्य प्रदेश	136.28	215.56	197.28	549.12	143.54	218.75	199.08	561.37	232.28	145.52	510.30	888.10
29. उत्तराखंड	672.66	388.50	0.00	1061.16	670.13	381.54	0.00	1051.67	732.80	433.09	0.00	1165.89
30. उत्तर प्रदेश	13169.03	1405.55	266.15	14840.73	13415.79	1458.96	278.85	15153.60	13419.57	1641.23	221.70	15282.50
कुल	28000.06	7227.99	11602.27	46830.32	29576.28	7630.39	11944.97	49151.64	32393.87	8909.16	13035.83	54338.86

विवरण-II

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान सूती, ऊनी और सिल्क खादी की बिक्री के मूल्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06				2006-07				2007-08			
		सूती	ऊनी	सिल्क	कुल	सूती	ऊनी	सिल्क	कुल	सूती	ऊनी	सिल्क	कुल
1.	चंडीगढ़	30.25	9.15	19.50	58.90	32.00	9.45	20.10	61.55	26.80	7.99	23.76	58.55
2.	दिल्ली	965.98	244.17	490.69	1700.84	965.98	244.17	490.69	1700.84	1195.87	322.16	612.24	2130.27
3.	हरियाणा	2474.03	626.49	261.64	3362.16	2707.62	711.39	273.55	3692.56	2285.02	1039.57	460.08	3784.67
4.	हिमाचल प्रदेश	778.10	215.35	34.75	1028.20	731.74	212.90	29.79	974.43	517.94	208.12	29.79	755.85
5.	जम्मू-कश्मीर	114.14	705.30	15.51	834.95	129.20	749.60	19.63	898.43	193.70	1323.90	47.42	1565.02
6.	पंजाब	998.40	138.54	89.64	1226.58	943.42	134.25	99.39	1177.06	998.77	133.51	93.36	1225.64
7.	राजस्थान	2269.83	1156.62	115.89	3542.34	2390.27	1214.44	122.38	3727.09	3133.28	1498.43	144.70	4776.41
8.	बिहार	498.27	371.99	220.79	1091.05	527.27	384.79	332.79	1244.85	634.89	424.63	263.14	1322.66
9.	झारखण्ड	275.02	285.30	278.71	839.03	289.25	304.11	294.21	887.57	298.40	313.85	303.79	916.04
10.	उड़ीसा	75.31	2.17	177.61	255.09	78.27	2.68	179.06	260.01	72.83	2.82	176.66	252.31
11.	पश्चिम बंगाल	520.70	75.40	1728.70	2324.80	554.40	79.25	1781.75	2415.40	671.60	82.90	1942.95	2697.45
12.	अरुणाचल प्रदेश	4.62	0.33	5.82	10.77	6.22	0.58	7.25	14.05	6.55	0.60	7.42	14.57
13.	असम	75.04	2.66	304.66	382.36	79.68	3.50	340.94	424.12	81.12	3.62	370.94	455.68
14.	मणिपुर	21.02	0.00	34.80	55.82	25.05	0.90	36.08	62.03	27.50	1.10	37.00	65.60
15.	मेघालय	1.82	2.22	1.06	5.10	1.95	2.45	1.18	5.58	2.05	2.55	1.21	5.81

16. मिजोरम	0.29	0.00	2.54	2.83	0.35	0.05	2.95	3.35	0.40	0.07	3.05	3.52
17. नागालैण्ड	16.72	13.56	29.37	59.65	18.47	16.19	39.82	74.48	18.95	16.67	42.85	78.47
18. सिक्किम	3.20	1.72	0.78	5.70	4.80	2.40	1.50	8.70	5.02	2.48	1.52	9.02
19. त्रिपुरा	2.39	46.13	0.03	48.55	2.39	46.13	0.03	48.55	4.01	50.83	0.48	55.32
20. आन्ध्र प्रदेश	687.71	41.30	176.11	905.12	721.75	4.25	209.73	935.73	865.18	3.39	247.67	1116.24
21. कर्नाटक	1906.79	685.29	809.79	3401.87	1919,45	776.71	900.46	3596.62	2085.42	815.23	941.95	3842.60
22. केरल	2084.90	3.72	535.59	2624.21	2752.81	1.98	688.56	3443.35	2812.15	3.45	1050.40	3866.00
23. पुदुचेरी	30.86	0.53	1061.00	1092.39	32.87	0.59	1108.10	1141.56	42.03	0.62	40.99	83.64
24. तमिलनाडु	3324.16	103.24	2972.64	6400.04	4023.02	112.47	3335.31	7470.80	4136.24	173.60	4039.36	8349.20
25. गोवा	43.50	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	3.10	21.27	49.57
26. गुजरात	2853.59	210.69	1016.14	4080.42	2961.93	268.94	1016.14	4247.01	3372.18	273.53	785.95	4431.66
27. महाराष्ट्र	895.71	45.05	239.20	1179.96	976.14	50.46	257.14	1283.74	1034.60	52.85	273.18	1360.63
28. छत्तीसगढ़	216.06	107.48	297.79	621.33	212.87	125.37	340.42	678.66	212.47	157.95	417.03	787.45
29. मध्य प्रदेश	446.54	355.19	1022.33	1824.06	490.85	375.66	776.95	1643.46	526.27	404.86	847.30	1778.43
30. उत्तराखण्ड	1217.96	472.35	160.64	1850.95	1239.86	484.42	163.55	1887.83	1528.47	595.02	243.95	2367.44
31. उत्तर प्रदेश	15901.45	4478.77	1630.01	22010.23	15829.02	4682.55	1797.86	22309.43	16817.99	5140.99	2274.71	24233.69
कुल	38734.36	10400.71	13733.73	62868.80	40648.90	11002.63	14667.31	66318.84	43632.90	13060.39	15746.12	72439.41

विवरण-III

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान खादी क्षेत्र में प्रदान किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रोजगार संबंधी ब्यौरा

(लाख व्यक्ति)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	चण्डीगढ़	*	*	*
2.	दिल्ली	0.04	0.04	0.04
3.	हरियाणा	0.38	0.38	0.39
4.	हिमाचल प्रदेश	0.08	0.08	0.08
5.	जम्मू-कश्मीर	0.24	0.24	0.25
6.	पंजाब	0.42	0.41	0.42
7.	राजस्थान	0.60	0.62	0.65
8.	बिहार	1.02	1.02	1.02
9.	झारखण्ड	0.03	0.03	0.03
10.	उड़ीसा	0.03	0.03	0.03
11.	पश्चिम बंगाल	0.63	0.69	0.72
12.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*
13.	असम	0.11	0.12	0.14
14.	मणिपुर	0.01	0.01	0.01
15.	मेघालय	*	*	*
16.	मिजोरम	*	*	*
17.	नागालैण्ड	0.01	0.01	0.01
18.	सिक्किम	*	*	*
19.	त्रिपुरा	*	*	*
20.	आन्ध्र प्रदेश	0.24	0.26	0.27

1	2	3	4	5
21.	कर्नाटक	0.28	0.29	0.31
22.	केरल	0.15	0.12	0.13
23.	पुडुचेरी	*	*	*
24.	तमिलनाडु	0.38	0.4	0.43
25.	गुजरात	0.27	0.28	0.29
26.	महाराष्ट्र	0.02	0.02	0.03
27.	छत्तीसगढ़	0.02	0.03	0.04
28.	मध्य प्रदेश	0.05	0.05	0.05
29.	उत्तराखण्ड	0.27	0.28	0.30
30.	उत्तर प्रदेश	3.4	3.43	3.52
	सकल योग	8.68	8.84	9.16

*टिप्पणी: संख्या 500 से कम

लघु उद्योग के अंतर्गत आरक्षित वस्तुएं

3441. श्री वी.के. तुम्मर:

श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन हेतु आरक्षित सूची में शामिल वस्तुओं की संख्या लगातार कम की जा रही है;

(ख) पिछली बार उक्त सूची से हटायी गई वस्तुओं के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आरक्षित सूची से वस्तुओं के हटाए जाने से लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) सरकार लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) के लिए विशेष रूप से आरक्षित मदों के प्रगामी अनारक्षण की नीति का अनुसरण कर रही है। हटाई गई 14 मदों की सूची विवरण में दी गई हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया है। समीक्षा के दौरान विशेष रूप से विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में संशोधन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर निवेश हेतु अवसर सृजित करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुविधाजनक बनाना, गुणवत्ता सुधार करना, निर्यात को बढ़ावा देना तथा उक्त मद के विनिर्माण में अर्थव्यवस्था के पैमाने को प्राप्त करना शामिल हैं।

पिछले 10 वर्षों के दौरान अनारक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किये गये दो अध्ययनों ने लघु उद्यमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाया है।

विवरण

दिनांक 10 अक्तूबर, 2008 के सा.का. 2439(अ) के तहत अति लघु तथा लघु उद्यम क्षेत्र द्वारा विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची से हटाई गयी 14 मदों की सूची

क्र. सं.	क्र.सं. (राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार)	उत्पाद कोड	उत्पाद का नाम
1	2	3	4
		20-21	खाद्य तथा संबद्ध उद्योग
1.	16	21920101	तेल वाले मसाले तथा ओलियो रेजिन मसालों को छोड़कर ग्राउंड तथा संसाधित मसाले
		303	प्लास्टिक उत्पाद
2.	126	301201	पूर्ण पी.वी.सी. फुटवियर चप्पल, सेंडल तथा शूज
3.	133	30350101	सह-निकाली गई फिल्म क्रास लिंकड पॉलीमर फिल्में तथा उच्चसघनता मोलीक्यूलर फिल्मों के अलावा 0.10 मि.मी. से कम मोटाई सहित पॉलीथिन फिल्में
4.	134	30350102	पालीथन फिल्मों के उत्पाद यथा रंगीन मुद्रित फिल्में तथा थैले
5.	136	303702	पालीप्रोपाइलीन ट्यूबलर फिल्में (बाईएक्सियली उन्मुख के अलावा)
			आर्गेनिक रसायन, औषध तथा औषध मध्यवर्ती
6.	235	310645	डाई इथाइल फेथेलेट
7.	236	310646	डायोसाइटिल फेथेलेट
8.	242	312405	क्लोरीनेटिड पैराफिन वेक्स (क्लोरीन मात्रा 60 प्रतिशत तक)
			अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद
9.	256	310111	बरियम कार्बोनेट
10.	279	310337	जिंक सल्फेट उतोत्पाद के रूप में प्राथमिक धातु द्वारा विनिर्माण को छोड़कर
		33-35	परिवहन उपकरण को छोड़कर मेकेनिकल इंजीनियरिंग
11.	393	341001015	दरवाजे, खिड़की तथा वेंटीलेटर्स मेटेलिक (सुरक्षा अग्नि से बचाव ध्वनि अभेध तथा बुलट संकेद्रण प्रतिरोध जैसे विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त गैर धातु कोर के साथ भरे हुए भारी कार्य खाली स्टील दरवाजों को छोड़कर)

1	2	3	4
12.	464	343627	विल्डर्स हार्डवेयर
		36	इलेक्ट्रानिक्स तथा इलैक्ट्रिकल उपकरणों सहित विद्युत मशीनें, उपकरण तथा प्रणालियां
13.	553	36040201	विद्युत मोटर 1 होर्स पावर से 10 होर्स पावर/विशेष किस्म के ए.सी. के अलावा
14.	587	363804	स्विच, प्लग तथा साकेट को छोड़कर इलैक्ट्रिकल वायरिंग की सहायक सामग्री

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II - खण्ड 3 - उप खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 1430]

नई दिल्ली शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2008/ आश्विन 18, 1930

(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2008

का.आ. 2439(अ) - केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरक्षण पर सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, लघु सेक्टर में ही निर्मित किए जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची से संबंधित अनुसूची 3 में क्रम संख्यांक "16, 126, 133, 134, 136, 235, 236, 242, 256, 279, 393, 464, 553 और 587" और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 7(5)/2002-आई.पी.]

एन.एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 25 जुलाई, 1991 में संख्यांक का.आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें निम्नलिखित द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए:-

1. का.आ. 298(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1997,
2. का.आ. 71(अ), तारीख 3 फरवरी, 1999,
3. का.आ. 673(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000,
4. का.आ. 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 2001, और

   का.आ. 20(अ), तारीख 9 जनवरी, 2001,
5. का.आ. 603(अ), तारीख 29 जून 2001,
6. का.आ. 533(अ), तारीख 20 मई, 2002,
7. का.आ. 649(अ), तारीख 3 जून, 2003,
8. का.आ. 1169(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2004,
9. का.आ. 420(अ), तारीख 28 मार्च, 2005,
10. का.आ. 722(अ), तारीख 16 मई, 2006,
11. का.आ. 62(अ), तारीख 22 जनवरी, 2007,

12. का.आ. 355(अ), तारीख 13 मार्च, 2007 और

13. का.आ. 246(अ), तारीख 5 फरवरी, 2008.

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

3442. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों (एन.आई.डी.) की राज्य-वार और स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में ऐसे और अधिक संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) किस समय तक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को स्थापित किए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) इस समय केवल एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन.आई.डी.) है जो गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर तथा कर्नाटक के बेंगलुरू में तीन परिसरों में कार्य कर रहा है।

(ख) से (घ) 8 फरवरी 2007 को घोषित की गई राष्ट्रीय डिजाइन नीति में भारतीय डिजाईन शिक्षा को उत्कृष्टता के वैश्विक स्तर तक बढ़ाने की परिकल्पना है। नीति को कार्यान्वित करने की कार्रवाई योजना में नए डिजाइन संस्थानों की स्थापना करना शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में एक संस्थान की स्थापना करने के लिए लगभग 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 अगस्त 2008 को अपने असम दौरे के दौरान गुवाहाटी में एक संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। असम सरकार ने इस प्रयोजन के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि का आवंटन करने तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इन स्थानों पर नए संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।

सचिव स्तरीय वार्ता

3443. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत पाकिस्तान के गृह सचिवों ने इस्लामाबाद में बैठक की है तथा विभिन्न विश्वास बहाली उपायों पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) पाकिस्तान द्वारा इस संबंध में दिए गए आश्वासनों का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) पाकिस्तान के साथ गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं का पांचवां दौर, दिनांक 25-26 नवम्बर, 2008 को इस्लामाबाद में हुआ। इस्लामाबाद में हुई गृह सचिव स्तरीय उल्लिखित वार्ता संपन्न होने के बाद वार्ता के परिणामों का एक व्यक्तव्य जारी किया था। इसकी एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संयुक्त वक्तव्य

कंपोजिट डायलॉग के एक भाग के रूप में आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में पाकिस्तान और भारत के आंतरिक/गृह सचिव स्तर की वार्ता का पांचवां दौर, दिनांक 25 और 26 नवम्बर, 2008 को इस्लामाबाद में आयोजित किया गया। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सैयद कमाल शाह, सचिव, आंतरिक मंत्रालय द्वारा किया गया था जबकि भारतीय प्रधिनिधि मंडल की अध्यक्षता श्री मधुकर गुप्ता, भारत के गृह सचिव ने की थी।

2. यह बैठक सौहार्द और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई।

3. दोनों पक्षों ने आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और पिछले दौर में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की।

दोनों पक्षों ने प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कई क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने के तरीकों की पहचान की।

4. दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और प्रदर्शन की निन्दा की और आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के अपने संकल्प की पुष्टि की। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि आतंकवाद रोका जाना चाहिए और दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में न्यूयार्क में दोनों देशों के नेताओं द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार आतंकवादी कृत्यों में संलिप्त सभी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

5. दोनों पक्षों ने सदभाव और माननीय सदाचार के रूप में इन वार्ताओं की पूर्व संध्या पर एक-दूसरे देश के कैदियों और मछुवारों को छोड़े जाने का स्वागत किया। इस बात पर सहमति हुई कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 तक उन सिविल कैदियों के नामों का आदान-प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रिक स्थिति सिद्ध हो गई ताकि जनवरी में उन्हें रिहा किया जा सके। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि मछुवारों और नावों को शीघ्र छोड़ा जाए। इस बात पर आगे और सहमति व्यक्त की गई कि राष्ट्रिकता की स्थिति का सत्यापन कंस्यूलर एक्सेस प्रावधान के छः हफ्तों के अंदर किया जाए।

6. दोनों पक्षों ने पाकिस्तान-भारत कंपोजिट डायलॉग के चौथे दौरे की पुनरीक्षा के दौरान कंस्यूलर एक्सेस के करार पर किए गए हस्ताक्षर का स्वागत किया और करार के पूरे कार्यान्वयन की पुष्टि की।

7. दोनों पक्षों ने कैदियों को रिहा करने, वापस भेजने और मानवीय व्यवहार करने के लिए कैदियों की न्यायिक समिति द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और समिति के कार्य को जारी रखने पर सहमति प्रकट की।

8. दोनों पक्षों ने वीजा उदारीकरण की जरूरत को रेखांकित किया। इस संदर्भ में वीजा करार के मसौदे पर उपयोगी चर्चा की गई। चर्चा किए गए पैरामीटरों के आधार पर भारतीय पक्ष, चार हफ्तों के अंदर वीजा करार के मसौदे का प्रस्ताव रखेगा।

9. दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि अनजाने में सीमा पार करने वालों के साथ माननीय दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाएगा और परंपरागत सी.बी.एम. संबंधी विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा जिसकी बैठक शीघ्र ही होने वाली है, अनजाने में सीमा पार किए जाने संबंधी करार के मसौदे को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।

10. दोनों पक्षों ने नोट किया कि दोनों देशों के धार्मिक स्थलों की सूची के साथ-साथ धार्मिक स्थल जाने संबंधी 1974 के प्रोटोकोल में संशोधन किए जाने का समय आ गया है। इस विषय पर प्रोमोशन ऑफ फ्रेंडली एक्सचेंज पर सचिव स्तर की वार्ताओं के तहत चर्चा की जाएगी जो शीघ्र ही होने वाली है। इस बारे में यह सिफारिश की गई कि संशोधन प्रोटोकोल और धार्मिक स्थलों की सूची को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और पाकिस्तान पक्ष इस बात पर सहमत हुआ कि फ्रेंडली एक्सचेंज पर वार्तायें होने से पहले वह सूचियों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर देगा।

11. दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के स्वापक विरोधी बल और भारत के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के बीच वर्तमान सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान का साकारात्मक आकलन किया और सहमति व्यक्त की कि दोनों एजेंसियां नशीले पदार्थ के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी और सतत कदम उठाने के संदर्भ में आपसी सहयोग बढ़ायेंगे।

12. स्वापक नशीले पदार्थों/मनः प्रभावी पदार्थों/और प्रिकर्सर रसायनों तथा संबंधित मामलों में ड्रग डिमांड रिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रेफिकिंग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने इस प्रगति का स्वागत किया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि समझौता ज्ञापन इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ावा देगा। यह सहमति व्यक्त की गई कि सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए यथाशीघ्र पाकिस्तान के महानिदेशक ए.एन.एफ. और भारत के महानिदेशक, एन.सी.बी. यथाशीघ्र बैठक करेंगे।

13. यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी और भारत का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, रेड कार्नर नोटिस (आर.सी.एम.) के विषयों के साथ-साथ मानव के अवैध व्यापार, अवैध अप्रवासन और जाली मुद्रा के मुद्दों को हल करने के लिए सहयोग करने के तरीकों पर चर्चा करने हेतु शीघ्र ही एक बैठक आयोजित करेंगे।

14. भारत के गृह सचिव ने आंतरिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार मंत्री से मुलाकात की और परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा की।

15. इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि कंपोजिट डायलोग के ढांचे के अंदर चर्चायें जारी रखी जाए।

इस्लामाबाद

दिनांक 26 नवम्बर, 2008

रबड़ अनुसंधान संस्थान

3444. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (आर.आर.आई.) ने रबड़ की खेती के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थलों की उपयुक्तता सहित तत्संबंधी स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर.आर.आई. एक अन्य निजी भूमि के लिए इसकी अत्यधिक लागत को ध्यान में रखे बगैर प्रयास कर रही है; और

(घ) आर.आर.आई. को सरकार द्वारा निःशुल्क पेशकश की गई भूमि को छोड़कर निजी भूमि की खरीद करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (आर.आर. आई.आई.) ने आर.आर.आई.आई. के अंतर्गत हीविया प्रजनन उप-केंद्र (एच.बी.एस.एस.) की स्थापना हेतु कन्याकुमारी जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित स्थलों (i) चेल्लन कोनन ग्राम, काल्कुलम तालुक, कन्याकुमारी जिले की कप्पियाराई पंचायत में सर्वेक्षण सं. 18/1 तथा 18/2 तथा (ii) काल्कुलम ग्राम, काल्कुलम तालुक, कन्याकुमारी जिले में आर.एस. सं. 808/1 एवं 3,816/6-870 का निरीक्षण किया है। इन स्थलों में पथरीले क्षेत्रों के कारण और उचित पहुंच मार्गों के अभाव में इन्हें प्रस्तावित हीविया प्रजनन उप-केन्द्र की स्थापना हेतु अनुपयुक्त पाया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ का आयात

3445. श्री एस. अजय कुमार:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में देश में प्राकृतिक रबड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या भारत पड़ोसी देशों से रबड़ का आयात करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में मलेशिया सहित किन-किन देशों से कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया और इन आयातों पर लगाए गए कर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सस्ते रबड़ के आयात से घरेलू उत्पादक प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो प्रभावित घरेलू रबड़ उत्पादकों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) देश में प्राकृतिक रबड़ (एन.आर.) के कुल उत्पादन, मलेशिया सहित आयातित रबड़ की देश वार मात्रा एवं पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान आयातित प्राकृतिक रबड़ पर लगाए गए अनुमानित कर के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

वर्ष	एन.आर. का उत्पादन (टन)	एन.आर. का आयात (टन)							आयातित एन.आर. पर लगाया गया अनुमानित कर (करोड़ रुपए में)
		इंडोनेशिया	थाईलैंड	मलेशिया	वियतनाम	श्रीलंका	अन्य	कुल	
2005-06	802,625	17205	9575	9293	3464	1550	4198	45285	2.20
2006-07	852,895	39404	32254	4839	3311	7644	2347	89799	5.15
2007-08	825,345	36694	33975	3905	3005	7277	1538	86394	3.94
2008-09 *(अप्रैल-अक्तूबर)	574,865	16990	31125	3094	1132	3143	438	55922	1.38

* अनंतिम। वर्ष 2008-09 के दौरान देश में एन.आर. के उत्पादन के अंतर्गत दर्शाए गए आंकड़े अप्रैल-नवम्बर 2008 तक की अवधि के लिए हैं।

(घ) और (ङ) सस्ते एन.आर. के असामयिक आयात के कारण बहुधा घरेलू कीमतों में गिरावट आती है। रबड़ के प्रसंस्करण एवं विपणन में सामूहिक नीति को प्रोत्साहित किया जाता है। दिनांक 01-12-2008 से वायदा व्यापार को अस्थाई तौर पर स्थगित कर दिया गया है। एन.आर. के आयात की नियमित निगरानी की जाती है। एन.आर. के निर्यात का संवर्धन किया जाता है।

जेलों से भागना

3446. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से जेलों से भागने संबंधी घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या, बिहार सहित, राज्य-वार कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार ने जेल सुरक्षा के बारे में विशेषकर आतंकवादियों को रखे जाने वाले उच्च सुरक्षा जेलों के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं तथा जेल परिसरों में एवं इनके इर्द-गिर्द सुरक्षा एवं निगरानी की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को निदेश दिया हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार क्या कार्यवाही की गयी हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा समेकित आंकड़ों के अनुसार, 2004 से 2007 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जेल तोड़ने की घटनाओं को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अन्तर्गत कारागार राज्य के विषय हैं और कारागार का प्रशासन राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, जेलों में सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को केन्द्र सरकार द्वारा सलाहकारी निर्देश जारी किए जाते हैं।

भारत सरकार ने 2003 में उक मानक कारागार नियमावली तैयार की है इसे अपनाए जाने के लिए समस्त राज्यों/संघशासित प्रदेशों को परिचालित कर दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अत्यधिक सुरक्षा वाले बंदियों तथा हिरासतियों की विवेचना के लिए विशेष प्रावधान निहित है।

विवरण

2004-2007 के दौरान जेल तोड़ने की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004	2005	2006	2007 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	0	1	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	1	1
6.	गोवा	0	2	3	0
7.	गुजरात	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	0	0	0	एन.ए.
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	एन.ए.
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	0	2	0	एन.ए.
12.	कर्नाटक	0	0	0	एन.ए.
13.	केरल	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	2	0	1	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	2	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	1
22.	राजस्थान	0	0	0	1
23.	सिक्किम	1	0	0	0
24.	तमिलनाडु	4	एन.ए.	0	एन.ए.
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	1
27.	उत्तरांचल	0	0	0	एन.ए.
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	एन.ए.
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	एन.ए.
30.	चंडीगढ़	1	1	1	एन.ए.
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	एन.ए.
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	11	8	6	4

*जेल विद्यमान नहीं हैं।

एन.ए.: उपलब्ध नहीं हैं।

वैज्ञानिक क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी भागीदारी

3447. श्री सर्वे सत्यनारायण:

श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान सहित वैज्ञानिक क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी भागीदारी वाले संयुक्त उद्यम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) वैज्ञानिकों के सरकारी कर्मचारी के रूप में बने रहने के साथ इनकी सक्रिय भागीदारी से स्थापित सरकारी-निजी वाणिज्यिक ढांचे से वैज्ञानिकों एवं देश को प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं से स्वयं अपना निजी अनुसंधानोन्मुखी वाणिज्यिक उद्यम शुरू करने के लिए कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं और इस पर सरकार ने क्या अनुक्रिया की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) अनुसंधान सहित वैज्ञानिक क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी भागीदारी वाले किसी संयुक्त वाणिज्यिक उद्यम की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, सरकार द्वारा ऐसी स्कीमें प्रारंभ की गई हैं जिनमें सरकारी और निजी अनुसंधान संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जाता है। ये स्कीमें हैं - औषध एवं भेषज कार्यक्रम, लघु व्यवसाय नवोन्मेष अनुसंधान पहल (एस.बी.आई.आर.आई.), नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एन.एम.आई.टी.एल.आई.), प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम (टी.डी.डी.पी.) आदि।

(घ) प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम (टी.डी.डी.पी.) के अंतर्गत, सरकार अनुसंधान अभिमुखी वाणिज्यिक उद्यमों की स्थापना करने के लिए वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक, 30 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 8 प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश की गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव

3448. श्री जीवाभाई ए. पटेल:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ए.ई.आर. ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि लिंकेज से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

3449. श्री निखिल कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (जी.ओ.एम.) ने हाल ही में एक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दी है जो कि सभी नागरिकों को बहुउद्देश्यीय पहचान-पत्र देने की प्रक्रिया को सुकर बनाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) अधिकार सम्पन्न मंत्रियों के समूह ने दिनांक 4 नवम्बर, 2008 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में देश के सभी निवासियों का एक विशिष्ट पहचान आंकड़ा आधार (यूनीक आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस) तैयार करने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक छोटे प्रमुख दल के साथ योजना आयोग में यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी ऑफ इंडिया (यू.आई.डी.ए.आई.) के गठन को मंजूरी प्रदान की। अधिकार सम्पन्न मंत्रियों के समूह ने नागरिकों को बहुउद्देशीय पहचान पत्र देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

हिन्दी प्रचार सभा

3450. श्री के. सुब्बारायण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पी.आर. दास गुप्ता समिति ने हिन्दी प्रचार सभा के प्रशासन के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन सिफारिशों का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) इस समिति की विस्तृत सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (च) सरकार ने इस समिति की सिफारिशों की जांच की थी और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा-3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 12-11-2007 के पत्र के जरिए यह सूचित किया है कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा से यह अनुरोध किया जाए कि सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार और इस उद्देश्यार्थ निर्धारित फॉर्मेट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए। तद्नुसार उच्चतर शिक्षा विभाग ने दिनांक 30-11-2007 के अपने पत्र संख्या 8-6/2004-सी.एच.डी. के जरिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई के रजिस्ट्रार को यह सूचित किया कि इसके शासी निकाय/कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार और निर्धारित फार्मेट में सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आवेदन भेजें। दिनांक 15-9-2008 से 20-9-2008 तक हुई दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की शासी परिषद की बैठक में प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित फार्मेट में भेजने का निर्णय लिया गया। उपर्युक्त प्रस्ताव अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई और इसकी विभिन्न शाखाओं के संबंध में पी.आर. दास गुप्ता समिति की विस्तृत सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

- इस सभा ने पूरे भारत में हिन्दी के उपयोग और ज्ञान को सुदृढ़ बनाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। तथापि, इसके लम्बे कार्यकाल के बावजूद इसके बारे में बोझिलता और उदासीनता का रवैया बना हुआ है।

- प्रान्तीय सभाओं का गठन किया गया है और उनकी मौजूदगी की चाहे जो भी वैधानिकता हो, वे बनी हुई हैं।

- *कर्नाटक प्रांतीय सभा धारावाड़ में व्यावसायिक* कॉलेजों (इंजीनियरी, चिकित्सा कालेज इत्यादि) जिनमें हिन्दी भाषा भी पढ़ाई जा सकती हो, को स्वीकार करने और बनाए रखने के लिए अपने संविधान को इस प्रकार संशोधित किया है जो कठोरता से सही नहीं हो सकता। यद्यपि इस संशोधन से ऐसा प्रतीत होता है कि सभा अपने मुख्य अधिदेश से दूर जा रही है तथापि यह भी प्रतीत होता है कि ये कार्यकलाप सभा के कार्यकलापों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। किसी भी मामले में कर्नाटक में स्थापित किए व्यावसायिक कालेज वास्तव में व्यावसायिक पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा में भी संचालित करते हैं।

- कार्यालय महसूस करता है कि पर्याप्त प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है तथा यह सिफारिश की जाती है कि तत्काल एक संगठन तथा पद्धति अध्ययन शुरू किया जाए।

सीमा विवाद

3451. श्री अनवर हुसैनः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम और मेघालय के बीच चल रहे सीमा विवाद की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दोनों राज्यों द्वारा किए गए दावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में दोनों असम और मेघालय सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ इंडिया) द्वारा कोई नया सर्वेक्षण करवाये जाने का है;

(च) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब तक कराए जाने की संभावना है; और

(छ) ऐसे विवाद के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) असम और मेघालय राज्यों के बीच कुछ सीमा विवाद है। हाल के महीनों में, असम और मेघालय सीमा के लांगपीह क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट हुआ है।

(ग) और (घ) रिपोर्टों के अनुसार, असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, मुख्य सचिवों और दोनों राज्यों के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आपसी विचार विमर्श करके दोनों राज्यों के बीच सीमा समस्याओं का हल करने के लिए दिनांक 11-6-2008 को एक बैठक की। दोनों ही मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण के पदाधिकारी सहित दोनों राज्यों के पदाधिकारी शामिल हों ताकि वे मुद्दों की जांच कर सके और अंतर-राज्य सीमा समस्याओं का स्थायी हल निकालने की सिफारिश कर सके। इस समिति की नियमित रूप से बैठक होती हैं। पदाधिकारियों की समिति की अंतिम बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को हुई।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग "ग" और "घ" के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

(छ) सरकार ने असम और मेघालय दोनों राज्य सरकारों से कहा है कि वे समय-समय पर आपस में चर्चा करके इस मुद्दे का हल निकालें।

[हिन्दी]

रिटेल क्षेत्र में औद्योगिक घराने

3452. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोचैम द्वारा हाल ही में रिटेल क्षेत्र के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आल इंडिया ट्रेडर्स फेडरेशन ने उक्त प्राधिकरण के गठन का कड़ा विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस प्रकार के विनियामक प्राधिकरण के गठन से कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को मदद मिलेगी; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और रिटेल क्षेत्र में सभी को एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (च) एसोचैम एक निजी संगठन है। इस विभाग के पास खुदरा क्षेत्र के लिए एसोचैम द्वारा गठित किये गये किसी विनियामक प्राधिकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

अनाजों का आयात

3453. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अनाजों के आयात के लिए प्रक्रिया में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे के समाधान के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने अनाजों के आयात की प्रक्रिया में न तो कोई संशोधन किया है और न ही इसके लिए कोई उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) को सी.आर.पी.एफ. सुरक्षा

3454. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) की कई बटालियनें अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) की सुरक्षा में लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो वी.आई.पी. सुरक्षा में सी.आर.पी.एफ. की कुल कितनी बटालियनें/कंपनियां लगी हुई हैं;

(ग) क्या सी.आर.पी.एफ. के उच्च अधिकारियों ने सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों को ऐसी ड्यूटी से वापस बुलाने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां।

(ख) कुल 55 कम्पनी और 1.5 सेक्शंस अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे हुए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) लागू नहीं।

अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को आरक्षण

3455. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रवेश चाहने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों के केवल 25 प्रतिशत भरे जा सके;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनारक्षित स्थानों के 75 प्रतिशत स्थान खाली रह जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण देने से पहले उन्हें बेहतर स्कूली शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) से (ग) केन्द्रीय संस्थाओं में दाखिले केन्द्रीय शिक्षा संस्था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के आधार पर और उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2006 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 265 तथा इनसे संबंधित अन्य रिट याचिकाओं और वर्ष 2007 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 35 के मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार किए जाते है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अकादमिक सत्र 2008-09 में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित 4403 सीटों में से 2380 सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया था।

आरक्षित सीटों का भरा जाना विद्यार्थियों की पात्रता और आवेदकों की पाठ्यक्रम प्राथमिकता पर निर्भर होता है।

(घ) से (च) माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा इसके सार्वभौमिकरण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्तमान स्कूलों के सुदृढ़ीकरण अथवा नए स्कूलों की स्थापना करके प्रत्येक आवास से उचित दूरी पर एक गुणवत्तायुक्त माध्यमिक स्कूल सुनिश्चित करके सभी युवाओं को गुणवत्तायुक्त, वहनीय माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराना है।

[अनुवाद]

तैयार चर्म उत्पादों का आयात

3456. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तैयार चर्म उत्पादों के निर्यात में कौन-कौन सी कंपनियां लगी हुई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में निर्यात किए गए तैयार चर्म उत्पादों की मात्रा एवं मूल्य का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे ड्यूटी ड्राबैक की प्रतिशतता कितनी है और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना अधिशेष/घाटा होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) चर्म निर्यात परिषद (सी.एल.ई.) के रिकॉर्डों के अनुसार 567 कंपनियों द्वारा देश से प्रसंस्कृत चर्म का निर्यात किया जा रहा है। कुछ प्रमुख कंपनियां हैं - टाटा इंटरनेशनल लि., मुम्बई, मॉडल टैनर्स (इंडिया) प्रा. लि., कानपुर, सुपर टैनर्स लि., कानपुर, फरीदा प्राइम टैनरी प्रा. लि., चेन्नई, कैलिको ट्रेड्स, कानपुर, इलाहाबाद टैनरी, कानपुर, दृश शूज लि., पंचकुला, के.सी. के एक्सपोर्ट्स लि., कानपुर, सुपरहाउस लि., कानपुर और एलाइड एक्जिम्स, कानपुर।

(ख) सी.एल.ई. के सदस्यता रिकॉर्डों के अनुसार वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान देश से प्रसंस्कृत चर्म का कुल निर्यात क्रमशः 5671 लाख वर्ग फीट, 6507 लाख वर्ग फीट और 6441 लाख वर्ग फीट रहा था। निर्यातित प्रसंस्कृत चर्म के देश-वार मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान सेनवैट की सुविधा न लिए जाने पर क्रमशः 6.6 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत की दर से और सेनवैट की सुविधा लिए जाने पर क्रमशः 1.6 प्रतिशत, 1 प्रतिशत और 1 प्रतिशत की दर से प्रसंस्कृत चर्म पर शुल्क प्रतिअदायगी की गई है। चूंकि प्रति अदायगी भारत में विनिर्मित तथा निर्यातित किसी वस्तु के संबंध में निविष्टि स्तर पर शुल्कों में रिबेट प्रदान करने की एक स्कीम है, अतः इस स्कीम के दावे के तहत निर्यातित किसी वस्तु पर सरकार को कोई अधिशेष प्राप्त नहीं होता है।

विवरण

(मूल्य मिलियन रुपए)

देश	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जुलाई 2008
1	2	3	4	5
जर्मनी	1530.15	1183.63	1317.25	467.47

1	2	3	4	5
यू.एस.ए.	542.10	484.58	330.90	101.72
यू.के.	124.73	121.85	109.30	89.12
इटली	3816.44	5475.19	5373.39	1957.24
फ्रांस	579.41	546.34	391.80	97.57
हांगकांग	10756.06	12290.54	10310.26	4018.70
स्पेन	997.71	996.50	1071.39	444.01
रूस	372.64	556.88	363.23	111.21
नीदरलैंड	295.78	281.29	319.20	190.07
ऑस्ट्रेलिया	108.40	94.60	83.62	29.01
न्यूजीलैंड	24.56	21.77	14.47	3.88
डेनमार्क	4.95	21.23	52.15	20.55
ग्रीस	36.96	29.23	30.99	7.45
कनाडा	58.95	53.78	77.18	57.74
स्विटजरलैंड	2.68	1.97	9.76	6.92
स्वीडन	4.60	1.24	37.30	2.24
दक्षिण अफ्रीका	497.18	752.65	520.76	158.85
ऑस्ट्रिया	72.04	28.14	36.17	29.11
बेल्जियम	15.83	24.22	20.58	18.98
जापान	236.68	238.69	231.24	90.81
पुर्तगाल	502.14	396.37	505.62	210.14
चीन	1543.39	1758.61	1941.54	843.48
आयरलैंड	1.21	0.58	0.00	0.00
यू.ए.ई.	93.33	127.47	247.82	156.36
इंडोनेशिया	468.08	432.86	568.93	181.02
कोरिया गणराज्य	1483.98	1571.73	1112.10	377.25
फिनलैंड	7.59	22.25	15.14	2.92

1	2	3	4	5
सऊदी अरब	23.27	10.31	1.21	5.43
अन्य	3969.20	5236.19	5783.90	2583.69
कुल	28170.04	32760.69	30877.20	12262.84

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस.

विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा निर्यात

3457. श्री के.एस. राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष में विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) द्वारा निर्यात किए गए एवं घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पादों की मात्रा एवं इनका मूल्य कितना है;

(ख) इन वर्षों के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा उत्पादों की घरेलू बिक्री से राजस्व की कितनी क्षति हुई है और निर्यात लक्ष्य एवं निवल निर्यातों में कितना अंतर रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्व क्षति को कम करने एवं कर अर्जनों में वृद्धि करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के उत्पादों की घरेलू बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा जाली निर्यात प्रमाणपत्रों से उच्च व्यापार लाभ प्राप्त करने से निर्यातकों को रोकने के लिए उपाय करने हेतु कानून में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार एस.ई.जेडों आदि से वास्तविक निर्यातों की मात्रा निम्नानुसार है:-

	2006-07	2007-08
वास्तविक निर्यात	84.5%	84%
डी.टी.ए. बिक्री (सकारात्मक एन.एफ.ई. के लिए गणना की गई)	13.5%	12%

	2006-07	2007-08
डी.टी.ए.बिक्री (सकारात्मक एन.एफ.ई. के लिए गणना न की गई)	2%	4%

(ख) एस.ई.जेड. द्वारा उत्पादों की घरेलू बिक्री से राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि वे पूरे सीमाशुल्क और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री पर अन्य लागू शुल्कों का भुगतान करते हैं। एस.ई.जेडों से निर्यातों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) एस.ई.जेडों के उत्पादों की घरेलू बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून में परिवर्तन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। घरेलू टैरिफ क्षेत्र को बिक्री के संबंध में लागू शुल्कों का भुगतान किया जाता है और ऐसी बिक्री के लिए आयकर लाभ उपलब्ध नहीं है। विकास आयुक्त द्वारा ऐसी बिक्री की निगरानी की जाती है और वित्तीय लाभों के दुरुपयोग की जानकारी मिलने पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। नकली निर्यात प्रमाण पत्रों का पता चलने पर फौजदारी की कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए निधि

3458. श्री गणेश सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए कितनी निधि का आबंटन किया गया है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी राशि व्यय की गई एवं क्या उपलब्धि हासिल की गई; और

(ग) इस योजनार्थ ग्यारहवीं योजना के दौरान कितनी राशि के आबंटन का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के लिए आबंटित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(रुपये करोड़ में)

दसवीं योजना 2002-07 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय
9500.00	8222.35

उच्चतर शिक्षा की सुलभता में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा स्तरोन्नयन उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की क्षमता में विस्तार तथा समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की सुलभता के अवसरों को बढ़ाने, नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण तथा महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए इन आबंटित निधियों को उपयोग किया गया।

(ग) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रस्तावित कुल राशि 84,943.00 करोड़ रुपये हैं।

[अनुवाद]

लौह अयस्क खानों का आबंटन

3459. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में केंद्र सरकार को लौह अयस्क खानों के आबंटन के संबंध में अनुमति के लिए झारखंड सहित राज्य सरकारों से राज्य-वार कितने प्रस्ताव भेजे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त/स्वीकृत हुए एवं कितने लंबित हैं;

(ग) इन प्रस्तावों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों में लौह अयस्क की खोज एवं इनके दोहन के लिए चलाए गए विशेष अभियानों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) झारखंड राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों से प्राप्त खनिज रियायतों के लिए पूर्व अनुमोदन प्रादन करने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा और उनकी विचाराधीनता की स्थिति खान मंत्रालय की वेबसाइट (www.mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

(घ) फील्ड सीजन 2007-08 के लिए, जी.एस.आई. झारखण्ड (पश्चिमी सिंहभूम जिला), उड़ीसा (क्योंझार जिला), कर्नाटक (बेल्लारी और गडाग-जिले), तमिलनाडु, (नमक्काल जिला), छत्तीसगढ़ (कांकेर जिला) और राजस्थान (जयपुर, सीकर, दौसा, झुन्झुनु और अलवर जिले) राज्यों में लौह अयस्क के लिए क्षेत्रीय गवेषण कार्य कर रहा है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार पट्टा धारक द्वारा विदोहन किया जाता है।

विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड

3460. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बोर्ड की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। सरकार ने संसद के एक अधिनियम के द्वारा देश में एक स्वायत्त निकाय के रूप में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी.) की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

(ख) एस.ई.आर.बी. की अध्यक्षता सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा की जाएगी तथा इसके सदस्यों के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से अन्य वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी और ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक निरीक्षण समिति द्वारा बोर्ड को परामर्श भी दिया जाएगा। एस.ई.आर.बी. की स्थापना का उद्देश्य

विज्ञान और इंजीनियरिंग में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा ऐसे अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों, शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एस.ई.आर.बी. के सृजन से, बुनियादी अनुसंधान निधिकरण के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के अतिरिक्त अनुसंधान कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने हेतु आवश्यक स्वायत्तता, लचीलापन और गति भी मिलेगी तथा अनुसंधानकर्ताओं को निधियां प्राप्त होंगी। उन्नत अनुसंधान और सतत रूप से बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के तेजी से परिवर्तनशील परिदृश्य के अनुरूप प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए यह आवश्यक हो गया है।

(ग) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008 को लोक सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2008 को तथा राज्य सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद बोर्ड का गठन किया जाएगा।

शिपमेंट पर प्रतिबंध

3461. श्री नवीन जिन्दल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिपमेंट पर प्रतिबंध के कारण निर्यात शिपमेंट में असमर्थ रहने वाली निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए पांच वर्ष की सीमा का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा प्रतिबंध लगाने के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) दिनांक 01-07-2008 की अधिसूचना संख्या 21(आर.ई.-2008)/2004-2009 के अनुसार, इस बात का प्रावधान किया गया है कि जब कभी कोई इकाई अनुमति पत्र (एल.ओ.पी.) में उल्लिखित किसी उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए निषेध/प्रतिबंध के कारण निर्यात करने में असमर्थ होती है, तब निवल विदेशी मुद्रा (एन.एफ.ई.) अर्जन के परिकलन हेतु पांच वर्ष की ब्लॉक अवधि को अनुमोदन बोर्ड (बी.ओ.ए.) द्वारा समुचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, खपत की पद्धति एवं प्रचलित कीमत का नियमित रूप से आकलन किया जाता है। घरेलू बाजार में एवं सार्वजनिक हित में वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार में उच्चतम स्तर पर विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें आयात/निर्यात पर रोक/प्रतिबंध तथा ऐसे प्रतिबंधों में कोई छूट शामिल है।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

3462. श्री सुभाष महरिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की प्राथमिक शिक्षा के समग्र विकास के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) राजस्थान सहित सभी राज्य सरकारों को सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का कार्यक्रम है, के लिए केन्द्र सरकार से निधियां प्राप्त होती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए निधीयन प्राप्त करने हेतु राज्यों के वार्षिक प्रस्तावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा अन्य लाभवंचित वर्गों हेतु प्रारंभिक शिक्षा प्रोन्नति की नीतियां शामिल थीं जिन्हें वर्ष 2008-09 के लिए भारत सरकार की संस्वीकृतियों में शामिल किया जा चुका है।

खिलौनों का आयात

3463. श्री राकेश सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खिलौनों के आयात के संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीन के खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) खिलौनों को निर्यात एवं आयात मदों के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के अध्याय 95 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। खिलौनों का आयात मुक्त है। विदेश व्यापार नीति के अनुसार सभी आयात घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लागू होने वाले घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरणीय एवं सुरक्षा मानदण्डों के अध्यधीन होते हैं।

जहां तक खिलौनों के लिए सुरक्षा की अपेक्षा का संबंध है, भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौनों के लिए सुरक्षा की अपेक्षा हेतु निम्नलिखित तीन मानक प्रकाशित किए हैं:-

1. आई.एस. 9873 (भाग 1): 2001/आई.एस.ओ. 8124-1: 2000 खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं: भाग I: यांत्रिक एवं भौतिक गुणधर्मों से संबंधित सुरक्षा संबंधी पहलू।

2. आई.एस. 9873 (भाग 2): 1999/आई.एस.ओ. 8124-2: 1994 खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं: भाग 2: ज्वलनशीलता संबंधी अपेक्षाएं।

3. आई.एस. 9873 (भाग 3): 1999/आई.एस.ओ. 8124-3: 1997 खिलौनों हेतु सुरक्षा अपेक्षाएं: भाग 3: कुछेक तत्वों का विस्थापन, खिलौनों की सामग्री से एन्टीमनी (एस.बी.), आर्सेनिक (ए.एस.), बेरियम (बी.ए.), कैडमियम (सी.डी.), क्रौमियम (सी.आर.), लेड (पी.बी.), पारा (एच.जी.) और सेलिनियम (एस.ई.) के लिए निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य तत्वों का विस्थापन।

पूर्वोक्त बी.आई.एस. मानक न तो घरेलू विनिर्माताओं और न ही आयातों के लिए अनिवार्य हैं।

[अनुवाद]

सिगरेट तथा तम्बाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3464. श्रीमती जयाप्रदा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अन्तर्गत सिगरेट तथा तम्बाकू क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के बढ़ते दबाव के कारण तम्बाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबन्ध लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस तथा उसकी शर्तों के अध्यधीन सिगार तथा तम्बाकू उत्पादों की सिगरेटों के विनिर्माण में सरकार के पूर्व अनुमोदन से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) सिगरेटों के लिए एफ.डी.आई. नीति की अन्तःमंत्रालयीय परामर्शों के जरिए समीक्षा की जा रही है।

केरल को आपदा राहत

3465. श्री पी. करुणाकरन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने आपदा राहत हेतु 250 करोड़ रुपये की सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) केरल राज्य सरकार ने मार्च-अप्रैल, 2008 के दौरान आई भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से 309.38 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु वर्ष 2008 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। उस पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया गया था और आसन्न आपदा के लिए राज्य सरकार के सी.आर.एफ. खाते में उपलब्ध शेष राशि के 75% का समायोजन किए जाने के अध्यधीन उन्हें एन.सी.सी.एफ. से 46.225 करोड़ रुपए की सहायता का अनुमोदन किया गया था।

इसके अतिरिक्त केरल राज्य को वर्ष 2008-2009 के लिए आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) में 98.98 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है जिसमें 74.23 करोड़ रुपए केन्द्रीय योगदान के रूप में और 24.75 करोड़ रुपए राज्य योगदान के रूप में शामिल है। केन्द्रीय हिस्सा दो समान किस्तों में जारी किया जाता है - पहला हिस्सा जून में और दूसरा दिसम्बर में। राज्य सरकार के अनुरोध पर सी.आर.एफ. के केन्द्रीय हिस्से की 37.115 करोड़ रुपए की पहली किश्त अग्रिम के रूप में 10 अप्रैल, 2008 को जारी की गई थी।

आतंकवाद को रोकने के लिए उपाय

3466. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र में मकोका की तर्ज पर दिल्ली केन्ट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, 2008 (डकोका) बनाने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 19 सितम्बर, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) संगठित अपराधों से निपटने के प्रावधानों वाला मकोका कानून दिल्ली पर पहले से ही विस्तारित है।

[हिन्दी]

वन क्षेत्रों में खनिजों का सर्वेक्षण

3467. श्री महावीर भगोरा: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन क्षेत्रों में स्वर्ण, तथा चांदी-अयस्क सहित खनिज भण्डारों का कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खनिज-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां। खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) और खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) ने वन क्षेत्रों सहित देश में स्वर्ण सहित खनिजों के लिए क्रमशः सर्वेक्षण और संवर्धनात्मक गवेषण कार्य संचालित किया है।

(ख) खनिज-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान वन क्षेत्रों में स्वर्ण सहित विभिन्न खनिजों के लिए सर्वेक्षण और संवर्धनात्मक गवेषण का खनिज-वार और राज्य-वार ब्यौरा

खनिज	राज्य	जिला
1. स्वर्ण	राजस्थान	बांसवाड़ा
	उत्तरांचल	चमोली
	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र, झांसी
	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर
	कर्नाटक	तुमकुर, मंदया
	झारखंड	रांची, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खार्सवान
	पश्चिम बंगाल	बंकुरा

	खनिज	राज्य	जिला
2.	हीरा	मध्य प्रदेश	शिवपुरी, दतिया
		छत्तीसगढ	रायपुर, महासमुंद
		उड़ीसा	नवपाड़ा, बारगढ
3.	टंगस्टन	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
4.	आधार धातु	राजस्थान	उदयपुर
		मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
		झारखंड	सिंहभूम
		पश्चिम बंगाल	बांकुरा
5.	तत्वों का प्लेटिनोइड समूह	कर्नाटक	देवांगिरी
		उड़ीसा	मयूरभंज
6.	सीसा-जस्ता	महाराष्ट्र	नागपुर जिला
7.	लौह	कर्नाटक	बेल्लारी
		उड़ीसा	क्योंझर, जाजपुर, सुंदरगढ
		झारखंड	सिंहभूम
8.	मैंगनीज	उड़ीसा	अंगुल, बौध, क्योंझर
9.	बॉक्साइट	उड़ीसा	क्योंझर तथा सुंदरगढ
10.	चूना पत्थर	उड़ीसा	सुंदरगढ
11.	फास्फोराइट	उत्तराखंड	टिहरी गढ़वाल

[अनुवाद]

वेश्यावृत्ति पर रोक

3468. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में वैश्यावृत्ति पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यौन कर्मियों के साथ-साथ ग्राहकों पर मुकदमा चलाने के लिए दण्ड प्रावधानों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकाले;

(छ) क्या सरकार को संबंधित अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारतीय दंड संहिता का संपूरक अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, वैश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बच्चों का अवैध व्यापार किए जाने सहित मानवों के अवैध व्यापार का निषेध करता है और इस अवैध व्यापार के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है।

(ग) से (ज) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि अवैध व्यापार करने वालों, चकला घर चलाने वालों और अन्य अपराधकर्ताओं को दिए जाने वाले दंडों को बढ़ाया जा सके। ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित करने की एक नई धारा का भी प्रस्ताव है जो अवैध व्यापार के पीड़ितों का यौन शोषण करने के प्रयोजनार्थ चकला घर जाते हैं या वहां पाए जाते हैं। प्राप्त हुए विभिन्न अभ्यावेदनों की सरकार द्वारा जांच, सरकार के विचाराधीन प्रस्तावित संशोधनों को अंतिमरूप दिए जाने से पहले की गई है।

चाय की घरेलू मांग

3469. श्री रेवती रमन सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चाय की घरेलू मांग में काफी अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में चाय की घरेलू खपत के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू मांग में वृद्धि होने से चाय की अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा घरेलू एवं विदेशी बाजार में मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) देश में चाय की घरेलू मांग वर्ष 2002 में 693 मिलियन किग्रा. के स्तर के स्तर से बढ़कर 2007 से 786 मिलियन किग्रा. हो गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में चाय की घरेलू खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	घरेलू खपत (मिलियन किग्रा. में)
2005	757
2006	771
2007	786
2008	802(अ)

(अ): अनुमानित

(ग) और (घ) चाय की घरेलू एवं वैश्विक मांग संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(आंकड़े मिलियन किग्रा. में)

वर्ष	भारत में चाय की अनुमानित घरेलू खपत	चाय की वैश्विक खपत
2002	693	2,224
2003	714	2,233
2004	735	2,324
2005	757	2,388
2006	771	2,405
2007	786	2,430
वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2007 में वृद्धि (+) या गिरावट (-)	12%	8%

चाय की कीमतों में घट-बढ़ होती रहती है। वर्ष 1999 के अंत से भारत में चाय की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई जो वर्ष 2005 के मध्य तक जारी रही। वर्ष 2005 के मध्य से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार वृद्धि होनी शुरू हो गई और चालू वर्ष के दौरान भी यह वृद्धि जारी है। वर्ष 2003 से अक्तूबर 2008 तक चाय की कीमतों का घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	औसत कीमत (अखिल भारतीय) (रुपये/किग्रा.)
1	2
2003	56.03
2004	64.54
2005	58.05
2006	66.01
2007	67.40
2008 (जनवरी-अक्तूबर)	84.36
2007 (जनवरी-अक्तूबर)	66.38

प्रमुख चाय उत्पादक देशों में नीलामी कीमतें

(कीमत अम. डा. प्रति किग्रा. में)

वर्ष	भारतीय नीलामी में भारतीय चाय	कोलम्बो नीलामी में श्रीलंकाई चाय	मोम्बासा नीलामी में अफ्रीकी चाय
2003	1.20	1.54	1.54
2004	1.42	1.78	1.55
2005	1.32	1.84	1.47
2006	1.46	1.90	1.93
2007	1.62	2.51	1.66
2008 (जनवरी-अक्तूबर)	1.99	2.97	2.29
2007 (जनवरी-अक्तूबर)	1.59	2.43	1.65

[हिन्दी]

होर्डिंग्स हटाया जाना

3470. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सड़कों के किनारों पर लगे होर्डिंग्स को हटाने के लिए दिल्ली सरकार को कोई निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्देश के बावजूद भी दिल्ली में भारी संख्या में होर्डिंग्स लगे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली में ऐसे होर्डिंग्स को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) श्री एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य नामक रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029/1985 में अपने दिनांक 12 अक्तूबर, 2007 के आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शहर के लिए विज्ञापन नीति का अनुमोदन किया था और दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) को इसका कार्यान्वयन करने का निदेश दिया था।

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में एम.सी.डी. ने उन सभी विज्ञापनों/होर्डिंग्स को हटाने के विशेष अभियान चलाए जो उक्त विज्ञापन नीति में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे

और उन्हें हटा दिया गया था। एम.सी.डी. द्वारा प्रदान की गई/मंजूर की गई संविदाओं/अनुमति के संदर्भ में लगाए गए विज्ञापनों/होर्डिंग्स का नवीकरण/पुनः आवंटन भी अनुमोदित विज्ञापन नीति में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया था। एम.सी.डी. ने अपने अधिकार क्षेत्रों और अनुषंगी सरकारी विभागों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ अपनी जमीन/संपत्तियों/ढांचों/सेवाओं पर स्थित क्षेत्रों में आउट-ऑफ-होम प्रदर्शन की भी अनुमति दी है। जब कभी एम.सी.डी. क्षेत्र में अनधिकृत होर्डिंग्स/विज्ञापन नोटस में आते हैं तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबंधों के तहत उन्हें हटाने/अभियोजन चलाने के लिए कार्रवाई की जाती है। जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र (एन.डी.एम.सी.) का संबंध है, रेलवे/दिल्ली मैट्रो रेल निगम की संपत्तियों पर कुछ होर्डिंग्स लगे हैं जिन्हें रेलवे/दिल्ली मैट्रो रेल निगम ने आबंटित किया है और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्हें हटाने पर स्थगन लगा दिया है। नीति के अनुसार एन.डी.एम.सी. ने पुलिस उपायुक्त (यातायात) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद धर्मार्थ संस्थानों नामतः बाल सहयोग और नेत्रहीन राहत संघ के परिसरों पर तीन होर्डिंग्स लगाये जाने की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

कृषि आधारित उद्योग

3471. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कच्छ-सौराष्ट्र सहित गुजरात में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक ऐसे कितने प्रस्ताव अनुमोदित एवं लागू किए गए हैं; और

(ग) अनुमोदित प्रस्तावों के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) पिछले 2 वर्षों के दौरान कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र सहित गुजरात में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है। तथापि वर्ष 2006-07 और 2007-08 की अवधि के दौरान गुजरात क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों में एफ़.डी.आई. अन्तर्वाह नीचे दिए अनुसार है:-

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

		2006-07	2007-08
1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	6.85	5.72
2.	वनस्पति तेल और वनस्पति	0.00	1.28
3.	चाय और कॉफी (प्रसंस्करण और वेयर हाऊसिंग/कॉफी और रबड़)	4.40	0.00

(ग) उदारीकृत आर्थिक माहौल में स्थापना-स्थल सहित निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा लिये जाते हैं जो उनके तकनीकी-आर्थिक निर्णयों तथा वाणिज्यिक समझबूझ पर आधारित होते हैं।

भारत-नेपाल सीमा से घुसपैठ

3472. श्री विजय कृष्ण:
योगी आदित्यनाथ:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा के जरिए विशेषकर बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा घुसपैठ में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं, श्रीमान। ऐसी कोई घटना नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि भारत-नेपाल सीमा के जरिए बंगलादेश एवं पाकिस्तान के राष्ट्रिकों की घुसपैठ में वृद्धि हो रही है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) भारत-नेपाल सीमा पर सीमापार से होने वाले अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) की तैनाती की गई है। पर्याप्त सीमा संरक्षा के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भी सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों का तस्करी में लिप्त होना

3473. श्री संजय धोत्रे:

श्री बापू हरी चौरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीमा सुरक्षा बल के कुछ कर्मियों के विरुद्ध जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में तस्करी में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में रैंक-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा की गई विभागीय कार्रवाई, आरोपपत्र, बर्खास्तगी, मामले दर्ज किए जाने, मुकदमा चलाए जाने एवं दोष सिद्ध होने का रैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष 2007 में) जम्मू और कश्मीर के आर.एस. पुरा क्षेत्र में तस्करी में संलिप्तता के आरोप में सीमा सुरक्षा बल के एक अधिकारी और एक कांस्टेबल/ड्राइवर के खिलाफ केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) दोषियों को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया था और उन्हें 3-04-2007 से निलंबित स्वरूप में रखा गया है।

(घ) सीमा सुरक्षा बल का सतर्कता और आसूचना तंत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात बल कार्मिकों के कार्यकलापों को मानीटरिंग स्वतंत्र रूप से करता है, जो गुप्त गतिविधियों को हतोत्साहित करता है। संबंधित यूनिट कमांडर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात सभी कार्मिकों की लगातार उचित जांच करते रहते हैं।

[अनुवाद]

भारत में व्यापार माहौल

3474. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम ने कहा है कि भारत में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में जारी की गई ग्लोबल इनेबलिंग रिपोर्ट, 2008 में भारत को 21वां स्थान मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में भारत की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम ने "द ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट 2008" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। उक्त रिपोर्ट इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स (ई.टी.आई.) के जरिये 118 ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करती है जो इनेबलरों को चार समग्र मामलों (सबइंडेक्सिस) अर्थात (1) बाजार पहुंच (मार्केट एक्सेस) (2) बोर्डर प्रशासन (3) परिवहन तथा संप्रेषण अवसंरचना सुविधा तथा (4) बिजनेस माहौल में विभाजित करती है। इस रिपोर्ट में भारत को समग्र रूप से 71वां स्थान तथा उपरोक्त उप-सूचकांकों पर क्रमशः 105, 55,52 तथा 58वां स्थान दिया गया है।

(घ) व्यापार को सक्षम बनाने में नीतियों में सुधार करना एक निरंतर प्रक्रिया है। इस संदर्भ में, भारत ने नेशनल ई-गवर्नेस कार्यक्रम के अन्तर्गत 'आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई.', 'ई-ट्रेड' तथा 'ई-बिज' की स्थापना करने सहित विभिन्न प्रयास शुरू किये हैं। आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई. व्यापार तथा कार्गो केरियर तथा सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्य ग्राहकों को ई फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने पर केन्द्रित हैं। 'ई ट्रेड' का उद्देश्य विनियामक तथा सुविधाजनक

संगठनों द्वारा ऑन लाइन सेवा उपलब्ध कराना प्रयोगकर्ताओं को 24 घंटे पहुंच प्रदान करना प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, कारोबार लागत तथा समय में कमी करना अन्तरराष्ट्रीय मानकों तथा बेहतर पद्धतियों की शुरुआत करना तथा पत्तनों/हवाई अड्डों/आई.सी.डी.एस. आदि पर कार्गों के निर्यात/आयात की स्वीकृति में सक्षमता प्रदान करना है। ई बिज परियोजना का उद्देश्य निवेशकों तथा बिजनेस घरानों को इलैक्ट्रानिक रूप से भुगतानों के पंजीकरण तथा दायर करने सहित विभिन्न एकीकृत सेवाएं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, सिंगल विंडो, ऑन लाइन पंजीकरण, करों का सरलीकरण तथा इनका भुगतान विभिन्न लाइसेंसों/अनुमतियों के लिए मिश्रित फार्म के माध्यम से दस्तावेजों में कमी, राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम पद्धतियों का अपनाना आदि अन्य संगत सुधार हैं, जिन्हें विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

3475. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हुए सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री ने विभिन्न राज्यों के विज्ञान मंत्रियों से अपने राज्यों में विकास की समस्याओं का समाधान करने के लिए आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्मेलन की अन्य विशेषताएं क्या-क्या रहीं; और

(ग) इस सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। केन्द्रीय मंत्री ने 12 मई, 2008 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुए गहन विचार विमर्शी सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों से अपने राज्यों में विकास की समस्याओं का समाधान करने के लिए आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का अनुरोध किया है।

(ख) इस सम्मेलन में 26 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। राज्यों को, अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा राज्य एवं केन्द्रीय वैज्ञानिक एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए अपने-अपने राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषदों/विजन काउंसिलों की स्थापना करने की सलाह दी गई। सभी राज्यों के लिए केन्द्र द्वारा वित्तपोषित राज्य विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित विकास कार्य योजना को तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। शहरी आयोजना के लिए बड़े शहरों के मानचित्रण सहित मानव संसाधन विकास और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के क्षेत्रों पर मुख्य बल दिया गया।

(ग) इस गहन विचार विमर्शी सम्मेलन की सिफारिशों को सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ध्यान में ला दिया गया है। कुछ राज्यों ने विजन काउंसिलों का गठन कर लिया है और वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों को पेश कर दिया है।

[हिन्दी]

अपात्र व्यक्तियों को सुरक्षा

3476. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पुलिस सुरक्षा के लिए अपात्र लोगों को सुरक्षा दिए जाने के प्रावधान के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन संबंधित अधिकारियों/प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो उन्हें ऐसी सुरक्षा प्रदान करते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष में ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा ऐसे व्यक्तियों से कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न पैदा नहीं होते।

उल्फा आतंकवादियों का प्रत्यर्पण

3477. श्री संतोष गंगवार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बांग्लादेश सहित विदेशों में उल्फा के गिरफ्तार किए गए/वहां छुपे आतंकवादियों का प्रत्यर्पण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनका प्रत्यर्पण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) भारत ने बांग्लादेश में रहने के संदेह वाले यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के नेताओं सहित कुछ भारतीय विद्रोही ग्रुपों के सदस्यों के निर्वासन के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी विषयों पर गृह सचिव स्तर की वार्ताओं सहित राजनयिक चैनलों और दोनों देशों के बीच विद्यमान संस्थागत तंत्र के माध्यम से बांग्लादेश के साथ नियमित रूप से विचार किया है।

बांग्लादेश सरकार ने सतत रूप से यह आश्वस्त किया है कि वह अपने भू-भाग का इस्तेमाल भारत के अहित की गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। भारत ने उल्लिखित तरीके से अपनी चिंताओं को प्रकट करना जारी रखते हुए यह भी कहा है कि हम यह आशा करते हैं कि बंगलादेश सरकार अपने आश्वासनों पर अमल करेगी।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

पाटनरोधी शुल्क

3478. श्री एल. राजगोपाल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य सदस्यों सहित भारत पाटन रोधी शुल्क के जीरोइंग खण्ड का विरोध कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यापार वार्ता समिति के समक्ष भारत द्वारा दिए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ताओं के दोहा दौर के कार्यक्रम के अंतर्गत नियम संबंधी वार्ताकारी समूह (एन.जी.आर.) में वार्ताएं की जा रही हैं जिनका उद्देश्य पाटनरोधी करार (ए.डी. करार) तथा सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार (ए.एस.सी.एम.) के अंतर्गत सिद्धांतों को स्पष्ट करना एवं उनमें संशोधन करना है।

पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4.2 में किसी पाटनरोधी जांच में तुलना करने की तीन प्रकार की विधियों से पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रावधानों का उल्लेख है। शून्यीकरण से तात्पर्य है कि जब जांच प्राधिकारी पाटन मार्जिन निर्धारित करते समय उन सौदों पर विचार नहीं करता है जिनमें निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य से अधिक होती है और ऐसी तुलनाओं में शून्य पाटन मार्जिन मूल्य निर्धारित करता है। इससे उस उत्पाद के लिए समग्रतः अत्यधिक पाटन मार्जिन निर्धारित हो जाता है।

भारत शून्यीकरण विधि का प्रयोग करने के विरोध में रहा है क्योंकि इसकी परिणति अत्यधिक पाटन मार्जिन एवं तत्पश्चात उच्चतर पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण में होती है। एन.जी.आर. के अध्यक्ष ने दिनांक 30 नवम्बर, 2007 को पाठ का एक प्रारूप जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक नया अनुच्छेद 2.4.3 शामिल करते हुए पाटनरोधी करार में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिनसे कतिपय तुलनात्मक विधियों में शून्यीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार एन.जी.आर. अध्यक्ष के पाठ के मसौदे में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9 में उल्लिखित पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण संबंधी प्रावधानों में कतिपय परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है, जिनें शून्यीकरण के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई है। एन्र.जी.आर. में अध्यक्ष के पाठ के प्रारूप पर विचार-विमर्श के दौरान भारत, जापान, ब्राजील, आसियान के अनेक सदस्यों, चीन तथा कई अन्य सदस्यों ने शून्यीकरण की अनुमति देने के बारे में एन.जी.आर. अध्यक्ष के पाठ में प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया है और एक संशोधित पाठ जारी करने का अनुरोध किया है।

(ग) दोहा दौर के अंतर्गत वार्ताओं के समग्र संचालन का पर्यवेक्षण व्यापार वार्ताकारी समिति (टी.एन.सी.) द्वारा किया जाता है। वार्ताएं वभिन्न वार्ताकारी समूहों अथवा निकायों में की जाती हैं अर्थात औद्योगिक उत्पादों के लिए गैर कृषि उत्पादों हेतु बाजार पहुंच (एन.ए.एम.ए.), पाटनरोधी करार

तथा सब्सिडी करार के संबंध में नियम संबंधी वार्ताकारी समूह, कृषि पर वार्ताओं हेतु कृषि समिति का विशेष सत्र, सेवा वार्ताओं हेतु सेवा परिषद, आई.पी.आर. से संबंधित मुद्दों हेतु व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार के पहलुओं संबंधी परिषद, विवाद निपटान समझौते के संबंध में विवाद निपटान निकाय (डी.एस.बी.) का विशेष सत्र, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के संबंध में व्यापार एवं पर्यावरण समिति। सदस्यों द्वारा अपने प्रस्ताव विषय से संबंधित वार्ताकारी समूह अथवा निकाय में प्रस्तुत किए जाते हैं। नियम संबंधी वार्ताकारी समूह में भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछेक प्रस्ताव पाटनरोधी करार के संबंध में अनिवार्यतः कमतर शुल्क लागू करने, मात्स्यिकी सब्सिडियों के संबंध में प्रस्तावित सिद्धांतों में विकासशील देशों के लिए प्रभावी विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार (एस एण्ड डी); सब्सिडी करार के अनुच्छेद 27.5 एवं 27.6 के प्रयोजनार्थ विकासशील देशों द्वारा प्राप्त निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के निर्धारण की विधि में संशोधन, सब्सिडी करार के प्रयोजनार्थ मानक निविष्टि - उत्पादन मानदण्डों (एस.आई.ओ.एन.) के निर्धारण के संबंध में भारत की प्रणाली पर समुचित सत्यापन प्रणाली के रूप में विचार करने के प्रस्ताव से संबंधित हैं।

मनोवैज्ञानिक दल की स्थापना

3479. डा. के.एस. मनोज: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मनोवैज्ञानिक दल की स्थापना कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इसके कार्यकरण की निगरानी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मनोवैज्ञानिक दल के कार्यकरण का विस्तार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोई मनोवैज्ञानिक दल गठित नहीं किया है।

[हिन्दी]

अनैतिक दुर्व्यापार

3480. श्री रामजीलाल सुमन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अनैतिक दुर्व्यापार के मामलों एवं संबंधित गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एवं चालू वर्ष में ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) ऐसे कितने मामले सुलझाए गए/नहीं सुलझाए गए तथा सभी मामलों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले न्यायालय के विचारण हेतु भेजे गए तथा कितने व्यक्तियों को दोषसिद्ध तथा दोषमुक्त किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 के दौरान अनैतिक दुर्व्यापार के आंकड़ों में घटने की प्रवृत्ति झलकती है जैसा कि उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में उपलब्ध कराया गया है।

विवरण

वर्ष	मामले							व्यक्ति					
	रिपोर्ट किए गए	आकलित	चालान किए गए	दोषसिद्धि	दोषमुक्त	लंबित विचारण	लंबित अन्वेषण	गिरफ्तार किए गए	चालान किए गए	दोषसिद्धि	दोषमुक्त	लंबित विचारण	लंबित अन्वेषण
2005	151	151	143	27	3	113	8	505	483	58	6	419	22
2006	112	112	89	9	1	79	23	388	294	22	3	269	94
2007	63	63	48	7	0	41	15	207	155	10	0	145	52
2008 (30-11-2008 तक)	60	56	31	3	0	28	29	162	86	8	0	78	76

[अनुवाद]

पद्म पुरस्कार विजेताओं की संख्या

3481. श्री गिरधारी लाल भार्गवः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पद्म पुरस्कार देने संबंधी सीमा में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इसकी सीमा को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 120 कर दिया गया है। इनमें विदेशियों, एन.आर.आई./पी.आई.ओ. और वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें यह मरणोपरांत दिया जाता है। इनकी संख्या में वृद्धि हाल के वर्षों में अनेक विषयों/क्षेत्रों में उभरी/नोटिस में आ रही भारतीय श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पात्र लोगों को मान्यता देने के लिए की गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद बम विस्फोट के पीड़ितों को राहत पैकेज

3482. श्री हरिन पाठकः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 2008 में अहमदाबाद में हुए बम विस्फोटों के पीड़ितों के निकटतम रिश्तेदार को 3.5 लाख रुपये तथा घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त पैकेज के संवितरण की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) अहमदाबाद में 26 जुलाई, 2008 को हुए शृंखलाबद्ध बम धमाकों के पीड़ितों के लिए प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 4.5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 1.00 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान का अनुमोदन किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनुग्रह राशि मौत के 49 मामलों में अब तक दी जा चुकी है।

आवारा पशुओं के बारे में सर्वेक्षण

3483. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री नकुल दास राई:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आवारा पशुओं, कुत्तों एवं पालतू कुत्तों द्वारा पैदा की जा रही परेशानी/अस्वास्थ्यकर स्थितियों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है।

(ग) आवारा पशुओं/जानवरों आदि से होने वाले खतरे पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में विभिन्न नागरिक एजेन्सियों द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं:-

(i) दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) - दिल्ली में आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण के लिए आयुक्त, दिल्ली नगर निगम की अध्यक्षता में आवारा कुत्ता संबंधी जन्म नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। इस समय, समिति के साथ 10 गैर-सरकारी संगठन जुड़े हुए हैं जो आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी कर रहे हैं। आवारा पशुओं के खतरे से निपटने के लिए नरेला, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र है, को छोड़कर समस्त निगम क्षेत्रों के क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारियों के अधीन पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराई गई है।

(ii) दिल्ली छावनी बोर्ड - दिल्ली छावनी बोर्ड के पास पशु पकड़ने वाला एक दस्ता है और जैसे ही किसी आवारा पशु की सूचना मिलती है, उसे पकड़कर दिल्ली नगर निगम के पशु अहाते/गौशाला में भेज दिया जाता है। छावनी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए

संजय गांधी पशु देखभाल केन्द्र, राजा गार्डन के पास भेज दिया जाता है।

(iii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) - जब भी और जैसे ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में आवारा पशुओं के खतरे की जानकारी मिलती है, उसे हटाने के लिए निरंतर सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की जाती है। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुत्ते की आबादी को नियंत्रित करने के साथ-साथ कुत्ते के पागलपन के विरुद्ध नसबंदी एवं टीकाकरण द्वारा क्षेत्र को स्वास्थ्यप्रद बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके बाद, कुत्ते के पागलपन के विरुद्ध टीकाकरण के बाद पालतु कुत्तों हेतु नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा कुत्तों के कर टोकन भी जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जन शिक्षण संस्थान

3484. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 5 दिसम्बर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1964 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शेष 4 जन शिक्षण संस्थानों (जे.एस.एस.) पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार मालेगांव (महाराष्ट्र) सहित देश में अल्पसंख्यकों के लिए जे.एस.एस. योजना शुरू किए जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्र सरकार के चार जन शिक्षण संस्थानों की संस्वीकृति दी थी, जिनमें से दो संस्थानों की संस्वीकृति 1-2-2007 को तथा अन्य दो संस्थानों की संस्वीकृति 14-5-2007 को दी गई थी।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी

3485. श्री नन्द कुमार साय:

श्री सुग्रीव सिंह:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु एवं मध्यम उद्योगों (एस.एम.ई.) में प्रयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकी को पर्यावरण अनुकूल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान देश में उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा आबंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कार्यक्रम से देश में एस.एम.ई. किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए इको-फ्रेंडली प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाएं संचालित कर रही है। एम.एस.एम.ई. मंत्रालय में भारत सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के आधुनिकीकरण तथा इको/पर्यावरण फ्रेंडली प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निम्नलिखित योजनाएं संचालित कर रही है:

(i) वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक किल्न (वी.एस.बी.के.) प्रौद्योगिकी का संवर्धन जो एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में ब्रिक्स के निर्माण के लिए इको-फ्रेंडली तथा ऊर्जावर्धक है।

जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2006-07 में लगभग 1.25 लाख रुपये तथा वर्ष 2007-08 में 34.37 लाख रुपये की निधियां प्रदान की गई हैं।

(ii) एम.एस.एम.ई. द्वारा गुणवत्ता तथा पर्यावरणात्मक प्रबंधन मानक अपनाने के लिए आई.एस.ओ.-9000/आई.एस.ओ. 14001/एच.ए.सी.सी.पी. (जोखिम विश्लेषण तथा महत्वपूर्ण नियंत्रण बिन्दु) प्रमाणन प्राप्त करने हेतु उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2006-07 में लगभग 2,800 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लाभ देते हुए करीब 13 करोड़ रुपये और वर्ष 2007-08 में लगभग 2400 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लाभ देते हुए करीब 9.14 करोड़ रुपये की निधियां प्रदान की गई थीं।

(iii) सुस्थापित तथा संशोधित प्रौद्योगिकी को समाहित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बना रही है।

वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 1900 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लाभ देते हुए करीब 66.50 करोड़ रुपये और वर्ष 2007-08 में लगभग 1150 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लाभ देते हुए करीब 57 करोड़ रुपये की सब्सिडी संवितरित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं जिनमें शामिल हैं:-

(i) स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास एवं संवर्धन जिसके अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान 1.50 करोड़ रुपये और वर्ष 2007-08 के दौरान 3.50 करोड़ रुपये की निधियां आवंटित की गई थीं।

(ii) लघु एवं मध्यम उद्योगों में उपचारी कार्यनीतियों (कचरा न्यूनीकरण) के माध्यम से प्रदूषण का उपशमन जिसके अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान 1 करोड़ रुपये और वर्ष 2007-08 के दौरान 1 करोड़ रुपये की निधियां आवंटित की गई थीं।

निधियों का राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

भारत में स्कॉच व्हिस्की के जी.आई. दर्जे का पंजीकरण

3486. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क को भारत में स्कॉच व्हिस्की के भौगोलिक संकेत (जी.आई.) दर्जे के पंजीकरण के संबंध में स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अ.पि.व. आरक्षणों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

3487. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री उदय सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिए गए अपने एक निर्णय में निर्देश दिया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.), भारतीय प्रबंध संस्थानों (आई.आई.एम.) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्गों के रिक्त सीटों को सामान्य श्रेणी में अंतरित किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्गों के काफी रिक्त सीटों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से नहीं भरा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उन रिक्तियों को भरने तथा इसमें अन्य आरक्षित श्रेणियों के रिक्त सीटों को शामिल करने के लिए उक्त संस्थानों को निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए सरकार की नीति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) वर्ष 2007 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 35 के संबंध में वर्ष 2008 की आई.ए. संख्या 3 के मामले में दिनांक 14-10-2008 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 17 अक्तूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-1/2008-(III)/यू.I(ए) के माध्यम से सभी केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए हैं कि 'क्रीमी लेयर' को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्गों के सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने के बाद भी यदि सीटें खाली रहती हैं, तो इन अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को अन्य वर्गों के

पात्र विद्यार्थियों से भरा जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक केन्द्रीय शैक्षिक संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम कट ऑफ अंक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंकों से अधिकतम 10 प्रतिशत कम होने चाहिए।

[हिन्दी]

सरकारी और निजी संस्थाओं में शिक्षा का स्तर

3488. डा. सत्यानारायण जटिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों तथा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर भिन्न-भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस विभेद को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सभी को शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में समानता के लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) शिक्षा का समवर्ती सूची का विषय होने के कारण स्कूली शिक्षा प्रथमतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। जहां तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्कूलों (केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों) का संबंध है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों के शिक्षा स्तर के समान नहीं है। इसके विपरीत, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, के अधीन स्कूलों में पिछले पांच वर्षों (2003 से 2007) में कक्षा X और XII में उत्तीर्णता प्रतिशत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्वतंत्र प्राइवेट स्कूलों के उत्तीर्णता प्रतिशत से लगातार अधिक रहा है।

जहां तक उच्च शिक्षा का संबंध है, प्राइवेट विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या के बावजूद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे सरकारी विश्वविद्यालय/संस्थाएं अब भी छात्रों की पहली पसंद हैं। सरकारी संस्थाएं न केवल गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करती हैं, अपितु नाममात्र के शुल्क और लक्षित समूहों के छात्रों के लिए आरक्षण के प्रावधान करते हुए समाज के वंचित वर्ग की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती हैं।

(ग) और (घ) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

स्कूल स्तर पर: माध्यमिक स्तर पर शिक्षा तक सर्वसुलभ पहुंच और उसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु केन्द्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। यह योजना प्रथमतः सरकारी स्कूलों तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है।

कॉलेज स्तर पर: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने हेतु अपनी ओर से विनियम अधिसूचित किए हैं और उच्चतर शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने और उनके स्तरोन्नयन के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश और अनुदेश भी जारी किए जाते हैं। ये प्राइवेट विश्वविद्यालयों/संस्थाओं सहित सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होते हैं।

XIवीं योजनावधि के दौरान, केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों में 16 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है जहां वर्तमान में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वस्तरीय मानकों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ 14 अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रावधान किया गया है।

धार्मिक स्थानों की सुरक्षा

3489. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के लिए अर्द्ध सैनिक बलों (पी.एम.एफ.) को तैनात किया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्यवार ऐसे धार्मिक स्थान कौन-कौन से हैं जहां पर केन्द्रीय बलों की तैनाती की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में अन्य धार्मिक स्थानों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्यवार ऐसे प्रमुख धार्मिक स्थानों के क्या नाम हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण धार्मिक स्थलों/स्थानों को सुरक्षा प्रदान करना और जहां आवश्यकता हो उन परिसरों के भीतर सुरक्षा में वृद्धि करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का दायित्व है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धार्मिक स्थलों में सुरक्षा प्रबंध सुदृढ़ करने के लिए यथा संभव मात्रा में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल तभी उपलब्ध कराए जाते है जब उनके द्वारा अनुरोध किया जाता है। जोखिम की अवधारणा को ध्यान में रखकर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए अर्ध सैन्य बलों को तैनात किया जाना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों पर निर्भर करता है।

(ख) अर्ध सैन्य बल, कतिपय धार्मिक केन्द्रों/स्थलों पर तैनात किए गए हैं। ऐसे धार्मिक स्थलों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

विवरण

इन धार्मिक स्थलों/केन्द्रों का ब्यौरा जहां केन्द्रीय अर्ध सैन्य बल तैनात किए गए हैं

क्र.सं.	धार्मिक/एतिहासिक स्थल
उत्तर प्रदेश	
1.	राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद कंपलेक्स, अयोध्या
2.	काशी विश्वनाथ मंदिर/ज्ञान वापी मस्जिद कंपलेक्स, वाराणसी
3.	कृष्णा जन्म भूमि/शाहीईदगाह मस्जिद कंपलेक्स, मथुरा
जम्मू-कश्मीर	
4.	रघुनाथ मंदिर, जम्मू
5.	नाग मंदिर, पटनीटॉप, उधमपुर
6.	बाबा धरम दास मंदिर, खानियार, श्रीनगर
7.	गणपतियार मंदिर क्रालखुद, श्रीनगर
8.	महामाया मंदिर, जम्मू
9.	बासुकी नाग मंदिर, भद्रवाह, डोडा
10.	दुर्गा मंदिर, भद्रवाह, डोडा
11.	चांदी मंदिर, भद्रवाह, डोडा
12.	हनुमान मंदिर, टंकपुरा, श्रीनगर
13.	पवित्र श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, उधमपुर
14.	शिव मंदिर, किश्तवाड़, डोडा
15.	सार्थल मंदिर, किश्तवाड, डोडा
16.	लक्ष्मी नारायण मंदिर, किश्तवाड़, डोडा
17.	हरिप्रभात, श्रीनगर
18.	ईश्वर मंदिर, श्रीनगर
19.	गुरुद्वारा, छत्तीसिंहपुरा
20.	रघुनाथ मंदिर, अनंतनाग
21.	गौतमनाथ मंदिर, अनंतनाग
22.	शैल पुत्री मंदिर, बारामुला
23.	रघुनाथ मंदिर, बारामुला
24.	माता खीर भवानी श्राइन, तुलामुला, बारामुला
25.	देवी मंदिर मट्टन, अनंतनाग
26.	बाबा ऋषि श्राइन, तंगमार्ग, बारामूला
27.	शंकराचार्य मंदिर, नेहरू पार्क, श्रीनगर
28.	पाथर मस्जिद, श्रीनगर
29.	खीर भवानी मंदिर, गंदरबल

क्र.सं.	धार्मिक/एतिहासिक स्थल
30.	खीर भवानी मंदिर, कुपवाड़ा
31.	बाबा ऋषि जियारता, बारामुला
32.	बुद्ध अमरनाथ, पुंछ
33.	वासुकी नाग शिव मंदिर, डोडा
34.	गुप्त गंगा शिव मंदिर, डोडा
35.	शिव मंदिर, बस स्टैंड किश्तवाड़
पंजाब	
36.	बाबा आशुतोष नूरमहल, जालंधर
37.	बाबा प्यारा सिंह बनअईराला, धवाना (रोपड़)
38.	राधा स्वामी सत्संग, ब्यास, अमृतसर, पंजाब
दिल्ली	
39.	कालकाजी मंदिर, कालका, दिल्ली
40.	इस्कान मंदिर, लाजपत नगर, दिल्ली
41.	छत्तरपुर माता का मंदिर, मेहरौली, दिल्ली
केरल	
42.	सबरीमाला मंदिर, केरल
सिक्किम	
43.	रूमटेक मोनेस्टरी, सिक्किम
उड़ीसा	
44.	स्व. स्वामी लक्ष्मानंद सारस्वत का चकपाद आश्रम, कंधमाल
45.	स्व. स्वामी लक्ष्मानंद सारस्वत सरस्वती, जलेसपेटा आश्रम, कंधमाल
46.	मंदसौर कैथोलिक चर्च, रैकिया
47.	पाबीइंगिया कैथोलिक चर्च, फिरिंगिया
48.	गाडापुर कैथोलिक चर्च, ब्रामुनिगांव
49.	सीमानबंदी कैथोलिक चर्च, दारिनगीबादी
50.	कुर्तुमगाह कैथोलिक चर्च, तुमदीबंध
51.	पडांगी कैथोलिक चर्च, सारंगागदा

[अनुवाद]

प्राथमिक विद्यालयों के लिए विश्व बैंक की सहायता

3490. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ गुजरात सहित राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) एक राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत अब तक ऐसे 2.61 लाख स्कूल खोले जा चुके हैं। वर्तमान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का आंशिक निधीयन विश्व बैंक कर रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान, कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु गुजरात सहित सभी राज्यों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान जारी अनुदान

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी निधियां		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	37999.00	46245.56	28100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4442.51	7143.74	11043.55
3.	असम	13850.00	51464.72	28903.62
4.	बिहार	32399.56	107744.39	135417.64
5.	छत्तीसगढ़	30184.39	50182.20	46787.76
6.	गोवा	728.12	724.12	899.57
7.	गुजरात	15084.84	14806.97	22658.26
8.	हरियाणा	10196.55	25647.12	14220.00
9.	हिमाचल प्रदेश	7614.66	6250.75	7638.30
10.	जम्मू-कश्मीर	18530.65	22083.37	20063.27
11.	झारखण्ड	28568.50	51515.00	80748.99
12.	कर्नाटक	28303.78	54206.98	40604.78
13.	केरल	5939.00	6382.00	8323.42
14.	मध्य प्रदेश	77173.12	110879.68	86769.94
15.	महाराष्ट्र	50235.31	52158.56	45729.96
16.	मणिपुर	3208.44	9.24	1850.95
17.	मेघालय	1921.00	4294.00	9359.63
18.	मिजोरम	2559.15	3441.69	4212.02
19.	नागालैण्ड	2323.01	2315.20	4596.00
20.	उड़ीसा	32792.50	44010.95	62853.68

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	14683.89	12879.92	10493.88
22.	राजस्थान	60313.43	75809.82	101307.20
23.	सिक्किम	1062.50	402.14	1036.25
24.	तमिलनाडु	35329.53	37329.65	53125.09
25.	त्रिपुरा	7070.19	5330.01	4178.49
26.	उत्तर प्रदेश	182799.00	206654.00	204758.00
27.	उत्तराखंड	10004.00	16934.00	13162.80
28.	पश्चिम बंगाल	34199.79	61736.80	90571.68

एन.जी.ओ. द्वारा छात्रावास सुविधाएं

3491. श्रीमती के. रानी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश में छात्राओं को आवास और भोजन की सशुल्क सुविधा प्रदान करने का कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ इन गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनके द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए तमिलनाडु सहित देश में ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के राज्यवार क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) शिक्षा एक समवर्ती विषय है और स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। देश में छात्राओं के रहने और भोजन की सुविधाओं को प्रदान करने वाले गैर सरकारी संगठनों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ख) "माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन तथा छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ बनाना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 तक बालिकाओं के छात्रावास चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। यद्यपि यह योजना वर्ष 2004-05 तक संचालित की गई थी, इस योजना के अंतर्गत अनुदान की प्रतिपूर्ति वर्ष 2007-08 तक की गई।

पिछले 3 वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत जारी राशि निम्नानुसार है:-

2005-06	–	3.90 करोड़ रु.
2006-07	–	2.99 करोड़ रु.
2007-08	–	0.48 करोड़ रु.

इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की गई और राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार कोई आबंटन नहीं किया गया। पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी अनुदान वर्ष 2004-05 तक छात्रावास चलाने के लिए प्रतिपूर्ति थी और इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कोई भी भौतिक उपलब्धि नहीं हुई।

(ग) इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर सहायता दी गई और जहां कहीं भी किसी भी गैर सरकारी संगठन के विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त हुई, तो उसे जांच और उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बिहार और झारखंड के 6 गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न अनियमितताओं के लिए काली सूची में डाल दिया गया था। इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गैर सरकारी संगठनों द्वारा छात्रावास सुविधा

क्र. सं.	संगठन का नाम	काली सूची में रखने के कारण	काली सूची करने में रखने की तारीख
1.	अनुपम, नवादा जिला बिहार एफ सं. 7-153/2002-स्कूल-1	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताई गई नकली निरीक्षण रिपोर्ट	18-5-2005
2.	अनुराग सेवा संस्थान, वैशाली, बिहार एफ सं. 7-155/2002-स्कूल-1	-वही-	4-5-2005
3.	उत्तरी बिहार विकास परिषद शैहर, बिहार एफ सं. 7-154/2002-स्कूल-1	-वही-	4-5-2005
4.	सेवाश्रम, बनियाधी, जिला गिरिदीह, झारखंड एफ सं. 17-96/2002-स्कूल-2	गैर सरकारी संगठन अस्तित्व में नहीं।	4-5-2005
5.	हेल्प बिहार, झारखंड एफ सं. 17-61/2001-स्कूल-1	-वही-	21-4-2005
6.	विद्यास्थली, दुमका, झारखंड एफ सं. 17-173/2001-स्कूल-1	नकली निरीक्षण रिपोर्ट	21-11-2007

[हिन्दी]

छात्रों को छात्रवृत्ति

3492. श्री काशीराम राणा:

श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या का निर्धारण करने संबंधी मौजूदा तंत्र क्या है;

(ग) क्या उक्त तंत्र समुचित रूप से काम कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्य छात्रवृत्ति योजनाओं में छात्रवृत्तियां छात्रों को योग्यता और आरक्षण: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की श्रेणी के आधार पर दी जाती है। छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रत्यक्ष रूप से या संस्थाओं के माध्यम से संवितरित की जाती हैं और कुछ योजनाओं में छात्रवृत्तियां केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की गई छात्रवृत्ति योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या के मूल्यांकन के लिए तंत्र अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग है। यह सामान्यत: राज्य की सम्बद्ध जनसंख्या और इस उद्देश्य हेतु निधि की उपलब्धता के अनुपात पर निर्भर है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय उक्त तंत्र में किसी प्रकार की कमी से अवगत नहीं है।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी राशि

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई राशि		2007-08
		2005-06	2006-07	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	57.00	–	यह योजना अप्रैल, 2007 से समाप्त कर दी गई है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.98	0.15	
3.	असम	30.68	–	
4.	बिहार	–	75.60	
5.	छत्तीसगढ	19.56	30.17	
6.	दिल्ली	9.79	3.92	
7.	गोवा	1.44	2.73	
8.	गुजरात	71.54	110.82	
9.	हरियाणा	48.25	24.59	
10.	हिमाचल प्रदेश	1.42	10.74	
11.	जम्मू-कश्मीर	11.94	–	
12.	झारखण्ड	28.24	–	
13.	कर्नाटक	–	88.50	
14.	केरल	–	–	
15.	महाराष्ट्र	68.10	65.94	
16.	मध्य प्रदेश	47.13	48.71	
17.	मणिपुर	3.27	1.62	
18.	मेघालय	2.36	–	
19.	मिजोरम	1.24	–	

1	2	3	4	5
20.	नागालैण्ड	3.30	6.60	
21.	उड़ीसा	93.13	51.62	
22.	पंजाब	–	–	
23.	राजस्थान	30.95	53.15	
24.	सिक्किम	0.03	–	
25.	तमिलनाडु	51.58	77.56	
26.	त्रिपुरा	2.78	5.46	
27.	उत्तर प्रदेश	153.70	59.01	
28.	उत्तरांचल	9.80	–	
29.	पश्चिम बंगाल	74.49	–	
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.43	–	
31.	चंडीगढ़	5.22	–	
32.	दादरा और नगर हवेली	0.16	–	
33.	दमन एवं दीव	0.16	0.32	
34.	लक्षद्वीप	0.48	–	
35.	पांडिचेरी	–	–	

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी किया गया अनुदान

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06 में जारी की गई राशि	2006-07 में जारी की गई राशि	2007-08 में जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	20,64,000	–	30,42,900
2.	अरुणाचल प्रदेश	17,000	–	–
3.	असम	3,84,000	–	–
4.	गोवा	3,200	38,000	17,600
5.	गुजरात	4,43,000	4,45,000	1,83,000

1	2	3	4	5
6.	जम्मू-कश्मीर	97,000	–	–
7.	कर्नाटक	14,00,000	–	–
8.	केरल	4,67,000	–	–
9.	महाराष्ट्र	10,94,000	24,06,800	–
10.	मणिपुर	31,000	–	33,480
11.	मेघालय	43,000	–	–
12.	मिजोरम	18,200	–	–
13.	नागालैण्ड	–	24,000	–
14.	उड़ीसा	9,93,800	10,92,700	11,10,700
15.	पंजाब	2,93,000	–	–
16.	सिक्किम	24,000	3,000	–
17.	तमिलनाडु	15,61,000	–	–
18.	त्रिपुरा	1,49,219	1,03,050	1,37,000
19.	पश्चिम बंगाल	10,29,000	10,56,250	–
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24,000	–	–
21.	चंडीगढ़	65,900	–	–
22.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–
23.	दमन एवं दीव	19,000	–	–
24.	लक्षद्वीप	7,000	–	–
25.	पांडिचेरी	1,500	–	1,05,000

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संवितरित छात्रवृत्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2013	–	यह योजना अप्रैल, 2007 से समाप्त कर दी गई है।

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	116	3	
3.	असम	925	–	
4.	बिहार	–	2257	
5.	छत्तीसगढ़	598	1060	
6.	दिल्ली	277	222	
7.	गोवा	44	87	
8.	गुजरात	1358	3424	
9.	हरियाणा	1254	1127	
10.	हिमाचल प्रदेश	241	403	
11.	जम्मू-कश्मीर	386	–	
12.	झारखण्ड	857	–	
13.	कर्नाटक	–	3325	
14.	केरल	–	–	
15.	महाराष्ट्र	2346	2166	
16.	मध्य प्रदेश	1426	2331	
17.	मणिपुर	106	40	
18.	मेघालय	98	–	
19.	मिजोरम	–	–	
20.	नागालैण्ड	121	242	
21.	उड़ीसा	1902	1274	
22.	पंजाब	–	–	
23.	राजस्थान	1215	2330	
24.	सिक्किम	1	–	
25.	तमिलनाडु	1856	2872	
26.	त्रिपुरा	134	195	

1	2	3	4	5
27.	उत्तर प्रदेश	4412	4582	
28.	उत्तरांचल	316	–	
29.	पश्चिम बंगाल	2099	–	
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14	–	
31.	चण्डीगढ़	40	–	
32.	दादरा और नगर हवेली	6	–	
33.	दमन एवं दीव	6	12	
34.	लक्षद्वीप	19	–	
35.	पांडिचेरी	107	–	

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए गैर हिन्दी भाषी राज्यों के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संवितरित छात्रवृत्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	संवितरित छात्रवृत्तियों की संख्या		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	480	–	352
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	–	–
3.	असम	89	–	–
4.	गोवा	3	6	5
5.	गुजरात	199	189	162
6.	जम्मू-कश्मीर	23	–	–
7.	कर्नाटक	325	–	–
8.	केरल	239	–	–
9.	महाराष्ट्र	255	510	–
10.	मणिपुर	10	–	–

1	2	3	4	5
11.	मेघालय	10	–	–
12.	मिजोरम	5	–	–
13.	नागालैण्ड	–	5	–
14.	उड़ीसा	232	232	286
15.	पंजाब	68	–	–
16.	सिक्किम	5	3	–
17.	तमिलनाडु	455	–	–
18.	त्रिपुरा	36	32	32
19.	पश्चिम बंगाल	239	339	–
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	–	–
21.	चंडीगढ़	16	–	–
22.	दादरा और नगर हवेली	3	–	–
23.	दमन एवं दीव	2	–	–
24.	लक्षद्वीप	3	–	–
25.	पांडिचेरी	13	–	18

चिकित्सीय जड़ी-बूटियों का निर्यात

3493. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

श्री हरिसिंह चावडा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से चीन को चिकित्सीय जड़ी-बूटियों का निर्यात किया जाता है और चीन से इन्हीं जड़ी-बूटियों को ऊंचे मूल्यों पर अन्य देशों को निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने सीधे विश्व के अन्य देशों को उक्त जड़ी-बूटियों का निर्यात करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) चीन के औषधीय जड़ी-बूटियों के विश्वव्यापी कुल निर्यात चीन को भारत से हुए औषधीय जड़ी-बूटियों के निर्यातों की तुलना में काफी अधिक हैं। कॉमट्रेड, आई.टी.सी./अंकटाड के अनुसार वर्ष 2005 में चीन का औषधीय जड़ी-बूटियों का कुल निर्यात 286 मिलियन अमरीकी डॉलर का रहा था। वर्ष 2005-06 के दौरान भारत से चीन को औषधीय

पौधों का निर्यात केवल 1.57 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ था।

(ग) से (ङ) भारत सरकार की फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत सी.आई.एस., अफ्रीका तथा लैटिन अमरीकी देशों को होने वाले निर्यातों हेतु निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं। औषधीय जड़ी-बूटियों के निर्यातक भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

[अनुवाद]

आहार प्रदर्शनी

3494. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में आहार प्रदर्शनी आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर किए जाने वाले संभावित व्यय सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) प्रत्येक वर्ष मार्च माह में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आई.टी.पी.ओ. द्वारा 'आहार' का आयोजन किया जाता है। आई.टी.पी.ओ. द्वारा नई दिल्ली, चेन्नै तथा शिलांग में 'आहार' आयोजित करने का प्रस्ताव है। गुजरात में आहार प्रदर्शनी के आयोजन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अथवा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। आई.टी.पी.ओ. द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता एवं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/एजेंसी एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता को ध्यान में रखते हुए आहार जैसी प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन किया जाता है।

(ख) चेन्नै व्यापार केन्द्र, चेन्नै में वर्ष 2009 के दौरान आहार - चेन्नै का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए बजटीय व्यय लगभग 80-85 लाख रुपये होगा। आहार, शिलांग के आयोजन के लिए अभी स्थल को अंतिम रूप दिया जाना है, अतः इस अवस्था में संभावित व्यय का उल्लेख नहीं किया जा सकता। आहार-अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला, नई दिल्ली, जो 24वां आयोजन होगा, प्रगति मैदान में 7-10 मार्च, 2009 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 400 से अधिक भागीदार होंगे। इसका संभावित व्यय 187 लाख रुपये है।

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत नई वितरण प्रणाली

3495. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों की नई वितरण प्रणाली अपनाए जाने से राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के लिए राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्रदान करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्यान्नों के लदान संबंधी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन के कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों को उठाने का कार्य पहली दो तिमाही में बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तथापि, आपसी विचार-विमर्श से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अब इन दिशा-निर्देशों में कुछ संशोधन किया है। पहली दो तिमाही में खाद्यान्न न उठाए जाने की मात्रा को लदान हेतु पुनः प्रमाणित किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-आयोडाइजड नमक

3496. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एक वर्ष में उत्पादित गैर-आयोडाइजड नमक की मात्रा कितनी है;

(ख) खाने तथा उद्योग और कृषि के प्रयोजनार्थ नमक की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाता है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गैर-आयोडाइजड नमक की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) वर्ष 2007 में देश में उत्पादित गैर आयोडीन नमक की मात्रा 183.89 एम टन थी।

(ख) वर्ष 2007 में खाने के लिए तथा औद्योगिक एवं कृषीय प्रयोजनों के लिए उत्पादित मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) खाने के उपयोग के लिए	51.38 लाख एम.टी.
(ii) औद्योगिक तथा कृषीय उपयोग के लिए	88.90 लाख एम.टी.
कुल	140.28 लाख एम.टी.

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए गैर आयोडीन नमक की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (लाख टन में)	अर्जित की गई विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपये में)
2005	36.26	135.97
2006	17.10	75.24
2007	17.39	91.30
2008 (अगस्त तक)	12.51	65.68

काजू का उत्पादन

3497. श्री पी.सी. थामस:

श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में काजू के उत्पादन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) प्रस्तावित काजू विकास बोर्ड की स्थापना के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 11वीं योजना के अंत तक 11.00 लाख मी.टन के उत्पादन अनुमान के साथ समर्थनकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ सभी काजू उत्पादक राज्यों में 5 वर्ष की अवधि तक क्षेत्र विस्तार एवं काजू के अनुत्पादक क्षेत्रों में पुनर्रोपण हेतु क्रमशः 75,000 है. और 1,00,000 हे. क्षेत्र को शामिल करने के लिए 11वीं योजना में समेकित कार्य योजना तैयार की है।

(ग) और (घ) राज्य विकास विभागों द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत अनुमोदन एवं कार्यान्वयन के लिए समर्थनकारी कार्यक्रमों के साथ विकास कार्यक्रमों अर्थात् काजू के क्षेत्र विस्तार तथा पुनर्रोपण/नवीकरण हेतु अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। सरकार संबंधित राज्य सरकारों के जरिए विभिन्न राज्यों में राज्य विकास विभागों/राज्य बागवानी मिशन समितियों को इस हेतु सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2007-08 के दौरान लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रस्तावित काजू बोर्ड का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और योजना आयोग का सैद्धांतिक अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा बागवानी टी.एम. (एन.ई.) के अंतर्गत काजू विकास कार्यक्रमों (2007-08) के राज्य-वार लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति

वित्तीय - लाख रुपए

राज्य/कार्यक्रम		लक्ष्य		उपलब्धि	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6
1. नवरोपण (हेक्टे.)					
केरल	एफ.पी.	1940	114.750	1648	55.941
कर्नाटक	एफ.पी.	3699	208.140	2372	106.520
गोवा	एफ.पी.	175	9.640		
महाराष्ट्र	एफ.पी.	3538	722.650	3694	476.570
	एम	5990		6142	
तमिलनाडु	एफ.पी	6610	459.563	3876	289.394
	एम	3500		2799	
आन्ध्र प्रदेश	एफ.पी.	1250	70.310	525	29.240
	एम	1428	34.040	940	20.770
उड़ीसा	एफ.पी.	7500	–	6000	442.560
पश्चिम बंगाल	एफ.पी.	एन.आर.	2.813	एन.आर.	2.813
छत्तीसगढ़	एफ.पी.	3000	168.750	2884	76.734
गुजरात	एफ.पी.	20	0.960	41	4.850
असम	एफ.पी.	755	98.150	335	43.550
मेघालय	एफ.पी.	200	45.500	200	26.000
मणिपुर	एफ.पी.	200			
त्रिपुरा	एफ.पी.	170	22.100	8	1.040
नागालैण्ड	एफ.पी.	400	52.000	400	52.000
कुल	**एफ.पी.**	**31157**	**1975.326**	**21983**	**1653.982**
	एम	**9490**		**8941**	

1	2	3	4	5	6
2. पुराने अनुत्पादक काजू बागानों का पुनर्रोपण/नवीकरण (हेक्टे.)					
केरल	एफ.पी.	1610	241.500	435	35.250
कर्नाटक	एफ.पी.	2978	449.850	–	44.290
गोवा	एफ.पी.	400	30.000	–	–
तमिलनाडु	एफ़.पी.	4605	690.750	2500	375.000
महाराष्ट्र	एफ.पी.	350	42.000	50	–
आन्ध्र प्रदेश	एफ.पी.	2200	95.480	2260	97.040
	एम	1428	34.040	940	20.770
उड़ीसा		400	–	–	–
पश्चिम बंगाल	एफ.पी.	एन.आर.	19.500	एन.आर.	5.700
कुल	**एफ.पी.**	**12543**	**1603.120**	**5245**	**578.050**
	एम	**1428**		**940**	
3. जल संग्रहण संरचना					
कर्नाटक		375	7.500	20	0.400
4. काजू की कलमों का उत्पादन					
कर्नाटक		10,000	1.330	10,000	1.330
5. आदर्श काजू पौधशाला					
केरल		1	18.000	–	–
कर्नाटक		2	27.000	1	17.950
6. आदर्श लघु पौधशाला					
केरल		1	3.000	–	–
7. काजू की कलमों का उत्पादन					
कर्नाटक - सं.		10000	1.330	1000	1.330
8. प्रमुख प्रदर्शन					
कर्नाटक		528	51.520	–	–
9. घरेलू प्रसंस्करण इकाइयां					
कर्नाटक		14	11.000	3	1.750

1	2	3	4	5	6
10. जल संग्रहण संरचना					
कर्नाटक		375	7.500	20	0.400
कुल			**128.180**		**23.160**
महायोग (1 से 10)			3706.626	2255.192 (61%)	

एफ.पी. - नव रोपण

एम - मौजूदा बागान का रखरखाव

एन.आर. - सूचित नहीं

कैदियों को सुविधाएं

3498. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल कितनी कारागार हैं और इनकी क्षमता कितनी है तथा इनमें दिल्ली सहित राज्य-वार, कारागार-वार, लिंग-वार कितनें कैदी बंद हैं;

(ख) क्या कारागारों में क्षमता से अधिक कैदी बंद होने के कारण इन कारागारों में कैदियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कारागारों की संख्या बढ़ाने तथा कैदियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006 के अंत तक देश में जेलों की संख्या, उनकी क्षमता और उनमें जेल-वार, लिंग-वार और राज्य-वार कैदियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2006 के अंत तक जेलों की 2,63,911 कैदियों की प्राधिकृत क्षमता की तुलना में इनमें 3,73,271 कैदी थे। इससे जेलों में उपलब्ध सुविधाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के तहत "कारागार" राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, कारागारों और कैदियों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने वर्तमान कारागारों में अतिरिक्त बैरकों का निर्माण करने के साथ-साथ अतिरिक्त कारागारों का निर्माण करने के लिए वर्ष 2002-03 में एक योजनेतर स्कीम शुरू की ताकि भीड़ कम की जा सके, वर्तमान कारागारों की मरम्मत और नवोन्मेष किया जा सके, साफ-सफाई और जल-आपूर्ति और कैदियों के रहने की स्थिति के साथ-साथ कारागार स्टाफ के आवास में सुधार किया जा सके। यह योजना, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 75:25 के अनुपात में लागत भागीदारी के आधार पर 1800 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है। अब इस योजना को 31-3-2009 तक बढ़ा दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2006 के अंत तक देश की विभिन्न प्रकार की जेलों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय जेल	जिला जेल	उप-जेल	महिला जेल	बोरस्टल जेल	खुली जेल	विशेष जेल	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	9	120	2	1	2	0	0	141
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	6	18	1	0	0	1	1	0	27
4.	बिहार	6	23	25	1	0	0	0	0	55
5.	छत्तीसगढ़	4	6	17	0	0	0	0	0	27
6.	गोवा	1	0	1	0	0	0	0	3	5
7.	गुजरात	2	6	12	0	0	2	2	0	24
8.	हरियाणा	2	12	4	0	1	0	0	0	19
9.	हिमाचल प्रदेश	2	2	6	0	1	1	0	0	12
10.	जम्मू-कश्मीर	2	8	3	0	0	0	0	0	13
11.	झारखण्ड	4	19	4	0	1	0	0	0	28
12.	कर्नाटक	6	6	81	0	1	1	2	1	98
13.	केरल	3	3	26	1	1	2	5	0	41
14.	मध्य प्रदेश	8	22	86	0	0	0	0	0	116

15. महाराष्ट्र	8	23	172	1	1	3	1	1	210
16. मणिपुर	2	2	0	0	0	0	0	0	4
17. मेघालय	0	4	0	0	0	0	0	0	4
18. मिजोरम	1	5	0	0	0	0	0	0	6
19. नागालैण्ड	1	3	6	0	0	0	0	0	10
20. उड़ीसा	0	13	52	1	0	1	2	1	70
21. पंजाब	7	5	11	1	1	1	0	0	26
22. राजस्थान	8	25	59	2	1	10	0	0	105
23. सिक्किम	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24. तमिलनाडु	9	6	113	2	1	1	1	1	134
25. त्रिपुरा	1	2	7	1	0	0	0	0	11
26. उत्तर प्रदेश	5	50	3	1	0	0	2	0	61
27. उत्तरांचल	0	6	2	0	0	1	0	0	9
28. पश्चिम बंगाल	6	12	29	1	0	1	4	0	53
कुल (राज्य)	**102**	**290**	**840**	**14**	**10**	**27**	**20**	**7**	**1310**
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	3	0	0	0	0	0	4
30. चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31. दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	0	0	0	0	1
32. दमन और दीव	0	0	2	0	0	0	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	दिल्ली	8	1	0	1	0	0	0	0	10
34.	लक्षद्वीप	0	0	4	0	0	0	0	0	4
35.	पांडिचेरी	1	1	2	0	0	0	0	0	4
	कुल (संघ शासित)	**9**	**3**	**12**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**26**
	कुल (अखिल भारत)	111	293	852	15	10	27	20	8	1336

*जेल अस्तित्व में नहीं हैं।

विवरण-II

वर्ष 2006 के अंत तक केन्द्रीय जेलों में कैदियों की क्षमता और उसकी संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			कैदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	6428	204	6632	7996	158	8154
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	6	3247	139	3386	3884	100	3984
4.	बिहार	6	10334	125	10459	12543	272	12815
5.	छत्तीसगढ़	4	2719	230	2949	6091	396	6487
6.	गोवा	1	125	25	150	122	20	142
7.	गुजरात	2	2387	79	2466	6070	270	6340
8.	हरियाणा	2	2214	34	2248	2580	62	2642
9.	हिमाचल प्रदेश	2	483	23	506	704	19	723
10.	जम्मू-कश्मीर	2	1210	10	1220	818	13	831
11.	झारखण्ड	4	6390	168	6558	9846	376	10222
12.	कर्नाटक	6	4972	250	5222	8077	400	8477
13.	केरल	3	2278	239	2517	3381	74	3455
14.	मध्य प्रदेश	8	7723	567	8290	16605	453	17058

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	महाराष्ट्र	8	10993	389	11382	16860	578	17438
16.	मणिपुर	2	860	110	970	383	15	398
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	1	456	89	545	338	40	378
19.	नागालैण्ड	1	550	50	600	256	0	256
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	7	7984	252	8236	10440	462	10902
22.	राजस्थान	8	7927	191	8118	7556	97	7653
23.	सिक्किम	1	100	21	121	222	3	225
24.	तमिलनाडु	9	12272	84	12356	13940	44	13984
25.	त्रिपुरा	1	355	0	355	693	0	693
26.	उत्तर प्रदेश	5	5940	34	5974	11535	56	11591
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	6	10652	305	10957	9789	498	10287
	कुल (राज्य)	**102**	**108599**	**3618**	**112217**	**150729**	**4406**	**155135**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0

32. दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33. दिल्ली	8	4800	0	4800	11378	0	11378
34. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35. पांडिचेरी	1	201	24	225	223	4	227
कुल (संघ शासित)	**9**	**5001**	**24**	**5025**	**11601**	**4**	**11605**
कुल (अखिल भारत)	111	113600	3642	117242	162330	4410	166740

*जेल अस्तित्व में नहीं हैं।

वर्ष 2006 के अंत तक जिला-जेलों में कैदियों की क्षमता और उसकी संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिला जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			कैदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	1518	119	1637	2571	239	2810
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	18	2213	254	2467	4003	140	4143
4.	बिहार	23	9352	350	9702	21613	757	22370
5.	छत्तीसगढ़	6	1087	98	1185	1657	75	1732
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	6	1591	71	1662	3280	137	3417
8.	हरियाणा	12	7228	504	7732	9242	335	9577
9.	हिमाचल प्रदेश	2	204	6	210	257	14	271
10.	जम्मू-कश्मीर	8	1570	60	1630	1311	46	1357
11.	झारखण्ड	19	3941	206	4147	8954	370	9324
12.	कर्नाटक	6	1088	108	1196	1079	53	1132
13.	केरल	3	347	34	381	794	24	818
14.	मध्य प्रदेश	22	4883	378	5261	6160	248	6408
15.	महाराष्ट्र	23	4733	289	5022	6520	384	6904

16. मणिपुर	2	100	0	100	0	0	0
17. मेघालय	4	485	35	520	612	9	621
18. मिजोरम	5	441	72	513	311	40	351
19. नागालैण्ड	3	333	17	350	173	5	178
20. उड़ीसा	13	4266	164	4430	6997	193	7190
21. पंजाब	5	1694	18	1712	2320	108	2428
22. राजस्थान	25	4706	223	4929	3368	134	3502
23. सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24. तमिलनाडु	6	159	84	243	61	119	180
25. त्रिपुरा	2	252	6	258	200	3	203
26. उत्तर प्रदेश	50	27603	1271	28874	52266	1700	53966
27. उत्तरांचल	6	1012	55	1067	1534	45	1579
28. पश्चिम बंगाल	12	5275	528	5803	3622	293	3915
कुल (राज्य)	**290**	**86081**	**4950**	**91031**	**138905**	**5471**	**144376**
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	239	30	269	338	2	340
30. चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31. दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32. दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33. दिल्ली	1	1050	0	1050	1559	0	1559

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	1	40	10	50	78	0	78
	कुल (संघ शासित)	**3**	**1329**	**40**	**1369**	**1975**	**2**	**1977**
	कुल (अखिल भारत)	293	87410	4990	92400	140880	5473	146353

*जेल अस्तित्व में नहीं हैं।

वर्ष 2006 के अंत तक उप-जेलों में कैदियों की क्षमता और उसकी संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उप-जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			कैदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	120	2954	350	3304	3660	76	3736
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1	24	8	32	58	1	59
4.	बिहार	25	4023	225	4248	8707	301	9008
5.	छत्तीसगढ़	17	1052	113	1165	2140	0	2140
6.	गोवा	1	115	0	115	121	0	121
7.	गुजरात	12	1214	78	1292	1684	81	1765
8.	हरियाणा	4	145	0	145	255	0	255
9.	हिमाचल प्रदेश	6	159	19	178	275	12	287
10.	जम्मू-कश्मीर	3	250	0	250	82	0	82
11.	झारखण्ड	4	474	26	500	1085	33	1118
12.	कर्नाटक	81	4184	405	4589	2801	53	2854
13.	केरल	26	1038	154	1192	1415	26	1441
14.	मध्य प्रदेश	86	6157	547	6704	8456	78	8534

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	महाराष्ट्र	172	2361	0	2361	155	9	164
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	6	247	23	270	217	23	240
20.	उड़ीसा	52	3037	333	3370	5596	231	5827
21.	पंजाब	11	676	0	676	1300	0	1300
22.	राजस्थान	59	3330	281	3611	2176	10	2186
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	113	3230	602	3832	2749	502	3251
25.	त्रिपुरा	7	408	14	422	444	8	452
26.	उत्तर प्रदेश	3	510	28	538	666	16	682
27.	उत्तरांचल	2	323	13	336	806	24	830
28.	पश्चिम बंगाल	29	1517	234	1715	2921	181	3102
	कुल (राज्य)	**840**	**37428**	**3453**	**40881**	**47769**	**1665**	**49434**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	30	10	40	6	0	6
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0

31.	दादरा और नगर हवेली	1	50	10	60	33	0	33
32.	दमन और दीव	2	80	40	120	53	1	54
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	4	56	0	56	0	0	0
35.	पांडिचेरी	2	20	10	30	7	0	7
	कुल (संघ शासित)	**12**	**236**	**70**	**306**	**99**	**1**	**100**
	कुल (अखिल भारत)	852	37664	3523	41187	47868	1666	49534

*जेल अस्तित्व में नहीं हैं।

वर्ष 2006 के अंत तक महिला जेलों में कैदियों की क्षमता और उसकी संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	महिला जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			कैदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	0	320	320	0	372	372
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1	0	83	83	0	88	88
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	1	0	60	60	0	46	46
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0

15. महाराष्ट्र	1	0	262	262	0	381	181
16. मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17. मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18. मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19. नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0
20. उड़ीसा	1	0	55	55	0	21	21
21. पंजाब	1	0	150	150	0	206	206
22. राजस्थान	2	0	350	350	0	215	215
23. सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24. तमिलनाडु	2	0	513	513	0	789	789
25. त्रिपुरा	1	0	30	30	0	22	22
26. उत्तर प्रदेश	1	0	90	90	0	175	175
27. उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28. पश्चिम बंगाल	1	0	100	100	0	52	52
कुल (राज्य)	14	0	2013	2013	0	2367	2367
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30. चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31. दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32. दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	दिल्ली	1	0	400	400	0	463	463
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	**1**	**0**	**400**	**400**	**0**	**463**	**463**
	कुल (अखिल भारत)	15	0	2413	2413	0	2830	2830

*जेल अस्तित्व में नहीं हैं।

वर्ष 2006 के अंत तक बोरस्टल स्कूलों में कैदियों की क्षमता और उसकी संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बोरस्टल स्कूल की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			कैदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	93	0	93	14	0	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	1	267	195	462	77	136	213
9.	हिमाचल प्रदेश	1	15	15	30	17	0	17
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	1	100	0	100	45	0	45
12.	कर्नाटक	1	200	0	200	0	0	0
13.	केरल	1	100	0	100	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	महाराष्ट्र	1	105	0	105	29	0	29
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	1	300	0	300	250	0	250
22.	राजस्थान	1	90	0	90	16	0	16
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	405	0	405	339	0	339
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	**10**	**1675**	**210**	**1885**	**787**	**136**	**923**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0

31. दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32. दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33. दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35. पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
कुल (संघ शासित)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल (अखिल भारत)	10	1675	210	1885	787	136	923

*जेल अस्तित्व में नहीं हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	महाराष्ट्र	1	105	0	105	29	0	29
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	1	300	0	300	250	0	250
22.	राजस्थान	1	90	0	90	16	0	16
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	405	0	405	339	0	339
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	10	1675	210	1885	787	136	923
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0

31. दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32. दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33. दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35. पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
कुल (संघ शासित)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल (अखिल भारत)	10	1675	210	1885	787	136	923

*जेल अस्तित्व में नहीं है।

वर्ष 2006 के अंत तक खुली जेलों में कैदियों की क्षमता और उसकी संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खुली जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			कैदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	430	0	430	335	0	335
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1	100	0	100	43	0	43
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	2	100	0	100	75	0	75
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	80	0	80	38	0	38
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	80	0	80	33	0	33
13.	केरल	2	350	0	350	254	0	254
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0

15. महाराष्ट्र	3	722	0	722	642	0	642
16. मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17. मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18. मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19. नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0
20. उड़ीसा	1	100	0	100	68	0	68
21. पंजाब	1	200	0	200	29	0	29
22. राजस्थान	10	456	0	456	396	15	411
23. सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24. तमिलनाडु	1	100	0	100	53	0	53
25. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26. उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
27. उत्तरांचल	1	300	0	300	235	0	235
28. पश्चिम बंगाल	1	70	0	70	68	0	68
कुल (राज्य)	**27**	**3088**	**0**	**3088**	**2269**	**15**	**2284**
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30. चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31. दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32. दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	27	3088	0	3088	2269	15	2284

*जेल अस्तित्व में नहीं है।

वर्ष 2006 के अंत तक विशेष जेलों में कैदियों की क्षमता और उसकी संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विशेष जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			कैदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1	360	12	372	307	2	309
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	2	170	10	180	186	10	196
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	2	238	12	250	180	0	180
13.	केरल	5	377	47	424	471	19	490
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	महाराष्ट्र	1	243	3	246	196	5	201
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	2	1043	30	1073	1248	33	1281
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	10	0	10	10	0	10
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2	594	0	594	255	0	255
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	4	946	95	1041	741	28	769
	कुल (राज्य)	**20**	**3981**	**209**	**4190**	**3594**	**97**	**3691**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0

32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	20	3981	209	4190	3594	97	3691

*जेल अस्तित्व में नहीं हैं।

वर्ष 2006 के अंत तक अन्य जेलों में कैदियों की क्षमता और उसकी संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अन्य जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			कैदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	3	91	0	91	117	0	117
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	250	0	250	24	0	24
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0

15.	महाराष्ट्र	1	28	0	28	26	4	30
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1	91	6	97	257	0	257
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	40	0	40	50	0	50
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	**7**	**500**	**6**	**506**	**474**	**4**	**478**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	960	40	1000	412	26	438
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	**1**	**960**	**40**	**1000**	**412**	**26**	**438**
	कुल (अखिल भारत)	8	1460	46	1506	886	30	916

*जेल अस्तित्व में नहीं हैं।

[हिन्दी]

संसाधनों की खोज

3499. श्री अजीत जोगी: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्र की सतह और कांटीनेन्टल शेल्फ एरिया में मौजूद संसाधनों की खोज के लिए देश के प्रादेशिक जलों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इन संसाधनों की खोज के लिए सरकार के पास कोई परियोजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मत्स्य-क्षेत्र, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा खनिज संसाधनों के संबंध में प्रादेशिक समुद्र और महाद्वीपीय शेल्फ में संसाधनों के अन्वेषण और परिणाम सहित सर्वेक्षण का ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

(i) मत्स्य-क्षेत्र:

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफ.सी.आई.) ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित पूर्वी और पश्चिमी तटों के तटवर्ती और अपतटीय समुद्र में समुद्री मत्स्य संसाधनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण किए।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इंकॉइस) भारत के तटीय और द्वीपों के मछुआरा समुदाय को सप्ताह में तीन बार संभावित मात्स्यिकी क्षेत्र संबंधी विश्वसनीय और समय पर परामर्श सूचनाएं उपलब्ध करता है। इससे खोज के समय में पर्याप्त कमी आने के साथ-साथ डीजल की बचत होती है तथा और अधिक मछलियां पकड़ी जा सकती हैं।

(ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस:

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) और हाइड्रोकार्बन संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रादेशिक समुद्र और महाद्वीपीय शेल्फ सहित भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भूकंप के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण किए हैं।

वर्ष 2007 में अपतटीय कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार क्रमशः 368 मिलियन टन और 785 बिलियन घन मीटर थे। वर्ष 2007-08 के दौरान 34.11 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन (अनुमानतः) और 32.27 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस उत्पादन (अनुमानतः) में से अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन क्रमशः 22.90 मिलियन टन और 23.19 बिलियन घन मीटर रहा।

(iii) खनिज संसाधन:

भारत भूसर्वेक्षण विभाग (जी.एस.आई.) ने प्रादेशिक समुद्र और महाद्वीपीय शेल्फ सहित भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर पृथ्वी विज्ञान से संबंधित निर्जीव संसाधनों एवं अन्वेषण के लिए समुद्र संस्तर सर्वेक्षण किए हैं। सर्वेक्षण के दौरान जी.एस.आई. ने प्रादेशिक समुद्रों, महाद्वीपीय शेल्फ में तथा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर और उससे आगे ऐसी उपयोगी भारी खनिज वाली रेत के बारे में उल्लेख किया है जिसमें इल्मेनाइट, रूटाइल, जर्कोन, सिलिमेनाइट, मोनेजाइट और गार्नेट है।

[अनुवाद]

देश में खनिज भंडार

3500. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में पाए गए विभिन्न खनिजों की उपलब्धता/भंडारों/नए भंडारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में इन खनिजों की मांग और आपूर्ति तथा घरेलू उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इन खनिजों की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार के पास कोई नीति है;

(घ) यदि हां, तो उक्त नीति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विभिन्न खनिजों से संबंधित

मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हेतु कोई पृथक निकाय गठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) खनिजों के भंडारों/संसाधनों और उनकी खपत संबंधी राज्यवार सूचना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इण्डियन मिनरल्स ईअर बुक में दी गई है, जिसकी प्रति नियमित आधार पर संसद पुस्तकालय को सप्लाई की जाती है।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में अपनी नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की है। नई नीति देश में औद्योगिक विकास के लिए देश के प्राकृतिक खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सतत् ढांचा विकसित करना चाहती है। नई नीति खनिज उत्पादक इकाइयों के साथ दीर्घकालीन लिंकेज विकसित करने के लिए उपयोगकर्त्ता उद्योग को प्रोत्साहित करती है ताकि घरेलू साधनों से खनिज सामग्री की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) और (च) खान मंत्रालय ने खनिज सलाहकार परिषद, ग्रेनाइट विकास परिषद और मार्बल विकास परिषद का गठन किया है। इन मंचों में खनिज क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए बेहतर समन्वय हेतु भावी निवेशकों सहित संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और उद्योग का प्रतिनिधित्व है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी नागरिक

3501. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना पूर्वोत्तर (एन.ई.) क्षेत्र में विदेशी नागरिकों की तेजी से बढ़ती संख्या पर संबंधित राज्य सरकारों और मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के साथ कोई गोल मेज सम्मेलन का आयोजन करने की है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई सम्मेलन आयोजित किए जाने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत शक्ति प्रदान की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा पर बाड़ लगाना भी शामिल है।

परम्परागत उद्योगों का पुनरुद्धार

3503. श्री फ्रांसिस फैन्थम:

श्री नरहरि महतो:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बुनाई और कताई, लौहार-गीरी, बढ़ईगीरी, तेल पिराई जैसे परम्परागत ग्रामीण पेशेवर खत्म होते जा रहे हैं जिसके कारण युवा नगरों और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से देश में विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने हेतु तथा बेरोजगार युवाओं का पलायन रोकने के लिए स्वरोजगार के विकल्प के रूप में लीफ कप/प्लेट मेकिंग सहित परम्परागत ग्रामीण उद्योगों के पुनरूद्धार करने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का विचार है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ङ) जी, नहीं। हालांकि यह सही है कि विभिन्न कारणों से ग्रामीण युवा अभी भी शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से कोई विशिष्ट नई योजना तैयार नहीं की जा रही है। तथापि, सरकार (सूक्ष्म,

लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) खादी, लघु उद्योगों और कॅयर उद्योगों के संवर्धन के अलावा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नाम की एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन कर रही है। योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेन्सी के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना का कार्यान्वयन के.वी.आई.सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बी.) और जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.) और बैंकों के माध्यम से किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमी सेवा/व्यवसाय क्षेत्र 10 लाख रु. प्रत्येक की अधिकतम लागत तथा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रु. प्रत्येक तक की परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी./राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के के.वी.आई.बी./जिला उद्योग केन्द्रों से मार्जिन मनी सहायता प्राप्त करके तथा कार्यान्वयनरत सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेकर पारंपरिक ग्रामोद्योग सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर सकते हैं। पत्ते के दोनें/प्लेटें बनाने वाली इकाइयों को पी.एम.ई.जी.पी. के तहत ग्रामोद्योगों के 'वन आधारित उद्योग (एफ.बी.आई.) समूह' के अधीन बढ़ावा दिया जाता है।

इसके अलावा, खादी, ग्रामोद्योगों एवं कॅयर क्षेत्रों में पारंपरिक क्लस्टरों के विकास के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) नाम से एक अन्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। योजना में उत्पादन संबंधी उपकरणों के प्रतिस्थापन, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी.एफ.सी.) की स्थापना, उत्पाद विकास, गुणवत्ता में सुधार, सुधरे हुए विपणन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, आदि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता की परिकल्पना की गई है। दोनों योजनाओं का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाईट www.msme.nic.in पर उपलब्ध है।

ई.पी.जेड. को एस.ई.जेड. में परिवर्तित करना

3504. श्री हरिकेवल प्रसाद:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

श्री सुब्रत बोस:

श्री नरहरि महतो:

श्री रनेन बर्मन:

श्री हितेन बर्मन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश में राज्य-वार कितने ई.पी.जेड. हैं;

(ख) क्या अनेक निर्यात प्रसंस्करण जोनों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ई.पी.जेड. के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ई.पी.जेड. की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(च) ई.पी.जेड. के कार्यकरण के पुनर्गठन हेतु कार्य योजना/नई नीतिगत पहलों तथा पश्चिम बंगाल सहित देश में नए ई.पी.जेड. की स्थापना के प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) एस.ई.जेड. अधिनियम 2005/एस.ई.जेड. नियमावली, 2006 के अधिनियमन के साथ आठ निर्यात संसाधन जोनों (ई.पी.जेड.) को विशेष आर्थिक जोनों में परिवर्तित किया गया था। फाल्टा, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक ऐसा ही ई.पी.जेड. था।

(घ) से (च) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार एस.ई.जेडों में परिवर्तित केन्द्र सरकार के 7 ई.पी.जेडों से निर्यात वर्ष 2005-06 में हुए 1965 6.67 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2007-08 में 39275.11 करोड़ रुपए के हुए थे जिनमें 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी प्रकार इन एस.ई.जेडों में 4430.86 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 1,97,625 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन किया गया है। सरकार का नए ई.पी.जेडों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों का अन्य व्यवसायों में पलायन

3505. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वैज्ञानिकों का अन्य व्यवसायों की ओर बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी सेवा में उच्च पदों को छोड़ने वाले वैज्ञानिकों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(घ) क्या उच्चतर शिक्षा में विशुद्ध विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 1 प्रतिशत पर स्थिर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वैज्ञानिकों को बेहतर पारिश्रमिक/सुविधाएं प्रदान करके उन्हें सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, नहीं। वैज्ञानिकों का अन्य व्यवसायों की ओर पलायन के संबंध में वर्तमान में कोई केन्द्रीय रूप से आधिकारिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 के दौरान केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक एजेंसियों/विभागों को छोड़कर जाने वाले वैज्ञानिकों की संख्या क्रमशः 437, 628, 632 और 239 है।

(घ) जी, नहीं। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में विज्ञान में 22,55,230 छात्रों ने प्रवेश लिया जो उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों का 20.45% बनता है।

(ङ) सरकार ने सरकारी सेवा में वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये हैं। इन उपायों में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नये संस्थानों की स्थापना हेतु प्रत्येक योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आबंटन बढ़ाना, उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन और शैक्षिक तथा राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते और अग्रणी क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करना, इन्सपायर और ब्रायजकास्ट आदि जैसी नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों को प्रारम्भ करना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना, उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहनों, राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ-साथ आकर्षक वेतन पैकेजों की पेशकश शामिल है। तदनुसार, सरकार ने वैज्ञानिक विभागों के लिए 10वीं योजना के दौरान 25,301.35 करोड़ रुपये के आबंटन को 11वीं योजना में बढ़ाकर 75,304.00 करोड़ रुपये कर दिया है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा

3506. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित देश के विभिन्न केन्द्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का विभाग मौजूद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए विकास संबंधी कार्यकलापों, नए पाठ्यक्रमों और विस्तार कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार अधिकांश विश्वविद्यालय जिनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी शामिल है, में शारीरिक शिक्षा विभाग हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्कीम है जिसके तहत खेलकूद संबंधी अवसंरचना के सृजन, उपकरण तथा साहसिक खेलकूद आयोजित करने के लिए 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

महिला शिक्षा

3507. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में महिलाओं की शिक्षा का अनुपात कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 4.2 तथा 4.3 में प्रावधान है कि "शिक्षा का उपयोग महिला की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन के रूप में किया जाएगा। महिला निरक्षरता को दूर करने तथा प्रारंभिक शिक्षा तक उनकी पहुंच में आने वाली रुकावटों को दूर करने तथा उनके अवरोधन को विशेष सहायता सेवाओं तथा प्रभावशाली अनुवीक्षण के प्रावधान के माध्यम से अधिभावी प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न स्तरों पर वोकेशनल, तकनीकी तथा व्यावसायोन्मुख शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया जाएगा"।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित नीति के कार्यढांचे के अनुसरण में महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु बालिकाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने वाले कई कार्यक्रम हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय स्कूल, छात्राओं हेतु बोर्डिंग तथा छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने की स्कीम, महिलाओं के लिए सामुदायिक पॉलिटेक्निक तथा महिला समाख्या कार्यक्रम। केन्द्रीय विद्यालयों में छात्राओं से कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता। केन्द्रीय विद्यालयों में एकल बालिका के लिए 1-1-2006 से सभी प्रकार के शुल्क में छूट दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्राओं हेतु 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। उच्चतर शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी महिलाओं की शिक्षा तथा अधिकारिता के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता है नामतः महिलाओं के अध्ययन हेतु केन्द्रों तथा सेल की स्थापना, महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, अंशकालिक अनुसंधान एसोसिएटशिप, महिला छात्रावासों का निर्माण, पुस्तकों, पत्रिकाओं, उपकरण की खरीद के लिए महिला कालेजों को वित्तीय सहायता तथा डे केयर सेंटरों की स्थापना आदि।

(ग) वर्ष 2005-06 के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्कूल तथा उच्चतर शिक्षा में नामांकित महिलाओं की प्रतिशतता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कूल शिक्षा (कक्षा I-XII)				उच्चतर शिक्षा			
		नामांकन			कुल में से बालिकाओं का प्रतिशत	नामांकन			कुल में से बालिकाओं का प्रतिशत
		बालक	बालिका	कुल		बालक	बालिका	कुल	
1.	आन्ध्र प्रदेश	7514702	6896573	14411275	47.86	884853	526250	1411103	37.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	165503	136711	302214	45.24	5466	3373	8839	38.16
3.	असम	3048572	2781395	5829967	47.71	144826	72826	217652	33.46
4.	बिहार	8604765	5636653	14241418	39.58	430538	94318	524856	17.97
5.	छत्तीसगढ़	2735519	2094411	4829930	43.36	111927	83677	195604	42.78
6.	गोवा	123536	113018	236554	47.78	11005	12743	23748	53.66
7.	गुजरात	6206277	4602267	10808544	42.58	374095	290253	664348	43.69
8.	हरियाणा	2196714	1833319	4030033	45.49	168441	129706	298147	43.50
9.	हिमाचल प्रदेश	930126	832143	1762269	47.22	58942	50040	108982	45.92
10.	जम्मू-कश्मीर	1076753	900544	1977297	45.54	91297	67370	158667	42.46
11.	झारखण्ड	2923846	2304668	5228514	44.08	159219	101406	260625	38.91
12.	कर्नाटक	5580326	5162321	10742647	48.05	565485	386301	951786	40.59
13.	केरल	2866569	2747246	5613815	48.94	206970	243606	450576	54.07
14.	मध्य प्रदेश	9700094	8022245	17722339	45.27	657767	310993	968760	32.10
15.	महाराष्ट्र	11987339	10712293	22699632	47.19	1039476	642313	1681789	38.19
16.	मणिपुर	313541	288047	601588	47.88	21566	16611	38177	43.51

17.	मेघालय	374298	368303	742601	49.60	20040	18619	38659	48.16
18.	मिजोरम	139360	132895	272255	48.81	8849	5726	14575	39.29
19.	नागालैण्ड	192842	178779	371621	48.11	19338	9627	28965	33.24
20.	उड़ीसा	4147811	3540739	7688550	46.05	336910	76359	413269	18.48
21.	पंजाब	2038999	1758832	3797831	46.31	186257	161385	347642	46.42
22.	राजस्थान	8454037	6242564	14696601	42.48	327342	161188	488530	32.99
23.	सिक्किम	70396	71047	141443	50.23	5222	3763	8985	41.88
24.	तमिलनाडु	6711601	6308606	13020207	48.45	769676	554683	1324359	41.88
25.	त्रिपुरा	429753	390485	820238	47.61	14324	10521	24845	42.35
26.	उत्तर प्रदेश	21689729	16840486	38530215	43.71	1094774	665821	1760595	37.82
27.	उत्तराखण्ड	1188334	1080828	2269162	47.63	86516	77444	163960	47.23
28.	पश्चिम बंगाल	8183166	7125960	15309126	46.55	506284	280944	787228	35.69
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41155	38242	79397	48.17	1636	1802	3438	52.41
30.	चंडीगढ़	81430	68430	149860	45.66	28341	26736	55077	48.54
31.	दादरा और नगर हवेली	31242	24768	56010	44.22	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
32.	दमन और दीव	16792	14580	31372	46.47	829	399	1228	32.49
33.	दिल्ली	1758229	1605949	3364178	47.74	476757	390643	867400	45.04
34.	लक्षद्वीप	8422	7698	16120	47.75	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
35.	पांडिचेरी	120277	114817	235094	48.84	16781	14373	31154	46.14
	भारत	121652055	100977862	222629917	45.36	8831749	5491819	14323568	38.34

कारागारों में सी.सी.टी.वी. कैमरा

3508. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैदियों की निगरानी करने और अप्रिय घटनाओं पर बेहतर ढंग से रोक लगाने तथा सतर्कता बढ़ाने के लिए कारागार प्राधिकारियों की सहायता हेतु तिहाड़ जेल में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश के अन्य कारागारों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कारागार आधुनिकीकरण स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को जेलों और भवनों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्कर खरीदने और सुधारात्मक कार्यक्रमों के लिए आधारभूत संरचना में सुधार करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना, 2006-07 के लिए आबंटित निधि में 10% राशि का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। सी.सी.टी.वी. कैमरों की उपयोगिता पर विचार करते हुए भारत सरकार ने अपनी प्रस्तावित कारागार आधुनिकीकरण स्कीम के दूसरे चरण में सी.सी.टी.वी. स्थापित किए जाने को सुधार एजेण्डा में एक कार्य माना है।

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों में निरक्षरता

3509. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने जनजातीय लोगों में व्याप्त निरक्षरता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता मिली है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में निरक्षरता को दूर करने की दिशा में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जनजातियों सहित देश में निरक्षरता के उन्मूलन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साक्षरता कार्यक्रम 15-35 आयु वर्ग के सभी निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किए जाते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम और अवशिष्ट निरक्षरता हेतु परियोजना के लिए केन्द्र तथा राज्य के बीच वित्तीय सहायता की भागीदारी सामान्य जिलों के लिए 2:1 के अनुपात में है जबकि जनजातीय जिलों के लिए यह अनुपात 4:1 है।

(ii) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, 25% से अधिक जनजातीय जनसंख्या बहुल 74 जिलों को विशेष ध्यान देने हेतु चिन्हित किया गया है जिसमें नए प्राथमिक स्कूल/उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के भवन एवं उनमें अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों का निर्माण शामिल है। साथ ही, अनुसूचित जनजाति ब्लॉकों में 612 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं। प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 161 जिलों के 637 ब्लॉकों के अनुसूचित जनजातीय समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों तथा निम्न साक्षरता जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा सशक्तीकरण और छठी से बारहवीं कक्षा तक के एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। आशा है कि इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रौढ़ निरक्षरों के समूह में शामिल होने से रोक सकेंगे।

(ख) और (ग) देश में साक्षरता के आंकड़े भारत के महापंजीयक द्वारा संचालित दशवार्षिक जनगणना के दौरान संकलित किए जाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 1991 की दर 29.6% से बढ़कर 47.10% हो गई है जो 17.5% की वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान दशक की प्रगति का पता 2011 की जनगणना के दौरान चलेगा।

[अनुवाद]

साक्षरता दर

3510. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की साक्षरता दर वर्ष 1991 के 52.21 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 64.84 प्रतिशत हो गई है;

(ख) क्या साक्षरता दर में वृद्धि के संबंध में वर्ष 2001 के पश्चात् कोई प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य-वार वर्तमान अनुमानित साक्षरता दर कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश में साक्षरता आंकड़े भारत के जनगणना रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आयोजित दशकीय जनगणना प्रक्रिया के माध्यम से संग्रहीत किए जाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 64.84% थी। राज्यवार साक्षरता दर को प्रदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 61वें सर्वेक्षण (2004-05) के अनुसार साक्षरता दर 67.3% थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.) भी नमूना सर्वेक्षण करता है। एन.एफ.एच.एस.-3 के अनुसार साक्षरता दर 67.6% है। देश में साक्षरता की अद्यतन स्थिति 2011 की जनगणना के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	60.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.34
3.	असम	63.25
4.	बिहार	47.00
5.	छत्तीसगढ़	64.66
6.	दिल्ली	81.67
7.	गोवा	82.01
8.	गजुरात	69.14
9.	हरियाणा	67.91
10.	हिमाचल प्रदेश	76.48
11.	जम्मू-कश्मीर	55.52
12.	झारखण्ड	53.56
13.	कर्नाटक	66.64
14.	केरल	90.86
15.	मध्य प्रदेश	63.74
16.	महाराष्ट्र	76.88
17.	मणिपुर	70.53
18.	मेघालय	62.56
19.	मिजोरम	88.80
20.	नागालैण्ड	66.59
21.	उड़ीसा	63.08
22.	पंजाब	69.65

1	2	3
23.	राजस्थान	60.41
24.	सिक्किम	68.81
25.	तमिलनाडु	73.45
26.	त्रिपुरा	73.19
27.	उत्तरांचल	71.62
28.	उत्तर प्रदेश	56.27
29.	पश्चिम बंगाल	68.64
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	81.30
31.	चंडीगढ़	81.94
32.	दादरा और नगर हवेली	57.63
33.	दमन और दीव	78.18
34.	लक्षद्वीप	86.66
35.	पांडिचेरी	81.24
	कुल	64.84

नर्गिस चक्रवात

3511. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नर्गिस चक्रवात की संरचना की जानकारी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त चक्रवात की तीव्रता और दिशा के बारे में पड़ोसी देशों को जानकारी दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) भारत और इसके पड़ोसी देशों की मौसम स्थितियों को रात-दिन मॉनीटर करता है। विशेष रूप से वर्ष 1973 से, उत्तरी हिंद महासागर में आई.एम.डी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यू.एम.ओ.) के लिए प्रादेशिक विशेषीकृत मौसम वैज्ञानिक केन्द्र (आर.एस.एम.सी.) चलाता है जो ऊष्ण-कटिबंधीय चक्रवात संबंधी एशिया और प्रशांत पैनल को आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करता है। पैनल के सदस्य देशों (भारत, बंग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाइलैंड) को चक्रवात के बनने से लेकर इसके आने तक के संबंध में उपयुक्त पूर्वानुमान संबंधी परामर्श-सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) नर्गिस चक्रवात के आने और म्यांमार में इसके कमजोर पड़ने के बाद अर्थात् 27 अप्रैल, 2008 से 3 मई, 2008 तक की अवधि के दौरान म्यांमार सहित सभी डब्ल्यू.एम.ओ./ई.एस.सी.ए.पी. पैनल के देशों को नियमित अंतरालों पर इस चक्रवात की तीव्रता और इसकी दिशा के संबंध में नवीनतम जानकारी देते हुए चक्रवात संबंधी परामर्श-बुलेटिन उपलब्ध कराए गए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संघ की मांगें

3512. **श्री अनवर हुसैन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संघ की ओर से पेंशन और अंतरिम राहत में वृद्धि करने सहित कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता। तथापि विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी संगठनों/समितियों से उनकी पेंशन में वृद्धि किए जाने सहित स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण से संबंधित मांगें किए जाने के अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के

लिए गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति गठित की गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों को देय मूल पेंशन में समय-समय पर वृद्धि की गई है। मूल पेंशन पर महंगाई भत्ते में संशोधन किए जाने के संबंध में विचार वार्षिक रूप से किया जाता है।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान

3513. श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई;

(ख) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रायोजकों, सह-प्रायोजकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन/मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में स्रोत व्यक्तियों के संबंध में वेतन/मानदेय को 10000/- रु. प्रतिमाह से कम करके 4000/- रु. प्रतिमाह कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधियों और 30-9-2008 तक राज्यवार संचयी वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तों और मानदंडों के निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(घ) और (ङ) राज्य के शिक्षा तंत्र में पहले से कार्यरत अनुभवी शिक्षकों में से ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केंद्रों में संसाधन व्यक्ति प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। अतएव, वे अपने मूल विभाग से वेतन आहरित करते रहते हैं जबकि उन पदों पर होने वाली रिक्तियों पर भर्ती किए गए नए शिक्षकों के वेतन का निधीयन राज्य के मानदंडों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान करता है।

विवरण-I

सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान जारी अनुदान

(रु. लाख)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2005-06 भारत सरकार द्वारा रिलीज	2006-07 भारत सरकार द्वारा रिलीज	2007-08 भारत सरकार द्वारा रिलीज	2008-09 भारत सरकार द्वारा रिलीज (16-12-2008 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	37999.00	46245.56	28100.00	38992.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	4442.51	7143.74	11043.55	13683.64
3.	असम	13850.00	51464.72	28903.62	42740.91

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	32399.56	107744.39	135417.64	186158.47
5.	छत्तीसगढ	30184.39	50182.20	46787.76	51833.86
6.	गोवा	728.12	724.12	899.57	804.41
7.	गुजरात	15084.84	14806.97	22658.26	25432.47
8.	हरियाणा	10196.55	25647.12	14220.00	10452.31
9.	हिमाचल प्रदेश	7614.66	6250.75	7638.30	8552.99
10.	जम्मू-कश्मीर	18530.65	22083.37	20063.27	14949.6
11.	झारखण्ड	28568.50	51515.00	80748.99	54041.09
12.	कर्नाटक	28303.78	54206.98	40604.78	42578.19
13.	केरल	5939.00	6382.00	8323.42	4724.28
14.	मध्य प्रदेश	77173.12	110879.68	86769.94	38225.35
15.	महाराष्ट्र	50235.31	52158.56	45729.96	67386.02
16.	मणिपुर	3208.44	9.24	1850.95	0
17.	मेघालय	1921.00	4294.00	9359.63	2339.9
18.	मिजोरम	2559.15	3441.69	4212.02	2357.73
19.	नागालैण्ड	2323.01	2315.20	4596.00	2367.87
20.	उड़ीसा	32792.50	44010.95	62853.68	30713.42
21.	पंजाब	14683.89	12879.92	10493.88	13792.65
22.	राजस्थान	60313.43	75809.82	101307.20	95326.8
23.	सिक्किम	1062.50	402.14	1036.25	1075.31
24.	तमिलनाडु	35329.53	37329.65	53125.09	21276.73
25.	त्रिपुरा	7070.19	5330.01	4178.49	3103.1
26.	उत्तर प्रदेश	182799.00	206654.00	204758.00	151709.66
27.	उत्तराखण्ड	10004.00	16934.00	13162.80	11444.45
28.	पश्चिम बंगाल	34199.79	61736.80	90571.68	344.89
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	163.00	419.62	187.10	324.18

1	2	3	4	5	6
30.	चण्डीगढ़	350.00	300.00	934.95	233.74
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	100.00	418.54	104.63
32.	दमन और दीव	111.91			0
33.	दिल्ली	1100.00	4230.24	1671.55	1029.01
34.	लक्षद्वीप	0.00	87.47		70
35.	पांडिचेरी	529.40		577.07	144.26

विवरण-II

30-9-2008 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रगति

क्र. सं.	राज्य	खोले गए नए स्कूल	निर्मित स्कूल भवन	निर्मित अतिरिक्त शिक्षण कक्षा	भर्ती शिक्षक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8867	9395	34598	38011
2.	अरुणाचल प्रदेश	908	898	2418	5121
3.	असम	0	7131	39563	0
4.	बिहार	27886	10435	102219	160145
5.	छत्तीसगढ़	16373	17305	20194	53148
6.	गोवा	5	0	177	169
7.	गुजरात	0	797	17259	0
8.	हरियाणा	2301	1962	12794	7874
9.	हिमाचल प्रदेश	1079	0	8985	3453
10.	जम्मू-कश्मीर	11238	5214	5368	27222
11.	झारखण्ड	25122	15788	29106	79977
12.	कर्नाटक	4652	3160	39395	21798
13.	केरल	0	387	6674	0
14.	मध्य प्रदेश	51477	42017	53148	78672

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	5803	13197	39084	1064
16.	मणिपुर	0	457	886	0
17.	मेघालय	3125	2854	2604	7077
18.	मिजोरम	310	1174	713	1407
19.	नागालैण्ड	0	171	3402	0
20.	उड़ीसा	12722	11136	28633	64938
21.	पंजाब	1098	677	16097	2905
22.	राजस्थान	46026	8340	60714	85633
23.	सिक्किम	84	47	164	185
24.	तमिलनाडु	5977	6033	27992	25473
25.	त्रिपुरा	1320	1284	1582	2796
26.	उत्तर प्रदेश	36258	45609	221191	237287
27.	उत्तराखण्ड	2025	3128	4387	4802
28.	पश्चिम बंगाल	401	3982	102637	56276
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	1	118	67
30.	चण्डीगढ़	18	10	78	374
31.	दादरा और नगर हवेली	73	34	243	363
32.	दमन और दीव	2	12	0	63
33.	दिल्ली	4	6	1238	20
34.	लक्षद्वीप	5	0	0	4
35.	पांडिचेरी	5	8	238	34
	कुल सर्व शिक्षा अभियान	266004	212649	883899	966358

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शिक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

3514. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वर्ष 2007 की "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के विकास संबंधी लेखा" शीर्षक वाली रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण संबंधी नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में

कमियों और अनेक राज्यों में इन जातियों में नामांकन दर में कमी तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में वृद्धि का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा शिक्षा के वाणिज्यीकरण और सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण है;

(ग) यदि हां, तो इन जातियों के बच्चों की नामांकन दर में वृद्धि करने तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को कितनी सफलता मिली है तथा इस संबंध में क्या भावी योजना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) प्रारम्भिक स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सकल नामांकन अनुपात 2001-02 में 85.6% और 88.9% से बढ़कर 2005-2006 में क्रमशः 101.83% और 106.80% हो गया है जबकि शिक्षा के प्राथमिक स्तर के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल-बाह्य दर 2001-02 में 45.2% से घटकर 2005-06 में 33.79% हो गयी है और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यह 2001-02 में 52.3% से घटकर 2005-06 में 39.83% हो गयी है। यह सकारात्मक रुख है।

(ग) और (घ) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए देश में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्यों के साथ-साथ नए स्कूल खोलने, समुदाय लामबंदी, स्कूल-बाह्य अथवा बड़े बच्चों के लिए लोचशील स्कूलिंग, बालिकाओं की शिक्षा के संवर्धन हेतु विशेष प्रावधानों, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, सुधारात्मक अध्यापन और स्थानीय नवाचारी हेतु खुली निधियों के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अबियान के अंतर्गत एक बहु-पक्षीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। मध्याह्न भोजन योजना में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में स्कूली बच्चों को बनाए रखने के लिए पके हुए भोजन का प्रावधान है।

[अनुवाद]

नवीकरण केन्द्रों की स्थापना

3515. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छात्रों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने में समर्थ बनाने हेतु नवीकरण केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है तथा इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) नए केन्द्रों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश

3516. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्माण कार्यों के लिए भूकंप संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में किन-किन शहरों की भूकंप के अधिक खतरे वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है और भूकंप के अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालिक खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूकंप प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश वर्ष 2007 के दौरान जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश विशिष्ट हैं जिनका उद्देश्य सभी नए निर्माण में राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2005 भूकंप-रोधी भवन निर्माण संहिता तथा अन्य सुरक्षा विनियमनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

इन दिशा-निर्देशों के तीन व्यापक खंड हैं (क) भारत में भूकंप प्रबंधन का संदर्भ एवं दृष्टिकोण, (ख) विशिष्ट दिशानिर्देशों की रूप रेखा और (ग) केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों द्वारा तैयार की जाने वाली आपदा प्रबंधन योजनाओं का व्यापक सिंहावलोकन।

(ग) दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेख के अनुरूप भूकंप जोन III, IV और V में दिए गए वरीयता के प्रथम स्तर वाले शहरों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन दिशानिर्देशों में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए भूकंप जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट संघटकों वाली आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के उपाय निर्धारित हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं-

(i) नए ढांचों का भूकंप रोधी निर्माण;

(ii) भूकंप संबंधी मौजूदा चुनिन्दा वरीयता ढांचों और महत्वपूर्ण ढांचों में निर्माण के पश्चात सुधार करना और उनका सुदृढ़ीकरण करना;

(iii) विनयमन और प्रवर्तन;

(iv) जागरुकता एवं तैयारी;

(v) क्षमता विकास (शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, क्षमता निर्माण एवं प्रलेखन);

(vi) आपातकालीन अनुक्रिया।

सरकार ने भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:

I. ढांचा निर्माण करने वाले अभियंताओं तथा वास्तुकारों को प्रख्यात प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाकर भूकंप रक्षित निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों एवं वास्तुकारों की भूकंप जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है।

II. भूकंप जोखिम में ढांचागत सुरक्षा उपायों को अंगीकार करने और विकसित अनुक्रिया नियोजन तथा शहरी भूकंप संवेदनशील न्यूनीकरण परियोजना भूकंप जोन III से V में आने वाले 0.5 मिलियन अथवा उससे अधिक आबादी वाले 38 शहरों में प्रारंभ की गई है।

III. केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर परामर्शी पत्र भी भेजे हैं ताकि वे भूकंप प्रतिरोधी निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक भवन उपविधियों द्वारा भूकंप प्रशमन और तैयारी संबंधी उपायों सहित आपदा प्रशमन एवं तैयारी उपाय करें।

IV. सुरक्षा की भावना से वाकिफ होने के लिए आपदा प्रबंधन को स्कूल पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है। राज्य सरकारों को भी इस तरह का पाठ्यक्रम (अपने पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या) में शुरू करने का सुझाव दिया है।

इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का अधिनियमन किया गया है जिसमें प्रत्येक राज्य द्वारा एन.डी.एम. द्वारा निर्धारित विशिष्ट दिशानिर्देशों युक्त राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का प्रावधान है। इस राज्य आपदा प्रबंधन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, आपदा निवारण एवं प्रशमन तथा क्षमता निर्माण एवं तैयारी उपाय करने के लिए उपाय करना शामिल है।

विवरण

क्रम संख्या	शहर का नाम	भूकंप जोन
1	2	3
1.	अगरतल्ला	V (बहुत अधिक जोखिम)
2.	आइजोल	
3.	गंगटोक	
4.	गुवाहाटी	
5.	इंफाल	
6.	इटानगर	
7.	कोहिमा	
8.	पोर्ट ब्लेयर	
9.	शिलांग	
10.	श्रीनगर	
11.	अंबाला	IV (उच्च जोखिम)
12.	अमृतसर	
13.	चंडीगढ	
14.	देहरादून	
15.	दिल्ली	
16.	गुड़गांव	

1	2	3
17.	जालंधर	IV (उच्च जोखिम)
18.	जम्मू	
19.	जामनगर	
20.	मेरठ	
21.	पटना	
22.	शिमला	
23.	चेन्नई	III (सामान्य जोखिम)
24.	कोलकाता	
25.	लखनऊ	
26.	मुम्बई	

रत्न और आभूषण निर्यात

3517. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रत्न और आभूषण के निर्यात में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का चेन्नई में अन्तर्राष्ट्रीय रत्न और आभूषण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त संस्थान को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी.जे.ई.पी.सी.) से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले वर्ष की सदृश अवधि की तुलना में अक्तूबर, 2008 और नवम्बर, 2008 में रत्न एवं आभूषण के समग्र निर्यात में क्रमश: 16.34% और 34.25% (अम.डा. के रूप में) की गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट के प्रमुख कारणं विश्वभर में उपभोक्ता मांग में गिरावट, पर्याप्त मांग के अभाव में वस्तु सूची में वृद्धि और नकद उपलब्धता की समस्या हैं।

(ग) और (घ) रत्न एवं आभूषण के निर्यात सहित निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपचारात्मक उपाय निम्नानुसार है:-

(i) लदान-पूर्व रुपया निर्यात ऋण का प्रथम स्लैब जो बेंचमार्क प्रमुख उधार दर (बी.पी.एल.आर.) घटा 2.5 प्रतिशत प्वाइंट्स के रियायती ब्याज दर की उच्चतम सीमा पर उपलब्ध है, की हकदारी की अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन कर दिया गया है।

(ii) लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋण का प्रथम स्लैब जो रियायती ब्याज दर की उच्चतम सीमा (बी.पी.एल.आर. घटा 2.5 प्रतिशत से अनधिक) पर उपलब्ध है, की हकादारी की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है।

(iii) लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर लागू निर्धारित ब्याज दर (बी.पी.एल.आर. घटा 2.5 प्रतिशत प्वाइंट्स से अनधिक) को अग्रिम की तिथि से 180 दिन तक के अतिदेय बिलों पर लागू किया गया है।

(iv) प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर के अध्यधीन लदान पूर्व एवं लदान पश्चात निर्यात ऋण पर 31-03-2009 तक 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता का प्रावधान किया गया है।

(v) अंतिम उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर की पूर्ण वापसी को सुनिश्चित करने के लिए 1,100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि का प्रावधान किया गया है।

(vi) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को 350 करोड़ रुपए तक की सरकार समर्थित गारंटी उपलब्ध कराई गई है ताकि दुर्गम बाजारों को/

दुर्लभ उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटियों का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

(vii) निर्यातकों को शुल्क प्रति अदायगी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करते समय विदेशी एजेंट के कमीशनों पर निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 10 प्रतिशत तक सेवा कर की वापसी तथा उत्पादन सेवाओं पर सेवा कर की वापसी की अनुमति दी गई है।

(ङ) से (छ) चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय रत्न एवं आभूषण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जी.जे.ई.पी.सी. ने सूचित किया है कि उन्होंने तमिलनाडु राज्य सरकार से चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय रत्न एवं आभूषण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु मुफ्त या सब्सिडी प्राप्त भूमि प्रदान करने का निवेदन किया है।

निर्यात के लिए अवसंरचनात्मक विकास

3518. श्री नवीन जिन्दल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को निर्यात के लिए अवसंरचनात्मक विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्यात में वृद्धि के कारण कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के तहत निर्यातों से संबंधित अवसंरचना परियोजनाएं शुरू करने के लिए निधियों का आवंटन किया जाता है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	निर्यात मिलियन अमरीकी डॉलर में
2005-2006	103,091
2006-2007	126,263
2007-2008	162,904
2008-09 (अप्रैल-अक्तूबर)*	107,796

(स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कोलकाता)

* अनंतिम

विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई राशि 05-06	जारी की गई राशि 06-07	जारी की गई राशि 07-08	जारी की गई राशि 08-09
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,545.00	1700.00	2,120.00	960.00
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0	0
3.	बिहार	0.00	0	0	0
4.	चंडीगढ़	320.00	175.00	0	125.00

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	500.00	550.00	435.00	0
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0	0	0
7.	दमन और दीव	0.00	0	0	0
8.	दिल्ली	265.00	145.00	283.51	0
9.	गोवा	609.00	0	670.00	285.00
10.	गुजरात	4,338.00	4770.00	5972.50	2,917.50
11.	हरियाणा	1,405.00	772.50	1545.00	1,545.00
12.	हिमाचल प्रदेश	553.00	600.00	600.00	300.00
13.	जम्मू-कश्मीर	525.00	580.00	580.00	290.00
14.	झारखण्ड	0.00	275.00	275.00	0
15.	कर्नाटक	3,399.00	3740.00	4,262.00	4,162.00
16.	केरल	1,069.00	1175.00	1,175.00	975.00
17.	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00	0
18.	मध्य प्रदेश	1,435.00	790.00	1,580.00	740.00
19.	महाराष्ट्र	6,552.00	7210.00	8,200.00	4,000.00
20.	उड़ीसा	693.00	765.00	892.00	396.00
21.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0
22.	पंजाब	1,217.00	670.00	670.00	670.00
23.	राजस्थान	1,320.00	726.50	1,453.00	676.00
24.	तमिलनाडु	3,919.00	4312.00	4,988.00	2,394.00
25.	उत्तर प्रदेश	2,100.00	1155.00	2,310.00	1,105.00
26.	उत्तरांचल	527.00	0	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	2,009.00	2,210.00	2,206.00	1,005.00
	कुल	34,300.00	32,321.00	40,217.04	22,546.00

1	2	3	4	5	6
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
1.	अरुणाचल प्रदेश	251.00	138.00	276.00	0
2.	असम	1,257.00	691.50	1,383.00	0
3.	मणिपुर	206.00	227.00	227.00	113.50
4.	मिजोरम	324.00	356.00	356.00	178.00
5.	मेघालय	834.00	917.00	299.00	0
6.	नागालैण्ड	200.00	220.00	220.00	110.00
7.	सिक्किम	200.00	220.00	220.00	110.00
8.	त्रिपुरा	728.00	801.00	801.00	400.50
	कुल	**4,000.00**	**3,570.50**	**3,782.00**	**912.00**
	महायोग	38,300.00	35,891.50	43,999.01	23,458.00

[हिन्दी]

विदेशियों को वीजा जारी करना

3519. श्री महावीर भगोरा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशियों/प्रवासियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश की यात्रा करने वाले विदेशियों को जारी किए जाने वाले वीजा की संख्या के संबंध में कोई सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के लिए वीजा जारी करने के संबंध में कोई प्रावधान रखे गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरां क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों और जारी किए गए वीजाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत में पहुंचने वाले विदेशी राष्ट्रिकों का ब्यौरा निम्नवत है:-

2005	-	39,67,382
2006	-	44,47,167
2007	-	50,96,990
2008 (जून तक)	-	20,11,771

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) और (ङ) विद्यमान अनुदेशों के अनुरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेशी राष्ट्रिकों को वीजा प्रदान किया जा सकता है। सम्मेलन वीजा सम्मेलन की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।

(च) भारत भ्रमण के लिए वीजा प्रदान किए जाने हेतु आवेदन विदेशी नागरिकों द्वारा उन्हीं के देश में स्थित भारतीय मिशन में प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

क्षेत्रीय विज्ञान अनुसंधान केन्द्र

3520. श्री गणेश सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में क्षेत्रीय विज्ञान अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इन अनुसंधान केन्द्रों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, युवाओं की सृजनशील तथा कल्पनाशील योग्यताओं को विकसित करने के लिए सरकार का देश में अन्वेषकों के लिए क्षेत्रीय इनक्यूबेशन साइंस हब्स (आर.आई.एस.एच.आई.) स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें होने वाले व्यय का प्रावधान विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण योजना में "सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी" कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा।

[अनुवाद]

अवयस्क माओवादी

3521. श्री सुरेश अंगडि: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि माओवादी देश में अवयस्क को अपने रैंकों में बाल सैनिकों के रूप में बलपूर्वक भर्ती कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है कि देश में घरेलू नौकरों और श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे नेपाली नागरिकों को भी माओवादी रैंकों के रूप में भर्ती किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) इन्पुटों से यह पता चलता है कि माओवादी देश में अपने गढ वाले कुछ क्षेत्रों से अपने रैंक में आवधिक रूप से अवयस्कों की भर्ती करते रहते है और वे अक्सर प्रत्येक परिवार से एक युवक उपलब्ध करने के लिए ग्रामीणों पास पहुंचते है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई इन्पुट नहीं है जिससे यह पता चले कि माओवादियों की योजना अपने रैंकों में देश में घरेलू नौकरों और श्रमिकों के रूप में कार्यरत नेपाली नागरिकों की भर्ती करने की है।

(ङ) माओवादी विचारधारा से युवकों को दूर रखने के लिए व्यापक रूप से सुरक्षा और विकासात्मक उपाय किए गए है। नक्सली समस्या से संबंधित राज्य सरकारें प्रभावी रूप से निपटती हैं। केन्द्रीय सरकार राज्यों के प्रयासों और संसाधनों में स्कीमों के माध्यम से सहायता करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आवासीय परमिट

3522. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप रहने वाले ग्रामवासियों को आवासीय परमिट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परमिटों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जाली वीजा

3523. श्रीमती जयाप्रदा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2008 सहित चालू वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में अफगानिस्तान जाने वाले बांग्लादेशियों को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय (आई.जी.आई.) विमानपत्तन पर जाली वीजा के साथ गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा ऐसे रैकेटों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) अफगानिस्तान जाने वाले 13 बांग्लादेशियों को जाली वीजा के साथ पुलिस स्टेशन आई.जी.आई. हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और उन्हें अदालत में विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया था। गिरफ्तार किए गए 13 बांग्लादेशी राष्ट्रिकों में से 7 बांग्लादेशियों को दोष सिद्ध पाया गया था और 6 बांग्लादेशियों राष्ट्रिकों के मामले विचारण के लिए लम्बित हैं। वीजा सहित उनके यात्रा दस्तावेजों की वास्तविकता सुनिश्चित करने और जालसाजी का पता लगाने के लिए देश में सभी आप्रवासन जांच चौकियों (आई.सी.पी.) पर आप्रवासन अधिकारियों को मिलान करने के लिए यात्रा दस्तावेजों और वीजा की नमूना प्रतियां प्रदान की गई हैं। वीजा सहित यात्रा दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की संभावित छेड़-छाड़ का पता लगाने के लिए उन्हें अल्ट्रा वायलेट लैंप्स/मैग्निफाइंग ग्लासेजन प्रदान किए गए हैं ताकि वे उसकी जांच कर सकें। इसके अतिरिक्त, प्रमुख हवाई अड्डों पर फुल पेज पासपोर्ट रीडिंग मशीनें (पी.आर.एम.) और प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षक (क्यू.डी.एस.) मशीनें भी लगाई गई हैं।

इन सबके अतिरिक्त सभी आई.सी.पी. पर आप्रवासन काउंटरों पर कार्य कर रहे अधिकारियों को कपटपूर्ण/जाली यात्रा दस्तावेजों का पता लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। यात्रा दस्तावेजों में जालसाजी का पता लगाना, आप्रवासन काउंटरों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक भाग भी है।

विश्वविद्यालयों में यौन शिक्षा

3524. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विश्वविद्यालयों सहित सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में यौन शिक्षा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपने पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को एक विषय के रूप में शुरू करने पर कौन-कौन से राज्य सहमत हो गए हैं तथा किन-किन राज्यों ने ऐसा करने से मना कर दिया है;

(घ) क्या सरकार छात्रों को यौन शिक्षा के बारे में स्वास्थ्य विषयों के माध्यम से शिक्षित करना चाहेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं जिसमें विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, में यौन शिक्षा शुरू करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किया है क्योंकि विश्वविद्यालयों स्वायत्त संस्थाएं हैं अत: वे संगत अधिनियम/सांविधि के तहत इस प्रयोजनार्थ निर्धारित विश्वविद्यालयों के उपयुक्त निकायों के अनुमोदन से अपनी पाठ्यचर्या में किसी भी विषय को शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड

3525. श्री रेवती रमन सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन पर अर्थदण्ड को बढ़ाये जाने संबंधी उसके पूर्व के निर्णय पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आदेश की तिथि के बाद तथा इस आदेश के कार्यान्वयन से पहले बढ़ी दर पर कुल कितनी धनराशि संगृहीत की गई; और

(घ) आदेश की तिथि के बाद तथा आदेश के कार्यान्वयन से पहले संगृहीत बढ़े हुए अर्थदण्ड का निपटान किस प्रकार किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02-05-2008 के अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के संदेहास्पद निर्णय के पैरा 55 के निदेश संख्या 1 पर अंतरिम रोक लगाई है जिसमें यह निदेश दिया गया था

कि "जब कभी दुपहिया वाहन सहित किसी भी वाहन के किसी भी चालक का यातायात पुलिस और/या किसी भी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा चालान किया जाता है, तब वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 या उस संदर्भ में कानून के किसी भी अन्य समर्थ प्रावधान में संदर्भ में देय कंपोजीशन शुल्क के अतिरिक्त उसके द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए 500 रुपये मूल्य की अदायगी के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) और (घ) 91,67,500 रु। इसे सरकारी खजाने में जमा किया गया।

दलितों को निःशुल्क शिक्षा

3526. श्री एल. राजगोपाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दलितों को पी.एच.डी. तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए दलित मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति को अपनी सिफारिशें भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो दलित मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति ने उक्त सिफारिश पर हाल ही में चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निःशुल्क शिक्षा से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में उच्चतर शिक्षा के प्रतिशत में सुधार लाने में किस प्रकार मदद मिलेगी, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) "शिक्षा तथा कौशल विकास" विषय पर "दलित मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति" के उप समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति के छात्रों से सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में पी.एच.डी. स्तर तक कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय जो कि दलित मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति से संबंधित मामलों के संबंध में नोडल मंत्रालय है, ने सूचित किया है कि दलित मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) उप समूह की सिफारिशें अनुसूचित जातियों को शिक्षा सुलभ कराने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

1947 के पश्चात् भूमि अधिग्रहण

3527. श्री मधु गौड यास्खी:

श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को उनके द्वारा वर्ष 1947 से विकास प्रयोजन हेतु अधिगृहित भूमि के बारे में जानकारी एकत्र तथा बांटने के निदेश जारी किए हैं तथा विस्थापित लोगों और इस अधिग्रहण हेतु उन्हें दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कदम का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या भारत के प्रमुख शहरों सहित सभी राज्यों ने मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2007 (नेशनल रिहैबलिटेशन एंड रीसैटलमैंट पॉलिसी), जो 31 अक्तूबर, 2007 को लागू की गई थी, के अनुसार, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या संगठनों और अन्य अपेक्षित निकायों तथा परियोजना प्राधिकारियों सहित सभी संबंधित पक्षों से अपेक्षा की गई है कि वे भूमि अधिग्रहण से प्रभावित या किसी भी कारण से स्थाई रूप से और अनिच्छा से बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए इस नीति के प्रावधानों को लागू करें, भले ही ऐसे लोगों की संख्या कुछ भी क्यों न हो। नीति में कुछ न्यूनतम प्रावधान दिए गए हैं जिन्हें हर हाल, में पूरा किया जाना चाहिए, हालांकि संबंधित प्राधिकारी नीति में निर्धारित लाभ पैकेज से बेहतर पैकेज की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र होंगे। नीति ने इस मत पर भी विचार किया गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश नियमित और समयबद्ध तरीके से और जब कभी अपेक्षित हो, इस नीति

के अंतर्गत आने वाले मामले की सभी संगत जानकारियां भूमि संसाधन विभाग द्वारा गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ को प्रदान करेंगे। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राजस्व सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ, उन परियोजनाओं (नाम सहित) की संख्या जिनके लिए राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा नीति की अधिसूचना की तारीख के बाद भूमि अधिगृहित की गई है, इससे प्रभावित हुए या प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों एवं परिवारों की संख्या, प्रभावितों को पेश किए जा रहे आर एंड आर लाभों, और अन्य संगत जानकारियों एवं आंकड़ों के बारे में जानकारी प्रदान करें। अपेक्षित सूचना की अब भी प्रतीक्षा है।

अवर स्नातक स्तर पर सेमेस्टर पद्धति

3528. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधीर चौधरी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों में अन्डर ग्रेजुएट स्तर पर सेमेस्टर पद्धति शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेमेस्टर पद्धति पर निर्णय बिना किसी फीडबैक के लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या चार वर्षीय दोहरे विषय वाले आनर्स पाठ्यक्रम शुरू करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) कई विश्वविद्यालयों विशेषतः व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सत्र प्रणाली लागू है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई विश्वविद्यालयों से अकादमिक सुधारों के उपाय के रूप में सत्र प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है।

(ङ) और (च) विश्वविद्यालयों को अपने निकायों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार डिग्री पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने और तैयार करने की अकादमिक छूट है, बशर्ते इस प्रकार के पाठ्यक्रम इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

[हिन्दी]

खेलों में सट्टेबाजी

3529. श्री रामदास आठवले:
श्रीमती करुणा शुक्ला:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हॉकी तथा क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों के मैचों में सट्टेबाजी/मैच फिक्सिंग के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी जांच संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न खेल आयोजनों में अलग-अलग राज्य-वार कितने मामलों को दर्ज किया गया, कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, नकदी जब्त की गई, आरोपी पर मुकदमा चलाया गया और सजा दी गई;

(ग) क्या सट्टेबाजी के ऐसे मामलों में अन्डरवर्ल्ड के साथ सांठगांठ भी देखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा खेलों में सट्टेबाजी रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो देश में विभिन्न अपराधों के संबंध में आंकड़ों को समेकित करता है। तथापि, हॉकी एवं क्रिकेट सहित विभिन्न स्पोर्ट्स मैचों पर शर्त लगाने तथा मैच फिक्स करने से संबंधित विशिष्ट जानकारियों को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा अलग से नहीं रखा जाता है। हालांकि, क्रिकेट में मैच फिक्स का आरोप लगाते हुए एक मामला वर्ष 2000 में मीडिया द्वारा जानकारी में लाया गया था। सी.बी.आई. ने मामले की छानबीन की और सी.बी.आई. की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेटरों के खिलाफ लगाये गये आरोपों

की जांच के लिए एक आयुक्त को नियुक्त कर दिया। आयुक्त के निष्कर्षों के आधार पर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दोषी को सजा दी। मोहम्मद अजहरूद्दीन और श्री अजय शर्मा को आई.सी.सी./बी.सी.सी.आई. द्वारा आयोजित क्रिकेट मैचों को खेलने के लिए आजीवन वर्जित कर दिया गया, जबकि श्री अजय जंडेजा, मनोज प्रभाकर एवं डॉ. अली ईरानी को पांच वर्षों के लिए वर्जित कर दिया गया। श्री नयन मोंगिया एवं श्री निखिल चोपड़ा को दोषी नहीं पाया गया था। क्रिकेटरों तथा अंडरवर्ल्ड के बीच किसी सांठगांठ की जानकारी नहीं मिली।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "बैटिंग" और "गैम्बलिंग" राज्य का विषय हैं और इसी कारणवश संबंधित राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित कानून के अनुसार राज्य सरकारों को इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेने के साथ-साथ अपने संबंधित राज्यों में बैटिंग एवं गैम्बलिंग की समस्या से निपटने तथा नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उच्च फसल उत्पादन हेतु जैव-प्रौद्योगिकी का उपयोग

3530. श्री के.एस. राव: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फसल की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी की संभाव्यता और प्रयोग क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि लोगों के लिए खाद्य की पर्याप्त उपलब्धता प्राप्त करने हेतु किसान और उपभोक्ता जैव प्रौद्योगिकी फसलों को स्वीकार करें; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जैवप्रौद्योगिकीय मध्यस्थता (बायोटैक्नोलॉजीकल इंटरवेंशन्स) में फसल उत्पादकता को सतत रूप से बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान की पारंपरिक पद्धतियों के पूरक के रूप में विपुल संभावनाएं हैं। जी.एम. फसलों के प्रारंभ के परिणाम हैं: (i) विभिन्न अजीवीय, जीवीय प्रतिबलों और फसलोत्तर हानि के कारण होने वाली क्षति को कम करते हुए फसल उत्पादकता में सुधार; (ii) अधिक पैदावार के लिए ऐसी फसलें विकसित करना जो शाक-नाशकों के प्रति सहिष्णु, विलंबित पक्वन और विषम उत्पादन को नियंत्रित करते हों। इसके अतिरिक्त, जैवप्रौद्योगिकी में इन फसलों के पोषणात्मक मूल्यों में वृद्धि करने की भी अपार संभावनाएं हैं।

(ख) और (ग) बीटी कॉटन भारत में व्यापारिक खेती के लिए अनुमोदित केवल एक ही पराजीनी फसल है। तथापि, 2002 में बीटी कॉटन के निर्गम के बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से जी.एम.ओ. के प्रयोग में वृद्धि के उद्देश्य से किसानों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच जैव-सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण संबंधी कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। उत्पादकता में वृद्धि और कीट-नाशकों के प्रयोग में कमी के कारण किसानों द्वारा देशी किस्मों की तुलना में बीटी कॉटन संकरों को प्राथमिकता दी गई है। किसानों द्वारा व्यापारिक खेती के लिए आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी भी खाद्य फसल को अभी तक अनुमोदन नहीं दिया गया है। निर्धारित जैव-सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी जीन संशोधित खाद्य फसलों को पर्यावरणीय निर्गम और मानव उपभोग के लिए अनुमोदन मिलने से पहले उनका गहन जैव-सुरक्षा आकलन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पर्यावरणीय सुरक्षा आकलन के साथ-साथ खाद्य और चारा सुरक्षा आकलन भी शामिल हैं।

शिक्षा का अधिकार विधेयक

3531. श्री नन्द कुमार साय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विधि और न्याय मंत्रालय सहित विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षा का अधिकार विधेयक पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा श्री कपिल सिब्बल, पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

तथा समुद्री विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने दिनांक 2-7-2005 को संविधान के अनुच्छेद 21 क जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है, के अंतर्गत सुविचारित मसौदा विधान के आवश्यक प्रावधानों को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा इस रिपोर्ट पर 14-15 जुलाई, 2005 को विचार किया गया था। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगस्त, 2005 में एक व्यापक मसौदा केन्द्रीय विधेयक परिचालित किया गया था। तथापि, प्रधानमंत्री द्वारा गठित उच्च स्तरीय दल द्वारा किए गए और विचार-विमर्शों के आधार पर एक मसौदा मॉडल शिक्षा का अधिकार विधेयक तैयार किया गया और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आशंकाओं और विभिन्न मंचों/क्वार्टरों में हुए विचार-विमर्शों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार संबंधी केन्द्रीय विधान बनाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, मसौदा शिक्षा का अधिकार केन्द्रीय विधेयक, 2008 अंतर-मंत्रालयी परामर्श हेतु विधि एवं न्याय मंत्रालय सहित भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया था।

"निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बच्चों का अधिकार विधेयक, 2008" दिनांक 15-12-2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है।

जल शोधन संयंत्रों को खतरा

3532. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न महानगरों विशेष रूप से दिल्ली के जल शोधन/आपूर्ति संयंत्र आतंकवादियों के निशाने पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से दिल्ली के जल शोधन संयंत्रों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान नियुक्त करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है अथवा उठाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) जी हां, श्रीमान। दिल्ली जल बोर्ड की स्थापनाओं में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 2 प्लाटून तैनात किए जाने के लिए सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड से अगस्त 2007 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किए जाने के अनुरोध पर विचार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की नफरी में वृद्धि किए जाने के बाद किया जाएगा।

[हिन्दी]

महाविद्यालयों में दाखिला

3533. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की राज्य-वार संख्या तथा प्रतिशत कितना है; और

(ख) बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार कॉलेजों में अवर स्नातक स्तर पर कुल 1,03,25,839 विद्यार्थी नामांकित थे। कॉलेजों में अध्ययन बीच में छोड़ जाने वाले विद्यार्थियों की दर के संबंध में सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती; तथा सरकार को व्यापक स्तर पर बीच में ही अध्ययन छोड़ जाने वाले विद्यार्थियों की कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय पत्तनों पर निर्यात में बाधाएं

3534. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई भारतीय पत्तन वहां से ले जाये जाने वाले कच्चे माल तथा विनिर्मित माल से अटे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या विदेशी खरीददारों ने इस माल को स्वीकार करने से मना कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) इस तरह अधर में लटके माल की कुल कीमत कितनी है;

(च) इस सामान को स्वीकृति न मिलने से हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(छ) इस सामान का निपटान कब तक होने की आशा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (छ) पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग से मिली सूचना के अनुसार प्रमुख पत्तनों पर कच्चा माल तथा विनिर्मित उत्पाद अवरुद्ध नहीं पड़े हैं।

श्रमोन्मुख उद्योगों को सहायता

3535. श्री विजय कृष्ण: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्रमोन्मुख तकनीकों का प्रयोग करने वाले देश के उद्योगों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए चुने गए उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ग) देश में कितने प्रतिशत श्रमिकों को इनमें रोजगार मिल रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) जी, हां सरकार ने उद्योग और अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है। इस पैकेज में 20,000 करोड़ रुपए, अतिरिक्त योजना खर्च, उत्पाद शुल्क में समग्र रूप से 4 प्रतिशत की कटौती आदि शामिल है। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों (एम.एस.एम.ई.) में क्रेडिट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, आर.बी.आई. ने (एम.एस.एम.ई.) को उधार देने में सहयोग के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) हेतु 7000/- करोड़ रुपए के पुनर्वित्त की घोषणा की है जो कि श्रम शक्ति के लगभग 7 प्रतिशत के बराबर है। इसके अतिरिक्त, वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं जेवरात, समुद्री उत्पादों तथा एस.एम.ई. क्षेत्र जैसे गहन श्रम वाले उद्योगों के लिए निर्यात प्रोत्साहन उपाय घोषित किए गए थे।

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में खान प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

3536. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में खान प्रौद्योगिकी शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, खनन इंजीनियरी ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों की नामावली में पहले ही शामिल है।

खादी और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र

3537. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे खादी और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में खादी और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों को आधुनिक बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रयोजन हेतु पहचाने गए केन्द्रों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त केन्द्रों के चयन के मानदण्ड क्या हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक केन्द्र के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा आबंटित तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) देश में कार्यरत विद्यमान खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ने निजी तौर पर नए खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का कोई नया प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। हालांकि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने मंत्रालय को विद्यमान प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण और नए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना पर एक प्रस्ताव अग्रेषित किया था। इस मंत्रालय ने प्रस्ताव की जांच की और के.वी.आई.सी. को एक नया प्रस्ताव तैयार करने और उसे सरकार को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह के साथ कुछ सुझाव पेश किए।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

के.वी.आई. क्षेत्र में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रशिक्षण केन्द्र

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र		गैर विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र	कुल
	के.वी.आई.सी.	के.वी.आई.बी.	संस्थानिक	
1	2	3	4	5
दिल्ली	1	0	0	1
राजस्थान	0	0	1	1
बिहार	1	0	0	1
झारखंड	0	0	1	1
उड़ीसा	1	0	1	2
पश्चिम बंगाल	1	0	1	2
महाराष्ट्र	4	1	3	8
आन्ध्र प्रदेश	0	1	0	1
कर्नाटक	2	0	1	3
केरल	1	0	2	3

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	1	0	2	3
मध्य प्रदेश	0	1	1	2
उत्तर प्रदेश	1	0	3	4
उत्तराखंड	2	0	0	2
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	1
असम	0	1	1	2
मिजोरम	0	1	0	1
नागालैंड	0	1	0	1
सकल योग	15	6	18	39

गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी धनराशि

3538. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

श्री कीरेन रिजीजू:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में विदेश से विदेशी धनराशि प्राप्त कर रहे/कर चुके पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.) की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में स्कूलों/मदरसों/गैर-सरकारी संगठनों आदि सहित विभिन्न संगठनों को राज्य-वार तथा देश-वार कुल कितनी विदेशी धनराशि/दान प्राप्त हुआ;

(ग) क्या ऐसी धनराशि/दान का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई प्रणाली विकसित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम वाला कोई संगठन विदेशी अभिदाय (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पूर्व-अनुमति या पंजीकरण के बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं कर सकता है।

विगत तीन वर्षों के अंत तक और वर्तमान वर्ष के दौरान पंजीकृत संगठनों की कुल संख्या निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	पंजीकृत संगठनों की संख्या
2005-06	32,144
2006-07	33,937
2007-08	34,800
2008-09 (19-12-2008 तक)	36,017

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय (नियमन)

अधिनियम के अंतर्गत पूर्व अनुमति प्राप्त कर चुकी या पंजीकृत संगठनों द्वारा निम्न प्रकार से विदेशी अभिदाय की कुल धनराशि प्राप्त करने की सूचना दी गयी:

वर्ष	सूचित विदेशी अभिदाय की कुल धनराशि (रु. करोड़)
2004-05	6,256.68
2005-06	7,877.57
2006-07	12,289.63
2007-08	आंकड़ों का समेकन किया जा रहा है।

राज्यवार एवं दानदाता देशवार विदेशी अभिदाय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (छ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आतंकवादी गतिविधियों के लिए विदेशी अभिदाय (नियमन) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय के दुरुपयोग का कोई विशेष मामला नजर नहीं आता है। तथापि, जब भी और जैसे ही संगठनों के विरुद्ध विदेशी अभिदाय (नियमन) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का सरकार को पता चलता है, ऐसे संगठनों के खिलाफ अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाईयों में (i) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से संगठन पर रोक लगाना, (ii) संगठन को पूर्व-अनुमति की श्रेणी में डालना, (iii) संगठन को विधि न्यायालय में अभियोजित करना, तथा (iv) संगठन के बैंक खातों पर रोक लगाना शामिल हैं। यदि संगठनों को संगठन के वर्णित उद्देश्यों से अलग अन्य कार्यों के लिए विदेशी अभिदाय को हस्तांतरित करने अथवा दुरुपयोग करने जैसे गंभीर उल्लंघनों में लिप्त पाया जाता है, तो आवश्यकता पड़ने पर विस्तृत जांच एवं मुकदमा के लिए मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) के पास भेज दिया जाता है। जो उल्लंघन गैर-ईरादतन है और गंभीर प्रकृति का नहीं है, उन्हें अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत क्षमादान दे दिया जाता है।

प्राप्त होने वाली विभिन्न शिकायतों तथा की गई जांचों के आधार पर, 44 संगठनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से रोक दिया गया है, 26 संगठनों को पूर्व-अनुमति की श्रेणी में डाल दिया गया है और 11 संगठनों के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। जिन संगठनों के खिलाफ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन हेतु कार्रवाई की गयी है उनकी सूची मंत्रालय की वेबसाइट http://mha.nic.in/fcra.htm पर दी गई है। 17 संगठनों के मामलों को विस्तृत जांच के लिए सी.बी.आई. को भेज दिया गया है।

विवरण-I

2004-05

राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिपोर्ट करने वाले संगठनों की सं.	विदेशी अभिदाय की राशि ('000' रु.)
1	2	3
तमिलनाडु	2990	11,90,63,89
दिल्ली	1093	10,75,23,39
आन्ध्र प्रदेश	2211	9,13,17,09
महाराष्ट्र	1522	5,52,40,73
कर्नाटक	1438	5,11,98,61

1	2	3
केरल	1592	5,08,60,45
पश्चिम बंगाल	1568	3,39,73,24
गुजरात	839	2,38,59,19
उड़ीसा	973	1,01,85,91
उत्तर प्रदेश	858	94,63,79
मध्य प्रदेश	379	85,05,29
बिहार	703	79,05,05
राजस्थान	313	76,94,15
झारखण्ड	397	76,91,40
हिमाचल प्रदेश	102	72,55,63
पंजाब	97	58,11,33
उत्तरांचल	220	57,38,56
मेघालय	114	41,06,71
असम	211	40,17,59
छत्तीसगढ़	178	29,21,15
मणिपुर	257	20,33,55
पुडुचेरी	61	20,07,89
गोवा (दमन एवं दीव सहित)	105	16,45,90
नागालैण्ड	71	16,34,51
जम्मू-कश्मीर	57	14,10,34
हरियाणा	89	10,26,82
त्रिपुरा	23	4,92,82
चंडीगढ़	23	3,33,60
सिक्किम	8	3,12,48
मिजोरम	12	1,80,97
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	8	1,39,11

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	17	77,76
दादरा एवं नगर हवेली	11	39,58
लक्षद्वीप	0	0
कुल	18540	62,56,68,34

2005-06

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगठनों की सं.	प्राप्त राशि (करोड़ रु.)
तमिलनाडु	2967	1609.64
दिल्ली	1120	1558.46
आन्ध्र प्रदेश	2266	1011.57
महाराष्ट्र	1510	663.53
केरल	1565	656.27
कर्नाटक	1401	621.23
पश्चिम बंगाल	1559	355.31
गुजरात	841	301.22
उड़ीसा	1005	128.95
उत्तर प्रदेश	876	102.45
बिहार	723	100.57
झारखण्ड	414	96.96
हिमाचल प्रदेश	103	83.24
पंजाब	92	82.28
मध्य प्रदेश	347	77.22
उत्तरांचल	218	74.41
राजस्थान	314	69.32

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगठनों की सं.	प्राप्त राशि (करोड़ रु.)
मेघालय	119	46.03
असम	204	38.79
छत्तीसगढ़	186	33.85
जम्मू-कश्मीर	55	30.42
पुडुचेरी	56	29.23
मणिपुर	246	21.18
हरियाणा	87	19.65
नागालैण्ड	68	18.87
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	16.58
गोवा (दमन एवं दीव सहित)	104	16.31
चंडीगढ़	29	6.01
त्रिपुरा	25	3.79
मिजोरम	18	3.16
सिक्किम	8	1.88
दादरा एवं नगर हवेली	14	.60
अरुणाचल प्रदेश	20	.59
दमन	0	0
लक्षद्वीप	0	0
कुल	18570	7877.57

2006-07

राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगठनों की सं.	प्राप्त राशि (करोड़ रु.)
तमिलनाडु	3009	2244.25
दिल्ली	1175	2186.65

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगठनों की सं.	प्राप्त राशि (करोड़ रु.)
आन्ध्र प्रदेश	2314	1211.04
महाराष्ट्र	1585	1195.45
कर्नाटक	1415	1077.12
केरल	1533	884.39
झारखण्ड	389	725.60
पश्चिम बंगाल	1615	516.91
गुजरात	857	389.03
राजस्थान	341	333.90
उड़ीसा	1007	216.46
उत्तर प्रदेश	934	191.17
असम	213	162.69
मध्य प्रदेश	384	139.14
बिहार	762	131.40
हिमाचल प्रदेश	104	104.19
जम्मू-कश्मीर	67	102.13
पंजाब	81	82.93
उत्तराखण्ड	202	71.43
छत्तीसगढ़	190	57.62
मेघालय	111	55.64
पांडिचेरी	70	49.28
मणिपुर	277	43.07
हरियाणा	89	34.46
नागालैण्ड	78	26.65
गोवा	75	16.22
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	12	14.02

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगठनों की सं.	प्राप्त राशि (करोड़ रु.)
चण्डीगढ़	31	7.21
त्रिपुरा	23	7.07
अरुणाचल प्रदेश	18	4.84
सिक्किम	9	3.34
मिजोरम	27	3.14
दादरा व नगर हवेली	13	1.06
दमन व दीव	1	0.10
कुल योग	19011	12289.63

विवरण-II

2004-05

दाता देशवार ब्यौरा

देश	विदेशी अभिदाय की राशि ('000' रु.)
1	2
संयुक्त राज्य अमेरिका	19,26,94,83
जर्मनी	9,30,91,83
यूनाईटेड किंगडम	7,64,13,31
इटली	4,32,88,08
नीदरलैंड्स	3,53,50,65
स्पेन	3,38,01,98
स्विटजरलैंड	2,73,43,52
कनाडा	1,98,11,28
फ्रांस	1,34,11,33
आस्ट्रेलिया	90,84,84
आस्ट्रिया	81,54,87
संयुक्त अरब अमीरत	74,72,60
बेल्जियम	73,11,66
स्वीडन	69,08,38
आयरलैंड	49,46,72
अन्य	46,96,44
हांग-कांग	40,18,94
सिंगापुर	39,31,03
डेनमार्क	39,28,08
जापान	38,04,45
नार्वे	34,84,52
कुवैत	21,84,73
न्यूजीलैंड	20,99,79
ताइवान	18,61,17
लक्जमबर्ग	17,38,57
फिलीपींस	16,45,00

1	2
फिनलैंड	11,74,79
सउदी अरब	10,09,20
मलेशिया	9,78,74
थाइलैंड	8,67,59
चेक गणराज्य	7,27,83
केन्या	7,03,71
तंजानिया	6,04,61
दक्षिण अफ्रीका	5,38,51
माल्टा	4,98,97
दक्षिण कोरिया	4,96,14
आइसलैंड	4,91,04
श्रीलंका	3,12,69
बहरीन	3,08,67
कतर	2,63,58
नेपाल	2,42,65
अर्जेंटीना	2,20,23
ओमान	2,15,16
मेक्सिको	2,08,86
त्रिनीडाड एवं टोबागो	2,04,77
रूस	1,90,41
चीन	1,51,58
इंडोनेशिया	1,39,10
बोत्सेवाना	1,38,04
सूरीनाम	1,36,79
पुर्तगाल	1,36,71
बांग्लादेश	1,31,03
पोलैंड	1,21,90
यमन	1,05,41
नाइजीरिया	94,77
लेबनान	89,05
ग्रीस	83,93
मोनाको	83,43
स्लोवाकिया	81,93
ब्राजील	79,51
उगांडा	78,02
अफगानिस्तान	77,64
मॉरीशस	76,86
साइप्रस	74,46
मालागासी (मेडागास्कर)	65,60
जमैका	60,97
तुर्की	57,12
रियूनियन आइलैंड	54,93
चिली	52,14
पाकिस्तान	43,28
कोलम्बिया	41,50
फिजी	40,19
मोजाम्बिक	38,09
लिस्थेनस्टीन	37,83
मलावी	36,91
ईरान	36,86
इजरायल	36,48
वेटिकन सिटी	34,96

1	2
हंगरी	32,95
स्वाजीलैंड	30,18
जिम्बाबवे	24,84
मिस्र	22,19
बहामास	21,81
बोस्निया	19,00
रोमानिया	17,95
वेनेजुएला	16,90
कजाकस्तान	15,00
मालदीव	14,86
स्लोवेनिया	12,87
भूटान	11,95
जाम्बिया	10,19
सेशेल्स	10,03
कम्पूचिया	9,67
बोलिविया	9,30
बेलिज	9,17
पनामा	9,16
बुल्गारिया	9,12
किर्गिस्तान	8,21
घाना	8,06
म्यांमार	7,78
बारबाडोस	6,02
संत विन्सेंट और ग्रेनाडाइन्स	5,92
गुएना	5,74
वियतनाम	5,57
क्रोशिया	5,47
ऊरुग्वे	4,81
ब्रुनेई	4,54
मोरक्को	4,52
जार्डन	4,31
टोंगा	3,78
पापुआ न्यू गिनी	3,76
सेनेगल	3,57
यूक्रेन	2,53
सीरिया	2,19
गाम्बिया	2,09
उजबेकिस्तान	1,78
मंगोलिया	1,53
वनातू	1,20
डोमनिका	1,10
यूगोस्लोविया	1,07
कांगो	98
नामीबिया	94
लाटविया	91
ग्वाटेमाला	86
कोस्टारिका	84
एस्टोनिया	78
अल सल्वाडोर	77
इक्वेडोर	76
पराग्वे	69
लिबिया	55

1	2
लिथुआनिया	54
केमरून	47
हेवाजी	45
पेरू	41
इथोपिया	39
सूडान	30
बेनिन	27
बेलारूस	27
सैन मैरिनो	25
पश्चिमी सामोआ	21
संत लूसिया	9
मारीटानिया	9
मकाऊ	2
आइवरी कोस्ट	2
ग्रेनाडा	1
गबोन	1
कुल	62,56,68,34

2005-06

देश-वार दान का ब्यौरा

देश	विदेशी अभिदाय की राशि (रुपए '000)
1	2
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	24258794
यूनाईटेड किंगडम	11809919
जर्मनी	10624398
इटली	5002870
नीदरलैंड्स	4458116
स्पेन	4020329
स्वीटजरलैंड	2707829
कनाडा	2317016
फ्रांस	1841044
आस्ट्रेलिया	1481977
बेल्जियम	1223289
आस्ट्रिया	1122242
स्वीडन	839804
जापान	611040
आयरलैंड	598694
अन्य	598282
संयुक्त अरब अमीरात	585695
कुवैत	583120
डेनमार्क	434011
हांगकांग	416807
नार्वे	329591
सिंगापुर	236895
न्यूजीलैंड	188205
लक्जमबर्ग	184422
ताइवान	175570
फिलीपींस	170406
फिनलैंड	165422

1	2
सउदी अरब	152692
थाइलैंड	139253
मलेशिया	118468
जमैका	3841
हंगरी	3692
साइप्रस	3533
स्लोवेनिया	3490
जाम्बिया	3331
बुरूंडी	2992
बहामास	2986
लिथुआनिया	2963
तुर्की	2942
यमन	2924
कोलम्बिया	2452
मंगोलिया	2191
मोरक्को	2128
मालदीव	2100
ईरान	1448
नामिबिया	1300
बेलारूस	1283
मयांमार	1154
कम्पूचिया	1031
मिस्र	999
बुल्गारिया	921
जिम्बाब्वे	882
गाम्बिया	834
पेरू	724
यूक्रेन	703
नाइजीरिया	677
सेशेल्स	674
जर्मनी (जी.डी.आर.)	567
ग्वाटेमाला	554
घाना	550
चेक गणराज्य	111379
श्रीलंका	110510
माल्टा	109310
केन्या	96181
दक्षिण अफ्रीका	70751
आइसलैंड	60968
दक्षिण कोरिया	56455
बांग्लादेश	5555
नेपाल	51599
चीन	44440
कतर	43484
तंजानिया	38762
ओमान	33116
पनामा	31321
बहरीन	27431
त्रिनिनाड एवं टोबैगो	24931
पोलैंड	23553
पुर्तगाल	22534
इंडोनेशिया	21895

1	2
वियतनाम	21772
रूस	20638
मॉरीशस	19465
वेटिकन सिटी	19065
अर्जेंटीना	17408
बोत्सवाना	13303
स्वाजीलैंड	12121
ग्रीस	12071
इजराइल	10425
चिली	10343
स्लोवाकिया	10194
मेक्सिको	9795
लिचेरस्टीन	9765
मोनाको	8466
रियूनियन आइलैंड	8303
भूटान	8270
अफगानिस्तान	7526
वेनेजुएला	7294
पाकिस्तान	7170
ब्राजील	7031
लेबनान	6299
सूरीनाम	5114
क्रोशिया	4842
फिजी	4764
मलावी	444
ब्रुनेई	415
कजाकस्तान	407
बारबाडोस	392
सेनेगल	318
आइवरी कोस्ट	309
मॉरीटानिया	291
एस्टोनिया	270
बोस्निया	249
रेनलैंड पफ्लाज	220
बेलीज	218
सूडान	215
डोमनिका	190
ग्रेनाडा	186
कोस्टारिका	180
उजबेकिस्तान	151
टोंगा	148
यूगोस्लोविया	146
जायरे	137
अंगोला	100
मालाजसे (माडागास्कर)	98
सीरिया	84
गुयाना	69
लाटिविया	65
अल सल्वाडोर	60
कांगो	50
केमन आइलैंड	43
रवांडा	40

1	2
पराग्वे	37
नीदरलैंड एंटीलस	37
केमरून	33
क्यूबा	28
चेकोस्लोवाकिया	27
फिलीस्तीन	26
हेवाजी	22
लीविया	17
पापुआ न्यूगिनी	15
इक्वेडोर	15
मध्य अफ्रीका गणराज्य	11
नाइजर	9
ट्यूनीशिया	5
बेनिन	5
जार्डन	5
मोजांबीक	4712
ईराक	4522
इथोपिया	4355
उरुग्वे	4100
उगांडा	3904
रोमानिया	3875
लाओस	3
सैन मैरिनो	3
डिज्बूती	2
गैबन	1
सियरा	1
सोसाइटी आइलैंड	1
जोड़	78775690

2006-07

देश-वार दान का ब्यौरा

देश	विदेशी अभिदाय की राशि (रुपए '000)
1	2
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	29712912
जर्मनी	16487512
यूनाइटेड किंगडम	14254308
स्विटजरलैंड	6058772
इटली	4879739
स्पेन	4646548
नीदरलैंड	4488567
ग्रिनेडा	3328980
बेल्जियम	2406688
कनाडा	2303649
फ्रांस	2101531
अन्य	1872071
जापान	1517791
आस्ट्रेलिया	1154183
संयुक्त अरब अमीरात	856465
आस्ट्रिया	820916
आयरलैंड	733621

1	2
स्वीडन	677771
नार्वे	623021
इंडोनिशिया	472411
मारीशस	452288
सिंगापुर	436776
हांग कांग	391112
डेनमार्क	366509
कुवैत	292764
ताइवान	249296
स्वाजीलैंड	239123
फिलीपींस	217902
इथोपिया	3942
तुर्की	3888
फिजी	3634
जमैका	3473
ग्रीस	3422
मोजांबीक	3178
पनामा	3000
गेबन	2627
स्लोबीनिया	2510
कोलंबिया	2399
सिसली	2243
पाकिस्तान	2199
केमैन आइलैंड	1738
जोर्डन	1652
इजिप्ट	1558
ईरान	1507
अल्जीरिया	1462
मंगोलिया	1430
हंगरी	1415
मलावी	1207
नाइजीरिया	1062
बुल्गारिया	1040
मकाऊ	1029
जांबिया	1019
बारबाडोस	949
बहामास	946
तजाकिस्तान	896
नोरू (रिपब्लिक)	878
न्यूजीलैंड	178199
फिनलैंड	149422
लक्समवर्ग	134409
चीन	126523
सऊदी अरब	119207
थाइलैंड	118861
चैक रिपब्लिक	94680
वेटिकन सिटी	94173
मलेशिया	90338
ओमान	83358
दक्षिण अफ्रीका	77710

1	2
केनिया	74348
कतर	54200
आइसलैंड	46411
ट्रिनिडाड और टोबेगो	36430
लीस्टेनस्टीन	35800
दक्षिण कोरिया	35617
अफगानिस्तान	34976
श्रीलंका	31733
तंजानिया	27910
बोत्सवाना	27318
मोनाको	26288
रूस	25677
नेपाल	25462
सूरिनाम	25315
वेस्टर्न समोआ	23909
माल्टा	22401
बहरीन	22307
उक्रेन	19981
रियूनियन आइलैंड	19025
पोलैंड	18012
स्लोवाकिया	15243
चिली	14945
ब्राजील	14739
उगांडा	10318
पुर्तगाल	10294

1	2
माल्दीव्स	652
बेलारूस	648
घाना	589
वियतनाम	469
साइप्रस	341
फिलस्तीन	324
सेनेगल	323
क्रोसिया	266
सूडान	259
कजाकिस्तान	254
लीविया	248
क्यूबा	245
ईराक	231
सीरिया	210
लातीविया	205
केमरून	196
लाओस	195
मोरोको	181
यूगोस्लाविया	171
पापुआ न्यू गुनिया	169
कारडीन मशाल आइलैंड	149
लिथुआनिया	140
ब्रूनी	113
कांगो	105
रवांडा	90

1	2
सैंट वेंसेंट और ग्रेनाडींस	88
भूटान	85
दक्षिण कोरिया	70
इक्वेडर	49
कोस्टारिका	43
उरुग्वे	39
जिंबाब्वे	38
इस्तोनिया	33
डोमिनिका	29
बोलिज	24
पराग्वे	22
लेबनान	10257
नीदरलैंड अन्टील्स	9885
अर्जेंटीना	8607
इजरायल	6874
मेक्सिको	5365
बांग्लादेश	5312
यमन	5038
रूमानिया	4819
वेनेजुएला	4361
मालागासी (मोडागास्कर)	4217
नामिबिया	18
अन्टिगुआ एवं बरबुडा	15
अल सल्वाडोर	9
पेरू	8
कम्बोडिया	7
म्यांमार	6
सेंट लुई	5
अंगुइला	1
अंगोला	1
ग्वाटेमाला	0
योग	104137181

खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना

3540. श्री फ्रांसिस फैन्थम:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री के.सी. सिंह बाबा:

श्री हंसराज गं. अहीर:

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उनकी बेहतर स्वीकार्यता तथा विपणन हेतु नए उत्पादों में विविधीकरण हेतु शुरू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा आधुनिकीकरण करने तथा विभिन्न परियोजनाएं/अध्ययन करने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं/अध्ययन के.वी.आई.सी. को अपना उद्देश्य पूरा करने में कितने सहायक सिद्ध हो रहे हैं;

(घ) क्या एशियाई विकास बैंक सहित कोई बहुराष्ट्रीय निकाय से सहायता प्राप्त हुई है तथा सरकार द्वारा कुछ संगठनों को के.वी.आई.सी. उत्पादों की गुणवत्ता तथा लोकप्रियता को बढ़ावा देने के साथ जोड़ा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान की गई सहायता तथा शर्तें एवं निबंधनों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी हां। खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.सी.) उत्पादों की गुणवत्ता सुधार, बेहतर डिजाइनों का विकास तथा पैकेजिंग में सुधार, के उद्देश्य से सरकार वर्ष 2003-04 से खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से प्रोडक्ट डैवलपमेंट, डिजाइन इन्टरवेंशन एंड पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) स्कीम कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम खादी संस्थानों को कच्चे माल, डिजाइन निवेशों, रंगाई और प्रिंटिंग, सिलाई तथा संबंधित पहलुओं, पैकिंग इत्यादि में सहायता करती है। इस स्कीम के अंतर्गत बढ़ती विपणन-क्षमता के चलते लक्ष्यों को पाने के लिए उत्पादों की विविधता भी संभव है। 31-3-08 तक विशेष रूप से खादी क्षेत्र के लिए पी.आर.ओ.डी.आई.पी. के तहत 418 परियोजनाएं स्थापित की गई थीं।

खादी उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्न प्रकार हैं:-

(i) आंतरिक जांच सुविधाओं के अनुमोदनार्थ एक स्कीम शुरू की गई है। अभी तक 35 ऐसी प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 10 ने पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया है जबकि शेष 25 प्रचालनात्मकता के विभिन्न चरणों में है।

(ii) वस्त्र समिति अधिनियम 1963 के तहत वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित वस्त्र समिति नामक एक सांविधिक स्वायत्त निकाय के साथ के.वी.आई.सी. ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत वस्त्र समिति खादी कपड़ों की जांच गुणवत्ता के लिए अपनी प्रयोगशाला अवसंरचना को उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है। के.वी.आई. यूनिटों को उनके अनुसंधान एवं विकास परिणाम विस्तारित करने के लिए प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) संस्थानों के साथ भी अन्तरापृष्ठ भी स्थापित किए गए थे।

(iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) दिल्ली के सहयोग से खादी के जांच गुणवत्ता प्रचालकों के लिए तकनीकी मैनूअल, विशिष्टताएं और मानक सुझाए गए हैं और इन्हें पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है। तकनीकी मैनूअल खादी उत्पादन में उपयोग किए गए कच्चे माल, पूनियां, धागों, फैब्रिक इत्यादि के सैम्पलों की जांच करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करता है जिससे खादी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रत्याशा है।

(iv) खादी संस्थानों को गुणवत्ता पूनियां उपलब्ध कराए जाना सुनिश्चित करने के लिए के.वी.आई.सी. ने देश के विभिन्न भागों में 6 पूनियों के संयंत्र लगाए हैं।

(v) ग्रामीण औद्योगीकरण को मजबूत करने तथा खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में अर्थपूर्ण और उत्पादक रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए उच्च्य गुणवत्ता वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और प्रबन्धन निवेश प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने तत्कालीन जमनालाल बजाज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीच्यूट को एम.जी.आई.आर.आई. के रूप में पुनः नामकरण करने के बाद वर्धा, महाराष्ट्र में ग्रामीण औद्योगिककरण के लिए महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना की है।

(vi) एम.जी.आई.आर.आई. ने आई.आई.टी. दिल्ली से सम्बद्ध होकर, स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक रंगाई के कच्चे माल का उपयोग कर खादी फैब्रिक्स की रंगाई के लिए प्राकृतिक रंगाई प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकसित की है, इस प्रकार खादी के बेहतर गुणवत्ता और पर्यावरण-हितैषी उत्पादन में सफल हुए हैं।

(vii) एम.जी.आई.आर.आई. द्वारा मसचेराइजेशन मशीन का एक मॉडल भी विकसित किया गया है जो इसके तन्तु-विन्यास में एकरूपता लाकर खादी कपड़ों में गुणवत्तात्मक सुधार लाएगा। यह प्रक्रिया खादी फैब्रिक के परिमाण स्थायित्व में सुधार करती है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की कपड़ों के सिकुड़ने संबंधी शिकायतें कम होती हैं और यह प्रक्रिया कपड़े की रंग सोखन क्षमता में भी सुधार लाती है।

(viii) आई.आई.टी. गुवाहाटी के सहयोग से एक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के बुनकरों के लाभार्थ एक अर्ध-स्वचलित लॉयन लूम भी विकसित किया

गया है, जो खादी बुनकर गतिविधियों में संलग्न दस्तकारों की कड़ी मजदूरी को भी कम करता है।

(ix) इलैक्ट्रिक चरखा (ई-चरखा) विकसित किया गया है जो न केवल ऊर्जा संरक्षण प्रणाली अपनाने में सहायक है, अपितु बुनाई करते समय वर्कशेड/होम को प्रकाशित करने, ट्रांजिस्टर सुनने आदि के लिए बिजली उत्पादन करने में भी सक्षम है। ऐसे ई-चरखे एकल, दो टेकुरी और 8 टेकुरी मॉडलों में उपलब्ध हैं। इससे भी धागे की एकरूपता बने रहने की प्रत्याशा है जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन में सुधार होगा।

(ख) के.वी.आई.सी. खादी की गुणवत्ता सुधार हेतु अपनी अपेक्षित राशियों की पूर्ति सरकार द्वारा प्रदत्त बजट समर्थन से करता है। गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए एस एंड टी (खादी) लक्ष्यों के तहत के.वी.आई.सी. को प्रदत्त राशियां नीचे दर्शायी गई हैं:-

वर्ष	एस. एंड टी के तहत के.वी.आई.सी. द्वारा प्रदत्त राशियां (करोड़ रुपयों)
2005-06	1.35
2006-07	1.50
2007-08	1.85
2008-09 (आबंटित)	2.00

(ग) सहायताप्राप्त संस्थानों के उत्पादन और बिक्री पर पी.आर.ओ.डी.आई.पी. स्कीम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। के.वी.आई.सी. को किसी बहुपक्षीय निकाय से खादी की गुणवत्ता एवं प्रसिद्धि के संवर्धन हेतु अभी तक कोई राशियां प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि एशियान विकास बैंक का एक प्रस्ताव सरकार के पास सक्रिय विचाराधीन है।

[हिन्दी]

स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा

3541. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री संजय धोत्रे:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्नातक स्तर तक शिक्षा को निःशुल्क करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीब परिवारों के बच्चों को बारहवीं कक्षा तथा उच्च शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें सस्ती दरों पर प्रदान करने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) 'शिक्षा' समवर्ती विषय है, यह राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। 31 दिसम्बर, 2002 को अधिसूचित संविधान संशोधन (छियासीवां) अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान है कि "छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य इस प्रकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि वह कानून द्वारा निर्धारित करेगा।"

[अनुवाद]

हिरासत में हुई मौतों के लिए मुआवजा

3542. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री संजय धोत्रे:

श्री बापू हरी चौरे:

श्री कीरेन रिजीजू:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एशियन सेन्टर फॉर ह्यूमन राइट्स से देश में पुलिस हिरासत में हुई 1400 मौतों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऐसे पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा का भुगतान करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सहित गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा राज्य-वार कितने मामलों में मुआवजा प्रदान किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को विगत तीन वर्षों के दौरान एशियाई मानवाधिकार केन्द्र (ए.सी.एच.आर.) से पुलिस हिरासत में कथित हत्याओं की 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

एशियाई मानवाधिकार केन्द्र से प्राप्त शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

I. प्राप्त शिकायतों की संख्या-45

II. निपटाए गए मामलों की संख्या-13

III. जांच के अधीन मामलों की संख्या-32

अब तक निपटाए गए उपरवर्णित मामलों में किसी तरह की अंतरिम राहत की सिफारिशें नहीं की गई है।

(घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार हिरासत में हुई मृत्यु के समस्त मामलों को संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा 24 घंटे के अंदर आयोग को सूचित कर दिया जाता है। 01-04-2005 से 05-12-2008 की अवधि के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के लगभग 558 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी।

2005-2006 से 2007-2008 की अवधि तथा वर्तमान वर्ष (अर्थात 05-12-2008 तक) के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के 75 मामलों में 99,20,000/- रुपए के अंतरिम राहत/क्षतिपूर्ति की सिफारिश की है। मामलों की कुल संख्या तथा सिफारिश की गई क्षतिपूर्ति की धनराशि को दर्शाते हुए महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

हिरासत में हुई मृत्यु के मामलों की संख्या को दर्शाने वाला राज्यवार एवं वर्षवार विवरण जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पीड़ितों के परिवारों हेतु क्षतिपूर्ति की सिफारिश की है।

(05-12-2008 तक)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2005		2006		2007		2008	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–	1	20,000 रु.	6	8,00,000 रु.
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	1	1,00,000 रु.	1	25,000 रु.
3.	असम	–	–	–	–	1	1,00,000 रु.	1	1,00,000 रु.
4.	बिहार	3	1,50,000 रु.	1	1,00,000 रु.	–	–	2	2,00,000 रु.
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	–	–	3	5,00,000 रु.	1	3,00,000 रु.
8.	हरियाणा	–	–	–	–	1	2,00,000 रु.	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	झारखण्ड	–	–	–	–	2	2,00,000 रु.	1	1,00,000 रु.
12.	कर्नाटक	–	–	–	–	4	6,00,000 रु.	2	3,00,000 रु.
13.	केरल	–	–	–	–	2	2,00,000 रु.	–	–
14.	मध्य प्रदेश	–	–	2	2,00,000 रु.	–	–	1	3,00,000 रु.

15.	महाराष्ट्र	–	–	1	1,00,000 रु.	4	6,00,000 रु.	3	3,00,000 रु.
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	1	50,000 रु.	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	–	–	–	–	1	2,00,000 रु.	1	1,00,000 रु.
22.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	6	9,00,000 रु.
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	2	1,50,000 रु.	2	75,000 रु.	3	5,00,000 रु.	9	16,00,000 रु.
27.	उत्तराखण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	2	2,00,000 रु.
29.	दिल्ली	–	–	1	50,000 रु.	1	2,00,000 रु.	2	4,00,000 रु.
	कुल	**6**	**3,50,000 रु.**	**7**	**5,25,000 रु.**	**24**	**34,20,000 रु.**	**38**	**56,25,000 रु.**
	सम्पूर्ण योग	मामलों की कुल संख्या		75			9[illegible]0,000/- रु.		

सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में विश्व बैंक की बैठक

3543. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व-बैंक ने सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के कुछ घटकों के बारे में आंतरिक बैठकों में सरकार की भागीदारी पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) भारत सरकार प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चला रही है, जिसे विश्व बैंक से आंशिक सहायता प्राप्त होती है।

विश्व बैंक के साथ वित्तीय करार हेतु चर्चा के दौरान विश्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारियों के साथ आयोजित त्रैमासिक वित्तीय पुनरीक्षण में आब्जर्वर के रूप में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी। भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।

राष्ट्रीय कॅयर अनुसंधान संस्थान

3544. **डा. के.एस. मनोज:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॅयर उद्योग के अनुसंधान एवं विकास के लिए केरल राज्य में राष्ट्रीय कॅयर अनुसंधान संस्थान (एन.सी.आर.आई.) स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे संस्थान के कार्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने एन.सी.आर.आई. के कार्यकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ङ) क्या केरल सरकार ने राज्य कॅयर अनुसंधान संस्थान के विस्तार हेतु कोई अनुरोध एवं परियोजना प्रस्ताव भेजा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अंतर्गत भारत सरकार ने केरल राज्य में कोई नया राष्ट्रीय कॅयर अनुसंधान संस्थान (एन.सी.आर.आई.) स्थापित नहीं किया है। तथापि, कॅयर बोर्ड जो इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है, ने उत्पाद विकास, उत्पाद विविधता, कॅयर के नए उपयोगों तथा आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए केन्द्रीय कॅयर अनुसंधान संस्थान (सी.सी.आर.आई.) कालावूर (एलेपी) तथा केन्द्रीय कॅयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.सी.टी.) का संवर्धन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान इन दो अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से राज्य विशेष को ध्यान में रखे बिना सरकार द्वारा कॅयर बोर्ड को जारी की गई वर्षवार राशियां निम्नवत हैं:-

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
जारी की गई राशियां (करोड़ रु. में)	5.50	5.50	7.00

(ङ) और (च) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत भारत सरकार को राज्य कॅयर अनुसंधान संस्थान के विस्तार हेतु केरल सरकार से कोई अनुरोध अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जैव प्रौद्योगिकी हेतु विनियामक प्राधिकरण

3545. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास को विनियमित करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्राधिकरण के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) भारत सरकार जैवप्रौद्योगिकी, उत्पाद और प्रक्रमण के लिए एक विनियामक प्राधिकरण के गठन किए जाने के प्रक्रमण में है। जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से "राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण" (एन.बी.आर.ए.) संस्थापित किए जाने के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। तदनुसार, विशेषज्ञों के एक परामर्शी समूह ने एन.बी.आर.ए. और प्रस्तावित विधेयक की प्रारूप संस्थापन योजना तैयार की है। दोनों प्रारूप प्रलेखों को समीक्षा और टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र में रखा गया है। किसानों और उपभोक्ताओं के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संबंधित साझेदारों, उद्योग, वैधानिक विशेषज्ञों, माध्यम और अकादमियों/अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न परामर्शी बैठकों का आयोजन किया गया है। राज्य सरकारों से भी उन के पुनर्निवेश के लिए परामर्श किया गया है। अंतिम प्रलेखों को तैयार किए जाने के साथ-साथ विशेषज्ञों और साझेदारों की टिप्पणियों की समीक्षा करने, प्रारूप तैयार करने से संबंधित सभी विषयों पर सलाह देने के लिए और निरीक्षण करने के लिए एक अंतर-विषयक और अंतर मंत्रालय सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है। अंतर मंत्रालयी परामर्श वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अंत तक संभावित रूप से क्रियाविधि के अनुसार मंत्रिमंडल और उत्तरवर्ती संसद द्वारा एन.बी.आर. विधेयक के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए शुरुआत की गई है।

आंतरिक गुणता आश्वासन प्रकोष्ठ

3546. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) का विचार मुहैया करायी जा रही उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को एक अनिवार्य आंतरिक गुणता आश्वासन प्रकोष्ठ बनाने के लिए कहने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद द्वारा प्रत्यायित सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से एक आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चय प्रकोष्ठ स्थापित करने की अपेक्षा होती है। इस स्कीम के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण इन प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए प्रत्येक पात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 5.00 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

भा.प्रौ.सं. (आई.आई.टी.) में सीटों की संख्या में वृद्धि

3547. श्री अधीर चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सीटों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में सीटों की संख्या में वर्ष 2008-09 से तीन वर्ष तक चरणबद्ध ढंग से इतनी वृद्धि की जाए कि तीसरे वर्ष के अन्त तक सीटों की संख्या में 2007-08 की संख्या की तुलना में 54% की वृद्धि हो जाए और अनारक्षित वर्ग के छात्रों के लिए सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 27% आरक्षण को कार्यान्वित किया जा सके। सरकार ने आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का भी अनुमोदन किया है। इनमें से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान में छह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने वर्ष 2008-09 से प्रत्येक में लगभग 120 छात्रों की दाखिला क्षमता के साथ अपने सत्र आरंभ कर दिए हैं जबकि हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में दो नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा वर्ष 2009-10 से अपना सत्र आरंभ किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

प्रौढ़ साक्षरता

3548. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के अशिक्षित प्रौढ़ों को कार्यसाधक रूप से साक्षर बनाने के लिए संशोधित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) वर्ष 2007-08 में "साक्षरता अभियान और पुनः बहाली कार्यक्रम" तथा "सतत शिक्षा" स्कीमों को "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास" के तहत मिला लिया गया था। इसी प्रकार "प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने की स्कीमों" और "जन शिक्षण संस्थान स्कीम" को भी मिला दिया गया था। फलस्वरूप, इस कार्यक्रम और वित्तीय मानकों में आंशिक संशोधन की प्रक्रिया जारी है।

अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा विश्वविद्यालयों की स्थापना

3549. श्री पी.सी. थामस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से केरल में अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ई.एफ.एल.यू.) की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इसके लिए कोल्लम जिला, केरल में भूमि की पहचान कर ली है;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में और इसकी स्थापना हेतु सहायतानुदान की सिफारिश कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। केरल सरकार ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद से इसका एक परिसर राज्य में स्थापित करने के लिए संपर्क किया है। राज्य सरकार ने परिसर की स्थापना हेतु कोल्लम जिले में 83.77 एकड़ भूमि की उपलब्धता तथा इसे निःशुल्क उपलब्ध करवाने की इच्छा व्यक्त की है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय के आकलन के अनुसार, इस परिसर की स्थापना की अनुमानित लागत लगभग 200.00 करोड़ रुपये है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अपने आबंटन में से ग्यारहवीं योजना के दौरान अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन की दोहा वार्ता

3550. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सहित कई राष्ट्रों ने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर कृषि और गैर-कृषि विपणन पहुंच (एग्रीकल्चर एण्ड नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस) में कमी के संबंध में विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दो प्रारूप तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल दोहा मैनडेट तथा वे छूट विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट में शामिल नहीं की गयी है जो कि ट्रैरिफ रिडक्शन कमिटमेंट से अपने आपको दूर रखने के लिए विकासशील राष्ट्रों के लिए आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेषकर भारत और सामान्यतः विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा करने तथा दोहा वार्ता को सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) कृषि तथा गैर कृषि बाजार पहुंच (एन.ए.एम.ए.) से संबंधित वार्ताकारी समूहों के अध्ययन दिनांक 6 दिसम्बर, 2008 की रूपरेखाओं के प्रारूप में उन विशिष्ट वार्ताकारी विषयों का उल्लेख किया है जिन पर विचारों में व्यापक

मतभेद हैं अथवा कोई मतैक्य नहीं बना है। इन क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रक्षोपाय तंत्र (एस.एस.एम.), कपास पर सब्सिडी, कृषि तथा वस्तु क्षेत्र-वार पहलों में टैरिफ सरलीकरण आदि गैर कृषि बाजार पहुंच (एन.ए.एम.ए.) में अधिमान में कमी आदि शामिल हैं। रूपरेखाओं के प्रारूप में औद्योगिक उत्पादों को टैरिफ में कमी की वचनबद्धताओं से बाहर रखने के लिए लोचशीलताओं का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) सरकार एन.ए.एम.ए. के अंतर्गत समुचित संख्या में विशेष उत्पादों (एस.पी.) के स्व-निर्धारण, प्रचालनरत एवं प्रभावी विशेष रक्षोपाय तंत्र (एस.एस.एम.) एवं लोचशीलताओं हेतु वार्ता कर रही है, जो अपने किसानों एवं औद्योगिक श्रमिकों की आजीविका संबंधी चिन्ताओं के संरक्षण के लिए पर्याप्त व उचित हैं। भारत, दोहा दौर के सफलतापूर्वक समापन के लिए विकासशील देशों के हितों की दृष्टि से सम्भावित अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से जी-33, जी-20 एवं एन.ए.एम.ए.-11 जैसे विकासशील देशों के समूहों में अपने गठबंधन भागीदारों के साथ मिलकर कार्य भी कर रहा है।

मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं

3551. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में मंत्रालय के अंतर्गत चल रही प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इन प्रयोगशालाओं में किये जा रहे प्रयोगों की सफलता दर क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने इन प्रयोगशालाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कुल 60 अनुसंधान प्रयोगशालाएं चल रही हैं जिनमें से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के अंतर्गत 14, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के अंतर्गत 9 तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) के अंतर्गत 37 प्रयोगशालाएं चल रही हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सामान्यत: विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित सभी अनुसंधान परियोजनाओं को परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार पाया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन अनुसंधान प्रयोगशालाओं को सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदानों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपये)

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अब तक)
157628.33	179337.00	211036.00	165305.61

विवरण

मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं

क्रम सं.	राज्य का नाम	डी.एस.टी. के अंतर्गत प्रयोगशालाएं	डी.बी.टी. के अंतर्गत प्रयोगशालाएं	सी.एस.आई.आर. के अंतर्गत प्रयोगशालाएं
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	3
2.	असम	–	–	1
3.	चण्डीगढ़	–	–	2

1	2	3	4	5
4.	दिल्ली	–	2	5
5.	गुजरात	–	–	1
6.	गोवा	–	–	1
7.	हरियाणा	–	2	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1
9.	जम्मू-कश्मीर	–	–	1
10.	झारखण्ड	–	–	2
11.	कर्नाटक	4	–	2
12.	केरल	1	1	1
13.	मध्य प्रदेश	–	–	1
14.	महाराष्ट्र	2	1	2
15.	मणिपुर	–	1	–
16.	उड़ीसा	–	1	1
17.	राजस्थान	–	–	1
18.	तमिलनाडु	–	–	3
19.	उत्तर प्रदेश	1	–	4
20.	उत्तराखण्ड	2	–	2
21.	पश्चिम बंगाल	3	–	3

राजस्थान में भूमि की खरीद

3552. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अज्ञात व्यक्तियों ने गुप्त रूप से पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भूमि खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) सरकार को यह ज्ञात है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि की खरीद फरोख्त हो रही है। इन खरीद फरोख्तों के संबंध में राजस्थान सरकार ने एक विस्तृत जांच प्रारंभ की है जिसका प्रयोजन क्रेताओं की पहचान करना और इन खरीद फरोख्तों के पीछे सदाशयता/उद्देश्य का पता लगाना है।

हालांकि इन क्षेत्रों में त्वरित निवेश का एक कारण इस क्षेत्र में नवीन परियोजनाएं प्रारंभ किए जाने की प्रत्याशा का

अनुमान लगाया जाना हो सकता है फिर भी कोई निश्चित निष्कर्ष/विश्लेषण करना तभी संभव हो सकेगा जब केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों की सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही विस्तृत जांच पूरी हो जाएगी। इस मुद्दे की गहराई से मानीटरिंग राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके गृह मंत्रालय में किया जा रहा है।

उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत

3553. श्री अनवर हुसैन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैण्ड (आई.एस.ए.सी./एम.यू.आई.वी.ए.एच.) एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) तथा अन्य उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्र में शांति बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) सरकार ने नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड (एसाक/मुईवा) एवं नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड (खपलांग); असम में यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सालिडरिटी, दीमा हलाम दोगाह एवं नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड; मणिपुर में कुकी नेशनल आर्गेनाइजेशन एवं यूनाइटेड नेशनल पीपुल्स फ्रंट तथा इसकी सहायिकाएं; और मेघालय में अचिक नेशनल वालंटियर कौंसिल के साथ युद्धविराम/आप्रेशन निलंबन की कार्रवाईयों की व्यवस्था कर रखी है। ऊपरी असम में मुख्य रूप से सक्रिय यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम ने भी 24 जून, 2008 को एकतरफा युद्धविराम घोषित किया है।

जहां सरकार घुसपैठिया/लड़ाकू दलों को मुख्य धारा में शामिल करने को बढ़ावा दे रही है, वहीं हिंसा एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले तत्वों के विरुद्ध निरंतर घुसपैठ-विरोधी कार्रवाईयों के माध्यम से कार्रवाई भी कर रही है। इस ओर, केन्द्र सरकार विभिन्न उपायों, जैसे कि खतरे की आशंका के आधार पर संवेदनशील संस्थाओं एवं स्थापनाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करना तथा घुसपैठ-विरोधी कार्रवाईयों में राज्य प्राधिकारियों को सहायता देने हेतु केन्द्रीय सुरक्षा बलो को तैनात करना; सीमा पर बाड़ लगाने सहित सीमा की निगरानी एवं चौकसी करना; सड़कें तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना, खुफियातंत्र की भागीदारी करना; पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बलों तथा खुफिया एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना; सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करते हुए घुसपैठ-विरोधी कार्रवाईयों के विभिन्न पहलुओं हेतु सहायता का प्रावधान करना; इंडिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बलों को तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता देना; आदि के माध्यम से क्षेत्र में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

[हिन्दी]

वाहन चोरी

3554. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित देश में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में वाहन-वार और राज्य-वार कुल कितने वाहन चुराए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने चुराए हुए वाहन वापिस मिले और कितने अपराधियों को पकड़ा गया;

(घ) क्या वाहन चोरी के मामले में दोषसिद्धी की दर बहुत ही कम हैं;

(ङ) क्या सरकार को वाहन चोरी संबंधी मामलों को न्यायालय में चलाने और वाहन चोरी के मामले में पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज न करने के संबंध में आने वाली समस्याओं के बारे में व्यक्तियों अथवा संगठनों से कोई शिकायत मिली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ड्यूटी पर तैनान अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ वाहन चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए तात्विक और प्रक्रियात्मक कानून को कड़ा बनाने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, देश में अपराध से संबंधित आंकड़ों का संकलन करता है। विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2005 से 2007 की अवधि के दौरान राज्य-वार वाहन चोरी की घटनाओं, चोरी हुए वाहनों की कुल संख्या बरामद किए गए चोरी के वाहनों की कुल संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्ष 2005 से 2007 की अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए और दोषसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण II में दी गई है। वर्ष 2005 से 2007 की अवधि के दौरान दोष सिद्धि की दर क्रमशः 41.6%, 42.03% और 43.03% रही है।

तथापि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं इसलिए अपराध निवारण, उनका पता लगाने, पंजीकरण करने और उनकी जांच-पड़ताल करने तथा अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों पर है। तथापि, संघ सरकार, अपराध निवारण के मामले को सर्वोच्च महत्व देती है इसलिए वह समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से इस बात पर बल देने के लिए कहती रहती है कि वे दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने पर और अधिक ध्यान दें और ऐसे उपाय करें जो अपराध निवारण और नियंत्रण के लिए आवश्यक हों।

(छ) और (ज) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 2005 के दौरान चोरी हुए (एस) और बरामद किए गए (आर) श्रेणी-वार मोटर वाहन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मोटर साइकल, स्कूटर		मोटर कार/ टैक्सी/जीप		बस		माल वाहक वाहन (ट्रक/ टैम्पो आदि)		अन्य मोटर वाहन		कुल मोटर वाहन	
		एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4659	2360	347	126	0	0	60	32	399	152	5465	2670
2.	अरुणाचल प्रदेश	117	32	2	1	0	0	0	0	0	0	119	33
3.	असम	551	181	247	72	1	6	134	5	24	3	957	267
4.	बिहार	1983	197	83	21	0	0	6	3	62	5	2134	226
5.	छत्तीसगढ	1426	522	83	47	0	0	0	0	110	73	1619	642
6.	गोवा	158	49	31	9	0	0	6	3	0	0	195	61
7.	गुजरात	6199	1517	629	158	55	24	35	13	180	64	7098	1776
8.	हरियाणा	3696	1227	1142	391	13	9	192	112	233	112	5276	1851
9.	हिमाचल प्रदेश	65	27	67	40	1	1	23	13	16	13	172	94
10.	जम्मू-कश्मीर	291	52	164	33	0	0	6	4	43	20	504	109
11.	झारखण्ड	476	108	251	27	2	0	8	1	36	7	773	143
12.	कर्नाटक	5073	1054	606	211	4	2	70	26	224	110	5977	1403
13.	केरल	1203	367	482	112	24	11	73	22	164	50	1946	562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	5741	1740	554	225	0	0	0	0	256	131	6551	2096
15.	महाराष्ट्र	9518	2479	2129	378	13	10	268	85	287	80	12213	3032
16.	मणिपुर	90	7	2	0	0	0	0	0	0	0	92	7
17.	मेघालय	23	4	90	14	0	0	2	2	4	0	119	20
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	170	39	71	15	0	0	0	0	7	2	248	56
20.	उड़ीसा	1525	405	51	19	0	0	7	4	43	8	1626	436
21.	पंजाब	695	319	357	147	4	5	75	26	59	26	1190	523
22.	राजस्थान	5425	1027	809	247	25	11	109	50	61	20	6429	1355
23.	सिक्किम	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	5	4
24.	तमिलनाडु	3108	2353	93	60	1	1	24	21	357	189	3583	2624
25.	त्रिपुरा	52	6	1	0	0	0	2	2	2	2	57	10
26.	उत्तर प्रदेश	5895	1292	1477	306	72	30	65	34	110	42	7619	1704
27.	उत्तराखंड	339	100	102	20	0	0	8	2	72	8	521	130
28.	पश्चिम बंगाल	2166	398	176	56	0	0	12	5	81	11	2435	470
	कुल राज्य	**60645**	**17863**	**10050**	**2738**	**215**	**110**	**1183**	**465**	**2830**	**1128**	**74923**	**22304**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	5	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6
30.	चंडीगढ़	368	129	201	64	0	0	4	3	6	5	579	201

31. दादरा और नगर हवेली	14	3	3	0	0	0	5	5	0	0	22	8
32. दमन और दीव	18	5	4	0	0	0	0	0	5	2	27	7
33. दिल्ली	4574	997	3515	784	7	4	251	52	536	412	8883	2249
34. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. पुडुचेरी	224	138	9	3	0	0	0	0	2	2	235	143
कुल संघ शासित क्षेत्र	**5203**	**1277**	**3732**	**851**	**7**	**4**	**260**	**60**	**550**	**422**	**9752**	**2614**
कुल (अखिल भारत)	65848	19140	13782	3589	222	114	1443	525	3380	1550	84675	24918

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: समन्वित वाहनों की संख्या, बरामद किए गए वाहनों की संख्या से अधिक हो सकती है क्योंकि समन्वित वाहनों की संख्या में विगत वर्ष (वर्षों) में चोरी हुए वाहनों की संख्या भी शामिल हो सकती है।

वर्ष 2006 के दौरान चोरी हुए (एस) और बरामद किए गए (आर) श्रेणी-वार मोटर वाहन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मोटर साइकल, स्कूटर		मोटर कार/ टैक्सी/जीप		बस		माल वाहक वाहन (ट्रक/ टैम्पो आदि)		अन्य मोटर वाहन		कुल मोटर वाहन	
		एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4554	1754	434	175	24	14	23	17	435	241	5470	2201
2.	अरुणाचल प्रदेश	74	22	0	0	0	0	0	0	0	0	74	22
3.	असम	674	248	409	117	4	4	108	15	210	69	1405	453
4.	बिहार	1700	275	49	21	2	0	4	4	268	12	2023	312
5.	छत्तीसगढ़	1910	630	76	39	28	18	0	0	129	47	2143	734
6.	गोवा	170	52	43	11	0	0	13	7	2	0	228	70
7.	गुजरात	6409	1437	467	118	8	3	33	11	274	78	7191	1647
8.	हरियाणा	4641	1556	1438	443	14	10	259	138	236	111	6588	2258
9.	हिमाचल प्रदेश	74	38	99	48	3	3	8	4	32	15	216	108
10.	जम्मू-कश्मीर	287	74	67	18	0	0	14	8	191	79	559	179
11.	झारखण्ड	1118	235	65	10	1	0	33	10	12	7	1229	262
12.	कर्नाटक	4808	1046	503	126	15	4	62	34	618	193	6006	1403
13.	केरल	1200	328	519	107	15	6	133	52	152	52	2019	545

14. मध्य प्रदेश	6771	1843	384	145	0	0	0	0	496	189	7651	2177
15. महाराष्ट्र	10104	3008	2252	541	46	20	267	108	145	80	12814	3757
16. मणिपुर	103	6	9	0	0	0	0	0	7	2	119	8
17. मेघालय	56	9	66	6	0	0	0	0	13	5	135	20
18. मिजोरम	37	30	24	14	1	1	1	1	5	3	68	49
19. नागालैण्ड	50	34	43	16	0	0	1	0	61	25	155	75
20. उड़ीसा	1410	508	96	35	0	0	4	3	61	10	1571	556
21. पंजाब	844	352	518	142	2	2	106	56	75	39	1545	591
22. राजस्थान	5716	1055	1035	225	24	12	91	32	111	36	6977	1360
23. सिक्किम	1	1	5	5	0	0	2	2	0	0	8	8
24. तमिलनाडु	2784	2423	131	93	0	0	17	17	77	72	3009	2605
25. त्रिपुरा	15	3	12	3	0	0	0	0	1	1	28	7
26. उत्तर प्रदेश	6571	1605	1458	390	68	36	50	23	202	75	8349	2129
27. उत्तराखंड	374	92	101	29	0	0	12	6	12	4	499	131
28. पश्चिम बंगाल	2303	304	298	92	1	0	44	14	68	18	2714	428
कुल राज्य	**64758**	**18968**	**10601**	**2969**	**256**	**133**	**1285**	**562**	**3893**	**1463**	**80793**	**24095**
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	5	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6
30. चण्डीगढ़	361	117	158	50	0	0	2	1	8	7	529	175
31. दादरा और नगर हवेली	12	7	3	1	0	0	0	0	0	0	15	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	दमन और दीव	19	3	14	4	0	0	0	0	0	0	33	7
33.	दिल्ली	4627	953	4066	620	5	1	164	10	540	476	9402	2060
34.	लक्षद्वीप	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
35.	पुडुचेरी	304	111	5	1	0	0	9	8	2	2	320	122
	कुल संघ शासित क्षेत्र	**5330**	**1197**	**4246**	**676**	**5**	**1**	**175**	**19**	**551**	**486**	**10307**	**2379**
	कुल (अखिल भारत)	70088	20165	14847	3645	261	134	1460	581	4444	1949	91100	26474

वर्ष 2007 के दौरान चोरी हुए (एस) और बरामद किए गए (आर) श्रेणी-वार मोटर वाहन*

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मोटर साइकल, स्कूटर		मोटर कार/ टैक्सी/जीप		बस		माल वाहक वाहन (ट्रक/ टैम्पो आदि)		अन्य मोटर वाहन		कुल मोटर वाहन	
		एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	5616	2499	298	149	2	2	44	29	349	168	6309	2847
2.	अरुणाचल प्रदेश	104	59	12	4	0	0	0	0	0	0	116	63
3.	असम	545	241	264	101	8	6	136	31	848	218	1801	597
4.	बिहार	1871	260	61	22	0	0	5	4	456	37	2393	323
5.	छत्तीसगढ	1684	618	99	40	0	0	0	0	150	58	1933	716
6.	गोवा	180	53	32	9	0	0	8	3	0	0	220	65
7.	गुजरात	7252	1655	508	156	22	10	33	10	204	60	8019	1891
8.	हरियाणा	4746	1498	1237	411	7	5	421	161	325	149	6736	2224
9.	हिमाचल प्रदेश	114	38	86	37	17	9	41	15	7	5	265	104
10.	जम्मू-कश्मीर	221	65	130	35	5	2	19	14	139	49	514	165
11.	झारखण्ड	1250	172	365	77	0	0	0	0	123	20	1738	269
12.	कर्नाटक	4877	1573	546	132	25	13	67	31	558	209	6073	1958
13.	केरल	1298	413	606	148	10	7	100	31	96	44	2110	643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	7864	1910	469	177	24	19	122	51	343	140	8822	2297
15.	महाराष्ट्र	11189	2961	2219	467	28	7	376	124	98	36	13910	3595
16.	मणिपुर	115	6	12	1	0	0	1	0	29	2	157	9
17.	मेघालय	45	2	15	3	0	0	12	1	21	3	93	9
18.	मिजोरम	51	29	15	10	0	0	0	0	4	2	70	41
19.	नागालैण्ड	117	21	56	9	0	0	0	0	60	5	233	35
20.	उड़ीसा	1525	381	99	50	0	0	13	3	96	24	1733	458
21.	पंजाब	1110	385	577	173	5	4	157	65	213	96	2062	723
22.	राजस्थान	6574	1170	1130	315	13	11	106	53	110	44	7933	1593
23.	सिक्किम	3	3	6	5	0	0	2	2	0	0	11	10
24.	तमिलनाडु	2545	2222	100	74	3	3	59	56	181	149	2888	2504
25.	त्रिपुरा	51	13	2	0	0	0	1	1	1	1	55	15
26.	उत्तर प्रदेश	7579	1660	1458	348	51	23	139	54	258	93	9485	2178
27.	उत्तराखंड	418	106	119	28	0	0	4	2	4	2	545	138
28.	पश्चिम बंगाल	1954	353	328	66	2	2	22	4	118	21	2424	446
	कुल राज्य	**70698**	**20366**	**10849**	**3047**	**222**	**123**	**1888**	**745**	**4791**	**1635**	**88648**	**25916**
संघ शासित क्षेत्र:													
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7

30. चण्डीगढ़	474	119	357	96	0	0	17	5	5	2	853	222
31. दादरा और नगर हवेली	16	3	1	0	0	0	2	1	0	0	19	4
32. दमन और दीव	22	5	5	2	0	0	1	0	0	0	28	7
33. दिल्ली	4641	774	3613	536	10	2	153	13	457	457	8874	1782
34. लक्षद्वीप	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
35. पुडुचेरी	478	172	11	7	0	0	6	4	3	3	498	186
कुल संघ शासित क्षेत्र	**5641**	**1082**	**3987**	**641**	**10**	**2**	**179**	**23**	**465**	**462**	**10282**	**2210**
कुल (अखिल भारत)	76539	21448	14836	3688	232	125	2067	768	5256	2097	98930	28126

*आंकड़े अनंतिम।

विवरण-II

वर्ष 2005-2007 के दौरान आटो चोरियों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, दोष सिद्ध व्यक्ति और दोष सिद्ध व्यक्तियों की दर

क्र. सं.	राज्य	2005			2006			2007*		
		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दोष सिद्ध व्यक्ति	दोष सिद्ध व्यक्तियों की दर	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दोष सिद्ध व्यक्ति	दोष सिद्ध व्यक्तियों की दर	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दोष सिद्ध व्यक्ति	दोष सिद्ध व्यक्तियों की दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	3279	1029	47.2	2532	1021	50.0	4042	1262	47.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	50	0	–	37	10	100.0	75	1	100.0
3.	असम	1649	231	44.9	1027	337	60.9	3156	216	36.4
4.	बिहार	2138	120	19.4	1974	148	20.1	2183	139	20.9
5.	छत्तीसगढ़	761	163	35.1	709	130	32.2	806	199	40.9
6.	गोवा	85	6	20.7	106	7	18.9	94	20	37.0
7.	गुजरात	2505	402	25.6	2396	160	19.9	2303	128	15.3
8.	हरियाणा	2402	809	39.8	2600	812	35.1	2683	1096	36.8
9.	हिमाचल प्रदेश	99	1	1.4	133	8	11.9	139	17	19.3
10.	जम्मू-कश्मीर	214	4	4.2	208	3	3.0	247	5	5.6
11.	झारखण्ड	427	54	50.5	444	68	11.4	492	120	36.8
12.	कर्नाटक	1466	102	10.6	1551	113	10.2	1394	163	15.1

13.	केरल	1056	280	34.1	1121	281	33.5	1040	439	46.9
14.	मध्य प्रदेश	2559	981	35.0	2820	797	41.1	3152	732	31.1
15.	महाराष्ट्र	5319	385	23.8	5579	412	25.3	5768	344	23.3
16.	मणिपुर	18	0	–	1	0	–	12	0	–
17.	मेघालय	42	4	40.0	26	3	33.3	12	2	40.0
18.	मिजोरम	0	14	70.0	38	33	100.0	65	54	96.4
19.	नागालैण्ड	90	50	100.0	69	34	68.0	45	97	85.1
20.	उड़ीसा	706	89	16.7	977	66	12.0	930	74	20.4
21.	पंजाब	780	310	49.3	1101	412	51.4	1472	487	56.2
22.	राजस्थान	2196	670	57.9	2329	679	52.0	2306	766	59.4
23.	सिक्किम	1	0	–	4	0	–	8	0	–
24.	तमिलनाडु	2807	2523	51.8	2677	2060	66.9	2558	2046	68.3
25.	त्रिपुरा	10	3	25.0	53	4	22.2	22	8	34.8
26.	उत्तर प्रदेश	3126	1525	59.0	3449	1439	57.6	3481	1444	51.3
27.	उत्तराखंड	209	107	66.5	244	144	64.0	255	155	79.9
28.	पश्चिम बंगाल	3216	21	6.7	3399	46	8.2	2521	12	4.0
	कुल राज्य	**37210**	**9883**	**40.8**	**37604**	**9227**	**41.4**	**41261**	**10026**	**42.4**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	1	9.1	10	1	100.0	4	0	–
30.	चण्डीगढ़	185	88	81.5	167	109	81.3	132	107	67.3
[illegible]	दादरा और नगर हवेली	5	[illegible]	0.0	9	2	22.2	6	0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	दमन और दीप	4	0	0.0	7	0	–	4	3	21.4
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	5936	402	54.3	6142	498	58.9	2458	562	58.9
34.	लक्षद्वीप	0	0	–	0	0	–	0	0	–
35.	पुडुचेरी	95	129	94.2	55	59	57.3	116	61	82.4
	कुल संघ शासित क्षेत्र	**6232**	**620**	**61.8**	**6390**	**669**	**61.3**	**2720**	**733**	**61.0**
	कुल अखिल भारत	43442	10503	41.6	43994	9896	42.3	43981	10759	43.3

* आंकड़े अंतरिम।

टिप्पणी: दोष सिद्ध व्यक्तियों से संबंधित सूचना में विगत वर्षों में दर्ज किए गए मामलों से संबंधित सूचना भी शामिल हो सकती है।

[अनुवाद]

विरासत शिल्प

3555. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.एस.ई. (के.मा.शि.बो.) का विचार चालू शैक्षणिक सत्र में विरासत शिल्प प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे कुछ चुनिंदा विद्यालयों में ही प्रारंभ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा-XI में चालू शैक्षिक सत्र 2008-09 से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विरासत शिल्प को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पहले ही शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) यह विषय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध और निर्धारित आधारभूत सुविधाओं वाले सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए है और इस विषय को चुनना स्कूलों पर निर्भर करता है।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना

3556. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर पिछड़े जिलों में और अधिक नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नवोदय विद्यालय कब तक स्थापित होने की संभावना है;

(ङ) क्या बालिका विद्यालयों से जुड़े वर्तमान छात्रावासों का उन्नयन करने अथवा नए छात्रावास बनाने का भी विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, अद्यतन स्थिति के अनुसार देश में 561 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में सरकार ने अभी हाल ही में 20 जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना का अनुमोदन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम को नहीं अपनाया है, इसलिए तमिलनाडु राज्य में कोई नवोदय विद्यालय नहीं है।

(घ) नवोदय विद्यालय का स्थापित किया जाना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव तथा उपयुक्त स्थान पर 30 एकड़ जमीन निःशुल्क प्रदान किए जाने पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को 3 से 4 वर्षों के लिए अथवा उस समय तक जब तक कि समिति राज्य द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्थान पर अपने स्वयं के स्थायी भवन का निर्माण करे, पर्याप्त अस्थायी आवास प्रदान करना होगा।

(ङ) और (च) सरकार ने 2578 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को संस्वीकृत किया है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	कार्यरत जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	16
4.	असम	26
5.	बिहार	38
6.	चंडीगढ़	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	दमन और दीप	4	0	0.0	7	0	–	4	3	21.4
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	5936	402	54.3	6142	498	58.9	2458	562	58.9
34.	लक्षद्वीप	0	0	–	0	0	–	0	0	–
35.	पुडुचेरी	95	129	94.2	55	59	57.3	116	61	82.4
	कुल संघ शासित क्षेत्र	**6232**	**620**	**61.8**	**6390**	**669**	**61.3**	**2720**	**733**	**61.0**
	कुल अखिल भारत	43442	10503	41.6	43994	9896	42.3	43981	10759	43.3

* आंकड़े अंतरिम।

टिप्पणी: दोष सिद्ध व्यक्तियों से संबंधित सूचना में विगत वर्षों में दर्ज किए गए मामलों से संबंधित सूचना भी शामिल हो सकती है।

[अनुवाद]

विरासत शिल्प

3555. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.एस.ई. (के.मा.शि.बो.) का विचार चालू शैक्षणिक सत्र में विरासत शिल्प प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे कुछ चुनिंदा विद्यालयों में ही प्रारंभ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा-XI में चालू शैक्षिक सत्र 2008-09 से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विरासत शिल्प को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पहले ही शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) यह विषय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध और निर्धारित आधारभूत सुविधाओं वाले सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए है और इस विषय को चुनना स्कूलों पर निर्भर करता है।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना

3556. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर पिछड़े जिलों में और अधिक नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नवोदय विद्यालय कब तक स्थापित होने की संभावना है;

(ङ) क्या बालिका विद्यालयों से जुड़े वर्तमान छात्रावासों का उन्नयन करने अथवा नए छात्रावास बनाने का भी विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, अद्यतन स्थिति के अनुसार देश में 561 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में सरकार ने अभी हाल ही में 20 जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना का अनुमोदन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम को नहीं अपनाया है, इसलिए तमिलनाडु राज्य में कोई नवोदय विद्यालय नहीं है।

(घ) नवोदय विद्यालय का स्थापित किया जाना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव तथा उपयुक्त स्थान पर 30 एकड़ जमीन निःशुल्क प्रदान किए जाने पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को 3 से 4 वर्षों के लिए अथवा उस समय तक जब तक कि समिति राज्य द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्थान पर अपने स्वयं के स्थायी भवन का निर्माण करे, पर्याप्त अस्थायी आवास प्रदान करना होगा।

(ङ) और (च) सरकार ने 2578 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को संस्वीकृत किया है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	कार्यरत जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	16
4.	असम	26
5.	बिहार	38
6.	चंडीगढ़	1

1	2	3
7.	छत्तीसगढ़	16
8.	दादरा एवं नगर हवेली	1
9.	दमन एवं दीव	2
10.	दिल्ली	2
11.	गोवा	2
12.	गुजरात	20
13.	हरियाणा	20
14.	हिमाचल प्रदेश	12
15.	जम्मू-कश्मीर	14
16.	झारखण्ड	22
17.	कर्नाटक	27
18.	केरल	14
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	48
21.	महाराष्ट्र	32
22.	मणिपुर	9
23.	मेघालय	7
24.	मिजोरम	6
25.	नागालैण्ड	11
26.	उड़ीसा	30
27.	पुडुचेरी	4
28.	पंजाब	19
29.	राजस्थान	32
30.	सिक्किम	4
31.	त्रिपुरा	4
32.	उत्तर प्रदेश	68
33.	उत्तराखण्ड	13
34.	पश्चिम बंगाल	15
	कुल	561

विवरण-II

(क) चुने गए अनुसूचित जाति बहुल दस जिले

क्र.सं.	राज्य	जिले का नाम
1.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना
2.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
3.	बिहार	गया
4.	पंजाब	अमृतसर
5.	कर्नाटक	गुलबर्ग
6.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम
7.	राजस्थान	गंगानगर
8.	झारखंड	पलामू
9.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
10.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू

(ख) चुने गए अनुसूचित जनजाति बहुल दस जिले

क्र.सं.	राज्य	जिले का नाम
1.	गुजरात	दाहोद
2.	राजस्थान	बांसवाड़ा
3.	उड़ीसा	मलकानगिरी
4.	मध्य प्रदेश	झाबुआ
5.	महाराष्ट्र	नन्दूरबार

क्र.सं.	राज्य	जिले का नाम
6.	झारखंड	पाकुर
7.	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा
8.	आंध्र प्रदेश	खम्माम
9.	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स
10.	असम	कर्बी आंगलोंग

[हिन्दी]

भारत में साक्षरता

3557. श्री महावीर भगोरा:

श्री आलोक कुमार मेहता:

एडवोकेट सुरेश कुरुप:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल निरक्षरों में से एक तिहाई भारत ही में रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो लिंगवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की साक्षरता दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या चालू अनुमान के अनुसार भारत साक्षरता के लिए तय किए गए मिलेनियम विकास लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर महिला साक्षरता के संदर्भ में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सभी के लिए शिक्षा ग्लोबल अनुवीक्षण रिपोर्ट 2009 के अनुसार भारत में 15 वर्ष तथा इससे अधिक के आयु वर्ग में भारत में साक्षरता दर 65% है। 15+ आयु वर्ग में विश्व में अनुमानित 776 मिलियन निरक्षरों में से 270.1 मिलियन भारत में है। समग्र शिक्षा विकास इंडेक्स, जिसमें प्राथमिक कुल नामांकन दर, प्रौढ़ साक्षरता दर, बालक-बालिका विशिष्ट सभी के लिए शिक्षा इंडेक्स तथा ग्रेड 5 में बने रहने की दर शामिल है, के अनुसार भारत 102वें स्थान पर है।

दशवार्षिक जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, महिला-पुरुष सहित देश में साक्षरता दर निम्नानुसार है:-

श्रेणी	व्यक्ति	पुरुष	महिला
सभी व्यक्ति	64.84	75.26	53.67
अनुसूचित जाति	54.69	66.64	41.90
अनुसूचित जनजाति	47.10	59.17	34.76

जनगणना 1991 के अनुसार वर्ष 2001 में साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है:-

श्रेणी	व्यक्ति	पुरुष	महिला
सभी व्यक्ति	12.63	11.13	14.38
अनुसूचित जाति	17.28	16.73	18.14
अनुसूचित जनजाति	17.50	18.52	16.57

, (ग) और (घ) शिक्षा के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2015 तक सभी बच्चे प्राथमिक स्कूल का पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कर सकेंगे। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक संकेतक 15 से 35 आयु वर्ग में व्यक्तियों की साक्षरता दर है। सभी के लिए शिक्षा ग्लोबल अनुवीक्षण रिपोर्ट, 2009 के अनुसार युवा साक्षरता दर (15 से 24 वर्ष) 81% है जिसमें से 86% पुरुषों की तथा 76% महिलाओं की साक्षरता दर है। साक्षर हुए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या केवल वर्ष 2011 की जनगणना के पश्चात् उपलब्ध होगी। देश में साक्षरता दर, विशेष रूप से महिला साक्षरता दर में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु उच्च शिक्षा

3558. श्री एल. राजगोपाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ.जा./अ.ज.जा. आदि के विकास के संबंध में कार्य दल रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी है कि सरकार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पी.एच.डी. में कोटा बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षा में अ.जा./अ.ज.जा. आदि जैसे वंचित समूहों की फीस का भुगतान करे और ग्यारहवीं योजनावधि में उन्हें वांछित तकनीकी और वित्तीय सहायता भी मुहैया कराए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों/बालिकाओं तथा अन्य सुविधाविहीन वर्गों की शिक्षा के विकास" के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ और अधिक निःशुल्कताएं, छात्रवृत्तियों, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, मुफ्त छात्रावास, सुविधाविहीन वर्गों के लिए संस्थाओं/छात्रावासों में सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता तथा आरक्षित वर्गों के छात्रों के लिए तकनीकी संस्थाओं में पी.एचडी. के कोटे में वृद्धि शामिल है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 15 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए सुविधाविहीन वर्गों पर विशेष महत्व दिया गया है। ऐसी संस्थाओं जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विकलांग बच्चों की संख्या अधिक है, को सहायता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बच्चों तथा बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्ति/फैलोशिप, छात्रावास सुविधाएं, उपचारी कोचिंग आदि की सहायता तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस वर्ग से संबंधित सभी स्कीमों को एक साथ कार्यान्वित करने के लिए अन्य तरीके तथा सभी विश्वविद्यालयों में 'समान अवसर कार्यालय' की स्थापना आदि तत्वों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

दवाओं का निर्यात और आयात

3559. श्री रामदास आठवले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में निर्यात की गयी और आयातित दवाओं का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी और खर्च की गयी;

(ग) क्या सरकार का विचार औषधियों और दवाओं के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में 2007-08 के दौरान विभिन्न देशों से दवाएं बड़े पैमाने पर आयात की जा रही हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त अवधि के दौरान पाटनरोधी महानिदेशक को पाटन किए गए आयातों की कितनी शिकायतें मिली हैं और प्रत्येक शिकायत पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है: और

(ज) भारतीय भेषज उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन बैठक

3560. श्री नन्दकुमार साय: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून/जुलाई, 2008 के माह में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राष्ट्रों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान चर्चा के विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिनेवा बैठक विभिन्न सदस्य राष्ट्रों के विवाद को किस सीमा तक सुलझा पाई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की एक लघु मंत्रिस्तरीय बैठक जुलाई, 2008 में जिनेवा में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 30 व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया था।

(ख) इस बैठक का उद्देश्य कृषि एवं गैर-कृषि बाजार पहुंच (एन.ए.एम.ए.) की रूपरेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करना था। इसके साथ ही साथ सेवाओं पर एक बैठक (एक "सांकेतिक" सम्मेलन) भी आयोजित किया गया था। महा निदेशक, डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा निर्धारित किया गया कार्यक्रम सभी क्षेत्रों के संबंध में दोहा दौर की वार्ताओं को वर्ष के अंत तक सम्पन्न करने के बारे में था। कृषि के संबंध में विमर्शित मुद्दों में विकसित देशों द्वारा समग्र व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में कमी, टैरिफ कटौतियां, संवेदनशील उत्पाद, विशेष उत्पाद, विकासशील देशों के लिए विशेष रक्षोपाय तंत्र आदि शामिल थे। एन.ए.एम.ए. में टैरिफ कटौती फार्मूले हेतु गुणांक, कमी रोधी खण्ड सहित विकासशील देशों के लिए लोचशीलताएं, वस्तु क्षेत्र-वार पहलें, कम वचनबद्धताओं वाले देशों के लिए विशेष सुविधा, हाल ही में सम्मिलित सदस्य (आर.ए.एम.), लघु एवं कमजोर अर्थव्यवस्थाएं (एस.वी.ई.), अल्प विकसित देश (एल.डी.सी.) आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) यह बैठक किसी मुद्दे पर कोई सहमति बने बिना समाप्त हो गई। जहां मंत्रिगण कृषि तथा एन.ए.एम.ए. दोनों में अनेक पेचीदा मुद्दों पर सहमति की दिशा में बढ़ने के लिए उत्सुक थे, वहीं अन्य अनेक मुद्दे ऐसे भी थे, जिन पर या तो कोई विचार-विमर्श ही नहीं किया जा सका या फिर लगातार मतभेदों के कारण जिन पर सहमति नहीं बन सकी। डब्ल्यू.टी.ओ. में बहुपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अब अक्तूबर, 2008 में फिर शुरू हो गई है।

एन.एस.जी. को विमान

3561. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एस.जी. को विमान मुहैया कराने का अनुरोध गत तीन वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसको लंबित रखने के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) ये विमान कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होते।

[हिन्दी]

भारत-वियतनाम व्यापार समझौता

3562. श्री गणेश सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए भारत और वियतनाम के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते का आधार क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दोनों देशों के बीच व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं आर्थिक सहयोग के संवर्धन तथा उसे सुकर बनाने के लिए भारत और वियतनाम ने दिनांक 08 मार्च, 1997 को एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस करार में मोटे तौर पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात-निर्यात के क्षेत्र; निवेश एवं तकनीकी सहयोग, आयात-निर्यात लाइसेंस एवं सीमाशुल्क; व्यावसाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान; मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी, परिवहन, पर्यटन, संचार, कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा परस्पर हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं।

शिक्षा पर व्यय

3563. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है;

(ख) क्या सरकार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वित्त वर्ष में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत खर्च सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 3.46, 3.64 (अनन्तिम) तथा 3.67 (अनन्तिम) प्रतिशत सार्वजनिक व्यय किया गया है।

(ख) से (घ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल एक विषय होने के कारण राज्य शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शिक्षा पर किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। xivीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आबंटित की गई 269873/- करोड़ रु. की राशि (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग हेतु 184930 करोड़ रु. और उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु 84943 करोड़ रु.) xiवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कुल आबंटन का 19.4 प्रतिशत है जो xवीं पंचवर्षीय योजना में 7.7 प्रतिशत था। शिक्षा हेतु केन्द्रीय योजना परिव्यय में इस प्रकार की उल्लेखनीय वृद्धि केन्द्र सरकार की ओर से शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि, इस लक्ष्य की ओर की गई समग्र प्रगति राज्य सरकार के प्रयासों पर निर्भर होती है।

[अनुवाद]

इको-क्लब

3564. श्री नवीन जिन्दल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैश्विक तापन के प्रति विद्यार्थियों को सजग बनाने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों को इको-क्लब बनाने हेतु प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षकों को जलवायु नियंत्रण तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिए कोई स्कीम तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी पाठ्यक्रम विषयों में पर्यावरणीय शिक्षा के शिक्षण को एक कोर विषय के रूप में सम्मिलित करने की सिफारिश की गई है। इको-क्लब वैश्विक तापन जैसे पर्यावरण से संबंधित विषयों के बारे में छात्रों को सजग बनाने के लिए अनुशंसित कार्यकलापों में से एक है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सम्बद्ध स्कूलों को इको-क्लबों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संबंध में लिखा है। कॉलेजों को इको-क्लब को स्थापित करने की स्वायत्तता हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने पर्यावरण शिक्षा पर शिक्षकों के लिए परियोजनाएं और अन्य शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पर्यावरण शिक्षा में कक्षा-I से VIII और कक्षा-IX के लिए शिक्षक पुस्तकाएं तैयार की हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक स्टाफ कॉलेजों के माध्यम से विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों के लिए पर्यावरण शिक्षा में प्रबोधन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

पी.एम.एफ. के लिए आसूचना एजेन्सी

3565. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को अधिक शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित अर्ध सैनिक बलों (पी.एम.एफ.) के लिए पृथक आसूचना एजेन्सी गठित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त एजेन्सी को कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) मांगी गई सूचना आसूचना तंत्र से संबंधित है और गुप्त स्वरूप की है। इसका खुलासा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

लौह-अयस्क का निर्यात

3566. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की मांग में आई कमी के कारण अगस्त 2008 के पश्चात देश से होने वाले लौह अयस्क के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में लौह अयस्क उत्पादकों ने सरकार से निर्यात शुल्क एवं मालभाड़ा दरों में कमी करने का अनुरोध किया है जिनमें पूर्व में अत्यधिक निर्यात को रोकने के लिए वृद्धि की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) अगस्त-अक्तूबर, 2007 की तुलना में अगस्त-अक्तूबर, 2008 से विभिन्न देशों को लौह अयस्क के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा लाख टन में)

देश	अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		कुल (अगस्त-अक्तूबर)		पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	
चीन	49.44	39.16	52.32	26.58	76.33	36.29	178.09	102.03	-42.71
जापान	4.10	1.36	2.50	2.03	4.19	4.73	10.79	8.12	-24.75
दक्षिण कोरिया	–	–	–	1.22	0.73	–	0.73	1.22	67.12
यूरोप	–	–	–	–	1.47	–	1.47	–	-100.00
अन्य	0.34	1.03	0.17	0.95	0.96	0.37	1.47	2.35	59.86
कुल	53.88	41.55	54.99	30.78	83.68	41.39	192.55	113.72	-40.94

टिप्पणी: सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (जी.एम.ओ.ई.ए.), कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. (के.आई.ओ.सी.एल.), एम.एम.टी.सी. लि. एवं निजी निर्यातक

(ग) जी, हां।

(घ) लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में अब दिनांक 07-12-2008 से संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार लौह अयस्क फाइन्स पर शुल्क हटा लिया गया है और अन्य ग्रेडों पर शुल्क को मूल्यानुसार घटाकर 5% कर दिया गया है।

असम हेतु इनर लाइन परमिट

3567. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर असम के लिए इनर लाइन परमिट आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त परमिट आरंभ किए जाने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में घुसपैठ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) से (ङ) बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के अंतर्गत प्रवृत्त होने वाला इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इनर लाइन के पार जाने वाले परमिट रहित भारतीय नागरिकों की आवाजाही को विनियमित करता है। इनर लाइन का निर्धारण केवल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में ही किया गया है। और अन्य राज्यों में इनर लाइन निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन परमिटों से भारतीय राष्ट्रिकों की पहचान की जांच किया जाना अपेक्षित होता है और इस प्रकार ये पूर्वोत्तर में घुसपैठ को नियंत्रित करने के अन्य उपायों के साथ किसी भी तरह संबद्ध नहीं होते।

प्रौढ़ शिक्षा योजना

3568. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इससे कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा तथा इसके तहत राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के तहत निधियों के दुरुपयोग अथवा अन्यत्र उपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को संस्वीकृत की गई राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, निधियों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को उनके स्वरूप के आधार पर या तो संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है या विभाग द्वारा उनकी अलग से जांच की जाती है। अनियमितता की गंभीरता के अनुरूप कार्रवाई की जाती है और जांच के परिणाम लम्बित रहने तक ऐसी परियोजनाओं के लिए अनुदान को आगे जारी करने पर रोक लगा दी जाती है।

विवरण-I

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या

(लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	199.19

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.76
3.	असम	29.34
4.	बिहार	113.83
5.	छत्तीसगढ़	27.91
6.	दिल्ली	4.56
7.	गोवा	0.71
8.	गुजरात	61.31
9.	हरियाणा	8.12
10.	हिमाचल प्रदेश	5.60
11.	जम्मू-कश्मीर	2.70
12.	झारखण्ड	24.90
13.	कर्नाटक	71.66
14.	केरल	16.77
15.	मध्य प्रदेश	98.66
16.	महाराष्ट्र	76.73
17.	मणिपुर	2.54
18.	मेघालय	1.66
19.	मिजोरम	0.76
20.	नागालैण्ड	1.90
21.	उड़ीसा	46.97
22.	पंजाब	10.82
23.	राजस्थान	88.07
24.	सिक्किम	0.27
25.	तमिलनाडु	82.15
26.	त्रिपुरा	5.69
27.	उत्तराखण्ड	5.36
28.	उत्तर प्रदेश	160.39
29.	पश्चिम बंगाल	117.25
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.14
31.	चंडीगढ़	0.42
32.	दादरा और नगर हवेली	0.074
33.	दमन एवं दीव	0.035
34.	लक्षद्वीप	0.01
35.	पांडिचेरी	1.11
	कुल	1269.37

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 16-10-2008 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2485.82	2200.59	2417.30	757.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.44	38.05	34.54	12.50

1	2	3	4	5	6
3.	असम	103.73	249.01	193.21	53.74
4.	बिहार	1048.37	473.73	638.26	119.98
5.	छत्तीसगढ़	387.33	716.59	384.20	365.34
6.	दिल्ली	133.87	105.37	111.86	38.76
7.	गोवा	26.80	23.19	24.48	12.50
8.	गुजरात	1121.58	333.39	432.17	132.04
9.	हरियाणा	461.88	193.88	312.06	154.49
10.	हिमाचल प्रदेश	70.02	37.67	35.62	10.00
11.	जम्मू-कश्मीर	158.96	218.29	121.40	41.32
12.	झारखण्ड	1169.97	371.57	937.66	69.29
13.	कर्नाटक	2071.06	1819.42	2529.14	231.83
14.	केरल	498.70	677.97	615.55	365.40
15.	मध्य प्रदेश	635.50	3202.16	755.82	363.54
16.	महाराष्ट्र	3314.32	1020.62	867.29	317.25
17.	मणिपुर	157.80	107.71	134.43	25.00
18.	मेघालय	33.35	157.26	47.30	19.66
19.	मिजोरम	18.73	107.79	22.65	12.35
20.	नागालैण्ड	24.97	23.93	24.13	12.45
21.	उड़ीसा	669.47	303.63	582.98	1043.23
22.	पंजाब	470.26	209.80	112.44	230.92
23.	राजस्थान	972.20	1517.23	3598.39	680.40
24.	सिक्किम	36.60	12.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	1268.76	1377.85	1105.14	136.16
26.	त्रिपुरा	31.14	82.25	39.41	16.25
27.	उत्तराखण्ड	891.64	760.01	440.48	83.65

1	2	3	4	5	6
28.	उत्तर प्रदेश	3206.66	1792.79	3096.84	1207.40
29.	पश्चिम बंगाल	2017.65	2196.71	1492.80	984.52
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	28.61	148.10	29.97	15.00
32.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	17.01	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	38.70	0.00
	जोड़	23633.20	20478.56	21176.22	7512.20

[हिन्दी]

शिक्षा का वाणिज्यिकरण

3569. श्री हरिकेवल प्रसाद:

श्री परसुराम माझी:

श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षा का तेजी से वाणिज्यिकरण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एसोसियेटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (एसोचेम) ने हाल ही में इस संबंध में सर्वेक्षण किया है तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वाणिज्यिकरण के माध्यम से शिक्षा में वृद्धि हो रही है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के वाणिज्यीकरण के विरुद्ध है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में भी शिक्षा के वाणिज्यीकरण के विरुद्ध सचेत किया है, फिर भी संस्थागत विकास हेतु जहां तक यह औचित्यपूर्ण हो, उसकी अनुमति दी जाती है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई सर्वेक्षण सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

3570. श्री शैलेन्द्र कुमार:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन/ग्लोबल वार्मिंग के कारण देश के विभिन्न भागों में अभूतपूर्व वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन/ग्लोबल वार्मिंग तथा देश में इससे हुई क्षति/प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन आरंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश के वैसे क्षेत्र कौन से हैं जहां ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन का खतरा उत्पन्न होने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी नहीं। भारी वर्षा और बाढ़ की प्रत्येक घटना को जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से नहीं जोड़ा जा सकता। परंतु भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए कुछ अध्ययनों के अनुसार भारत के पश्चिमी तट और मध्य भागों में बार-बार भारी वर्षा होने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेशन के भारत के प्रथम राष्ट्रीय संवाद (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के एक भाग के रूप में, संवेदनशीलता संबंधी मूल्यांकन और जल संसाधन, कृषि, वन, प्राकृतिक पारि-प्रणाली, तटीय क्षेत्रों स्वास्थ्य ऊर्जा तथा अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के संबंध में अध्ययन किए गए हैं। इसके अलावा, जून 2007 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा गठित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विशेषज्ञ समिति ने छः क्षेत्रों अर्थात जल संसाधन, कृषि, प्राकृतिक पारि-प्रणाली, स्वास्थ्य, तटीय क्षेत्र प्रबंधन और जलवायु मॉडलिंग पर मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन किया। इन क्षेत्रों की स्थिति संबंधी रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं।

(ङ) जलवायु परिवर्तन पर अंतर - सरकारी पैनल की वर्ष 2007 में तैयार की गई चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट से विश्व के विभिन्न प्रदेशों में विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले अनुमानित प्रभावों के बारे में जानकारी मिलती है। एशिया की रिपोर्ट से निम्नलिखित जानकारी मिलती है:

(i) हिमालय में ग्लेशियर के पिघलने की गति तेज हो सकती है।

(ii) मध्य, दक्षिण, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया में विशेषकर बड़े नदी बेसिनों में स्वच्छ जल की उपलब्धता में कमी होने की संभावना है।

(iii) तटीय क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व, एशिया के घनी आबादी वाले मेगा-डेल्टा प्रदेश संभवतः अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं।

(iv) यह संभावना है कि 21वीं सदी के मध्य तक पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया में फसल उपज 20% तक बढ़ सकती है, जबकि मध्य तथा दक्षिण एशिया में यह 30% तक घट सकती है।

(च) प्रधानमंत्री द्वारा 30, जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय कार्य योजना में सौर ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, स्थायी वास-स्थल, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली को बनाए रखना, हरित भारत, सतत कृषि तथा जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीति ज्ञान जैसे विशेष क्षेत्रों में आए मिशन निर्धारित हैं। इन आठ राष्ट्रीय मिशनों से राष्ट्रीय कार्य योजना का कोर बनता है, जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहु-विध, दीर्घावधिक तथा एकीकृत कार्यनीतियां तैयार करते हैं।

उच्च शिक्षा में निजी भागीदारी

3571. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा क्षेत्र में विशेषकर उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में नए संस्थानों की स्थापना तथा मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की निधियों के अतिरिक्त वित्त के स्रोत का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव/योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यापक विधान लाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त विधान को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर कतिपय मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत 300 नए पॉलीटेक्निक, 374 नए डिग्री कॉलेज तथा 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ज्योतिष शास्त्र तथा वैदिक कर्मकाण्डों पर पाठ्यक्रम

3572. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को ज्योतिष शास्त्र तथा वैदिक कर्मकाण्डों संबंधी पाठ्यक्रम आरंभ करने का निदेश दिया है तथा इस प्रयोजनार्थ निधियां भी आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले से ही विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के पाठ्यक्रम आरंभ किए जा चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां यह पाठ्यक्रम आरंभ किए जा चुके हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने IXवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2000-01 में विश्वविद्यालयों में ज्योतिर्विज्ञान विभाग स्थापित करने की एक स्कीम शुरू की थी। स्कीम के तहत 20 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया था तथा इनमें से प्रत्येक को 15.00 लाख रुपये का अनुदान अनावर्ती व्यय के लिए दिया गया था। इनमें से 8 विश्वविद्यालयों ने अनुदान को वापस कर दिया था और एक विश्वविद्यालय को अनुदान का उपयोग विभिन्न प्रशासनिक ब्लॉकों के कम्प्यूटरीकरण करने के लिए अनुमति दी गई थी तथा दो विश्वविद्यालयों ने अभी तक स्कीम का क्रियान्वयन नहीं किया है।

इस स्कीम को 10वीं पंचवर्षीय योजना में तथा इसके बाद जारी नहीं रखा गया।

केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में महिलाएं

3573. श्रीमती जयाप्रदा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में वर्तमान में बल-वार महिलाओं की कुल संख्या तथा प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकार को महिला और बाल विकास मंत्रालय से केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की प्रतिशतता में वृद्धि करने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का स्वापकों विनिषिद्ध पदार्थों, नकली मुद्रा नोट की तस्करी में महिलाओं की संलिप्तता के मद्देनजर तथा महिलाओं और बच्चों में देह व्यापार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर महिला प्रहरियों को तैनात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने उन सीमावर्ती क्षेत्रों की पहचान की है जहां महिला प्रहरियों को तैनात किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) सूचना निम्नलिखित सारणी में दी जा रही है:-

क्र. सं.	बल का नाम	महिलाओं की सं.	महिलाओं का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	एन.एस.जी.	43	0.58
2.	सी.आई.एस.एफ.	3999	4.1

1	2	3	4
3.	असम राईफल	521	0.80
4.	सी.आर.पी.एफ.	4117	1.56
5.	आई.टी.बी.पी.	377	0.83
6.	बी.एस.एफ.	829	0.40
7.	एस.एस.बी.	1130	2.35

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) से (छ) सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल में भर्ती महिला कार्मिकों के मुख्य कार्य तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त महिलाओं की तलाशी, जामा तलाशी और जांच करना है। उन्हें भर्ती के अनुरूप पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बंग्लादेश की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।

शिक्षा विकास सूचकांक

3574. डा. के.एस. मनोज: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एण्डमिनिस्ट्रेशन (एन.यू.ई.पी.ए.) ने शिक्षा विकास सूचकांक के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सर्वेक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की दिशा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा एक शैक्षिक विकास सूचकांक विकसित किया गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक प्रति वर्ष एकत्रित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली पर आधारित है।

शैक्षिक विकास सूचकांक को सुलभता, अवसंरचना, शिक्षक संबंधी निदर्शकों तथा प्रारंभिक शिक्षा परिणामों के चार व्यापक पैरामीटरों के आधार पर विकसित किया गया है। वर्ष 2006-07 में शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर समग्र सूचकांक आधार पर राज्य-वार रैंक संबंधी आंकड़ा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (2006-07) ने उजागर किया है कि पिछले वर्ष के दौरान पीने के पानी, शौचालय आदि सुविधाओं में सुधार हुआ है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली ने यह भी उजागर किया है कि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, नामांकन, परिवर्तन दर तथा महिला-पुरुष समानता में सुधार हुआ है।

सर्व शिक्षा अभियान को राज्यों के साथ भागीदारी से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है जिसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा को सुलभ बनाना है।

विवरण

शिक्षा विकास सूचकांक - राज्य रैंकिंग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समग्र सूचकांक रैकिंग (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक)
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11
आन्ध्र प्रदेश	12
अरुणाचल प्रदेश	32
असम	31
बिहार	35
चंडीगढ़	5
छत्तीसगढ़	27
दादरा और नगर हवेली	25
दमन और दीव	18
दिल्ली	3
गोवा	16

1	2
गुजरात	9
हरियाणा	20
हिमाचल प्रदेश	6
जम्मू-कश्मीर	17
झारखण्ड	34
कर्नाटक	8
केरल	1
लक्षद्वीप	7
मध्य प्रदेश	30
महाराष्ट्र	10
मणिपुर	21
मेघालय	28
मिज़ोरम	14
नागालैण्ड	23
उड़ीसा	29
पुडुचेरी	2
पंजाब	15
राजस्थान	22
सिक्किम	13
तमिलनाडु	4
त्रिपुरा	24
उत्तर प्रदेश	26
उत्तराखण्ड	19
पश्चिम बंगाल	33

ई.डी.आई. 2006-07

उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी

3575. श्री रामजीलाल सुमन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमानों पर विचार करने के लिए गठित जे.के. चड्ढा समिति ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यलयों में शिक्षकों की कम संख्या में भर्ती पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कितने शिक्षकों की कमी है;

(ग) क्या उक्त कमी के कारण शिक्षा के मानक प्रभावित हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त कमी को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) प्रोफेसर जी.के. चड्ढा की अध्यक्षता में गठित वेतन समीक्षा समिति द्वारा अकादमिक सत्र 2007-08 के संबंध में किए गए 47 विश्वविद्यालयों के नमूना अध्ययन के अनुसार विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर तथा लेक्चरर के रिक्त पदों की स्थिति इस दौरान निम्न प्रकार थी:

	कुल संस्वीकृत पदों की संख्या	कुल भरे हुए पदों की संख्या	कुल रिक्त पदों की संख्या	पदों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
प्रोफेसर	2469	1367	1102	44.63

1	2	3	4	5
रीडर	4506	2194	2312	51.31
लेक्चरर	9604	4503	5101	53.11
कुल	16579	8064	8515	51.36

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से बार-बार खाली पदों को भरने का आग्रह किया है क्योंकि ऐसे रिक्त पदों से शिक्षा के स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दिनांक 23-24 जुलाई, 2008 को आयोजित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सभी संकायों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना बनाने पर सहमत हुए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समय-समय पर बैक-लॉग पदों विशेष तौर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पदों को भरने की सलाह दी गई है। सरकार ने भी अध्यापकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि अध्यापन व्यवसाय में प्रतिभावान लोगों को आकर्षित किया जा सके तथा उन्हें बनाए रखा जा सके।

वास्तुकला विद्यालय

3576. श्री सर्वे सत्यनारायणः

श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वास्तुकला विद्यालय स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है तथा इसके लिए अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने दो आयोजना और वास्तुकला विद्यालय स्थापित करने को अनुमोदित कर दिया है जिसमें से एक विद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश (मध्य क्षेत्र) में तथा दूसरा विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश (दक्षिण क्षेत्र) में स्थित होगा।

एम.एस.एम.ई. के तहत सामान तथा सेवाएं

3577. श्री के.एस. रावः क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी विभागों तथा एजेन्सियों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) से खरीदे गए सामान एवं प्राप्त की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) एम.एस.एम.ई. से उत्पादों की खरीद हेतु वर्तमान प्रणाली एवं उक्त खरीद को प्रभावित करने वाली बाध्यताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी विभागों तथा एजेन्सियों, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को प्रमात्रा के संबंध में न्यूनतम एम.एस.एम.ई. खरीद करने हेतु निदेश देने के लिए नई खरीद नियम पुस्तिका जारी करने तथा चूककर्ताओं को दण्डित करने के लिए दण्डात्मक उपबंधों सहित निर्धारण करने के लिए नई नीति को अंतिम रूप देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम.एस.ई.) से सरकारी अभिकरण अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप मदों की नियमित खरीद करते हैं। खरीद नीति एवं प्रक्रिया हेतु आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डी.जी.एस. एंड डी.) सरकार की नोडल एजेंसी है। डी.जी.एस. एंड डी. द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2007-08 के दौरान विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा डी.जी.एस. एंड डी. संविदाओं के मुकाबले की गई खरीद का मदवार मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विद्यमान दिशा-निर्देशों के तहत, सरकारी अभिकरणों द्वारा एम.एस.ई. से विशिष्ट खरीद हेतु 358 मदें आरक्षित हैं। इसके अलावा अपनी एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) में पंजीकृत एम.एस.ई. विभिन्न सुविधाओं अर्थात निःशुल्क टेंडर सेट

जारी करना, बकाया डिपाजिट के भुगतान से छूट, सिक्यूरिटी डिपाजिट से छूट तथा बड़ी इकाइयों के कोटेशन पर 15% तक कीमत अधिमान के लिए पात्र हैं। चूंकि ये दिशा-निर्देश सांविधिक नहीं हैं, अतः एम.एस.एम.ई. मंत्रालय को इनके अनुपालन न किए जाने के संबंध में एम.एस.ई. से प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) और (घ) एम.एस.ई. को उनके उत्पादों के विपणन में सहायतार्थ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 11, सरकार (केन्द्र एवं राज्य दोनों) को एम.एस.ई. द्वारा उत्पादित/प्रस्तुत माल/सेवाओं की अधिमान्य खरीद के लिए नीतियां निर्धारित करने में समर्थ बनाती है। तदनुसार, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने एम.एस.ई. के लिए नई अधिप्राप्ति वरीयता नीति बनाने के लिए आवश्यक कदम प्रारंभ कर दिए हैं।

विवरण

विस्तृत मद समूह द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान डी.जी.एस. एंड डी. द्वारा एम.एस.ई. को दिए गए आर्डरों के मूल्य

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मदों के विस्तृत समूह	2007-08
1.	वस्त्र	252
2.	बिजली की मशीनरी, उपस्कर, उपकरण इत्यादि	386
3.	(पैट्रोलियम और कोयला उत्पादों सहित) गैर धात्विक खनिज उत्पाद	15
4.	रसायन और रसायनिक उत्पाद	170
5.	(बिजली की मशीनरी इत्यादि के अलावा) धात्विक उत्पाद	12
6.	परिवहन उपकरण	9
7.	(बिजली की मशीनों के अलावा) मशीनरी	119
8.	कागज और कागज उत्पाद	4
9.	(रबड़ फुटवियर) के अलावा फुटवियर	15
10.	चिकित्सा भंडार एवं वैज्ञानिक उपकरण	12
11.	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	8
12.	रबड़ और रबड़ उत्पाद	4
13.	विविध उद्योग	21
	कुल	1027

केरल में ए.एम.यू. केन्द्र स्थापित करना

3578. श्री पी.सी. थामस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से सच्चर समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के संदर्भ में केरल राज्य में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार द्वारा इसके लिए स्थान व भूमि की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति (फातमी समिति) की रिपोर्ट के भाग के क्रियान्वयन के रूप में केरल सरकार ने उत्तरी केरल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक बाह्य परिसर केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुरोध किया है। जबकि राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए मलापुरम जिले के एरनाड तालुक में 200 एकड़ भूमि अभिनिर्धारित कर ली है तथापि, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से कम से कम 250 एकड़ भूमि अभिनिर्धारित करने तथा भूमि के विवरण सहित सहमति पत्र भेजने का अनुरोध किया है। इस प्रस्तावित बाह्य परिसर केन्द्र की स्थापना संसाधनों की उपलब्धता तथा जरूरी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने अर्थात प्रस्ताव का व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकन करने तथा इसके बाद मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से संबंधी समिति के अनुमोदन तथा विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में राष्ट्रपति के अनुमोदन की शर्त के अधीन है। सरकार ने तद्नुसार विश्वविद्यालय से स्थल विशिष्ट व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इत्यादि तैयार करने का अनुरोध किया है।

के.जी.बी.वी. का उन्नयन

3579. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का माध्यमिक स्तर तक उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितना आबंटन निर्धारित किया गया है; और

(घ) इन विद्यालयों का कब तक उन्नयन किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी, नहीं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों, विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसरों में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों हेतु 100 की क्षमता वाले 3,500 बालिका छात्रावासों की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चालू वर्ष (2008-09) में शुरू की गई है। इस स्कीम हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2,000 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं तथा 2008-09 के लिए बजट में 80 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

लघु उद्योगों की विकास दर

3580. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान लघु उद्योगों की विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में लघु उद्योगों की लक्षित विकास दर को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) वर्तमान योजना अवधि के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर परिकल्पित की गई है। एम.एस.एम.ई. के लिए तय की गई वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए की गई पहलों में अन्य के साथ-साथ निम्नोक्त शामिल है:-

(i) इस क्षेत्र के क्रेडिट प्रवाह को पांच वर्ष की अवधि के भीतर दुगुना करने के उद्देश्य से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को क्रेडिट संबंधी बढ़ावा दे के लिए नीति पैकेज;

(ii) एम.एस.एम.ई. के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) विधेयक, 2006 का अधिनियमन;

(iii) एम.एस.ई. क्षेत्र के सम्पूर्ण एवं समन्वित विकास के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता प्रदान करना;

(iv) एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की प्रौद्योगिकी, विपणन एवं कौशल उन्नयन संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एन.एस.सी.पी.) की शुरुआत करना;

(v) एम.एस.ई. के संवर्धन के लिए एक पैकेज का कार्यान्वयन जिसमें एम.एस.ई. के संवर्धन और विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले प्रस्ताव/योजनाएं शामिल हैं।

पुलिस स्टेशनों के लिए कम्प्यूटर सुविधा

3581. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली सहित देश में सभी पुलिस स्टेशनों में इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यवार कुल कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सभी पुलिस स्टेशनों में यह सुविधा मार्च 2010 से पूर्व ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ग) योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में उपयोग किए जाने के लिए 2000/-करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया है। राज्य-वार आवंटन का आकलन अभी तक नहीं किया गया है।

एन.आई.वी.ई.टी. तथा आई.पी.सी.ए.टी. की स्थापना

3582. श्री अनवर हुसैन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग (एन.आई.वी.ई.टी.) तथा इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कम्पीटेंसी एण्डवासमेंट आफ टीचर्स (आई.पी.सी.ए.टी.) स्थापित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सृजित किए जाने वाले तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों की संख्या कितनी है तथा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की प्रकृति क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा-5, जिसमें विश्वविद्यालय की शक्तियां निर्धारित की गई हैं, इसे संस्थान को स्थापित करने का अधिकार नहीं देती है। तथापि इस धारा में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के लिए व्यवस्था है जिसे समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लागत एवं ब्याज की दर पर सी.आई.आई. सर्वेक्षण

3583. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय उद्योग महापरिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लागत एवं ब्याज की दर में वृद्धि के कारण परियोजनाओं के प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान परिदृश्य में लागत में वृद्धि हेतु पृथक रूप से निधियां आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) लागत वृद्धि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत को वहन करने के संबंध में वर्तमान मानदण्ड तथा नियम क्या हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) सी.आई.आई. सर्वेक्षण के अनुसार, अवसंरचना कम्पनियों/विकासकर्ताओं को ब्याज दर और अन्य निवेशों में वृद्धि होने के कारण लागत में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

(ग) से (च) सरकार ने सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की शुल्क दरों में कमी करके तथा यौक्तिकरण के द्वारा तथा उदार विदेशी व्यापार व्यवस्था के माध्यम से प्रतियोगी मूल्यों पर निवेश तक बेहतर पहुंच आदि के द्वारा निवेशों की लागत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने पात्र अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने के लिए चालू वर्ष में करमुक्त बॉण्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कम्पनी लिमिटेड (आई.एफ.सी.एल.) को अधिकृत करके 7 दिसम्बर, 2008 को अवसंरचना वित्तीयन हेतु वृहद पैकेज की भी घोषणा की है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर, स्टेच्युटरी लिक्विडिटी रेश्यो (एस.एल.आर.), कैश रिजर्व रेश्यो (सी.आर.आर.) आदि में कमी करके उद्योग के लिए ऋण की लागत में कमी लाने तथा तरलता में सुधार करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों का दाखिला

3584. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण डाक सेवकों के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने सूचना और संचार मंत्रालय के तहत (तदर्थ/संविदा आधार पर नियुक्त किए गए) ग्रामीण डाक सेवकों के बच्चों को वर्ष 2009-10 के शैक्षिक सत्र से केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला प्रदान करने के लिए श्रेणी II के रूप में (केन्द्र सरकार के अस्थानांतरणीय कर्मचारियों की तरह) स्वीकार करने का निर्णय लिया है बशर्ते वे दाखिला दिशा-निर्देशों की निबंधन और शर्तों को पूरा करते हों।

आई.टी.बी.पी. के कार्मिकों की संख्या में वृद्धि

3585. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी संस्थापनाओं को खतरे के मद्देनजर भारतीय तिब्बत-सीमा पुलिस के कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई.टी.बी.पी. के कार्मिकों की संख्या में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) भारत तिब्बत सीमा पुलिस सीमा की रक्षा करने वाला बल है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संवेदनशील सरकारी संस्थापनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा करने के प्रति समर्पित है। हाल ही में सरकार ने इसकी नफरी की अधिकतम सीमा को 2011 तक बढ़ाकर 1,45,000 किए जाने का अनुमोदन किया है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) वार्ताएं

3586. श्री नन्द कुमार साय: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ कामर्स ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) वार्ताओं के संबंध में भारत के दृष्टिकोण पर प्रतिकूल टिप्पणी की है, जैसाकि दिनांक 11 जून, 2008 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को अमरीकी प्राधिकारियों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) जी, हां। खबर के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य अवर सचिव ने कथित रूप से भारत पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में व्यापार वार्ताओं के दोहा दौर को निष्फल करने के प्रयासों का आरोप लगाया है। तथापि, वास्तविकता यह है कि दोहा दौर विकास का दौर है और उसके परिणाम में व्यापार उदारीकरण एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं के बीच संतुलन होना अपेक्षित है। विकासशील और अल्प विकसित देशों की आवश्यकताएं तथा हित दोहा कार्यक्रम का केन्द्र हैं। वार्ताओं में भारत के लिए मुख्य प्राथमिकता विकासशील देशों को अपने कम आय वाले और संसाधनहीन हीन कृषकों, नवोदित एवं कमजोर उद्योगों के हितों की रक्षा एवं संवर्धन में सक्षम बनाते हुए विकसित देशों द्वारा कृषि में घरेलू सहायता एवं टैरिफों में पर्याप्त तथा कारगर कमी करना है। वार्ताओं के दौरान भारत का दृष्टिकोण निरंतर यही रहा है।

गैर-कृषि बाजार पहुंच (एन.ए.एम.ए.) पर भारत ने अपनी वचनबद्ध दरों में पर्याप्त कटौती करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है बशर्ते विकसित देश भी ऐसी ही इच्छा व्यक्त करें। कमी संबंधी वचनबद्धताओं में पूर्ण से कम पारस्परिकता (एल.टी.एफ.आर.) के अधिदेश को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। टैरिफ में इन कटौतियां की वचनबद्धता द्वारा भारत वास्तविक बाजार पहुंच या अपनी लागू दरों में कटौतियां भी प्रदान करेगा। हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र के अधिदेश के अनुसार यह भी इंगित किया गया है कि वस्तु क्षेत्र-वार पहलों में भागीदारी परिणाम के प्रति किसी पूर्वानुमान के बिना गैर-अनिवार्य और सदाशयता पर आधारित होनी चाहिए।

अर्द्ध-सैन्य बल के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव

3587. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध-सैन्य बल (सी.पी.एम.एफ.) से सी.पी.एम.एफ. के आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि 3741.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की 2002-2007 की अवधि के लिए एक पंचवर्षीय आधुनिकीकरण योजना का सी.एस.एस. ने फरवरी, 2002 में पहले ही अनुमोदन कर दिया है। सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) को छोड़कर अन्य सभी सी.पी.एम.एफ. से सरकार द्वारा अनुमोदित अपनी आधुनिकीकरण योजना को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था। सरकार ने सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) के लिए 2005-2008 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए 444.33 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक आधुनिकीकरण योजना का अलग से अनुमोदन किया है। केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत निधियों का पूर्णतया उपयोग करने के लिए सी.सी.एस. ने उक्त आधुनिकीकरण योजना को मार्च 2010 तक बढ़ाने का अनुमोदन दे दिया है।

एन.आई.ई.पी.ए. का सुझाव

3588. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसी भी छात्र को दसवीं कक्षा तक अनुतीर्ण न किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन (एन.आई.ई.पी.ए.) संस्थान द्वारा नवंबर 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए गए सुझाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान,

जिसे अब राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ने श्री राकेश गोयल तथा अन्य बनाम मोंटफोर्ड स्कूल तथा अन्य एल.पी.ए. याचिका (सिविल) संख्या 196/2004 के मामले में दिनांक 29-10-2004 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक शपथपत्र दायर किया था। शपथपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"xxxx की कम उम्र में, बच्चों को व्यर्थ होड़ में नहीं पड़ने देना चाहिए तथा इस प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से केवल तभी बचा जा सकता है जब यह सुनिश्चित किया जाए कि 10वीं कक्षा सहित उस स्तर तक किसी भी कक्षा में किसी छात्र को कभी अनुत्तीर्ण नहीं किया जाए xxxx"।

(ग) सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु उपर्युक्त सुझावों को नोट कर लिया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन तकनीकियों का समर्थन किया है जिससे कि शिक्षार्थियों के अध्ययन की गति हेतु समुचित अवसर मिल सकता है, कक्षा v तक उत्तीर्ण-अनुतीर्ण को समाप्त करने तथा इसे चरणबद्ध तरीके से कक्षा vi-viii तक बढ़ाने की वकालत की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में सिफारिश की गई है कि उत्तीर्ण-अनुतीर्ण शब्दावली को हटाया जाए तथा पर्याप्त दक्षता की कमी को 'पुनः-परीक्षा'; अथवा पुनः परीक्षा में बैठने अथवा पुनः परीक्षा देने जैसे शब्दों से दर्शाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर इस मामले को राज्य शैक्षिक बोर्डों के साथ अपने सम्मेलनों में उठाया है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का विकास

3589. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में लघु उद्योगों की वृद्धि दर क्या है;

(ख) क्या बड़े और मध्यम उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा लघु उद्योगों के विकास एवं इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) आधार वर्ष 2001-02 के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम.एस.ई.) क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन के संशोधित सूचकांक के आधार पर वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के उत्पादन की विकास दर क्रमशः 10.9%, 12.3% तथा 12.6% रही है। चूंकि, विकास दर तैयार करने में लगभग छः से नौ महीने की देरी हुई है, वर्ष 2007-08 तथा वर्तमान वर्ष के विकास दर संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। राज्यवार सूचना केंद्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन तथा विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की होती है। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए तथा इस दिशा में उनके प्रयासों के अनुपूरण के लिए केन्द्र सरकार लघु उद्योगों के संवर्धन तथा विकास के लिए अनेक योजनाएं/कार्यक्रम (i) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से क्रेडिट की उपलब्धता को सुगम बनाने, (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, एकीकृत आधारभूत संरचना विकास तथा क्लस्टरों के व्यापक आवश्यकता आधारित विकास के लिए सहायता तथा (iii) उद्यमिता विकास के द्वारा कार्यान्वित करती है।

इसके अलावा, सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के संवर्धन तथा विकास को सुगम बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.) अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी हुआ है। सरकार ने हाल ही में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दिनांक 31-3-2008 तक संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) नामक दो योजनाओं को एकीकृत करके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक नवीन क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम भी शुरू किया है।

[अनुवाद]

कारागारों में संयुक्त राष्ट्र के विनिर्देश

3590. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) ने कारागारों के लिए कोई नये मानक एवं विनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के कारागारों के लिए नये मानक अपनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के कारागारों में इन मानकों/विनिर्देशों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी नहीं।

तथापि, कैदियों की विवेचना संबंधी संयुक्त राष्ट्र की मानक न्यूनतम नियमावली 1955 में कैदियों के व्यवहार एवं दण्ड विषयक संस्थाओं के प्रबंधन के बारे में प्रावधान किया गया है।

(ग) से (ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अन्तर्गत "कारागार" राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन राज्य सरकारों का दायित्व है। भारत सरकार ने भारत में कारागारों के पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन के लिए 2003 में आदर्श कारागार नियमावली तैयार की है। नियमावली में कारागार प्रबंधन की विभिन्न पहलुओं पर मानक/मानदण्ड निहित हैं जिसमें कैदियों की विवेचना संबंधी संयुक्त राष्ट्र की मानक न्यूनतम नियमावली 1955 के आधार पर विभिन्न प्रकार के कारागारों के विनिर्देश शामिल हैं। स्थानीय परिस्थितियों एवं स्थलगत स्थितियों के आधार पर उपयुक्त संशोधनों के साथ इसे अपनाए जाने के लिए 2003 में समस्त राज्यों/संघशासित प्रदेशों को परिचालित कर दिया गया। राज्य सरकारों द्वारा इसे शामिल किए जाने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विश्वविद्यालयों में पत्तन प्रबंधन पाठ्यक्रम

3591. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सौराष्ट्र विश्वविद्यालय और साऊथ गुजरात विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पत्तन प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पत्तन प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है; और

(ङ) इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) केन्द्र/राज्य विश्वविद्यालय तथा सम-विश्वविद्यालयों का दर्जा प्राप्त करने वाली संस्थाएं ऐसे सभी पाठ्यक्रम जिन्हें संबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थाओं के समुचित निकायों द्वारा उचित समझा गया हो, शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि संबद्ध "डिग्री" वह डिग्री होनी चाहिए जिसे केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

सौराष्ट्र विश्वविद्यालय तथा वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, पोर्ट प्रबंधन विषय में डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है जबकि वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय का इस पाठ्यक्रम को शुरू करने का कोई विचार नहीं है। चूंकि ये विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय हैं अतएव ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में राज्यों के निर्णय के बारे में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अतएव इस संबंध में कोई समय-सीमा बताई नहीं जा सकती।

टूना मछली को पकड़ना

3592. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्ताव किया है कि देश में पंजीकृत जलयानों को ही भारतीय समुद्रों में टूना पकड़ने की अनुमति दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर विभिन्न लोगों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी जलयानों को टूना मछली पकड़ने का अनुमति-पत्र देने की मौजूदा पद्धति को जारी रखने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या घरेलू टूना मछुवारे और प्रसंस्करणकर्ता विदेशी जालयानों द्वारा भारतीय समुद्र से टूना पकड़ने के खिलाफ हैं तथा क्या उन्होंने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। केवल भारत में पंजीकृत जलयानों को ही भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी जा रही है। वर्तमान में 21 भारतीय कम्पनियों के 86 संसाधन विशिष्ट गहरे सागर मत्स्यन जलयानों को कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय ई.ई.जेड. में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है।

(ग) केवल भारतीय कम्पनियों को ही भारत में पंजीकृत जलयानों के लिए अनुमति पत्र (एल.ओ.पी.) जारी किए जा रहे हैं।

(घ) अखिल भारत मात्स्यिकी उद्योग (ए.आई.एफ.आई.) विशाखापत्तनम से एल.ओ.पी. प्राप्त जलयानों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, एल.ओ.पी. प्राप्त जलयान विदेशी जलयान नहीं है।

(ङ) और (च) गहरे सागर मत्स्यन जलयानों के प्रचालन हेतु दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा उप महानिदेशक (मात्स्यिकी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारतीय गंभीर सागर मत्स्यन उद्योग एसोसिएशन विशाखापत्तनम को भी विशेषज्ञ दल की एक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। विशेषज्ञ दल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को अब प्रस्तुत कर दी है।

असम में आई.एस.आई. की गतिविधियां

3593. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर असम में इन्टर-सर्विसेज इंटेलिजेन्स (आई.एस.आई.) की बढ़ रही गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में आई.एस.आई. के कितने एजेन्ट पकड़े गए;

(घ) क्या असम सरकार ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) समय-समय पर प्राप्त इनपुटों से यह संकेत मिलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय कुछ भूमिगत/विप्लवकारी संगठनों के पाक अंतर-सेवा आसूचना (आई.एस.आई.) के साथ संपर्क हैं और आई.एस.आई. उन्हें संभारतंत्र संबंधी सहायता एवं प्रशिक्षण आदि देकर सहायता करती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आई.एस.आई. के एक प्रचालक को असम में 2005 में 5 अन्य संदिग्ध अभियुक्तों के साथ, जासूसी करते गिरफ्तार किया गया था।

[हिन्दी]

शिक्षण कक्षों की कमी

3594. **श्री महावीर भगोरा:**

श्री सुभाष महरिया:

श्री राकेश सिंह:

श्री श्रीचन्द कृपलानी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षण कक्षों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन

विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणात्मकता में सुधार करने हेतु कोई योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं तथा वित्तपोषण पद्धति क्या है;

(ङ) क्या 'सर्व शिक्षा अभियान' के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) शिक्षा एक समवर्ती विषय है और अधिकांश माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना का प्रस्ताव किया गया है जिसका उद्देश्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच लागत साझेदारी के माध्यम से अतिरिक्त कक्षाकक्षों सहित अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है। इस प्रस्ताव में मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों को सुदृढ़ बनाकर और नए माध्यमिक विद्यालय स्थापित करके प्रत्येक बस्ती से एक उचित दूरी के भीतर एक-एक माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था करके माध्यमिक शिक्षा की सुलभता में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। इस योजना का औचित्य सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा की अतिरिक्त मांग को पूरा करना है।

[अनुवाद]

आतंक के साधन के रूप में मोबाइल

3595. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री रूपचन्द मुर्मू:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना किसी इन्टरनेशनल मोबाइल स्टेशन इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटीज (आई.एम.ई.आई.) के चीन के मोबाइल फोन हैण्डसेट की उपलब्धता और मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा फर्जी पतों के कारण ये मोबाइल आतंक के नये साधन बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार विभाग को जारी दशानिर्देशों सहित अन्य क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) इंटरनेशनल मोबाइल स्टेशन इक्विपमेंट आइडेन्टिटीज (आई.एम.ई.आई.) संख्या न प्रदर्शित करने वाले और जाली पतों पर हासिल किए गए चाईनीज मोबाइल फोन हैंडसेटों से गंभीर सुरक्षा जटिलताएं हो रही है। दूर-संचार विभाग ने सभी एक्सेस सर्विस प्रोवाइडरों से इक्विपेंट आइडेन्टिटी रजिस्टर (ई.आर.आर.) का प्रावधान करने का अनुरोध किया है ताकि इंटरनेशनल मोबाइल स्टेशन इक्विपमेंट आइडेन्टिटीज (आई.एम.ई.आई.) अथवा इलैक्ट्रोनिक सीरियल नम्बर अथवा सभी शून्यों के साथ आई.एम.ई. या ई.एस.एन. संसाधित न हो सकें और अस्वीकृत हो जाएं।

[हिन्दी]

सीमेंट का उत्पादन और खपत

3596. श्री रामजीलाल सुमन:
श्रीमती करूणा शुक्ला:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्रीमती पी. सतीदेवी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में राज्य-वार और संयंत्र-वार सीमेंट उत्पादक संयंत्रों/कंपनियों की उत्पादन क्षमता, मांग और उनके द्वारा अर्जित लाभ क्या है;

(ख) क्या सीमेंट की मांग गत वर्ष की तुलना में अधिक है जिसके कारण सीमेंट के मूल्य में बहुत वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में सीमेंट का उत्पादन मांग के अनुरूप है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) अक्तूबर, 2008 तक सीमेंट उत्पादक संयंत्रों में सीमेंट के भंडारण की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सीमेंट के मूल्य में वृद्धि को रोकने और काले बाजार में सीमेंट की बिक्री को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) संयंत्रवार क्षमता तथा प्रेषण संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है। सीमेंट कम्पनियों द्वारा अर्जित किये गये लाभ के संबंध में कोई आकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (च) इस समय सीमेंट उद्योग कम मांग होने के कारण 85 प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर रहा है। सीमेंट की कीमतें जनवरी-अक्तूबर 2008 के दौरान स्थिर रही हैं, जो उस अवधि में 3.46 प्रतिशत की साधारण बढ़ोतरी को दर्शाता है। यह विभाग कम्पनियों द्वारा अर्जित किये गये लाभ संबंधी आंकड़े नहीं रखता है।

(छ) सीमेंट और क्लिंकर का 31-10-2008 को अन्तिम स्टॉक क्रमशः 1.63 मिलियन टन और 6.05 मिलियन टन था।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(000' टन)

क्षेत्र/राज्य/ संयंत्र	2005-2006			2006-2007			2007-2008			2008-2009 (अप्रैल-नवम्बर)		
	प्रतिष्ठापित क्षमता	सीमेंट उत्पादन	सीमेंट प्रेषण	प्रतिष्ठापित क्षमता	सीमेंट उत्पादन	सीमेंट प्रेषण	प्रतिष्ठापित क्षमता	सीमेंट उत्पादन	सीमेंट प्रेषण	प्रतिष्ठापित क्षमता	सीमेंट उत्पादन	सीमेंट प्रेषण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी क्षेत्र												
उत्तराखण्ड												
अम्बुजा सीमेंट-रुड़की जी				–	–	–	1000.00	226.59	229.40	1000.00	411.16	402.60
उत्तराखण्ड				**–**	**–**	**–**	**1000.00**	**226.59**	**229.40**	**1000.00**	**411.16**	**402.60**
हरियाणा												
चरखी दादरी	172.00	–	–	172.00	–	–	172.00	–	–	172.00	–	–
जे.पी.-पानीपत (जी)				–	–	–	1000.00	47.29	39.78	1000.00	385.08	388.13
ग्रासिम-पानीपत (जी)		–	–	–	–	–	1300.00	2.32	1.01	1300.00	136.92	131.65
हरियाणा	**172.00**	**–**	**–**	**172.00**	**–**	**–**	**2472.00**	**49.61**	**40.80**	**2472.00**	**522.00**	**519.78**
पंजाब												
अम्बुजा सीमेंट-रोपड़ (जी)	2500.00	2672.11	2675.63	2500.00	2831.96	2834.00	2500.00	2788.21	2786.46	2500.00	1693.17	1684.78
अम्बूजा सीमेंट भटिण्डा जी	500.00	570.74	577.60	500.00	582.02	580.10	500.00	608.52	611.56	500.00	371.56	361.79

ग्रासिम-भटिण्डा (जी)	1200.00	1214.77	1214.23	1200.00	1240.50	1244.05	1750.00	1330.70	1324.07	1750.00	751.80	751.09
पंजाब	4200.00	4457.62	4467.46	4200.00	4654.48	4658.15	4750.00	4727.43	4722.08	4750.00	2816.52	2797.66
राजस्थान												
लखेरी	600.00	715.45	716.77	600.00	652.88	652.20	1500.00	907.06	901.82	1500.00	826.71	825.70
बरिला एंड चन्देरिक	2000.00	2308.11	2309.03	2000.00	2412.63	2402.37	2000.00	2512.21	2516.58	2000.00	1572.92	1558.12
मंगलम सीमेंट	400.00	548.08	549.46	400.00	522.76	524.25	500. 00	511.30	506.43	1000.00	387.52	386.73
नेरश्री सीमेंट	600.00	1062.32	1065.92	600.00	894.00	889.95	1000.00	995.79	997.84	1000.00	679.53	679.94
अदित्या सीमेंट	1750.00	1731.48	1724.93	1750.00	1878.82	1880.85	1800.00	2126.70	2132.74	1800.00	1448.71	1444.57
निम्बाहेरा एंड मंगलोर	3550.00	3511.02	3511.11	4050.00	3638.79	3636.79	4050.00	3690.73	3686.37	4050.00	2382.81	2370.27
लक्ष्मी सीमेंट	2230.00	2663.46	2675.35	3400.00	2845.70	2839.88	3400.00	3422.13	3418.32	3400.00	2334.60	2324.00
जे.के. उदयपुर उद्योग	900.00	–	–	900.00	–	–	900.00	–	–	900.00	–	–
अम्बूजा सीमेंट राबिरियावासा	1800.00	1773.27	1782.55	1800.00	1699.40	1703.80	1800.00	1844.31	1845.63	1800.00	1199.71	1177.11
श्री सीमेंट	4500.00	3219.95	3204.67	4500.00	4799.31	4804.44	9100.00	6337.48	6339.00	9100.00	4755.14	4729.74
बिनानी सीमेंट-सिरोही	2200.00	2313.02	2335.43	2200.00	2428.36	2409.43	4600.00	2958.44	2961.19	4600.00	2466.19	2450.35
श्रीराम सीमेंट	200.00	393.63	393.07	200.00	369.25	369.66	200.00	368.97	368.90	200.00	248.81	244.33
जे.के. गोटन	–	–	–	100.00	2.04	2.02	100.00	75.13	75.03	470.00	70.64	70.52
बिनानी सीमेंट सीकर (जी)				–	–	–	1400.00	–	–	1400.00	133.25	128.18
राजस्थान	20730.00	20239.77	20268.29	22500.00	22143.93	22115.63	32350.00	25750.25	25749.84	33220.00	18506.54	18389.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हिमाचल प्रदेश												
गागल-I और II	3516.00	3466.95	3486.49	4400.00	3744.24	3726.70	4400.00	4162.60	4185.99	4400.00	2548.49	2533.14
राजबन	200.00	[illegible]	196.39	200.00	191.00	189.12	200.00	160.16	160.60	200.00	71.49	69.15
अम्बूजा सीमेंट-(एच.पी.)	1600.00	1147.82	1144.99	1600.00	1211.31	1220.95	1600.00	1231.59	1224.09	1600.00	775.22	773.33
हिमाचल प्रदेश	**5316.00**	**4811.43**	**4827.87**	**6200.00**	**5146.55**	**5136.77**	**6200.00**	**5554.35**	**5570.68**	**6200.00**	**3395.21**	**3375.62**
दिल्ली												
दिल्ली (जी)	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-
दिल्ली	**500.00**	**-**	**-**	**500.00**	**-**	**-**	**500.00**	**-**	**-**	**500.00**	**-**	**-**
जम्मू-कश्मीर												
जे एण्ड के लिमिटेड	200.00	159.35	160.04	200.00	154.46	151.76	200.00	155.30	154.15	200.00	96.55	98.92
जम्मू-कश्मीर	**200.00**	**159.35**	**160.04**	**200.00**	**154.46**	**151.76**	**200.00**	**155.30**	**154.15**	**200.00**	**96.55**	**98.92**
उत्तरी क्षेत्र	**31118.00**	**29668.17**	**29723.67**	**33772.00**	**32099.42**	**32062.31**	**47472.00**	**36463.52**	**36466.95**	**48342.00**	**25747.97**	**25584.14**
पूर्वी क्षेत्र												
असम												
बोकाजन	200.00	128.34	128.04	200.00	135.01	135.03	200.00	134.01	133.78	200.00	76.45	71.67
असम	**200.00**	**128.34**	**128.04**	**200.00**	**135.01**	**135.03**	**200.00**	**134.01**	**133.78**	**200.00**	**76.45**	**71.67**
मेघालय												
मार्लिघ खेरा	200.00	100.23	98.96	200.00	101.21	103.06	200.00	84.34	84.22	200.00	35.73	35.94

मेघालय सीमेंट लि.	-	-	-	297.00	294.75	294.39	297.00	464.55	464.78	297.00	334.80	327.34
सीमेंट मैन्यु कं. लि.	-	-	-	-	-	-	594.00	401.50	401.59	594.00	250.32	247.22
मेंघा टी. एंड ई (प्रा.) लि. जी	-	-	-	-	-	-	462.00	323.69	323.55	462.00	285.63	282.44
मेघालय	**200.00**	**100.23**	**98.96**	**497.00**	**395.96**	**397.44**	**1553.00**	**1274.09**	**1274.13**	**1553.00**	**906.48**	**892.94**
बिहार												
कल्याणपुर सीमेंट	1000.00	456.72	454.00	1000.00	587.08	585.35	1000.00	539.20	538.77	1000.00	378.13	371.70
बिहार	**1000.00**	**456.72**	**454.00**	**1000.00**	**587.08**	**585.35**	**1000.00**	**539.20**	**538.77**	**1000.00**	**378.13**	**371.70**
झारखण्ड												
सिबासा	870.00	556.96	567.88	870.00	684.64	681.03	870.00	720.58	720.31	870.00	440.39	438.14
सिन्दरी	600.00	859.45	866.64	910.00	855.00	854.88	910.00	874.00	874.39	910.00	571.57	571.38
लाफार्ज जोजोबेरा (जी)	3000.00	2748.11	2741.72	3000.00	2821.21	2818.41	3000.00	2993.29	2991.38	3000.00	1969.62	1979.68
लीमोस सीमेंट	109.00	-	-	109.00	-	-	109.00	-	-	109.00	-	-
सोनी वेली	254.00	-	-	254.00	-	-	254.00	-	-	254.00	-	-
झारखण्ड	**4833.00**	**4164.52**	**4176.24**	**5143.00**	**4360.85**	**4354.31**	**5143.00**	**4567.88**	**4586.06**	**5143.00**	**2961.57**	**2989.19**
उड़ीसा												
अल्ट्रा टेक-जे.सी.डब्ल्यू. (जी)	800.00	881.65	882.48	800.00	893.06	886.63	1000.00	880.49	882.68	1000.00	614.53	612.77
वो.सी.एल. इंडिया राजगन्जपुर	1275.00	1583.09	1573.45	1800.00	1874.54	1886.91	1800.00	2000.00	2000.02	1800.00	1382.57	1382.87
भारगत सीमेंट वर्क	960.00	840.63	841.40	960.00	869.83	874.52	960.00	996.78	994.73	960.00	697.90	694.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
वो.सी.एल. इंडिया-कपिलास जी							–	–	–	900.00	268.22	260.95
उड़ीसा	**3035.00**	**3305.37**	**3297.33**	**3560.00**	**3637.42**	**3648.07**	**3760.00**	**3877.27**	**3877.43**	**4660.00**	**2963.22**	**2951.35**
पश्चिम बंगाल												
दामोदर सीमेंट वर्क जी	525.00	502.29	502.29	525.00	534.63	532.31	525.00	503.25	502.24	525.00	312.69	315.23
दुर्गापुर (जी)	600.00	633.43	635.70	600.00	579.02	580.27	600.00	499.68	502.16	600.00	161.21	156.37
अम्बूजा सीमेंट-संकराइल जी	1000.00	1133.81	1136.08	1000.00	1267.77	1271.26	1000.00	1206.34	1207.77	1000.00	768.58	759.92
अल्ट्रा टैक - डब्ल्यू.बी.सी.डब्ल्यू. (जी)	1000.00	971.70	972.79	1000.00	1057.15	1050.41	1200.00	1059.86	1064.39	1200.00	663.64	655.50
दुर्गा हाईटेक सीमेंट (जी)	1000.00	8.64	3.17	1000.00	77.98	76.83	1000.00	110.47	110.82	1000.00	86.16	87.35
अम्बूजा सीमेंट-फराक्का	–	–	–	–	–	–	1000.00	181.92	178.75	1000.00	279.30	271.27
पश्चिम बंगाल	**4125.00**	**3249.87**	**3250.04**	**4125.00**	**3516.56**	**3511.08**	**5325.00**	**3561.51**	**3566.13**	**5325.00**	**2271.59**	**2245.64**
छत्तीसगढ़												
जामुल	1584.00	1007.90	1014.10	1584.00	1170.49	1167.29	1584.00	1242.51	1246.92	1584.00	807.44	802.25
सैन्चुरी सीमेंट	1800.00	1711.21	1706.92	1800.00	1797.00	1798.20	2100.00	1906.74	1900.81	2100.00	1227.66	1230.48
ग्रासिम सीमेंट-रायपुर	2060.00	1992.23	2004.17	2060.00	1973.36	1969.86	2500.00	2043.16	2044.48	2500.00	1313.82	1311.86

अकालतारा	400.00	–	–	400.00	–	–	400.00	–	–	400.00	–	–
मानधार	380.00	–	–	380.00	–	–	380.00	–	–	380.00	–	–
अरेस्मीटा	1600.00	1348.57	1355.42	1600.00	1448.60	1444.88	1600.00	1508.71	1509.36	1600.00	1106.22	1110.06
अल्ट्रा टैक-एच.सी.डब्ल्यू.	1600.00	1407.16	1413.54	1600.00	1745.92	1748.82	1900.00	1695.44	1687.21	1900.00	1082.52	1082.05
अम्बूजा सीमेंट भाटपारा	1000.00	695.91	700.93	1000.00	891.92	885.56	1000.00	988.07	984.95	1000.00	705.81	707.30
लाफार्ज सोधी	400.00	476.09	477.88	400.00	405.68	405.82	550.00	487.69	486.94	550.00	305.94	303.87
छत्तीसगढ़	10824.00	8639.06	8672.94	10824.00	9432.97	9420.44	12014.00	9872.33	9860.66	12014.00	6549.41	6547.86
पूर्वी क्षेत्र	24217.00	20044.11	20077.54	25349.00	22065.84	22051.71	28995.00	23846.27	23836.98	29695.00	16126.84	16070.35
दक्षिणी क्षेत्र												
आन्ध्र प्रदेश												
मन्चेरियल	331.00	87.06	88.28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
केशोराम	900.00	1046.61	1047.54	900.00	1057.17	1058.04	1200.00	1199.91	1199.95	1200.00	962.63	959.02
ओरियन्ट सीमेंट	1600.00	1336.68	1344.44	1600.00	1427.78	1428.88	2400.00	1485.39	1487.47	2400.00	1262.55	1252.82
ज्यूरी सीमेंट	2200.00	1770.31	1754.16	2200.00	2023.39	2035.82	2200.00	1957.10	1960.71	2200.00	1532.46	1529.25
अदीलाबाद	400.00	–	–	400.00	–	–	400.00	–	–	400.00	–	–
तन्दूर	1000.00	617.48	625.39	1000.00	696.73	696.93	1000.00	615.00	610.00	1000.00	432.87	432.54
वीजाग (जी)	622.00	92.01	92.41	622.00	161.46	158.39	622.00	376.96	376.03	622.00	252.87	245.23
माडीकुड्डा दुर्गा सीमेंट	800.00	228.98	231.13	800.00	449.62	449.86	800.00	748.23	740.97	800.00	488.69	487.12
चिलमकूर वर्क	1300.00	1210.53	1210.22	1300.00	1355.70	1360.27	1450.00	1312.00	1310.84	1450.00	870.20	867.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
विसाका सीमेंट	1120.00	1178.19	1176.34	1120.00	1186.49	1190.72	1120.00	1147.98	1147.39	1120.00	715.18	711.26
येरागुन्ठीया	520.00	555.22	559.47	520.00	576.35	575.80	520.00	580.15	580.15	520.00	426.21	422.58
राशी सीमेंट	2300.00	2234.93	2235.61	2300.00	2414.75	2416.09	2300.00	2511.00	2504.03	2300.00	1370.16	1362.34
श्री विष्णु सीमेंट	1200.00	1068.21	1066.75	1200.00	1172.17	1165.69	1200.00	1324.55	1320.98	1200.00	871.59	876.45
जयन्तीपुरम	1600.00	1047.30	1047.18	1600.00	1340.98	1336.47	2000.00	1426.82	1426.51	2000.00	1224.30	1225.47
अल्ट्रा टच-ए.पी.सी.डब्ल्यू.	2300.00	1996.46	2000.27	2300.00	2088.25	2088.19	2000.00	2142.78	2144.74	2000.00	1503.55	1503.52
किस्टना	214.00	-	-	214.00	-	-	214.00	-	-	214.00	-	-
के.सी.पी. लिमिटेड	575.00	531.50	529.90	660.00	605.40	606.57	660.00	737.04	733.94	660.00	461.58	463.23
पनयम सीमेंट	531.00	9.10	10.34	531.00	342.91	342.70	531.00	471.11	470.75	531.00	340.18	332.52
रेन कमोडट यू.एन.-1	1000.00	963.68	963.67	1000.00	1039.30	1032.86	1000.00	1072.51	1071.94	1400.00	830.57	831.20
पेनाटांडीपतरा 1 और 2	1500.00	1523.74	1520.77	1500.00	1670.05	1673.29	1500.00	1667.33	1668.08	1500.00	1103.70	1097.46
पेनागनेशप	1000.00	810.43	812.87	1000.00	1006.79	1000.32	1000.00	1134.85	1140.52	1000.00	725.54	720.59
माई होम इडूस लि.	1560.00	1626.60	1624.03	1560.00	1718.62	1720.47	2760.00	2509.44	2491.80	3200.00	2070.69	2065.01
रेयन कोमोडिटी यूनिट	-	-	-	500.00	582.60	580.06	500.00	543.25	545.78	2600.00	698.71	694.48
पीना वायोरेंड्डी-पल्ली				-	-	-	2000.00	0.34	0.32	2000.00	288.98	281.59
आन्ध्र प्रदेश	**24573.00**	**19935.02**	**19940.77**	**24827.00**	**22916.51**	**22917.41**	**29377.00**	**24963.72**	**24932.90**	**32317.00**	**18433.19**	**18360.80**

तमिलनाडु												
मधुकारई	960.00	858.60	863.50	960.00	840.85	840.22	960.00	879.77	878.72	960.00	697.65	699.02
ग्रासिम साउथ	1030.00	1182.97	1187.22	1030.00	1248.23	1243.37	1400.00	1350.76	1348.32	1400.00	877.02	874.24
सकामागर	1550.00	1569.69	1578.71	1550.00	1541.01	1537.87	1800.00	1801.66	1802.21	1800.00	1185.39	1179.64
संकरीदुर्गा	720.00	540.83	544.43	720.00	605.20	607.64	600.00	610.01	606.64	600.00	415.16	413.76
डालावो	1300.00	1145.00	1147.49	1300.00	1080.00	1074.21	1850.00	1271.65	1266.86	1850.00	1043.36	1046.50
अलंगनुजन	400.00	258.03	256.18	400.00	200.14	197.52	400.00	139.20	141.66	400.00	87.55	87.86
अरियालुर	500.00	526.82	523.29	500.00	533.11	533.05	500.00	532.80	531.32	500.00	235.60	237.24
अलायीपुर वर्क	1200.00	1186.72	1200.42	1200.00	1294.09	1292.01	1200.00	1216.06	1216.08	1800.00	946.48	938.91
चेटड करूर एण्ड कारक	3120.00	2316.26	2322.14	3120.00	2786.63	2807.12	3120.00	2948.71	2954.08	3120.00	2028.91	2025.33
डालमिया सीमेंट	1800.00	2360.55	2371.12	1800.00	2683.74	2672.30	1800.00	2905.69	2908.55	1800.00	2048.41	2045.04
अल्ट्रा टैक-ए.आर.सी.डब्ल्यू.	1234.00	1558.27	1575.16	3500.00	2736.57	2726.06	3500.00	3293.74	3282.70	3500.00	2251.28	2243.31
वाल्यूर (जी)	1200.00	785.37	785.56	1200.00	928.18	926.09	1100.00	973.02	970.39	1100.00	671.93	675.38
					–	–	–			1100.00	87.13	78.33
तमिलनाडु	**15014.00**	**14289.11**	**14355.21**	**17280.00**	**16477.75**	**16457.44**	**18230.00**	**17923.08**	**17907.52**	**19930.00**	**12575.87**	**12544.56**
कर्नाटक												
वाडी	2110.00	1801.00	1770.42	2590.00	1623.12	1645.25	2590.00	1593.97	1593.22	2530.00	1122.35	1122.94
वासवादाता सीमेंट	2000.00	2075.87	2043.39	2000.00	2473.13	2465.44	3650.00	3280.14	3280.91	4100.00	2529.55	2516.71
राजश्री-मलखेड	2600.00	2940.33	2930.67	2600.00	3081.25	3086.17	3200.00	2958.38	2948.55	3200.00	1990.35	2001.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मैसूर सीमेंट	570.00	361.85	363.67	570.00	295.73	291.47	570.00	317.50	315.67	570.00	210.89	211.36
कुरुकुटा	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-
साहबाद	476.00	-	-	476.00	-	-	476.00	-	-	476.00	-	-
भागलकोट उद्योग	330.00	101.99	103.20	330.00	15.43	16.97	330.00	-	-	330.00	-	-
वाडी - न्यू	2600.00	2694.60	2696.69	2600.00	2645.67	2656.12	2600.00	2624.48	2609.92	2600.00	1863.00	1865.59
अल्ट्रा टैक-गिनीगेरी जी							-	-	-	1300.00	15.58	17.47
कर्नाटक	**10886.00**	**9975.63**	**9908.04**	**11366.00**	**10134.32**	**10161.41**	**13616.00**	**10774.47**	**10748.27**	**15366.00**	**7732.12**	**7735.42**
केरल												
मालाबार सीमेंट	420.00	502.22	506.73	420.00	467.50	468.60	420.00	444.13	442.98	420.00	307.35	303.71
मालाबार सीमेंट जी	200.00	180.70	181.92	200.00	153.64	153.86	200.00	124.83	124.66	200.00	54.82	53.51
केरल	**620.00**	**682.92**	**688.64**	**620.00**	**621.14**	**622.46**	**620.00**	**568.96**	**567.63**	**620.00**	**362.17**	**357.22**
दक्षिणी क्षेत्र	**51093.00**	**44882.68**	**44892.67**	**54093.00**	**50149.72**	**50158.73**	**61843.00**	**54230.22**	**54156.31**	**68233.00**	**39103.34**	**38998.00**
गुजरात												
श्री दिगविजय सिक्का	1075.00	897.41	903.96	1075.00	928.10	927.49	1075.00	805.95	801.50	1075.00	531.97	536.07
सौराष्ट्रा सीमेंट	1164.00	1069.23	1075.01	1164.00	1364.78	1367.29	1164.00	1405.29	1404.97	1164.00	850.72	842.90
गुजरात सिद्दी सीमेंट	1200.00	930.64	940.39	1200.00	1279.51	1274.98	1200.00	1267.51	1268.76	1200.00	673.44	667.24
पोरबन्दर	198.00	-	-	198.00	-	-	198.00	-	-	198.00	-	-
अल्ट्रा टैक-गुजरात	5300.00	3591.89	3573.72	5300.00	3523.78	3534.90	5800.00	3626.15	3618.65	5800.00	2080.55	2072.88

जाफराबाद	400.00	182.59	182.67	400.00	204.43	202.34	500.00	384.57	386.14	500.00	234.02	232.97
मागडाला (जी)	700.00	577.86	584.37	700.00	559.73	564.44	700.00	549.17	545.23	700.00	422.60	416.61
अम्बूजा सीमेंट	1500.00	1517.90	1524.72	1500.00	1616.23	1616.22	1500.00	1459.51	1458.14	1500.00	770.01	771.96
गजम्बूजा सीमेंट	3000.00	2960.10	2971.78	3000.00	3332.69	3337.16	3000.00	3232.87	3225.87	3000.00	1989.52	1982.56
सांघी इंडस्ट्री लि.	2600.00	1828.09	1785.99	2600.00	2413.00	2433.60	2600.00	2520.12	2496.04	2600.00	1409.11	1414.36
अम्बूजा सीमेन्ट मांगडाला जी				–	–	–	1000.00	144.43	146.02	1000.00	413.60	411.78
गुजरात	**17137.00**	**13555.70**	**13542.61**	**17137.00**	**15222.25**	**15258.43**	**18737.00**	**15395.56**	**15351.32**	**18737.00**	**9375.53**	**9349.35**
महाराष्ट्र												
चंदा	1000.00	1028.11	1027.73	1000.00	1058.98	1060.68	1000.00	1199.31	1197.52	1000.00	705.01	701.89
मानिकग्राथ सीमेंट	1500.00	1620.43	1620.30	1500.00	1444.41	1446.36	1900.00	1634.51	1625.04	1900.00	1052.32	1054.45
राजश्री होटेज (जी)	1400.00	1527.33	1525.25	1400.00	1629.95	1632.62	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1233.66	1228.25
अल्ट्रा टैक - ए.सी.डब्ल्यू.	3300.00	3122.53	3120.05	3300.00	3363.14	3390.83	3600.00	3383.56	3356.47	3600.00	2296.07	2304.10
रतनगिरी (जी)	400.00	190.27	191.39	400.00	271.01	273.01	400.00	374.10	378.27	400.00	239.08	234.52
इंडो रामा सीमेंट (जी)	1000.00	489.45	483.45	1000.00	546.92	545.81	1000.00	667.00	660.12	1000.00	332.92	328.82
वोरियन्ट सीमेंट-जलगांव जी	800.00	775.45	779.09	800.00	750.49	749.42	1000.00	926.61	925.78	1000.00	651.05	645.78
मराठा सीमेंट	2400.00	2622.69	2627.28	2400.00	3014.16	3013.56	2400.00	3374.85	3390.03	2400.00	2039.76	2040.68
महाराष्ट्र	**11800.00**	**11376.27**	**11374.54**	**11800.00**	**12079.06**	**12112.30**	**13100.00**	**13359.93**	**13333.22**	**13100.00**	**8549.87**	**8538.49**
पश्चिमी क्षेत्र	**28937.00**	**24931.96**	**24917.14**	**28937.00**	**27301.31**	**27370.72**	**31837.00**	**28755.50**	**28684.54**	**31837.00**	**17925.40**	**17887.84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केन्द्रीय क्षेत्र												
उत्तर प्रदेश												
टिकारिया (जी)	2000.00	2150.05	2158.30	2310.00	2276.27	2270.44	2310.00	2445.87	2440.40	2310.00	1614.94	1605.56
बिरला सीमे-रायबरेली जी	630.00	647.46	651.41	630.00	603.93	601.93	630.00	542.32	541.85	630.00	358.29	360.19
डाइमंड सीमे-झांसी जी	500.00	740.35	749.54	500.00	807.60	805.47	500.00	756.73	757.71	500.00	447.73	441.53
चुर्क	475.00	–	–	475.00	–	–	–	–	–	–	–	–
डाला	432.00	–	–	432.00	–	–	432.00	–	–	432.00	–	–
चुनर (जी)	1680.00	–	–	1680.00	–	–	1500.00	39.07	35.22	1500.00	317.87	308.61
जे.पी.-साडवाकुरड जी	600.00	587.43	588.92	600.00	576.40	596.65	600.00	605.60	646.55	600.00	397.64	414.27
जे.पी. अयोध्या (जी)	1000.00	756.02	762.80	1000.00	876.60	877.07	1000.00	908.35	907.77	1000.00	538.43	533.82
ग्रासिम-दादरी (जी)				–	–	–	1300.00	0.05	–	1300.00	17.55	11.37
उत्तर प्रदेश	**7317.00**	**4881.32**	**4910.97**	**7627.00**	**5140.80**	**5151.55**	**8272.00**	**5297.98**	**5329.49**	**8272.00**	**3692.46**	**3675.36**
मध्य प्रदेश												
कुमोर	1700.00	1333.34	1341.72	1700.00	1615.17	1611.99	2200.00	1856.12	1850.40	2200.00	1327.16	1332.72
बिरला विकास एंड सतना	1550.00	1552.67	1568.00	1550.00	1582.90	1587.08	1550.00	1613.10	1602.21	1550.00	1102.27	1100.56
मेहर सीमेंट	3000.00	3304.22	3309.75	3000.00	3508.03	3505.17	3800.00	3357.15	3324.29	3800.00	2263.05	2257.56

विक्रम सीमेंट	3000.00	3162.36	3162.37	3000.00	3343.21	3350.56	3000.00	3750.50	3757.65	3000.00	2404.76	2386.69
डायमंड सीमेंट	1025.00	943.32	946.21	1025.00	1032.27	1027.91	1025.00	1127.69	1120.40	1025.00	620.46	606.34
नीमच	400.00	–	–	400.00	–	–	400.00	–	–	400.00	–	–
जे.पी. रीवा	2500.00	2819.77	2453.10	2800.00	3206.79	2915.05	3000.00	3252.96	3009.72	3000.00	1973.71	1925.87
जे.पी. बेला	2000.00	2152.72	•2133.54	2200.00	2414.14	2267.48	2400.00	2336.91	2132.91	2400.00	1451.25	1212.65
परिसिम सीमेंट	2510.00	2128.48	2135.67	2510.00	2199.14	2204.25	2510.00	2429.38	2414.42	2510.00	1637.91	1640.89
मध्य प्रदेश	**17685.00**	**17396.88**	**17050.35**	**18185.00**	**18901.65**	**18469.48**	**19885.00**	**19723.82**	**19211.99**	**19885.00**	**12780.57**	**12463.27**
मध्य क्षेत्र	**25002.00**	**22278.20**	**21961.32**	**25812.00**	**24042.45**	**23621.03**	**28157.00**	**25021.81**	**24541.48**	**28157.00**	**16473.03**	**16138.63**
संपूर्ण भारत	160367.01	141805.13	141572.34	167963.01	155658.73	155264.50	198304.01	168317.32	167686.26	206464.01	115376.58	114678.96

[अनुवाद]

सस्ते माल के आयात का प्रभाव

3597. श्री के.एस. राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सस्ते माल के आयात से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में ऐसे माल की कितनी मात्रा आयात की गई;

(ग) क्या सरकार का चीन तथा अन्य देशों से इन चीजों से आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने हेतु विदेशी व्यापार अधिनियम में संशोधन करने तथा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर अधिक अर्थदण्ड लगाने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, सार्वजनिक आचरण एवं पर्यावरण के आधार पर आवश्यक प्रतिबंधों के अतिरिक्त आयातों पर सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को वर्ष 2001 में समाप्त कर दिया। तथापि, सरकार द्वारा कुछेक संवेदनशील वस्तुओं के आयातों की मासिक आधार पर निगरानी की जा रही है। अप्रैल-सितम्बर, 2008 के लिए सरकार के पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की सदृश अवधि की तुलना में इन वस्तुओं के आयातों में 26.8% की वृद्धि हुई है।

वर्तमान में केन्द्र सरकार को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अंतर्गत भारत में वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क लगाने का भी अधिकार प्राप्त है। आयातों में वृद्धि का समाधान करने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यू.आर.) के रूप में रक्षोपाय उपलब्ध कराने के लिए विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में संशोधन का एक विशिष्ट प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त आयातों से उत्पन्न होने वाली किसी घरेलू चिंता का समाधान टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार, 1994, रक्षोपाय संबंधी करार और डब्ल्यू.टी.ओ. के सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही द्वारा किया जाता है।

समुद्रतट की सुरक्षा हेतु केरल का अनुरोध

3598. श्री पी.सी. थामस: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने समुद्रतटीय थानों के लिए नाव खरीदने हेतु सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) जी हां। आठ अन्य तटवर्ती राज्यों और चार संघ शासित क्षेत्रों के साथ केरल राज्य सरकार ने अपने-अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की समुद्र तट की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। इन प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार ने नौ तटवर्ती राज्यों और चार संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत तट सुरक्षा योजना तैयार और अनुमोदित की है।

इस योजना के तहत केरल राज्य के लिए सहायता की निम्नलिखित मदें अनुमोदित की गई हैं:

(लाख रुपए)

क्र.सं.	अनुमोदित मदें	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1.	तटवर्ती पुलिस स्टेशन-8	197.60

1	2		3
2.	पोत:	12 टन-16	3200.00
		5 टन-8	800.00
3.	वाहन:	जीप-16	64.00
		मोटर साईकिल-24	14.40
4.	प्रति पुलिस स्टेशन 10 लाख रुपए की दर पर 8 पुलिस स्टेशनों के लिए सहायता की एक मुश्त राशि		80.00
		कुल	4356.00

गृह मंत्रालय ने ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार केरल के लिए 24 नावों सहित 194 इंटरसेप्टर नावों की आपूर्ति के लिए मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा और मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के साथ मार्च, 2008 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

विश्व व्यापार संगठन वार्ता फिर से शुरू करना

3599. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) वार्ता, जो जुलाई में बड़े मुद्दों पर मतभेद के कारण स्थगित हो गई थी, भविष्य में फिर से शुरू होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विश्व व्यापार संगठन की अगले दौर की वार्ता में विकसित देशों हेतु विशेष सुरक्षा तंत्र औद्योगिक देशों में संवेदनशील कृषि उत्पादों के उपाचार, कपास और औद्योगिक उत्पादों पर सेक्टोरल टैरिफ के उन्मूलन से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सुलझाने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जुलाई, 2008 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक में वार्ताओं में गतिरोध आने के पश्चात, डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्यों के मध्य आम राय यह थी कि वार्ताओं को शीघ्रातिशीघ्र पुनः शुरू किया जाना चाहिए। डब्ल्यू.टी.ओ. में कृषि एवं गैर-कृषि बाजार पहुंच (एन.ए.एम.ए.) संबंधी मुद्दों पर अक्तूबर, 2008 को वार्ताओं की बहुपक्षीय प्रक्रिया शुरू की गई थी। इन वार्ताओं के आधार पर दोनों वार्ताकारी समूहों के अध्यक्षों ने 6 दिसम्बर, 2008 को संशोधित मसौदे की रूपरेखाओं को प्रस्तुत किया। एक अन्य मंत्रिस्तरीय वार्ता भी दिसम्बर, 2008 के आस-पास आयोजित किए जाने की योजना थी। तत्पश्चात डब्ल्यू.टी.ओ. के महानिदेशक ने करार को अंतिम रूप देने हेतु "राजनैतिक इच्छाशक्ति" के अभाव में इस वार्ता का आयोजन न किए जाने की सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) कृषि में विशेष रक्षोपाय तंत्र, कपास सब्सिडी, संवेदनशील उत्पादों, टैरिफ कैपिंग, टैरिफ सरलीकरण इत्यादि और 'नामा' में वस्तु क्षेत्रवार पहल सहित कृषि एवं 'नामा' दोनों में अनेक अनसुलझे मुद्दे हैं जिन पर आगे वार्ताएं की जानी होंगी। विकासशील देशों को उनके कम आय वाले वर्ग को संरक्षण देने और उनके हितों का संवर्धन करने हेतु समर्थ बनाने और गरीब कृषकों को संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ विकसित देशों द्वारा घरेलू सहायता एवं आयात टैरिफों में पर्याप्त एवं प्रभावी कटौतियां, कृषि संबंधी वार्ताओं में भारत एवं अन्य विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। औद्योगिक उत्पादों हेतु वस्तु क्षेत्रवार पहल के संबंध में, भारत की वार्ताकारी स्थिति यह रही है कि भागीदारी गैर अनिवार्य एवं सद्भावना पर आधारित होनी चाहिए और परिणाम का पूर्व विवेचन नहीं किया जाना चाहिए।

लघु एवं ग्रामीण उद्योग का पुनर्गठन

3600. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के लघु एवं ग्रामीण उद्योग के पुनर्गठन/समीक्षा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु कितनी निधियां आबंटित की गई है; और

(घ) इस योजना का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) का संवर्धन व विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों का काम है। केंद्र सरकार एम.एस.ई. की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के सहयोगी उपाय करते हुए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। विभिन्न मंचों पर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड (एन.बी.एम.एस.एम.ई.), जिसकी हर तीन महीने पर एक बार बैठक होती है, सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सूचना के अनुरूप, सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा/पुनर्गठन करती है ताकि एम.एस.ई. को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके। इस दिशा में, सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया है जो 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हुआ है। सरकार ने ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के द्वारा रोजगार अवसरों के सृजन के लिए 31-3-2008 तक प्रचालनरत दो योजनाओं, यानि प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का विलय करते हुए हाल में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक नया क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम आरंभ किया है। एम.एस.एम.ई. मंत्रालय की जारी/नई योजनाओं के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल प्रावधान 11,500 करोड़ रुपये का है।

लौह अयस्क की खानें

3601. श्री पी.एस. गढ़वी:

श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में, राज्य-वार आबंटित लौह अयस्क की खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, कंपनी-वार, सरकारी क्षेत्र के निजी क्षेत्र और अन्य इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क के लिए रक्षित खानों के कितने लाइसेंस स्वीकृत किए गए;

(ग) क्या इन खानों में लौह अयस्क के भण्डार की मात्रा जानने के लिए कोई उपयुक्त आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन खानों में भण्डार की मात्रा का आकलन करने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) राज्य सरकारें अपने राज्यों में खनिजों की स्वामी है और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. अधिनियम) की धारा 5 (2) (क) के अनुसार खनन पट्टे (एम.एल.) प्रदान करती है। एम.एम.डी.आर. अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के संबंध में खनन पट्टा प्रदान करने से पहले राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है। एम.एम.डी.आर. अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों में लौह अयस्क शामिल है और खान मंत्रालय द्वारा लौह अयस्क सहित अनुसूचित खनिजों के संबंध में प्रदान किए गए पूर्व अनुमोदनों का ब्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाईट (www.mines.nic.in) पर उपलब्ध है। एम.एम.डी.आर. अधिनियम कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खानों के बीच भेद नहीं करता है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा प्रदान किए जाने से पहले, पट्टाधारक के लिए खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 22 के अनुसार विधिवत् अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। खनन योजना में खनिज पिण्ड और भंडारों के स्वरूप और विस्तार का ब्यौरा सम्मिलित होता है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश

3602. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अकादमी सुधार कार्य योजना के अनुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के बिना शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मनमाने प्रवेश को रोकने हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित अकादमिक सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि एम.फिल. और पी.एच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार की संयुक्त मेरिट के आधार पर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन सुधारों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

महिला समाख्या कार्यक्रम

3603. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला समाख्या कार्यक्रम अब तक किन राज्यों में शुरू किए गए हैं;

(ख) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा सहित देश के कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) महिला समाख्या कार्यक्रम अभी तक 11 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है।

(ख) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अभी तक इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के अन्तर्गत लगभग 7.46 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है। महिला समाख्या कार्यक्रम उड़ीसा राज्य में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

विवरण

(रु. लाख)

क्र. सं.	महिला समाख्या राज्यों के नाम	वर्ष 2007-08 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि	16-11-2008 तक वर्ष 2008-09 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	500.00	240.89
2.	असम	350.00	194.80

1	2	3	4
3.	बिहार	500.00	196.70
4.	छत्तीसगढ़	15.00	-
5.	गुजरात	230.00	91.19
6.	झारखण्ड	105.00	397.05
7.	मध्य प्रदेश	-	15.00
8.	कर्नाटक	550.00	346.70
9.	केरल	50.00	123.23
10.	उत्तराखण्ड	335.00	325.00
11.	उत्तर प्रदेश	735.00	655.00
	कुल	3370.00	2585.56

राष्ट्रीय पाठ्य-पुस्तक परिषद् की स्थापना

3604. श्री अनवर हुसैन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय पाठ्य-पुस्तक परिषद् (एन.टी.सी.) की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एन.टी.सी. के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त परिषद् के मुख्य कार्यालय और आंचलिक कार्यालय के स्थान के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) "सरकारी प्रणाली से बाहर के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों तथा समानान्तर पाठ्यपुस्तकों" पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति ने देश में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की मानीटरिंग के लिए "राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक परिषद" नामक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने की सिफारिश की है ताकि शिक्षा के स्तर को बनाए रखा जा सके और छात्र समुदाय को घटिया गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों अथवा अवांछनीय सामग्री के उपयोग से बचाया जा सके। सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

असंगठित खुदरा दुकानों पर संगठित खुदरा व्यापार का प्रभाव

3605. श्री हरिकेवल प्रसाद:

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान हेतु भारतीय परिषद् (आई.सी.आर.आई.ई.आर.) जिसे असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु कार्य सौंपा गया था ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त अध्ययन ने असंगठित खुदरा दुकानों पर संगठित फर्मों के खतरे के संबंध में टिप्पणी की है जैसाकि 28 अप्रैल, 2008 के 'मिंट' में प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, हां। रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद् (आई.सी.आर.आई.ई.आर.) के निष्कर्ष तथा सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ग) आई.सी.आर.आई.ई.आर. ने नमूना सर्वेक्षण के आधार पर अपनी रिपोर्ट में यह सूचित किया है कि सकल संदर्भों में असंगठित खुदरा दुकानों की बंदी की दर लगभग 4.2 प्रतिशत पाई गई थी, जबकि संगठित खुदरा व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बंदी की दर प्रतिवर्ष 1.7 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद अधिकांश असंगठित खुदरा व्यापारी अपना व्यापार जारी रखने तथा प्रतिस्पर्धा करने को उत्सुक हैं।

(घ) सरकार को छोटे खुदरा व्यापारियों तथा विक्रेताओं पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव पर सभी पणधारियों की चिंताओं के बारे में पूरी जानकारी है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत को पूर्णतः मानती है कि छोटा खुदरा व्यापारी संगठित खुदरा व्यापार के बढ़ने से बुरी तरह प्रभावित न हों।

विवरण

आई.सी.आर.आई.ई.आर. के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अगले पांच वर्षों में वास्तविक जी.डी.पी. में प्रतिवर्ष 8-10 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। परिणामस्वरूप, 90,000 रुपये से अधिक वार्षिक घरेलू आय वाले उपभोक्ता वर्ग के, वर्ष 2006-07 में लगभग 370 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 620 मिलियन हो जाने की संभावना है। अतः, भारत में खुदरा व्यवसाय वर्ष 2006-07 में 322 बिलियन अमरीकी डालर से 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर के साथ बढ़कर वर्ष 2011-12 में 590 बिलियन अमरीकी डालर होने की संभावना है। अध्ययन दर्शाता है कि:-

- असंगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की संभावना है, वर्ष 2006-07 में 309 बिलियन अमरीकी डालर की बिक्री वर्ष 2011-12 में बढ़कर 496 बिलियन अमरीकी डालर होने की संभावना है।

- असंगठित खुदरा व्यापारियों की अपेक्षाकृत कमजोर वित्तीय स्थिति तथा उनकी विस्तार संभावना में भौतिक स्थान संबंधी बाधाओं के कारण, यह क्षेत्र अकेले खुदरा व्यापार की बढ़ती हुई मांगों को पूरा नहीं कर पाएगा।

- अतः संगठित खुदरा व्यापार में जो कुल खुदरा व्यापार का मात्र 4 प्रतिशत है, तीव्र गति से 45 से 50 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है एवं वर्ष 2011-12 में कुल खुदरा व्यापार में इसका हिस्सा चौगुना अर्थात् 16 प्रतिशत होने की संभावना है।

- यह एक सकारात्मक तथ्य है जिसमें असंगठित एवं संगठित क्षेत्र दोनों, न केवल एक साथ अस्तित्व में रहेंगे अपितु उनके आकार में भी वृद्धि होगी।

- इस अध्ययन में जिन असंगठित खुदरा व्यापारियों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से अधिकांश ने इस व्यवसाय को छोड़ने के बजाय इसमें बने रहने तथा प्रतिस्पर्धा करने की बात कही है।

आनुभविक आधार

इस अध्ययन में अर्थव्यवस्था के उन सभी घटकों का सर्वेक्षण शामिल है, जो खुदरा व्यवसाय में बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के प्रवेश से प्रभावित हो सकते हैं। यह निष्कर्ष 10 मुख्य शहरों में 2020 असंगठित छोटे खुदरा व्यापारियों; संगठित एवं असंगठित खुदरा दुकानों दोनों में 1318 उपभोक्ता दुकानों; 100 मध्यवर्ती व्यापारियों; तथा 197 किसानों के सर्वेक्षण पर आधारित है। इसके अलावा, चार मेट्रो शहरों में ऐसे 805 असंगठित खुदरा व्यापारियों का "नियंत्रित नमूना" सर्वेक्षण भी किया गया जो संगठित खुदरा दुकानों के आस-पास नहीं थे।

12 बड़े विनिर्माताओं, 20 छोटे विनिर्माताओं एवं 6 स्थापित आधुनिक खुदरा व्यापारियों का विस्तार से साक्षात्कार भी किया गया।

इस अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार अनुभव, विशेषकर मुख्य उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव की विस्तृत समीक्षा शामिल है।

मुख्य निष्कर्ष

असंगठित खुदरा व्यापारियों पर प्रभाव

- बड़े असंगठित खुदरा व्यापारियों के प्रवेश के बाद प्रारंभिक वर्षों में, असंगठित खुदरा व्यापारियों, जो संगठित खुदरा व्यापारियों के आस-पास थे, के व्यापार एवं लाभ की मात्रा में कमी आई।
- बिक्री एवं लाभ पर विपरीत प्रभाव समय के साथ-साथ कम होता गया।
- संगठित खुदरा व्यापारियों के प्रवेश के परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र में समग्र रोजगार में कमी के कोई प्रमाण नहीं थे।
- उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्रों में रोजगार में कुछ कमी आई, इसका प्रभाव समय के साथ-साथ कम होता गया।
- समग्र रूप से असंगठित खुदरा दुकानों के बंद होने की दर 4.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष पाई गई है जो कि छोटे व्यवसायों के बंद होने की अंतर्राष्ट्रीय दर से काफी कम है।
- संगठित खुदरा क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के कारण बंद होने की दर भी कम है तथा 1.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।
- सुधरी हुई कारोबार रीतियों तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए परंपरागत खुदरा विक्रेताओं से भी प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया मिल रही है।
- असंगठित क्षेत्र के अधिकांश खुदरा विक्रेता कारोबार में बने रहना और प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी इसी तरह काम जारी रखे।
- छोटे खुदरा विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करने एवं बनाए रखने के लिए अधिक उधार देते रहे हैं।
- तथापि केवल 12 प्रतिशत असंगठित खुदरा विक्रेताओं की संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच है एवं 37 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंक ऋण तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता महसूस करते हैं।
- अधिकांश असंगठित खुदरा विक्रेता स्वतंत्र बने रहने के लिए वचनबद्ध हैं और मात्र 10 प्रतिशत ने संगठित खुदरा विक्रेताओं का फ्रैंचाइजी बनना पसंद किया।

उपभोक्ता पर प्रभाव

- उपभोक्ताओं ने निश्चित रूप से संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र का बहुत अधिक लाभ उठाया है।
- संगठित खुदरा क्षेत्र के प्रवेश के साथ ही समग्र उपभोक्ता खर्च बढ़ा है।
- हालांकि सभी आय वर्गों ने संगठित खुदरा खरीदारी से बचत की, लेकिन सर्वेक्षण ने खुलासा किया है कि कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं ने कहीं ज्यादा बचत की। इस प्रकार, संगठित खुदरा क्षेत्र कम समृद्ध वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभदायक है।
- असंगठित आउटलैट का सबसे बड़ा तुलनात्मक व्यय समीप होना है।
- असंगठित खुदरा विक्रेताओं के पास काफी प्रतिस्पर्धी शक्तियां हैं जिनमें उपभोक्ता की ख्याति, उधार पर बिक्री, सौदेबाजी की संभावनाएं, खुले सामानों (लूज आईटम) की बिक्री करवाना, सुविधाजनक समय और घर पर सुपुर्दगी शामिल है।

मध्यस्थों पर प्रभाव

- अध्ययन में मध्यस्थों पर संगठित खुदरा क्षेत्र के किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है।
- तथापि, फल, सब्जियों और परिधान जैसे उत्पादों के लिए काम कर रहे मध्यस्थों के टर्नओवर तथा लाभ पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- दो तिहाई से ज्यादा मध्यस्थ, खुदरा क्षेत्र के विस्तार से कारोबार के बड़े अवसरों के परिणामस्वरूप, अपने कारोबारों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

- केवल 22 प्रतिशत नहीं चाहते कि अगली पीढ़ी इस कारोबार में आए।

किसानों पर प्रभाव

- संगठित खुदरा विक्रेताओं को सीधे बिक्री के विकल्प से किसानों को काफी लाभ हुआ है।
- संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र को फूलगोभी सीधे बिक्री करने वाले किसानों के लिए औसत मूल्य वसूली सरकार द्वारा नियंत्रित मंडी में उनके लाभ बिक्री की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक रहा है।
- संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र को सीधे बिक्री करने वाले किसानों की लाभ मंडी में बिक्री से प्राप्त राशि में करीब 60 प्रतिशत ज्यादा रहा।
- यदि मंडी में कमीशन एजेंट द्वारा ली जाने वाली राशि (जो प्राय बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत होती है) को भी ध्यान में रखा जाए, तो अंतर और भी ज्यादा है।

विनिर्माताओं पर प्रभाव

- बड़े विनिर्माताओं ने मूल्य और भुगतान संबंधी दबावों के जरिए संगठित खुदरा क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है।
- विनिर्माताओं ने अपनी ब्रांड क्षमता का सृजन तथा सुदृढ़ीकरण करके, अपनी खुदरा मौजूदगी बढ़ाकर छोटे खुदरा विक्रेताओं को 'अपनाकर' और आधुनिक खुदरा विक्रेताओं के साथ कारोबार हेतु समर्पित दलों की स्थापना करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
- संगठित खुदरा क्षेत्र के प्रवेश से संभार-तंत्र (लॉजीस्टिक्स) उद्योग बदल रहा है। यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सकारात्मक बहिर्मुखता पैदा करेगा।
- छोटे विनिर्माताओं पर संगठित व्यापार क्षेत्र का किसी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा।

नीतिगत सिफारिशें

सर्वेक्षण के परिणामों और अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार क्षेत्र के अनुभवों की समीक्षा के आधार पर, अध्ययन में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की गई हैं:-

1. निजी-सरकारी सहभागिता के जरिए वैटमार्केटों का आधुनिकीकरण।
2. जैसा कि चीन में है, असंगठित खुदरा क्षेत्र को बिक्री और किसानों से खरीद के लिए मैट्रो जैसे कैश एंड कैरी आउटलेटों की सुविधा प्रदान करना।
3. आपूर्तिकर्ताओं और किसानों से सीधी खरीद के लिए असंगठित खुदरा विक्रेताओं के कोआपरेटिब्स और एसोसिएशनों को प्रोत्साहन देना।
4. नवीन सुधारों वाले बैंकिंग समाधानों के जरिए बैंकों और छोटे ऋण संस्थानों से असंगठित खुदरा बिक्रेताओं को बेहतर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
5. संगठित खुदरा विक्रेताओं को सीधे बिक्री के लिए किसानों की कोआपरेटिब्स के गठन की सुविधा प्रदान करना।
6. छोटे आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापार के लिए संगठित खुदरा क्षेत्र द्वारा "निजी आचार संहिता" के गठन को प्रोत्साहन देना। बाद में इन्हें लागू करने योग्य कानून में समाविष्ट किया जा सकता है।
7. संगठित क्षेत्र के लिए लाइसेंसिंग तथा परमिट व्यवस्था का सरलीकरण और आधुनिक खुदरा क्षेत्र मुहैया कराने हेतु राज्यों में एक समान राष्ट्रव्यापी लाइसेंसिंग व्यवस्था की ओर बढ़ना।
8. सांठगांठ तथा लूटखसोट वाले मूल्य निर्धारण के खिलाफ नियम लागू करने हेतु प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका को सुदृढ़ करना।
9. ए.पी.एम.सी. बाजारों को आधुनिकीकरण जैसा कि बंगलौर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) सफल मार्केट बनाया गया है।

[अनुवाद]

रात की पाली में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा

3606. श्रीमती निवेदिता माने:

श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए असुरक्षित स्थान है जैसाकि 10 अक्तूबर, 2008 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं को कोई अनुदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (च) एक समाचार पत्र में छपी खबर में बताया गया है कि एसोचैम द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में दिल्ली में साक्षात्कार के दौरान 65 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्होंने रात की पालियों में काम करने में असुरक्षित महसूस किया। रात की पालियों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. कॉल सेंटरों, मॉलों तथा अन्य कार्यालयों, जहां महिलाएं रात की पालियों में काम कर रही हैं, के आसपास के क्षेत्रों में विशेष रूप से रात की गश्त लगाने के लिए समस्त जिलों/इकाइयों को सुविज्ञ बनाया गया है।

ii. जहां महिलाएं रात पालियों में काम कर रही हैं, वहां कार्यालयों के आसपास विशेष जांच की जाती है।

iii. ज्यादा खतरे की संभावना वाले स्थानों पर उस क्षेत्र में तैनात पी.सी.आर. वैन नियमित गश्त लगाती हैं।

iv. दिल्ली पुलिस ने 23-03-2006 को कॉल सेंटरों/बी.पी.ओ. की महिला कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षण में एक परिपत्र समस्त जिलों/इकाइयों को परिचालित किया तथा स्थानीय पुलिस को भी हिदायत दी गई कि वे तदनुरूप काल सेंटरों/बी.पी.ओ. के कर्मचारियों से संबंधित समीक्षा करें।

सस्ते आयातों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

3607. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते आयातों के मद्देनजर चयनित वस्तुओं पर अस्थाई लाइसेंसिंग लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वस्तुवार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तथा अन्य एजेंसियां वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर आयातों की मात्रा पर निगरानी रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिनांक 21-11-2008 की अधिसूचना सं. 63 और दिनांक 24-11-2008 की अधिसूचना सं. 64 के जरिए आई.टी.सी. (एच.एस.) कोड सं. 7208, 7304, 2803 00 10, 4011 20 10, 5402 47 00, 7326 90 99, 8483 10 99 तथा 8708 10 90 के अंतर्गत वर्गीकृत वस्तुओं के आयात पर हाल में प्रतिबंध लगा दिया है।

ये प्रतिबंध सभी देशों से होने वाले आयातों पर लागू है।

सरकार द्वारा कुछेक "संवेदनशील वस्तुओं" के आयात की मासिक आधार पर निगरानी की जाती है।

सीमा सुरक्षा बल तथा बांग्लादेश राइफल्स के बीच वार्ता

3608. श्री सुग्रीव सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) तथा बांग्लादेश राइफल्स (बी.डी.आर.) के बीच अगस्त 2008 के माह में महानिदेशक स्तर पर वार्ताएं हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाण निकले; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुई पूर्व वार्ताओं के क्रियान्वयन की स्थिति क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश में भारतीय घुसपैठिया दलों की उपस्थिति तथा उनके प्रशिक्षण कैम्पों/छुपने के ठिकानों; सीमा पर बाड़ लगाने; और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज के अंदर सीमा की आबादी के लिए विकास कार्यों के संबंध में मामले उठाए। सीमा पार अपराधों को रोकने, अवैध सीमा पार की गतिविधियों तथा स्तंभों के निर्माण से संबंधित मामलों पर भी सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) एवं बांग्लादेश राईफल्स (बी.डी.आर.) के बीच बेहतर सहयोग हेतु चर्चा हुई थी। विगत तीन वर्षों के दौरान, सीमा पर 12 विकासात्मक कार्यों को निपटाया गया तथा कुछेक वांछित अपराधियों को भी एक-दूसरे देश को सौंप दिया गया। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने छयालीस (46) स्थानों की एक सूची भी सौंपी है, जहां सीमा से 150 गज के अंदर प्राथमिकता के आधार पर बाड़ लगाया जाना अपेक्षित है। इसके साथ-साथ सीमा पार अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बी.एस.एफ. एवं बी.डी.आर. द्वारा समन्वित गश्त लगाए जाने पर सहमति बनी। इस परिप्रेक्ष्य में, दोनों पक्ष गश्त के लिए सीमा के साथ संवेदनशील स्थानों का निर्धारण करने तथा क्षेत्र/बटालियन स्तर पर इससे संबंधित प्राथमिकताओं को तय करने पर भी सहमत हो गए।

अध्यक्ष महोदय: सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(1) (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0051/08]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1452(अ) जो 16 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 24 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 683(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 0052/08]

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नार्थ ईस्टर्न रिजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रिजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0053/08]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं श्री टी.आर. बालू की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0054/08]

(2) (एक) सीमेन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2007-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सीमेन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0055/08]

(3) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0056/08]

(4) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0057/08]

(5) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फण्ड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फण्ड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0058/08]

(6) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0059/08]

(7) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0060/08]

(8) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0061/08]

(9) (एक) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0062/08]

(10) (एक) टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0063/08]

(11) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0064/08]

(12) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0061/08]

(13) (एक) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0062/08]

(14) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0066/08]

(15) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0060/08]

(16) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0065/08]

(17) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0066/08]

(18) (एक) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय नें रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0067/08]

(19) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0068/08]

(20) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, गंगलोर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0057/08]

(21) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0069/08]

(22) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0068/08]

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(I) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0070/08]

(ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, औरगम

के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, औरगम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0071/08]

(ग) (एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0072/08]

(घ) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0073/08]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फिल्ड्स के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फिल्ड्स के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0074/08]

(3) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0075/08]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कॅयर बोर्ड कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0076/08]

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0077/08]

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (निवेशकों की जागरूकता और सुरक्षा) नियम, 2008 जो 14 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 14 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 788(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 28 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 824(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2008 जो 4 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0078/08]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (कुमारी सैलजा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0079/08]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0080/08]

(ख) (एक) मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, तमिलनाडु के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, तमिलनाडु का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रति-वेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0081/08]

(ग) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे

तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0082/08]

(2) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0083/08]

(3) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0084/08]

(4) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0085/08]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0086/08]

(2) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0087/08]

(3) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0088/08]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0089/08]

(5) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार

[श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी]

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 0090/08]

(6) (एक) लोकोप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकोप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 0091/08]

(7) (एक) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 0092/08]

(8) भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम-संशोधित विनियम, 2004 जो 2 सितम्बर, 2006 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2006-आई.एन.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम-संशोधित विनियम, 2001 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2006-आई.एन.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आपातकाल और आपदा नर्सिंग में बेसिकोत्तर डिप्लोमा विनियम, 2005 जो 2 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2007-आई.एन.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कैंसरशास्त्र नर्सिंग में बेसिकोत्तर डिप्लोमा विनियम, 2005 जो 2 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2007-आई.एन.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गहन देखरेख नर्सिंग में बेसिकोत्तर डिप्लोमा विनियम, 2005 जो 2 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2007-आई.एन.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(छह) नर्स सहायिका और मिडवाइव्स का संशोधित पाठ्यक्रम और विनियम, 2006 जो 2 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2007-आई.एन.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(सात) स्नातकोत्तर विज्ञान (नर्सिंग), 2008 जो 15 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11-1/2007-आई.एन.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने हेतु विनियम, जो 8 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2007-आई.एन.सी. में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 0093/08]

(9) मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) नियम, 2008 जो 4 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.

571(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0094/08]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0095/08]

(ख) (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसक्रण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0096/08]

(12) (एक) पास्चर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, कून्नूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पास्चर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, कून्नूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0097/08]

(13) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फार पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फार पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0098/08]

(14) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0099/08]

(15) (एक) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी]

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसक्रण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 00100/08]

(17) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 00101/08]

(18) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008, इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 तथा उसमें उल्लिखित 30 अन्य संगठनों के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं का संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 00102/08]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 13, श्री संतोष बागड़ोदिया उपस्थित नहीं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं डा. शकील अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, पुनलूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, पुनलूर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0105/08]

(ख) (एक) रेपको बैंक लिमिटेड, (रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड), चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) रेपको बैंक लिमिटेड, (रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड), चेन्नई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0106/08]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2402(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोइली-रिमूली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2588(अ) से का.आ. 2590(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2276(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 3 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 808(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(चार) का.आ. 2277(अ) जो 3 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 3 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 809(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(पांच) का.आ. 2265(अ) और 2266(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 22 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1747(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 2467(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में बाईपास निर्माण तथा पुर:संरेखन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (सिलचर-हरंगाजाव खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 2514(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 601(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ. 2515(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में लंका बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2516(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 601(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0107/08]

(2) केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2008, जो 12 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 784(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0108/08]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (समूह 'ख' और 'ग' पद) हिन्दी अनुवादक भर्ती नियम, 2008, जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल दूरसंचार संवर्ग (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008, जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 502(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008, जो 20 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

(चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008, जो 20 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 804(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0109/08]

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग सूबेदार (स्टोर मैन) भर्ती नियम, 2007 जो 3 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 228 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 0110/08]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं श्री पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0111/08]

(2) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0112/08]

(3) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0113/08]

(4) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0114/08]

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 0115/08]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): मैं श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील की ओर से अप्रैल, 2007-मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 0116/08]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0117/08]

(2) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0118/08]

(4) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0119/08]

(5) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (कार्यकारी समिति को प्रकार्यों का समनुदेशन) विनियम, 2007 जो 20 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 34-2/2005/एन.सी.टी.ई./सी.डी.एन. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मानदण्ड और प्रक्रिया मान्यता) विनियम, 2007 जो 10 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 51-1/2007/एन.सी.टी.ई./(एन. एण्ड एस.) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0120/08]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0121/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2008 जो 10 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2431(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2008 जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2498(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0122/08]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2085(अ) जो 21 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 194ञ के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा दी गई सेवाओं को "व्यावसायिक सेवाओं" के रूप में खेलकूद गतिविधियों के संबंध में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 0123/08]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2459(अ) जो 16 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2526(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 111/2008-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 2546(अ) जो 29 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यात माल के मूल्यांकन प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 2577(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2002-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 2667(अ) जो 17 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 2693(अ) जो 18 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 115/2008-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 2734(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यात माल के मूल्यांकन प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा विलोमतः परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0124/08]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): मैं श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 73 की उपधारा (3) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय भर्ती नियम, 2007 जो 2 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 525(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 0125/08]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): मैं श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया की ओर से भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत रेडियो आवृति पहचान युक्ति (आर.एफ. आई.डी.) के लिए आवृति बैण्ड 865-867 मेगाहर्ट्ज में न्यून विद्युत उपस्कर का प्रयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2008 जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 564(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0126/08]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता तथा उसकी समनुषंगी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता तथा उसकी समनुषंगी का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0127/08]

(ख) (एक) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता तथा उसकी समनुषंगी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता तथा उसकी समनुषंगी के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 0128/08]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): मैं जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2708(अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के कॉलम तीन में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकार क्षेत्रों के भीतर जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में शिकायतों को दर्ज करने के लिए अधिसूचना के कॉलम 2 में दिए गए अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 0129/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं श्री पवन कुमार बंसल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0130/08]

(ख) (एक) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0131/08]

(2) मध्यवर्षीय समीक्षा 2008-2009 की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0132/08]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा 4 के अंतर्गत पंजाब नेशनल 'बैंक अधिकारी कर्मचारी' (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 13 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एन.बी./डी.ए.सी./पी/2/2008 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0133/08]

(4) भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 820(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0134/08]

(5) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2008 जो 1 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 827(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0135/08]

(6) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण) संशोधन स्कीम, 2008 जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2742(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0136/08]

(7) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 0137/08]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाईन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाईन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0138/08]

(2) (एक) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नीकल इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नीकल इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0139/08]

(3) (एक) सेन्ट्रल पल्प रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0140/08]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0141/08]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0142/08]

(4) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिन्धी लैंग्वेज, बड़ोदरा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिन्धी लैंग्वेज, बड़ोदरा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिन्धी लैंग्वेज, बड़ोदरा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिन्धी लैंग्वेज, बड़ोदरा के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0143/08]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2005-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 0144/08]

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 0145/08]

(10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0146/08]

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0147/08]

(12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0148/08]

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0149/08]

(14) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 0150/08]

(15) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0151/08]

(16) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0152/08]

(17) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0153/08]

(18) तेजपुर विश्वविद्यालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं के लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 0154/08]

(19) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 893(अ) जो 17 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की अनुसूची के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट परिषद की स्थापना की गई है जिसमें उसमें उल्लिखित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य और सदस्य सचिव होंगे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2008 जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 488(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 1128(अ) जो 13 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर (झारखण्ड) के निदेशक के पद का अस्थायी प्रभार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला (उड़ीसा) के निदेशक को सौंपे जाने का उपबंध किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या 22-7-2006 टी.एस.-तीन जो 19 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित एन.आई.आई.टी. में निदेशक के पद को ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए कालावधि आधार पर, या अगले आदेशों तक नियुक्त किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0155/08]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0156/08]

[श्री जयराम रमेश]

(ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0157/08]

(2) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0158/08]

(3) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0159/08]

(4) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0160/08]

(5) (एक) मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेयलपमेंट ऑथोरिटी, कोचि के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेयलपमेंट ऑथोरिटी, कोचि के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0161/08]

(6) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट ऑथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट ऑथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट ऑथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0162/08]

(7) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0163/08]

(8) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0164/08]

(9) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2008 जो 14 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2661(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 0165/08]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0166/08]

(2) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0167/08]

(3) (एक) सेन्ट्रल जू ऑथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल जू ऑथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 0168/08]

(4) (एक) पद्मजा नायडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0169/08]

(6) (एक) वाईल्ड लाईफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) वाईल्ड लाईफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल

[श्री एस. रघुपति]

पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 0170/08]

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन का दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

मैंने उनका त्यागपत्र 22 दिसम्बर, 2008 से स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.06½ बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 22 दिसंबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 22 दिसंबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2008, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 19 दिसम्बर, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 22 दिसम्बर, 2008 को यथापारित दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

याचिका समिति
46वां और 47वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): मान्यवर, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित विषयों के बारे में 46वां प्रतिवेदन:-

(क) मुरी, जिला रांची (झारखण्ड) के समीप स्थिति हिन्डालको फैक्ट्री से उत्पन्न प्रदूषण के बारे में श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य की ओर से पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित याचिका।

(ख) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक डिवीजन, ओजार, नासिक द्वारा नियोजित

*सभा पटल पर रखा गया।

आकस्मिक कर्मकारों को हैदराबाद डिवीजन में नियोजित कर्मकारों के समतुल्य प्रसुविधाएं दिए जाने के बारे में श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य की ओर से रक्षा मंत्रालय से संबंधित याचिका।

(2) नागर विमानन मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07¼ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

27वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): मान्यवर, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित "आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि-गेहूं के आयात पर विशेष बल सहित कारण और प्रभाव तथा चोर बाजारी की रोकथाम का प्रवर्तन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980 की आपूर्ति का अनुरक्षण" विषय पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

41वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मान्यवर, मैं 'विशेष रेल संरक्षा' निधि की समीक्षा के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का 41वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2007-08 और 2008-09) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 29वें और 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): मान्यवर मैं, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार, कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 29वीं और 32वीं रिपोर्ट में शामिल, खान मंत्रालय से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 29वीं और 32वीं रिपोर्ट, लोक सभा में क्रमशः 07-12-2007 और 16-4-2008 को प्रस्तुत की गई है जो खान मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 की अनुदान मांगों के लिए थी। इन रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई का विवरण दिनांक 9-6-2008 और 1-10-2008 को समिति कार्यालय को भेज दिया गया है। समिति की 29वीं और 32वीं रिपोर्टों में 7-7 सिफारिशें थीं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई करना अपेक्षित था।

इनके कार्यान्वयन की स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध-I और II में बतायी गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं, इस अनुबंध को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और यह अनुरोध करता हूं कि इन्हें पढ़ा गया मान लिया जाए।

अपराह्न 12.08½ बजे

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2006-07, 2007-08 और 2008-09) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 206वें, 207वें और 210वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी./0171/08

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी./0172/08

[श्री महावीर प्रसाद]

मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश एवं लोक सभा बुलेटिन-भाग II दिनांक 1 सितम्बर, 2004 में निहित लोक सभा में प्रक्रिया नियमावली एवं कार्य संचालन के प्रावधानों के अनुसरण में विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 206वीं, 207वीं और 210वीं रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंध 206वीं रिपोर्ट जो कि 'अनुदान की मांग (2007-08) संबंधी समिति की 200वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' पर है, में ग्यारह सिफारिशें/टिप्पणियां शामिल हैं। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मोटे तौर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम.एस.ई.) क्षेत्र को ऋण प्रवाह, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) के प्रचालन, प्लान योजनाओं के तहत निधियों के आबंटन और उनके कार्यान्वयन को सुचारू बनाने, जिसमें वे जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है, भी शामिल है, से संबंधित है। मेरे मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाली कृत कार्रवाई टिप्पण को 10-10-2008 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबद्ध 207वीं रिपोर्ट जो कि 'कृषि एवं ग्रामीण उद्योग के लिए अनुदान की मांग (2007-08) संबंधी समिति की 199वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' पर है, में पंद्रह सिफारिशें/टिप्पणियां शामिल हैं। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मोटे तौर पर खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित मंत्रालय की चालू योजनाएं, उनसे संबंधित निधियों के आबंटन और उपयोग और इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत लाभ/प्रगति से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाली कृत कार्रवाई टिप्पण को 22-10-2008 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग (2008-09)' पर 210वीं रिपोर्ट में पैंसठ सिफारिशें/टिप्पणियां शामिल हैं। ये मुख्यतः प्लान योजनाओं के तहत निधियों के आबंटन, उनके उपयोग और उनके तहत नियत लक्ष्य, योजनाओं के कार्यान्वयन का यौक्तिकरण/सरलीकरण, क्षेत्र से संबंधित ऋण संबंधी मामले, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं आधारभूत संरचना और एन.एस.आई.सी. और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के प्रचालन संबंधी मुद्दों से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाली कृत कार्रवाई टिप्पण को 17-10-2008 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा इस वक्तव्य के अनुबंध I, II और III में दिया गया है, जो सदन के पटल पर रखा गया है। मैं इन अनुबंधों की विषय-वस्तु को पढ़ने में सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा और यह अनुरोध करूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.09 बजे

(तीन) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं अपने सहयोगी, श्री संतोष मोहन देव की ओर से लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09½ बजे

(चार) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी./0173/08

स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यन्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

(पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित "सी.एन.जी. और एल.एन.जी. समेत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, वितरण और विपणन" के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यन्वयन की स्थिति**

[हिन्दी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): मान्यवर, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित "सी.एन.जी. और एल.एन.जी. समेत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, वितरण और विपणन" के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.10½ बजे

श्री हेमंत करकरे और मुंबई पुलिस के अन्य अधिकारियों की शहादत का कारण बनी परिस्थितियों के बारे में

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य से पहले मुझे एक निवेदन करने का अवसर दिया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: ध्यानाकर्षण के अधीन चर्चा के बारे में क्या हो रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह निर्णय लिया गया कि मध्याह्न 12 बजे उनको बुलाया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसलिए, मैंने इसे देखा है ...*(व्यवधान)* मैंने उन परिस्थितियों के बारे में नहीं पूछा है जिनके कारण श्री करकरे की मृत्यु हुई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बयान देने दीजिए। सरकार वक्तव्य देने के लिए वचनबद्ध है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, सभा श्री हेमंत करकरे की मृत्यु के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के कारण क्षुब्ध नहीं है...*(व्यवधान)* इसमें एक शब्द भी नहीं कहा गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता नहीं कि वक्तव्य में क्या है। मुझे भी इसे पढ़ना पड़ेगा। हम उनकी बात सुनें। वे जो कह रहे है उसे सुनें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता नहीं है। मैंने अभी तक इसे पढ़ा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: शीर्षक इस प्रकार है, "श्री हेमंत करकरे की मृत्यु के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां..." हमने यह प्रश्न नहीं पूछा था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम देखें कि वक्तव्य में क्या कहा गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें वक्तव्य रखने दीजिए। आप एक

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी./0174/08

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी./0175/08

[अध्यक्ष महोदय]

वक्तव्य चाहते थे। वे वक्तव्य दे रहे हैं। मैं उनको आदेश नहीं दे सकता कि उन्हें क्या वक्तव्य देना चाहिए। हो सकता है आप उनके वक्तव्य से संतुष्ट न हों।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे इसे पूरा करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): पहले मुझे वक्तव्य देना है।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि आप कुछ कहना चाहते थे और आपको सम्मान देते हुए मैंने आपको बुलाया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे वक्तव्य नहीं दे सकते। उन्हें पहले वक्तव्य देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): वे वक्तव्य का हवाला दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी वक्तव्य नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे खेद है, यह बयान देने का कोई तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे पहले वक्तव्य देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप वक्तव्य की मांग करते रहे हैं। सरकार वक्तव्य दे रही है। यदि आप सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं पहले वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: नहीं, मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे खेद है, उन्हें वक्तव्य देने दीजिए। हम बहिर्गमन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.11 बजे

(इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय: आप यहां खड़े क्यों हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय, आप वक्तव्य दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं जिसके लिए विपक्ष ने मांग की थी। हम इसे सुनें। हां, मंत्री महोदय, आप शुरू कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बहिर्गमन का अधिकार है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मंत्री महोदय, आप शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्हें वक्तव्य देना चाहिए। उनके वक्तव्य देने से पहले या वक्तव्य सभा पटल पर रखे जाने से पहले, सदस्यों को यह कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है?...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि आप जानते हैं, यह उपलब्ध है। उन्हें मिला होगा। कई अन्य सदस्यों को भी मिला है। यह यहां बहुत ही आम बात है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं समझता हूं कि विपक्ष ने इसकी मांग की थी। आप सभी ने इसकी मांग की थी। जब सरकार वक्तव्य दे रही है, तो कम से कम उसे सुना जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.14 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य - *जारी*

(छह) श्री हेमंत करकरे और मुम्बई पुलिस के अन्य अधिकारियों की शहादत का कारण बनी परिस्थितियां*

---

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी./0176/08

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में उन परिस्थितियों के बारे में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जिनमें दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को ए.टी.एस. प्रमुख, मुम्बई के श्री हेमंत करकरे सहित तीन पुलिस अधिकारियों की मृत्यु हुई थी जब वे कामा अस्पताल के निकट रंग भवन लेन पर कार में जा रहे थे।

मैंने महाराष्ट्र सरकार से इससे संबंधित तथ्यों का पता लगाया है।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस घटना के कम से कम तीन चश्मदीद गवाह हैं। इनमें से एक गवाह मोहम्मद अजमल अमीर है जिसे घटना के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और अब वह पुलिस हिरासत में है। अन्य दो चश्मदीद गवाहों में से एक श्री अरुण जाधव हैं जो पुलिस नायक हैं जो उस समय क्वालिस वाहन में थे जब यह घटना घटी। दूसरे गवाह श्री मारुति माधवराव फड़ हैं, जो प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), महाराष्ट्र सरकार के प्रयोग के लिए प्रदान किए गए सरकारी वाहन के ड्राइवर हैं।

इन तीनों चश्मदीद गवाहों और अन्य गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर मुम्बई पुलिस घटनाओं की कड़ी जोड़ने में सफल हुई है। इस घटना का क्रमबद्ध ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है।

श्री करकरे लगभग 21:45 बजे दादर स्थित अपने निवास स्थान पहुंचे। इसके कुछ ही देर बाद नियंत्रण कक्ष के प्रभारी निरीक्षक श्री तोंडवाल्कर से टेलीफोन पर सूचना प्राप्त होने पर इन्होंने अपने स्टाफ को सी.एस.टी. रेलवे स्टेशन शीघ्र पहुंचने के लिए तैयार रहने के लिए सतर्क किया।...*(व्यवधान)* कुछ ही मिनटों में इन्होंने और इनकी टीम (एक पी.एस.आई. और चार कांस्टेबल) एक बोलेरो जीप पर सवार हुए और तेजी से सी.एस.टी. की ओर चल पड़े। सी.एस.टी. पहुंचने से पहले इन्होंने देखा कि नाकाबंदी के कारण सड़क रोकी गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने वक्तव्य की मांग की थी। अब आप नहीं चाहते कि सरकार वक्तव्य दे।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: इसलिए श्री करकरे और इनकी टीम वहां से पैदल ही सी.एस.टी. की तरफ चल पड़ी*। ये रेलवे के अपर डी.जी.पी. श्री के.पी. रघुवंशी और अन्य अधिकारियों से मिले...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, आप वक्तव्य सभा पटल पर रख दें।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*उन्होंने श्री करकरे को सूचित किया कि दो आतंकवादियों ने रेलवे स्टेशन के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल के बीच की लेन (जिसे अंजुमन लेन कहा जाता है) की तरफ भाग गए हैं। इसके तुरंत बाद श्री करकरे ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेल्मेट पहना और अपनी टीम के साथ उस दिशा की ओर दौड़ पड़े जिस दिशा में आतंकवादी भागे थे। श्री करकरे और इनकी टीम कामा अस्पताल के पीछे के गेट पर पहुंची। इन्होंने गोलियां चलाए जाने और ग्रेनेड से विस्फोट होने की आवाजें सुनीं। इन्होंने पिछले गेट के पीछे मोर्चा संभाला।

इसके कुछ ही देर बाद मुम्बई पुलिस के अपर सी.पी. श्री अशोक काम्ते, कामा अस्पताल के पीछे के गेट पर पहुंचे। इससे पहले श्री काम्ते लगभग 22.00 बजे अपने घर पहुंचे थे। पांच मिनट के अंदर पूर्वी क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त होने पर इन्होंने अपने वायरलेस आपरेटर और ड्राइवर को आदेश दिया कि वे कूच करने के लिए तैयार रहें और अगले दस मिनट के अंदर ही ये चल पड़े। इन्होंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंदर का मार्ग चुना। जब ये आजाद मैदान पुलिस क्लब पहुंचे तो इनसे कहा गया कि वे कामा अस्पताल के पीछे के गेट तक अपनी कार नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए ये अपनी कार से उतरे, अपने ड्राइवर को कार में प्रतीक्षा करने के लिए कहा और अपने वायरलेस आपरेटर के साथ कामा अस्पताल के पीछे के गेट की तरफ पैदल ही चल पड़े।

श्री विजय सालास्कर, पुलिस इंस्पेक्टर, एण्टी एक्सटोर्शन स्क्वैड, क्राइम ब्रांच भी कामा अस्पताल के पिछले द्वार पर पहुंच गए। इससे पहले, वह लगभग 21:30 बजे अपने घर पहुंचे और अपने ड्राइवर, अपने स्टाफ और कार को छोड़ दिया। तथापि, लगभग 21:50 बजे अतिरिक्त आयुक्त अपराध

... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

शाखा से मोबाइल पर सूचना मिलते ही वह अपने निजी क्वालिस वाहन से अपने आवास से निकल पड़े। रास्ते में अपने पुलिस नायक श्री अरुण जाधव को टेलीफोन पर सतर्क करने के पश्चात्, उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर श्री नितिन अलकनूरे को अपने साथ लिया और दोनों हाजी अली तथा नैपियन सी रोड होते हुए अपनी गाड़ी से कोलाबा थाने की ओर चल पड़े। कोलाबा थाने पर पुलिस नायक अरुण जाधव उन्हें मिल गए। श्री राकेश मारिया, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) ने श्री सालास्कर को मोबाइल पर निदेश दिया कि वह तुरन्त मुम्बई पुलिस मुख्यालय पहुंचें। गाड़ी से मुख्यालय की ओर जाते समय श्री सालास्कर ने दो सशस्त्र पुलिस कार्मिकों को आजाद मैदान पुलिस थाने के द्वार पर चौकस खड़े देखा। उन्होंने श्री सालास्कर को कामा अस्पताल के निकट गोलीबारी होने के बारे में जानकारी दी। अतः, श्री सालास्कर अपने दल के साथ कामा अस्पताल के पिछले दरवाजे की ओर दौड़े।

उल्लिखित तथ्यों से यह देखा जा सकता है कि तीन अधिकारी श्री करकरे, श्री काम्ते और श्री सालास्कर स्वतंत्र मार्गों से कामा अस्पताल के पिछले दरवाजे की ओर अभिमुख हुए। जब यह तीनों अधिकारी परस्पर हालात की समीक्षा कर रहे थे तभी अपर पुलिस आयुक्त श्री सदानंद दाते से सम्बद्ध वायरलेस आपरेटर श्री तेलेकर घायल अवस्था में कामा हास्पिटल से बाहर आया और उसने उन्हें सूचित किया कि श्री सदानन्द दाते कामा अस्पताल परिसर के अंदर आतंकवादियों के साथ हुई गोलीबारी में घायल हो गए हैं। कामा अस्पताल के टैरेस से कुछ गोलीबारी हो रही थी परन्तु, एकाएक वहां निस्तब्धता छा गई। इसके बाद सेण्ट जैवियर कालेज की ओर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने लगी। श्री करकरे ने अपनी टीम को उसी स्थल पर पोजीशन लेने का निदेश जारी किया और वह श्री काम्ते और श्री सालास्कर के साथ, एक पुलिस जीप में सवार हुए, पाइधोनी सम्भाग के ए.सी.पी. से संबंधित एक क्वालिस लेकर, गाड़ी से सेण्ट जैवियर कालेज की ओर आगे बढ़े। श्री सालास्कर गाड़ी चला रहे थे। श्री काम्ते अगली सीट के बायीं ओर बैठे थे, श्री करकरे बीच वाली सीट पर थे तथा श्री अरुण जाधव सहित चार अन्य कार्मिक पिछली सीट पर बैठे थे।

सुरक्षित बच निकले पुलिस कार्मिक, श्री अरुण जाधव ने बताया कि जब क्वालिस बदरुद्दीन तैय्यबजी मार्ग के दूसरी ओर रंग भवन लेन स्थित एक बैंक के ए.टी.एम. केन्द्र के पास के गुजर रही थी तभी दो आतंकवादियों ने लेन के दूसरी ओर उगी झाड़ियों के पिछवाड़े से अंधाधुंध गोलियां चलाईं। क्वालिस वाहन में बैठे एक कार्मिक ने जवाबी गोली चलाई जिससे एक आतंकवादी का हाथ जख्मी हो गया (जिसकी बाद में मोहम्मद अजमल अमीर के रूप में शिनाख्त हुई)। श्री करकरे, श्री काम्ते, श्री सालास्कर तथा तीन अन्य कार्मिक गंभीर रूप से घायल हो गए। दो आतंकवादियों ने अगली और बीच वाली सीट पर बैठे तीनों घायल अधिकारियों को बाहर खींच लिया और क्वालिस तथा चार व्यक्तियों, जिन्हें आतंकवादियों ने मृत समझा था, का अपहरण कर लिया। श्री अरुण जाधव के ऊपर उनके तीन साथियों के शव पड़े थे इस कारण वह उन्हें खोज नहीं सके। इस क्वालिस वाहन को आतंकियों ने फ्री प्रेस जनरल मार्ग पर छोड़ दिया और दो आतंकवादियों ने एक अन्य स्कोडा वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। इस स्थान पर श्री अरुण जाधव वाहन से बाहर आए और क्वालिस वाहन में रखे वायरलेस सेट से इस घटना के बारे में नियंत्रण कक्ष को जानकारी दी। नियंत्रण कक्ष को इस घटना की जानकारी 26/27 नवम्बर, 2008 की मध्यरात्रि के लगभग 00.25 बजे मिली।

श्री अरुण जाधव ने उन घटनाओं का ब्यौरा दिया जो कोलावा पुलिस स्टेशन पर श्री सालास्कर से मिलने से लेकर इस घटना की सूचना नियंत्रण कक्ष को दिए जाने के बीच घटित हुईं। गिरफ्तार आतंकवादी मोहम्मद अजमल अमीर ने वक्तव्य के उस हिस्से की पुष्टि की है जब उसने और उसके साथी ने क्वालिस गाड़ी पर गोलियां दागीं और उन्हें लगा कि गाड़ी के अंदर सभी व्यक्ति मारे गए हैं तब गाड़ी को अगवा कर लिया गया। प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध कराए गए सरकारी वाहन के चालक श्री मारुति माधवराव फड़ ने बताया कि उसने घटना को काफी करीब से देखा है। वह उन गतिविधियों का प्रत्यक्षदर्शी है जब दो आतंकवादी झाड़ियों के पीछे छुप गए और क्वालिस गाड़ी पर गोलियां दागनी शुरू कर दी, तीन घायल व्यक्तियों को बाहर खींच लिया और उसी समय गाड़ी को अगवा कर लिया गया।

मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा अपराधों की जांच कर रही है जिसमें मोहम्मद अजमल अमीर और उसके साथी, जिसे अब इस्माइल खान के रूप में पहचाना गया है, द्वारा

किये गये संदिग्ध अपराध भी शामिल हैं। जांचकर्त्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर मौजूद पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों सहित कई लोगों से बातचीत करके घटनाओं की कड़ी को फिर जोड़ा है। जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री करकरे ने दादर (पूर्व) स्थित अपने आवास से सी.एस.टी. रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए सबसे सुविधाजनक रास्ता तय किया और रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने के बाद कामा अस्पताल जाने का निर्णय लिया। कामा अस्पताल के पिछले दरवाजे पर उनके साथ श्री काम्ते और श्री सालास्कर जुड़ गए। कामा अस्पताल के पिछले दरवाजे पर तीन अधिकारियों एवं चार व्यक्तियों के क्वालिस गाड़ी में सवार होने से लेकर रंग भवन लेन में एक बैंक के ए.टी.एम. सेंटर के पास उन पर गोलीबारी होने तक की घटनाओं की कड़ी को प्रत्यक्षदर्शी श्री अरुण जाधव तथा श्री मारुति माधवराव फड़ के वक्तव्यों के आधार पर फिर जोड़ा गया।

जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच हैं कि इस आशंका में कोई सच्चाई नहीं है कि श्री करकरे या अन्य व्यक्तियों को मारने के लिए एक साजिश रची गई थी। उन भिन्न-भिन्न वक्तव्यों में भी कोई सच्चाई नहीं है जिन्हें उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को श्री करकरे की आवाजाही के बारे में परिचालित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री करकरे ने अपने साथियों से विचार-विमर्श करने के बाद तीव्र गति से और संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए कार्य किया। यह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीन जांबाज अधिकारी और उनके सहयोगी एक क्वालिस गाड़ी में चढ़े, जिन परिस्थितियों में गोलीबारी के शिकार हुए और मारे गए वह एक दुखदपूर्ण स्थिति थी।

उनकी मृत्यु से पूर्व के दिनों में, एक आतंकवादी मामले में श्री करकरे द्वारा की जा रही जांचों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए थे। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किए जा रहे हैं। मेरे विचार से, दोनों ही गलत हैं और अत्यंत खेदपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्तव्य को समस्त सम्माननीय सदस्यों तथा अपने साथी नागरिकों से अपील करते हुए समाप्त करना चाहता हूं। यह समय पुलिस अधिकारियों एवं उनके सहयोगियों की बहादुरी तथा समर्पण को सलाम करने का है। यह समय इस त्रासदी से निपटने के लिए उनके परिवारों विशेषकर उनके बच्चों की सहायता करने का है। यह समय पूरे देश को एकजुट होने और आतंक के विरुद्ध प्रतिबद्ध हो कर लड़ाई लड़ने का है।*

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): महोदय, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके साथी अभी बोलने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)...*

अपराह्न 2.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र - *जारी*

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री संतोष बागड़ोदिया]

उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मान के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मान का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 0103/08]

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, वर्दवान के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, वर्दवान का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 0104/08]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण। श्री गुरुदास दासगुप्त, आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): मैं कैसे बोल सकता हूं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में केवल श्री दासगुप्त का भाषण सम्मिलित किया जाएगा, और कुछ नहीं।

...*(व्यवधान)**

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, कृपया सभा में शांति स्थापित कीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बोलना चाहते हैं या नहीं?

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, सभा में शांति न होने पर ऐसा संभव नहीं है। इसे किसी अन्य दिन लीजिए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन आज के लिए सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे।

(एक) रेवाड़ी-अलवर लाइन पर जगता बसई गांव के निकट रेलवे फाटक को पैदल यात्रियों तथा वाहनों के आवागमन के लिए खुले रखे जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, रिवाड़ी-अलवर लाईन पर स्थित ग्राम जगता बसई में रेल फाटक को 24 घंटे खोले जाने की प्रार्थना माननीय रेल मंत्री जी से करता हूं। इसके खुले रहने से क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा।

(दो) मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (कॉमन मिनीमम प्रोग्राम) के अंतर्गत देश के पिछड़े हुए जिले, जहां पर कि विद्युत की काफी समस्यायें व्याप्त हैं, वहां पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पिछड़े हुए जिलों के ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रावधान किया गया था। राजगढ़ (मध्य प्रदेश) जो कि पिछड़ा हुआ जिला है, इसमें 79.77 करोड़ की यह योजना विद्युत मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लंबित है। योजना की स्वीकृति के अभाव में कार्य शुरू नहीं किया गया है। अतः इस योजना की शीघ्र स्वीकृति हेतु विद्युत मंत्रालय को निर्देशित किया जाये ताकि राजगढ़ जिले के ग्रामीणों को

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इस योजना के अंतर्गत राजगढ़ जिले के 51,000 सर्वेक्षित परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले हैं, उनको भी एक बत्ती कनैक्शन का लाभ दिया जायेगा। इसका प्रावधान भी योजना में किया गया है।

(तीन) उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुखराया रेलवे स्टेशन पर कोचीन एक्सप्रेस तथा पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में वर्ष भर में प्रथम स्तर की ईंटों का निर्माण एवं व्यापार किया जाता है। इस जिले में चावल मिल्स, अल्मोनियम फैक्ट्री एवं स्टील फैक्ट्री है लेकिन कानपुर देहात के यात्रियों को दक्षिण भारत की ओर जाने के लिये कोई ट्रेन इस जिले में नहीं रुकती है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि दक्षिण भारत की यात्रा हेतु कोचीन एक्सप्रेस, उद्योग नगरी एक्सप्रेस या पुष्पक एक्सप्रेस में से किसी एक गाड़ी को पुखराया रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने का कष्ट करें।

(चार) सीमेंट उद्योगों के लिए पत्तन सुविधाओं के विकास हेतु गुजरात के कोरी क्रीक क्षेत्र में निजी कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण और अन्वेषण कराए जाने के लिए गुजरात सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): गुजरात सरकार ने 16-08-2007 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार और बी.एस.एफ. को कोरी क्रीक में सीमेंट उद्योग के लिए पत्तन सुविधाओं के विकास हेतु सर्वेक्षण और जांच कार्य करने के लिए निजी कंपनियों को अनुमति देने हेतु एक अनुरोध पत्र भेजा था। 30-11-2007 को गुजरात सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय से पुनः अनुरोध किया है।

मैं सरकार से इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह करती हूं।

(पांच) भारत संचार निगम लिमिटेड की दूरसंचार नीतियों में पारदर्शिता लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल पटले (भन्डारा): महोदय, देश में सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनी बी.एस.एन.एल. द्वारा वास (VAS) सेवा द्वारा विशिष्ट फ्रेन्चाइजी को लाभ पहुंचाने हेतु बी.एस. एन.एल. को करोड़ों का नुकसान चालू वर्ष के दौरान पहुंचाया जा चुका है, जबकि ट्राई के नियमों में साफ कहा गया है किसी भी फ्रेन्चाइजी के साथ बी.एस.एन.एल. द्वारा मार्किटिंग सपोर्ट नहीं की जायेगी। लेकिन विभाग द्वारा विशिष्ट कम्पनी को लाभान्वित कर ट्राई के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सभी फर्मों के साथ एक व्यवहार किया जाना चाहिए।

(छह) देश में 'मंजूषा चित्रकारी' के जीर्णोद्धार और संवर्धन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदय, मंजूषा चित्रकला, भागलपुर के प्राचीन समृद्ध इतिहास से जुड़ी चित्रकला है। प्राचीन काल में मंजूषा कला अंग जनपद, जिसमें बिहार के वर्तमान 15 जिले तथा झारखंड के 6 जिले आते थे, में फैली हुई थी। अंग की आंचलिक चित्रकला शैली को दर्शाती मंजूषा चित्रकला विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग से कम नहीं है। इस कला की उत्पत्ति भागलपुर की प्राचीन लोकगाथा बिहुला विषहरी लोक कथा तथा उसी की परिणति विषहरी पूजा के कर्मकांड से जुड़ी है। नारी की शक्ति एवं सम्मान को दर्शाती यह चित्रकला सचमुच में हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इस चित्रकला का कुछ स्वरूप पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है।

महोदय, मंजूषा चित्रकला में अपार संभावनाएं हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र की यह सांस्कृतिक विरासत लुप्त होने के कगार पर है। इसलिए लुप्त होती इस संस्कृति एवं शिल्प को संरक्षण प्रदान कर उसे एक विस्तृत बाजार उपलब्ध कराकर प्रतिष्ठा प्रदान की जाये। मेरा माननीय कपड़ा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि हथकरघा उद्योग तथा रेशम उद्योग को भी इससे जोड़ा जाये। इसके डिजायनों को विभिन्न उच्च तकनीकी डिजायन शिक्षण संस्थाओं में भेजकर इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने की पहल की जाये। सरकारी स्तर पर इसको पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त हो, जिससे इसको सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा सके। तभी मंजूषा चित्रकला की पहचान राष्ट्रीय परिवेश में हो सकेगी और इसके शिल्पियों को सम्मान मिल सकेगा।

(सात) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वार्ता मंच की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन्हें ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है, की स्थापना गांवों में निर्धनतम लोगों को उनके निवास स्थान पर ही ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। गत तीन दशकों से 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) वर्तमान में 88, देश के 622 जिलों में से 598 जिलों में 14900 शाखाओं के नेटवर्क के जरिए कार्यरत हैं। आर.आर.बी. द्वारा कुल जमाओं और ऋण लेखाओं की संख्या 9.5 करोड़ को पार कर चुकी है। आई.आर.डी.पी. और अन्य गरीबी उन्मूलन योजनाओं में अकेले आर.आर.बी. का योगदान लगभग 40% था और संगठित ऋण के मामले में देश के लगभग एक तिहाई स्वसहायता समूहों को ऋण दिया गया। आर.आर.बी. के कर्मचारी लगभग 30 प्रकार की ग्रामीण विकास/सेवा योजनाओं (एन.आर.ई.जी. योजना सहित) से जुड़े हैं। इन सभी बातों पर विचार करते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एन.एफ.आई. योजना के अंतर्गत डा. रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार वे 'वित्त क्षेत्र' के स्वाभाविक नायक माने गए हैं। देश में 88 आर.आर.बी. सर्वाधिक ग्रामीण शाखाओं और नेटवर्क के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जिनमें लगभग 70,000 कर्मचारी हैं। लेकिन आर.आर.बी. के पास कोई ऐसा वार्ता मंच नहीं है जो 34 वर्ष पश्चात भी शीर्ष स्तर पर सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार 'अधिकारी प्रतिनिधि' और सरकार द्वारा दिया गया 'कामगार प्रतिनिधि' के कानूनी अधिकार का प्रावधान संबंधित आर.आर.बी. बोर्ड प्रबंधन में अभी तक नहीं किया गया है। यह हास्यास्पद है कि वैश्वीकरण के इस युग में, एन.एस.एस.ओ. के आंकड़ों के अनुसार, 60% से अधिक ग्रामीण घरों में बैंक खाते नहीं हैं, देश के 89.35 मिलियन किसान धरों में से 45.9 मिलियन (अर्थात 51.4%) किसानों की किसी भी प्रकार के ऋण, संस्थागत अथवा अनौपचारिक तक कोई, पहुंच नहीं है। अन्य शब्दों में, देश के 73% किसानों की औपचारिक ऋण स्रोतों तक पहुंच नहीं है।

आर.आर.बी. को ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं के प्रति और संवेदनशील बनाने के लिए आर.आर.बी. को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय निकाय अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के अधीन 20-21 राज्य/अंचल स्तरीय ग्रामीण बैंकों के रूप में पुनर्गठित किया जाना समय की मांग है।

अतः, इस उभरते हुए परिदृश्य में, मैं सरकार से आर.आर.बी. की मांगों को पूरा करने और उन्हें कार्यान्वित करने का आग्रह करता हूं।

(आठ) दक्षिण रेलवे में तिरुनेलवेली तथा चेन्नई को तिरुच्चेन्दूर से जोड़ने के लिए एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): तिरुच्चेन्दूर भगवान मुरुगन के छह पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। यह एक तीर्थ नगरी है जिसमें देशभर से श्रद्धालु आते हैं। चेन्नै में व्यापार करने वाले तिरुच्चेन्दूर, साटनकुलम और श्रीवाईकुनाम तालुकों के सैकड़ों गांवों के लोगों को तिरुच्चेन्दूर ही जोड़ता है। हर रोज हजारों लोग अपने पैतृक स्थान को जाते हैं।

जहां तक दक्षिण रेलवे का संबंध है, तिरुनेलवेली और चेन्नै के बीच रेल सेवा राज्य के किसी भी अन्य रेल मार्ग की तुलना में अत्यंत लाभप्रद मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी में प्रतिदिन कम-से-कम 400 लोग प्रतीक्षा सूची में होते हैं। तिरुनेलवेली से तिरुच्चेन्दूर की यात्रा करने के इच्छुक लोगों को मजबूरन बस सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा, तिरुच्चेन्दूर के लोगों के लिए चेन्नै के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है।

स्थानीय रेल सेवा संख्या 731ए और 732ए को पुनः चालू किया जाए ताकि इसे नेल्लई एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस और अनंतपुरी एक्सप्रेस से जोड़ा जा सके। वर्तमान में लोगों को पूर्णतः बस सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः रेलवे को तिरुनेलवेली-तिरुच्चेन्दूर-तिरुनेलवेली 'इंटरलिंक' रेलगाड़ियां चलानी चाहिएं।

इसके अलावा, कोई लाइन होते हुए चेन्नै और तिरुच्चेन्दूर के बीच भी एक रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए।

(नौ) 1971 के युद्ध के शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए आवास सुविधाएं बरकरार रखे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, यह कैसी विडंबना है कि सरकार एक ओर तो शहीदों को आंखों पर बिठाने की बात करती है और दूसरी ओर 1971 के शहीदों के परिवारों को दी गई सुविधाओं को खुद-ब-खुद छीनने

की ओर जा रही है। यह हाल 1971 के शहीदों के परिवारों का ही नहीं हो बल्कि कारगिल युद्ध व अन्यत्र शहीदों के परिवारों के साथ भी कुछ मायनों में ऐसा देखने को आया है।

1971 में शहीदों के परिवारों से सरकार ने वायदा किया था कि या तो वे पैसे ले लें या फिर उन्हें मकान बना कर सरकार देगी, जिसमें कुछ शहीदों के परिवारों ने तो अपनी आर्थिक तंगी को ध्यान में रखते हुए पैसे ले लिए पर कुछ ने मकान लिए। सरकार ने वायदा किया कि पांच साल के लीज पर मात्र एक रुपये वार्षिक की दर से उन्हें यह मकान उपलब्ध करवाया जायेगा, उसके बाद सरकार ने ही घोषणा कर दी कि शहीदों के परिवारों को उन्हें आबंटित मकान हमेशा के लिए दे देगी। परन्तु, अब उन्हीं शहीदों के परिवारों को जिन्हें सरकार ने मकान दिए थे, रक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर मकान खाली करने को कहा है। रक्षा विभाग ने शहीदों के परिवारों को नोटिस देकर उन्हें मुसीबत में डाल दिया है।

सरकार से आग्रह है कि शहीदों के परिवारों को दी गई सुविधाओं, खासकर मकान को छीनने के किसी भी कदम को तत्काल वापस ले और उन्हें संभव हो तो और भी सुविधायें देने के लिए कदम उठाये।

(दस) उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दो लाख अतिरिक्त आवासों हेतु विशेष सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): वर्ष 2008 के जून और सितम्बर महीने में बाढ़ ने उड़ीसा राज्य को बर्बाद कर दिया था। वर्ष 2008 के जून और सितम्बर माह में आई बाढ़ इस कारण अप्रत्याशित थी क्योंकि राज्य की सभी नदियों में बाढ़ आ गई थी। अवसंरचना, खड़ी फसलों और मानव जीवन की भारी क्षति हुई है। जून, 2008 में आई बाढ़ ने बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझार जिलों में काफी बर्बादी की है और इसके बाद सितम्बर, 2008 में राज्य की महानदी प्रणाली में प्रलयकारी बाढ़ आई।

बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने एन.सी.सी.एफ. से 500 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी। बाढ़ में भारत सरकार ने एन.सी.सी.एफ. से 98.86 करोड़ रुपये तथा 186 करोड़ रुपये की धनराशि प्रथम और दूसरी किस्त के रूप में जारी किए। चूंकि बाढ़ से भारी संख्या में गरीब लोग प्रभावित हुए हैं और उनके मकान बह गए हैं, अतः उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से गरीबी रेखा से नीचे के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत और 2 लाख अतिरिक्त आवासों हेतु विशेष सहायता का अनुरोध किया है। बिना केन्द्रीय सहायता के किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत आवासीय सहायता उपलब्ध कराना एकदम असंभव होगा।

चूंकि भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एक लाख, 11 हजार मकानों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की है और चूंकि यह सहायता जिला-विशिष्ट है, अतः एक जिले की धनराशि को दूसरे जिले पर खर्च नहीं किया जा सकता। इसलिए, सरकार से मेरा निवेदन है कि वह गरीबी रेखा से नीचे के बाढ़ प्रभावित परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख अतिरिक्त आवासों के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(ग्यारह) देश में इस्पात के मूल्य में कमी लाए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): देश में इस्पात की बढ़ती कीमत ने निर्माण क्षेत्र तथा आम आदमी को पहले से ही प्रभावित कर रखा है। हर कोई जानता है कि किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए इस्पात मूलभूत सामग्री है। लेकिन इसकी कीमत मध्यम वर्गीय लोगों तथा कम आय वर्ग के लिए अवहनीय हो गयी है। यद्यपि देश के बड़े इस्पात उत्पादकों ने इस्पात की कीमत कम करने के संबंध में सरकार को बार-बार आश्वासन दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वे दिनों-दिन इसकी कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। इस असामान्य वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। यद्यपि उन्होंने सरकार को दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया है, फिर भी कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। वर्ष 2003 से आज की तारीख तक इस्पात की कीमत में औसतन 22000/- प्रति एम.टी. से औसतन 41,000/- प्रति एम.टी. की वृद्धि की प्रवृति दिखाई देनी शुरू हो गई थी। अर्थात् पिछले पांच वर्षों में आदान लागत में बिना किसी वृद्धि के यह वृद्धि 87 प्रतिशत है। इसलिए प्रमुख भारतीय इस्पात उत्पादकों का लाभ 2003-2007 के दौरान 7.60%

[श्री चेंगरा सुरेन्द्रन]

से 42.01% तक बढ़ा है। इस संदर्भ में मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा:

1. इस्पात पर आयात शुल्क खत्म किया जाए।

2. इस्पात विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाए।

सरकार कृपया इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करे और देश में आम आदमी पर पड़ रहे बोझ को तत्काल कम करे।

(बारह) आंध्र प्रदेश में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद न किए जाने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे कपास उत्पादकों से कपास की खरीद किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के किसानों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। काटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कपास उत्पादकों से पिछले पंद्रह दिनों से कपास की खरीद बंद कर दी है। इसके कारण अदिलाबाद, करीमनगर और वारंगल जिलों में 12 लाख क्विंटल से ज्यादा कपास की खरीद नहीं हुई है। मौजूदा भ्रम की स्थिति से कपास उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कपास की फसल की खेती करके उन्होंने पहले ही भारी नुकसान कर लिया है।

आन्ध्र प्रदेश में दयनीय विपणन दशाओं, मौजूदा छोटे और किसानों के कष्ट को देखते हुए केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया को बाजार में आने तथा सामान्य कपास - वर्षा में भिंगे हुए और सूखे कपास को तत्काल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निदेश दे तथा गहरा रहे वर्तमान संकट से कपास उत्पादक समुदाय को बचाएं।

(तेरह) खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने की वजह से 'जंगली सुअर' और 'माह्या' को संरक्षित जानवरों की सूची से निकाल दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम (बिजनौर): महोदय, देश में दालों की पैदावार कम होती जा रही है। कृषि प्रधान देश भारत में दलहन जैसे खाद्य सामग्री का हमें आयात करना पड़े, यह हमारे लिए बड़े दुख का विषय है। दलहन की पैदावार में सबसे बड़ा दुश्मन हमारे क्षेत्र में माह्या पशु एवं जंगली सुअर है जो बड़ी संख्या में खेतों में घुसकर खड़ी फसल को नष्ट कर देते हैं एवं जिसके कारण किसानों ने इस पैदावार को पैदा करना बंद कर दिया।

यदि सरकार उपरोक्त दोनों पशुओं माह्या एवं जंगली सुअर को जंगली पशु की श्रेणी से निकाल देगी तो ऐसे पशुओं का किसान आसानी से सफाया कर अपनी फसल को बचा सकता है।

(चौदह) गोरखा लोगों के समग्र विकास करने के लिए एक आयोग का गठन किए जाने तथा उनके त्यौहार भातृ दितीया को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): शताब्दियों से वर्तमान नेपाल प्रदेश से आए लोगों, जिन्हें भारतीय समाज के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता मिली हुई है और जिन्हें 'गोरखा' के नाम से जाना जाता है, ने भारत के विकास में काफी योगदान किया है। देश की रक्षा में उनकी सक्रिय भूमिका की काफी प्रसंसा की जाती है। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की एक विश्वसनीय टुकड़ी है। कृषि, पशुपालन और डेयरी कृषि के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सभी स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल से ही वह देश में विश्वसनीय कार्यबल के रूप में बनी हुई है। लेकिन इस समुदाय के सर्वांगिण विकास की ओर विगत में भारत ने उचित ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार वे कई क्षेत्रों में अल्प विकसित बने हुए हैं। अस्सी के दशक में उनकी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के सिवाए इस समुदाय के चतुर्दिक विकास के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप यह समुदाय कई क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है।

इसलिए, मैं संस्कृति और भाषा के विकास तथा आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी इस समुदाय की समस्याओं के निवारण के लिए एक आयोग या विकास परिषद गठित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं। दूसरी ओर 'गोरखा' लोगों का एक मात्र महत्वपूर्ण पर्व "भातृ दितीया", जिसे पूरे भारत में कई अन्य समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है, को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए।

अपराह्न 2.03 बजे

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 41 पर विचार करेगी।

(इस समय श्री अशोक अर्गल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं डा. अंबुमणि रामदास की ओर से, निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं:

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 42, श्री हंसराज भारद्वाज - उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.05 बजे

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 43 पर विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.06 बजे

(इस समय श्री एन.एन. कृष्णदास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.07 बजे

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 41क पर विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): महोदय, मैं श्री पी.आर. किन्डिया की ओर से प्रस्ताव करता हूं:-

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

डा. रामेश्वर उरांव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.09 बजे

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 41ख पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए करार को प्रभावी करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए करार को प्रभावी करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 32 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.10 बजे

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद संख्या 41ग पर विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 32 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.13 बजे

सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 41घ पर विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि आर्थिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलुओं और उनसे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों पर सांख्यिकी संग्रहण को सुकर बनाने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आर्थिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलुओं और उनसे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों पर सांख्यिकी संग्रहण को सुकर बनाने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 34 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जी.के. वासन: मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

..*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.14 बजे

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 44 पर विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जयराम रमेश: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

..*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.15 बजे

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2008

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 45, श्री एस. रघुपति।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि एक निधि की स्थापना और उसमें प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य मद्दे उपयोक्ता अधिकरणों से प्राप्त धन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन ऐसे अभिकरणों से वसूल की गई अन्य सभी रकमों को जमा करने; निधि के प्रशासन के लिए प्राधिकरण के गठन और कृत्रिम पुनरूत्पादन (पादपरोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन संरक्षण, अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्य-जीव संरक्षण का कार्य करने के लिए इस प्रकार संगृहित धन-राशियों के उपयोजन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि एक निधि की स्थापना और उसमें प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य मद्दे उपयोक्ता अधिकरणों से प्राप्त धन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन ऐसे अभिकरणों से वसूल की गई अन्य सभी रकमों को जमा करने; निधि के प्रशासन के लिए प्राधिकरण के गठन और कृत्रिम पुनरुत्पादन (पादपरोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन संरक्षण, अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्य-जीव संरक्षण का कार्य करने के लिए इस प्रकार संगृहित धन-राशियों के उपयोजन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 21 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस. रघुपति: मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न चार बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, 14वीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के द्वितीय भाग का आज समापन हो रहा है।

इस सत्र के दौरान हमारी कुल 18 बैठकें हुईं जो लगभग 96 घंटे 15 मिनट तक चली। इनमें से सत्र के प्रथम भाग में दो बैठकें हुईं तथा द्वितीय भाग में 16 बैठकें हुईं।

सत्र के प्रथम भाग का प्रारम्भ 21 जुलाई, 2008 को हुआ। इस भाग में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में विश्वास का प्रस्ताव पेश किया। लगभग 15 घंटे चली बहस के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 275 मत तथा विपक्ष में 256 मत पड़े। तत्पश्चात् 22 जुलाई, 2008 को सभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

सत्र का द्वितीय भाग 17 अक्तूबर, 2008 को प्रारम्भ हुआ तथा 10 दिसम्बर, 2008 को पुनःसमवेत होने के लिए 24 अक्तूबर, 2008 को स्थगित हुआ।

21 अक्तूबर, 2008 को अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) को पूरा-पूरा स्वीकृत किए जाने तथा तत्संबंधी विनियोग को पारित किए जाने से पूर्व इन पर 2 घंटे 13 मिनट की चर्चा हुई। वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 22 अक्तूबर, 2008 को स्वीकृत की गई तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

19 दिसम्बर और 22 दिसम्बर, 2008 को सभा में वर्ष 2008-2009 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) के दूसरे बैच तथा वर्ष 2008-2009 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) की स्वीकृत किए जाने तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयकों को पारित किए जाने से पूर्व इन पर 2 घंटे 39 मिनट से अधिक समय तक अलग-अलग चर्चाएं हुई। सभा द्वारा रेल अभिसमय समिति (2004) के नौवें प्रतिवेदन की सिफारिशों को अनुमोदित करने वाला एक संकल्प भी स्वीकृत किया गया।

इस सत्र के दौरान 22 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। कुल मिलाकर सभा ने 31 विधेयक पारित किये। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित किए गए, वे इस प्रकार हैं - राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2008; भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2008; भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2008; केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008; विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008; असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008; राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008; विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 2008; ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008; सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2008; उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2008; दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 और दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008।

सभा द्वारा नियम 193 के अधीन सार्वजनिक महत्व के विषयों पर चार अल्पकालीन चर्चाएं भी हुईं, अर्थात् (एक) उड़ीसा और अन्य राज्यों में हुई घटनाओं के विशेष सन्दर्भ में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में; (दो) हाल ही में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के संबंध में गृह मंत्री द्वारा 11-12-2008 को दिये गये वक्तव्य के बारे में; (तीन) उत्तर पूर्व राज्यों के विभिन्न भागों में, विशेषकर असम के संदर्भ में बम विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति और (चार) देश में आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बारे में।

मुम्बई में आतंकवादी हमले पर चर्चा के पूरे होने के पश्चात् प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों द्वारा मुंबई में किए गए घृणित आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए एक संकल्प प्रस्तुत किया। यह संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों का संबंध है, सत्र के दौरान 13 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। सभा ने श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा पेश किए गए निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006, जिसके द्वारा मौजूदा निर्वाचन प्रणाली में व्यापक सुधार लाए जाने के उद्देश्य से एक निर्वाचन सुधार आयोग स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था, पर आगे चर्चा की। विधेयक पर आंशिक चर्चा ही हो पाई।

गैर-सरकारी सदस्यों का एक संकल्प जो कि अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और यायावरी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए विधान के बारे में श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा 13वें सत्र के दौरान 17 अप्रैल, 2008 को पेश किया गया था, पर 19 दिसम्बर,2008 को आगे चर्चा हुई। 19 दिसम्बर, 2008 को सदन की अनुमति से वापस लिए जाने से पूर्व इस पर सदन के सभी वर्गों का पूरा समर्थन मिला। एक अन्य संकल्प जो कि श्री पी.एस.

गढ़वी द्वारा 19 दिसम्बर, 2008 को नए तेलंगाना राज्य की स्थापना के संबंध में पेश किया गया था, पर आंशिक चर्चा हो पाई।

सत्र के दौरान 360 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिनमें से 47 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन लगभग 2.93 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर के साथ 3601 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर भी सभा पटल पर रखे गए। एक आधे घंटे की चर्चा भी की गई।

इस सत्र में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 73 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

प्रश्न काल के उपरांत तथा रात में देर तक बैठकर सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के लगभग 191 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 129 मामले उठाए। माननीय प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने विभिन्न विषयों पर 81 वक्तव्य दिए।

इस सत्र में, व्यवधानों और मजबूर किए गए स्थगनों के कारण हमने 21 घंटे 33 मिनट से अधिक का समय गंवाया। तथापि लोक सभा ने 18 घंटे 32 मिनट से भी अधिक समय देर तक बैठकर अपना महत्वपूर्ण संसदीय कार्य निपटाया।

मैं माननीय उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का इस सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय सदस्यों के अलावा माननीय प्रधानमंत्री, सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी की ओर से मैं प्रेस और मीडिया से सम्बद्ध मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं सदन के प्रति समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोक सभा के महासचिव और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं। सदन की कार्यवाही के संचालन में अपना कुशल सहयोग देने के लिए सम्बद्ध एजेंसियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं।

माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि मेरे साथ-साथ आप सभी लोग अपने प्रिय मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी, जो कि अभी अस्पताल में ही हैं, की अनुपस्थिति महसूस कर रहे होंगे। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

मैं सभी माननीय सदस्यों को क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।

अपराह्न 4.07 बजे

राष्ट्र गीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अब खड़े हो जाएं क्योंकि वंदे मातरम् की धुन बजाई जाएगी।

राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री नन्द कुमार साय श्री सुग्रीव सिंह	341
2.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	342
3.	श्री के.एस. राव श्रीमती जयाप्रदा	343
4.	श्री गणेश सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	344
5.	श्री पी. करूणाकरन	345
6.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख श्री मनसुखभाई डी. वसावा	346
7.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	347
8.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	348
9.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	349
10.	श्री सुब्रत बोस	350
11.	श्री एस.के. खारवेनथन प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	351
12.	श्री गुरूदास दासगुप्त श्री पी.एस. गढ़वी	352
13.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री रामदास आठवले	353
14.	डा. के.एस. मनोज श्री किन्जरपु येरननायडु	354
15.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	355
16.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	356
17.	एडवोकेट सुरेश कुरूप श्री नारायण चन्द्र बरकटकी	357
18.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्री ई.जी. सुगावनम	358
19.	श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	359
20.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	360

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3407
2.	आदित्यनाथ, योगी	3472
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3466, 3528, 3561, 3587
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3439, 3448, 3509, 3605
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3540
6.	अजय कुमार, श्री एस.	3445
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	3423, 3475, 3521
8.	आठवले, श्री रामदास	3470, 3529, 3559, 3588
9.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	3540
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3490, 3551, 3580, 3600
11.	बर्मन, श्री हितेन	3436, 3504
12.	बर्मन, श्री रनेन	3393, 3504
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3444, 3496
14.	भगोरा, श्री महावीर	3386, 3467, 3519, 3557, 3594
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3402, 3481

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
16.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3501, 3538, 3567, 3593
17.	बोस, श्री सुब्रत	3504
18.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	3511, 3550, 3579, 3599
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3446
20.	चालिहा, श्री किरिप	3401
21.	चौरे, श्री बापू हरी	3473, 3542
22.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3385, 3484
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3440, 3493
24.	चौधरी, श्री पंकज	3419
25.	चौधरी, श्री अधीर	3429, 3528, 3547
26.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3489, 3533, 3563, 3589
27.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	3416
28.	धोत्रे, श्री संजय	3412, 3473, 3541, 3542
29.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	3382, 3440, 3503, 3540, 3568
30.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3471, 3522, 3572, 3601
31.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3418, 3486, 3532, 3566, 3592
32.	गांधी, श्रीमती मेनका	3403
33.	गंगवार, श्री संतोष	3411, 3477
34.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3426
35.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	3532

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
36.	हुसैन, श्री अनवर	3451, 3512, 3553, 3582, 3604
37.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	3391, 3454, 3472, 3498
38.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3488
39.	जयाप्रदा, श्रीमती	3464, 3523, 3573, 3595
40.	जिन्दल, श्री नवीन	3395, 3461, 3518, 3564
41.	जोगी, श्री अजीत	3414, 3499
42.	जोशी, श्री प्रहलाद	3566
43.	करूणाकरन, श्री पी.	3465
44.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3398, 3459, 3552
45.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3381
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3456, 3515, 3555, 3585
47.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3418, 3452, 3513, 3554, 3583
48.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3594
49.	कृष्ण, श्री विजय	3406, 3440, 3472, 3535
50.	कुरुप, एडवोकेट सुरेश	3557
51.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	3397
52.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3442, 3494, 3536, 3581, 3591
53.	महरिया, श्री सुभाष	3392, 3462, 3594

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
54.	महतो, श्री नरहरि	3503, 3504
55.	महताब, श्री भर्तृहरि	3440, 3570
56.	महतो, श्री टेक लाल	3437
57.	माझी, श्री परसुराम	3433, 3569
58.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	3472, 3502, 3538, 3539
59.	मंडल, श्री सनत कुमार	3427
60.	माने, श्रीमती निवेदिता	3400, 3418, 3434, 3532, 3606
61.	मनोज, डा. के.एस.	3479, 3544, 3574
62.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3557
63.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3417, 3441
64.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3595
65.	नायक, श्री अनन्त	3409
66.	निखिल कुमार, श्री	3449
67.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3389, 3442, 3460, 3517, 3537
68.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3537
69.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3440, 3454, 3498, 3529
70.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3387, 3468, 3524, 3569, 3595
71.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3448, 3498
72.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3500, 3537, 3565, 3590
73.	पाठक, श्री हरिन	3396, 3482
74.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3404
75.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	3513
76.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3541, 3569
77.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3540
78.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3440, 3504, 3541, 3569, 3605
79.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	3606
80.	राई, श्री नकुल दास	3483
81.	राजगोपाल, श्री एल.	3379, 3424, 3478, 3526, 3558
82.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3476
83.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3497
84.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3383
85.	राणा, श्री काशीराम	3421, 3492
86.	रानी, श्रीमती के.	3394, 3491
87.	राव, श्री के.एस.	3457, 3530, 3577, 3597
88.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3434, 3505
89.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	3447, 3576
90.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3425
91.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	3443, 3495, 3534
92.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	3388
93.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3441, 3476, 3493, 3504
94.	रिजीजू, श्री कीरेन	3472, 3538, 3542

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
95.	साय, श्री नन्द कुमार	3485, 3531, 3560, 3586
96.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3596
97.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3447, 3505, 3507, 3545, 3576
98.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3408, 3506, 3542, 3570, 3602
99.	शर्मा, डा. अरविन्द	3415
100.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3495, 3528, 3540, 3607
101.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	3529, 3596
102.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3438
103.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3401, 3476
104.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3423, 3561
105.	सिंह, श्री दुष्यंत	3410
106.	सिंह, श्री गणेश	3458, 3520, 3562
107.	सिंह, श्री राकेश	3399, 3463, 3594
108	सिंह, डा. राम लखन	3422
109.	सिंह, श्री रेवती रमन	3405, 3469, 3525
110.	सिंह, श्री सुग्रीव	3485, 3487, 3500, 3608
111.	सिंह, श्री उदय	3487
112.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3390
113.	सुब्बारायण, श्री के.	3450
114.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3453, 3516, 3556, 3584
115.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	3428, 3445, 3601
116.	सुमन, श्री रामजीलाल	3413, 3480, 3575, 3596
117.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3420
118.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	3380, 3455, 3514
119.	थामस, श्री पी.सी.	3432, 3497, 3549, 3578, 3598
120.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3441, 3492
121.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3596
122.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3474, 3543, 3571, 3603
123.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3410, 3510, 3548
124.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3401, 3439, 3498, 3509
125.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3483, 3495, 3528, 3540
126.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3418, 3527, 3566, 3592, 3605
127.	यादव, श्री गिरिधारी	3384
128.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3430
129.	यादव, श्री राम कृपाल	3435
130.	यास्खी, श्री मधु गौड	3418, 3434, 3527, 3532, 3566
131.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3419, 3508, 3546

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग		341, 346, 349
पृथ्वी विज्ञान	:	358, 360
गृह		348, 351, 354, 355, 359
मानव संसाधन विकास		343, 345, 347, 353, 356, 357
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	344, 350
खान		352
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	342

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	3379, 3381, 3383, 3388, 3389, 3390, 3393, 3397, 3402, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3418, 3420, 3426, 3430, 3433, 3437, 3441, 3442, 3444, 3445, 3448, 3452, 3453, 3456, 3457, 3461, 3463, 3464, 3469, 3471, 3474, 3478, 3486, 3493, 3494, 3496, 3497, 3504, 3517, 3518, 3527, 3534, 3535, 3550, 3559, 3560, 3562, 3566, 3583, 3586, 3592, 3597, 3599, 3605, 3607
पृथ्वी विज्ञान	:	3499, 3511, 3570
गृह		3380, 3385, 3391, 3394, 3396, 3400, 3401, 3405, 3406, 3408, 3416, 3417, 3421, 3423, 3431, 3432, 3434, 3443, 3446, 3449, 3451, 3454, 3465, 3466, 3468, 3470, 3472, 3473, 3476, 3477, 3480, 3481, 3482, 3483, 3489, 3498, 3501, 3508, 3512, 3516, 3519, 3521, 3522, 3523, 3525, 3529, 3532, 3538, 3539, 3542, 3552, 3553, 3554, 3561, 3564, 3567, 3573, 3581, 3585, 3587, 3590, 3593, 3595, 3598, 3606, 3608
मानव संसाधन विकास	:	3382, 3386, 3387, 3399, 3404, 3419, 3422, 3424, 3425, 3429, 3435, 3438, 3450, 3455, 3458, 3462, 3479, 3484, 3487, 3488, 3490, 3491, 3492, 3495, 3502, 3506, 3507, 3509, 3510, 3513, 3514, 3524, 3526, 3528, 3531, 3533, 3536, 3541, 3543, 3546, 3547, 3548, 3549, 3555, 3556, 3557, 3558, 3563,

		3564, 3568, 3569, 3571, 3572, 3574, 3575, 3576, 3578, 3579, 3582, 3584, 3588, 3591, 3594, 3602, 3603, 3604
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	3384, 3436, 3439, 3440, 3485, 3503, 3537, 3540, 3544, 3577, 3580, 3589, 3600
खान	:	3398, 3403, 3407, 3459, 3467, 3500, 3601
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	3392, 3395, 3427, 3428, 3447, 3460, 3475, 3505, 3515, 3520, 3530, 3545, 3551.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/36/18/2009 (एन.)
215

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।